खण्ड-372, अंक-1
मंगलवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1907
(13 अगस्त, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

कार्य स्थग स्तावों की सूचनाएं (जारी)
सदन में हुई अव्यवस्था के सम्बन्ध में खेद प्रकाश . . 81–86
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं
1985–86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान . . 86–90
संख्या 31—परिवहन विभाग (स्वीकृत)
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, . . 90–139
1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत तथा पारित)
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं . . 139–153
मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के साइजिंग कलेन्डरिंग एवं फिनिशिंग कारखानों में श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य . . 153
वर्तमान शिक्षा सत्र के आरम्भ में विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश में कठिनाई के सम्बन्ध में वक्तव्य . . 153–158
मद संख्या–17 को अगली तिथि के लिए स्थगित किए जाने हेतु सदन की सहमति . . 158–163
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना . . 163
परिशिष्ट . . 164
उपस्थिति . . 165–175

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर हुसैन बाबर, श्री (फैजाबाद)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
अमर नाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
अोमवती, श्रीमती (बिजनौर)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0 (आगरा)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
जय नारायण शर्मा, श्री (मेरठ)
डूंगर सिंह, श्री (हमीरपुर)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर, (सहारनपुर)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फजलुल बारी, श्री (गोण्डा)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
भगौती सिंह, श्री (लखनऊ)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
महमूदुल हसन अन्सारी, श्री (बिजनौर)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
मान पाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
मोहम्मद हयात, हाजी (मुरादाबाद)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रजनी कान्त, श्री (वाराणसी)
रणजीत, श्री (देवरिया)
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रम्फन) (बरेली)
राज बहादुर, श्री (जौनपुर)
राम नरेश, श्री (मैनपुरी)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
वीरेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (इलाहाबाद)
सन्तन बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हितेश कुमारी, श्रीमती (बुलन्दशहर)

नोट—श्री अजीत प्रताप सिंह, आबकारी मन्त्री

उत्तर प्रदेश विद्युत
विधान सभा

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूतपूर्व खाद्य आयुक्त तथा सचिव श्री मनोहर सुब्रमणियम के विरुद्ध धान घोटाले के संबंध में उच्चस्तरीय जांच रिपोर्ट

*1—श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री सुब्रमणियम धान घोटाले के संबंध में वर्ष 1985 के प्रथम सत्र में पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 दिनांक 19-3-85 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त काण्ड के लिये नियुक्त सचिव स्तरीय जांच समिति एवं मंत्रिमण्डलीय जांच समिति की अलग-अलग क्या आख्या थी ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

धान खरीद के मामले में प्रथम सत्र 1985 में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, विधायक द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर एवं अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में धान खरीद के विषय में शासन के निष्कर्षों की जानकारी सदन में दिये जाने के बाद इस संबंध में गठित समितियों की आख्यायें अलग-अलग देने का प्रश्न नहीं उठता है । माननीय श्री गुप्त को दिये गये उत्तर की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 165 पर)

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी पीठासीन अधिकारी की हैसियत से अपनी रूलिंग दिये हैं या उत्तर दिये हैं प्रश्न नहीं उठता । माननीय अध्यक्ष ने सवाल स्वीकार किया कि जांच कर्ता की क्या रिपोर्ट थी, उच्च स्तरीय समिति की क्या रिपोर्ट थी और मंत्रिमण्डलीय समिति की क्या रिपोर्ट थी । तीनों रिपोर्टों की आख्या न बताने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया, इसमें दो बातें हैं । जो प्रश्न पिछले सत्र में पूछा गया था उसके सन्दर्भ में प्रश्न किया गया । उन निष्कर्षों की जानकारी दे दी गई है । माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हों, उनको देने के लिये मैं तैयार हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

जांच अधिकारी जो संयुक्त सचिव वित्त नियुक्त हुये थे उनकी क्या रिपोर्ट थी क्या यह सही नहीं है कि 5 करोड़ 77 लाख 50 हजार का नुकसान रिकवरी में छूट देने से हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—

नुकसान हुआ यह सही है । लेकिन जिस कारण का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है वह सही नहीं है । ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है । जिन कारणों से नुकसान हुआ उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को दे दूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि धान की कुटाई में मिल मालिकों को पैसा नहीं दिया जाता था, भूसी, कना छोड़ दिया जाता था ? क्या यह सही नहीं है कि सुब्रमणियम ने बईमानी करके 1 करोड़ 20 लाख रुपये का भुगतान करवा दिया। 2 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से कुटाई देकर ?

श्री हुकुम सिंह—

जो माननीय सदस्य ने एक करोड़ कुछ लाख रुपये की बात कही और कारण बताया, वह सही नहीं है । वस्तु स्थिति यह है कि जो जानकारी दी गई थी, धान की सीधी..

श्री मैनेजर सिंह–

अध्यक्ष जी, कल प्रश्न उठा था कि प्रश्न सीधे किये जायं और उत्तर सीधा दिया जाय । क्या यह सही नहीं है कि धान की कुटाई में 2 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से भुगतान करने के कारण 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान हुआ ? कुटाई के लिये पैसा दिया गया यह सही नहीं है?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार की सूचना देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत अहम मामला है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैंने सीधा प्रश्न पूछा था । मैं विशेषाधिकार की सूचना देता हूं ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने 28 नवम्बर, 1980 को एक तार भेज कर यह आपत्ति की थी कि धान की खरीद में राज्य सरकार जो प्रक्रिया अपना रही है, वह सही नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, भारत सरकार की ओर से कुछ निर्देश आए और सारी प्रक्रिया धान की खरीद के बारे में जो थी, उसमें कुछ न कुछ कमियां उत्तर प्रदेश सरकार ने पायीं। इसी कारण से अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई, लेकिन सारी प्रक्रिया को दोष देने लगना सही बात नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न साफ है, अतः बार-बार कमियों की बात कहने का कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रश्न है कि केन्द्र सरकार ने प्रक्रिया के बारे में आपत्ति की थी या नहीं, क्या निर्देश दिये, या प्रक्रिया में गलती थी या नहीं, यह सवाल नहीं है, जो प्रक्रिया धान की खरीद के लिये चलाई जा रही थी, उसके बारे में आपत्ति आयी थी या नहीं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रक्रिया बहुत विस्तृत है जिसके हर विन्दु पर आपत्ति नहीं की गयी थी। कुछ बातों पर आपत्ति थी, उन्हें माननीय सदस्य चाहें तो दे दूं।

श्री मैनेजर सिंह–

जिस प्रश्न पर आपत्ति थी, उसी को दे दें।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि, एक सूचना दे दूं कि जब माननीय मंत्री जी इधर बैठते थे, तो यह मामला विधान सभा में उठा था और माननीय मंत्री जी ने भी उस सवाल में हस्ताक्षर किये थे और वासुदेव सिंह जी ने जवाब दिया था पिछली विधान सभा में कि जो आरोप श्री सुब्रमणियम पर लगाये गये थे, गम्भीर है। पिछले सत्र में विधान सभा में यह सवाल आया तो सरकार की ओर से जवाब आया कि मामूली अनियमितताएं पायीं गयीं और उनको ऐसा न करने का सुझाव दिया गया तो श्रीमन्, किसी भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण दिये जाने का इससे बड़ा मामला अब तक विधान सभा में आया ही नहीं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो कमेटी बनी थी, उसने जो उचित जांच नहीं की तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले को गम्भीरता

को देखते हुए पुनः किसी ईमानदार अधिकारी से इस प्रकरण की जांच कराने के आदेश देंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या यह सही नहीं है कि इसी माननीय सदन में 7 अप्रैल, 83 को तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री वासुदेव सिंह ने घोषणा की थी कि पांच आरोप सिद्ध पाए गये, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। क्या यह सही नहीं है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने स्वयं कहा कि कुछ कमियां पायी गयीं और मैं उन कमियों का उल्लेख करना चाहता हूं, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि नहीं, आप सीधा उत्तर दे दीजिये।

श्री मैनेजर सिंह–

वे पांच आरोप कौन से थे, आप उन्हें बतावें।

श्री हुकुम सिंह–

जो कमियां पायी गयी, मान्यवर...

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय वासुदेव सिंह ने पांच अभियोग सिद्ध पाए थे और ये कमियां बताते हैं। ये खुद उस बदनाम अधिकारी की वकालत कर रहे हैं। पिछले मंत्री ने कहा कि पांच आरोप सिद्ध हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मेरा आपसे निवेदन है कि तमाम प्रकरण का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुछ कमियां थी, उनको बताना अपना कर्तव्य समझता हूं ताकि माननीय सदन को इसकी जानकारी हो सके। जो कमियां पायी गयीं मान्यवर, एक तो खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद नहीं होती थी। वह चावल लेता था और यहां पर धान की खरीद हो रही थी। प्रक्रिया यह होनी चाहिये कि खाद्य निगम से अनुरोध करते कि धान की खरीद कर लें। यह अनुरोध नहीं किया गया। यह वहां से स्वीकृत हो जाता तो मंत्रि-परिषद् या उच्च अधिकारियों के सामने यह स्थिति न आती। खाद्य निगम ने प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया तो आगे क्या किया जाय और क्या न किया जाय वहां स्वतः उस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारी ने अपने विवेक से काम लिया। यह उसकी हमने कमी पायी। कोई भ्रष्टाचार की बात सामने नहीं आती है।

दूसरे, साधारण रिकवरी 68 प्रतिशत की धान की होती है। यहां पर जो निर्णय लिया गया अधिकारी के स्तर पर, 64 प्रतिशत रिकवरी के धान का लिया गया। जब यह बात सामने आयी तो पुनः यह आदेश दिये कि 64 प्रतिशत की रिकवरी नहीं मानी जायेगी। 68 प्रतिशत रिकवरी के धान की बात कही गयी।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी समय बरबाद कर रहे हैं।

बिना मंत्रि परिषद् या वित्त विभाग की सहमति से जो छूट दी रिकवरी में, जिस कारण से 5 करोड़ के लगभग की बात इसमें प्रकाश में आयी है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछें।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या इस निमित्त मंत्रि-परिषद् या वित्त सचिव की सहमति ली गयी? मान्यवर, मैं यहां यह भी उल्लेख करना

चाहता हूं कि 26-9-80 को संयुक्त सचिव राजेन्द्र गुप्त ने लिखा था कि मंत्रि-परिषद् की उसमें सहमति ले ली जाय खरीद के पहले। सुब्रह्मणियम साहब ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्रिपरिषद् की सहमति की उपेक्षा फाईल पर है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं तो पहले ही यह कहने वाला था कि उन्हें आदेश प्राप्त करने चाहिये थे। आदेश नहीं प्राप्त किये, वह तो कमी है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इस तरह से बेईमान अधिकारी को संरक्षण दिया जायेगा, तो बात नहीं बनेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी पूरे प्रकरण को फाइल मंगाकर देख लें। वे कह दें कि इसमें कोई बेईमानी नहीं है, मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा। वे व्यक्तिगत रूप से यहां पर कह दें।

श्री अध्यक्ष–

मेरा सुझाव है आपसे कि आप मुख्य-मंत्री जी से मिल लें।

श्री मैनेजर सिंह–

नहीं मान्यवर, सदन में वे कुछ कहें।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्य अपने वरिष्ठ साथी का बड़ा आदर करता हूं। एक आग्रह करूंगा जिस समय परिचर्चा हुई इस पर सन् 1980 में हम दोनों इस सदन में सदस्य नहीं थे। हो सकता है शायद वे रहे हों। मैं नहीं था। उस समय का वातावरण यह था कि धान की खरीद होनी चाहिये हर हालत में। धान किसानों का मारा जा रहा है। राज्य सरकार ने जल्दी में किसान की मदद के लिये फूड कारपोरेशन से या दिल्ली से सहमति की प्रतीक्षा किये बिना धान की खरीद शुरू की। धान की खरीद बड़े पैमाने पर शुरू की गयी। जो त्रुटियां हुईं मिलिंग दर में किया, छीजन का रेट ठीक नहीं किया। 4-5 बातें हुकुम सिंह जी ने बतायीं। इसके बाद यह प्रश्न जांच के लिये आया। जांच के लिये जो हाई पावर कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट केबिनेट को दी। केबिनेट की एक कमेटी बनी। उसमें यह निर्णय लिया गया, फैसला किया गया कि इसमें गल्तियां हुई हैं, आदेश लेने चाहिये थे। लेकिन, इसमें मैलाफाइड नहीं है। धान की स्कीम किसानों को मदद पहुंचाने के लिये थी। इसमें बड़ी तेजी से काम हुआ है। जो इसमें घाटे का मुख्य कारण है वह है ब्याज। 6 करोड़ 64 लाख की जो बात कही गयी है, उसमें 5 करोड़ के लगभग ब्याज है जिससे आज भी एफ0 सी0 आई0 के पास 2 करोड़ टन गल्ला बंद है। एक हजार करोड़ ब्याज दिया जा रहा है। इस मामले को एक बार मुख्य मंत्री द्वारा देख लिया गया है और कैबिनेट द्वारा उसे देख लिया गया है और कैबिनेट की कमेटी उस पर विचार कर चुकी है। धान की तेज खरीद के लिये शासन की उस समय नीति थी, नहीं तो भारत सरकार द्वारा यह होना चाहिए था। हो सकता है, उस समय इसकी सदन में मांग रही होगी। हमें उस समय के वातावरण को ध्यान में रखना होगा। एक बार जिस मामले को देख लिया गया है, उसे दुबारा देखा जाय, उचित नहीं है। यदि कोई ऐसी बात उस समय फाइल में रह गई हो, जिसे न देखा गया हो, तो माननीय सदस्य उसे मेरे पास लायें, मैं उसे देखूंगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, 5 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपये का घाटा हुआ है, सिर्फ सुब्रह्मण्यम की गैर जिम्मेदारी के कारण। इसमें शासन की कोई गलती नहीं है बल्कि श्री सुब्रह्मण्यम ने इस सम्बन्ध में न तो वित्त विभाग से परमीशन मांगी, न मंत्रि परिषद् से परमीशन मांगी और न ही संचालक समिति, वित्त के सुझाव को माना। इसलिए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पूरे प्रकरण पर पुनः विचार करेंगे?

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, सारा परीक्षण कर लिये गये हैं, इसलिए पुनः देखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, नियम–49 के अन्तर्गत आप इस पर चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आप मुझे लिखकर दे दें, मैं उसे देख लूंगा।

श्री मैनेजर सिंह–

ठीक है, मैं लिखकर दे दूंगा।

नैनीताल में पेयजल आपूर्ति

*2–श्री किशन सिंह तड़ागी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्यटन नगरी नैनीताल के नैनी सरोवर का जल स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है जो पेयजल का मुख्य स्रोत है ? शासन नैनीताल पर्यटन नगरी की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए क्या कदम पेयजल के लिए उठा रहा है?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)–

जी नहीं।

नैनीताल की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में निर्मित पेयजल व्यवस्था अपर्याप्त हो गई है। अतः अतिरिक्त जल उपलब्ध कराये जाने हेतु पिछले वर्ष एक पेयजल योजना बनायी गई है। जिस से आगामी ग्रीष्म ऋतु से पूर्व ही अतिरिक्त जल उपलब्ध होने लगेगा।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1975 में जब वाटर सीवेज बोर्ड बना था तो उस समय लेक का जल स्तर क्या था और आज क्या है?

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, जल स्तर 1975 में क्या था, इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वैसे लेक का जल स्तर प्रति वर्ष वर्षा पर निर्भर करता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नैनी सरोवर में प्रक्षेपण व सफाई का काम न होने से लेक की गहराई कम होती जा रही है । क्या इस संबंध में 2-3 साल पहले कोई सर्वेक्षण कराया गया है?

श्री नारायन दत्त–

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य, बनारस, कैन्ट ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। शासन ने इस पर विचार किया है कि जो लेक रीजन है, उसमें भू-गर्भ के कारणों से और भू-स्खलन के कारणों से या अन्य कारणों से लेक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस पर एक्सपर्ट कमेटी विचार कर रही है।

(श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी के खड़े होने पर),

श्री अध्यक्ष–

श्री हरीश जी आप बैठ जायं। कल नेताओं की बैठक में तय किया गया है कि 20 मिनट से इस पर ज्यादा समय नहीं लिया जायेगा।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

नैनी सरोवर को जिस समय वाटर सीवेज बोर्ड ने अपने हाथ में लिया था, उस समय लगभग डेढ़ इंच स्रोतों से पानी आता था लेकिन जब यह आधा इंच रह गया है । क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी को जानकारी है?

श्री गुलाब सिंह–

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आधा इंच रह गया है।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मैं यह जानना चाहता हूं कि नैनीताल में नैनी सरोवर का पानी जैसे घट रहा है तो कोई प्रबन्ध शासन ने किया है पानी पिलाने के लिए?

श्री गुलाब सिंह–

यह सही है कि नैनीताल में पानी की कमी है और उस समस्या को हल करने के लिए एक योजना बनायी जा रही है, जिसके माध्यम से वहां पानी की व्यवस्था ठीक हो जायगी।

डा0 दिनेश जौहरी–

इस वर्ष नैनीताल में पानी की कमी रही है और पर्यटक एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी जो योजना बना रहे हैं वह कब तक लागू हो जायगी?

श्री नारायन दत्त–

नैनीताल में जो पानी की उपलब्धता है वह इस समय दो स्रोतों से है। एक तो जो तालाब है उससे और दूसरा है झरनों से जिसे स्प्रिंग कहते हैं। इस समय पानी को शुद्ध करने की क्षमता सवा तीन एम0 एल0 डी0 है जो गर्मियों में 6 मि0 ली0 हो जाता है और एक मिलियन लीटर झरने से जो पर्वतों से निकलते हैं उनसे प्राप्त होता है। इस तरह से 7 मिलियन लीटर हो जाता है। आवश्यकता साढ़े 12 लाख मि0ली0 की है। इस कमी को पूरा करने के लिए जो माननीय सदस्य बरेली ने पूछा है साढ़े पांच लाख एम0 एल0 डी0 की कमी को दूर करने के लिए 18.915 लाख रुपये की योजना बनायी गयी है। इसमें राइजिंग मेन तथा दो प्रेशर फिल्टर लगाये जाने की योजना है। इसके अलावा एक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण की वृहद योजना विचाराधीन है और अगर पैसा उपलब्ध हो गया तो उस पर कार्यवाही होगी।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

नैनीताल से जितना गंदा पानी नालों आदि से आता है वह सब नैनी सरोवर में गिराया जाता है। तो मुख्य मंत्री जी इसका कोई प्रबन्ध करेंगे कि गंदा पानी सरोवर में न गिरा कर कहीं अन्यत्र ले जाया जा सके?

श्री नारायन दत्त–

इस संबंध में, नैनीताल डेवलपमेन्ट अथारिटी बन गयी है, वह इस पर अवश्य विचार करेगी, उनसे कहा जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित प्रश्न

थाना बलरामपुर देहात, जनपद गोण्डा में अरुण कुमार की कुंए में फेंक कर हत्या किये जाने की पंजीकृत रिपोर्ट

*1–श्री रघुनाथ सिंह (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खैरापोट (पडरी) थाना बलरामपुर देहात, जनपद गोंडा निवासी श्री रणजीत सिंह के 6 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय अरुण सिंह की दिनांक 15-12-84 की शाम 5 बजे विष देने के बाद कुंए में फेंककर हत्या कर दी गयी जिसकी रिपोर्ट मुकदमा संख्या 4/85 धारा 302 भा0 दं0 वि0 के

अंतर्गत थाना बलरामपुर देहात में अंकित है ? यदि हां, तो मुल्जिमानों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि लाश का पोस्ट मार्टम कराने के बाद उसका विसरा अभी तक परीक्षण हेतु आगरा न भेजकर थाने पर ही रखा है ? यदि हां, तो शिथिलता बरतने वालों को क्या सरकार दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-12-84 को प्रथम लिखित तहरीर दी गयी जिसमें हत्या का आरोप नहीं था तथा दूसरी लिखित तहरीर जिसमें हत्या का आरोप था, पर 17-1-85 को मु0अ0सं0 4/85 धारा 302 पंजीकृत किया गया ।

इस मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।
जी नहीं ।
शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना फीलखाना, जिला कानपुर महानगर व पुलिस चौकी ईदगाह, थाना कर्नलगंज में राम आसरे व सुक्खू लाल की हत्या किये जाने की दर्ज रिपोर्ट

*2–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1985 व जुलाई, 1985 के प्रथम सप्ताह में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को इस आशय की शिकायत मिली कि पुलिस चौकी पटकापुर, थाना फीलखाना जिला कानपुर महानगर व पुलिस चौकी ईदगाह, थाना कर्नलगंज में क्रमशः राम आसरे व सुक्खू लाल हरिजन नामक व्यक्तियों को जून, 1985 में मार-मार कर, मार डाला गया ? यदि हां, तो घटना के विवरण क्या है और विवेचना की दशा में 7 जुलाई, 1985 तक कितनी प्रगति हुई ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)–

प्राप्त सूचनानुसार श्री सुक्खू लाल की हत्या के सम्बन्ध में श्री सुन्ना लाल, ईदगाह, कानपुर का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई । श्री सुक्खू लाल की हत्या के संबंध में श्री पुरुषोत्तम द्वारा थाना-कर्नलगंज में एक उपनिरीक्षक एवं एक कांस्टेबिल के विरुद्ध एक अभियोग अंतर्गत धारा-302 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया था । पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियोग धारा 304 ए/323/504/506 भा0दं0वि0 में तरमीम कर विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दिनांक 11-6-85 को श्री सुनील उर्फ बबुआ द्वारा थाना-फीलखाना पर श्री राम आसरे के विरुद्ध एक अभियोग अंतर्गत धारा 379 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया था। वादी द्वारा ही श्री राम आसरे को पुलिस चौकी पटकापुर लाया गया जहां राम आसरे की तबियत अचानक खराब हो गई । सायंकाल 5 बजे श्री राम आसरे की मृत्यु अस्पताल में हो गई ।

इस संबंध में मृतक के पत्र द्वारा एक अभियोग अंतर्गत धारा 147/323/302 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियोग अंतर्गत धारा 304 भा0दं0

वि0 में तरमीम किया गया जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है । दो हरिजनों को थाने में इतना मारा गया कि वे मर गये । मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ? डाक्टर की फाइंडिंग क्या है, क्या दिया है कि किस कारण मृत्यु हुई ? ये अलग-अलग दो आदमी मारे गये हैं । एक मामले में तो दरोगा के खिलाफ धारा 302/304-ए/323/504/506 भा0दं0वि0 की कार्यवाही की गयी, किन्तु दूसरे वाले मामले में क्या कार्यवाही की ?

श्री जफर अली नकवी–

पोस्टमार्टम में, माननीय सदस्य ने जैसा पूछा है, कारण स्पष्ट नहीं हो सका । इन दोनों मामलों में दरोगाओं को और कांस्टेबिलों को ससपेण्ड कर दिया गया है। पहले वाले मामले में उनके खिलाफ दफा 304-ए/323/504/506 भा0दं0वि0 लगायी गयी है । दूसरे केस में धारा 147/323/302 भा0दं0 वि0 लगाकर इन्क्वायरी सी0आई0डी0 को दे दी गयी है । वे इसकी विवेचना कर रहे हैं

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि श्री राम आसरे वाले मामले में किसी और दरोगा को निलम्बित किया गया है या उन्हीं को किया गया है, जो पहले वाले केस में थे ? दूसरी बात, श्री राम आसरे, जिनको गम्भीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया था, क्या उनका मैजिस्ट्रेट द्वारा कोई बयान लिया गया ? तीसरी बात, चूंकि थाने में मृत्यु हुई है, क्या सरकार अपनी ओर से हरजाने के तौर पर पैसा देगी ?

श्री जफर अली नकवी–

इस सम्बन्ध में 6 कांस्टेबिल और 1 इंसपेक्टर इनवाल्ड थे, सबको ससपेण्ड कर दिया गया । इसी के साथ साथ जो आपने पूछा है, मैजिस्ट्रेट द्वारा बयान नहीं हो पाया था । इन्हीं सब बातों के आधार पर 31-2-85 को सी0आई0डी0 इन्क्वायरी की घोषणा कर दी है, जो दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी ।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, उन्होंने कहा कि ससपेण्ड कर दिया गया, अब तो बहाल कर दिया गया होगा ? देखकर बता दें बहाल कर दिये गये या नहीं ?

श्री जफर अली नकवी–

ऐसा नहीं है ।

लखनऊ में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को सरकारी आवास की सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार

*3–श्री शारदा प्रताप–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लखनऊ में कार्यरत सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या आवास समस्या को देखते हुए ऐसे सभी कर्मचारियों को जिन्हें लखनऊ में सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, उन्हें अन्य बड़े महानगरों कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि की भांति मुख्यालय लखनऊ से 80 कि0मी0 की

परिधि में रहने तथा नित्य प्रति लखनऊ आने-जाने की छूट प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

जी नहीं ।

जी नहीं, क्योंकि लखनऊ नगर में स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उन्हें मकान किराया भत्ता नियमानुसार अनुमन्य होता है चाहे उनका अपना निवास लखनऊ में या लखनऊ से बाहर कहीं भी स्थित हो ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा प्रश्न देख लें । मैंने पूछा है कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लखनऊ में कार्यरत सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास प्रदान किया गया है ? इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने "जी नहीं" कहा है । इसके बाद मैंने पूछा था कि यदि नहीं तो क्या आवास समस्या को देखते हुए ऐसे सभी कर्मचारियों को जिन्हें लखनऊ में सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, उन्हें अन्य महानगरों की भांति लखनऊ से 80 कि0मी0 की परिधि में रहने तथा नित्य प्रति लखनऊ आने-जाने की छूट प्रदान करेगी ? इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है । लखनऊ की आवास समस्या को देखते हुए और किराये की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने में सरकार को क्या परेशानी है ?

श्री अध्यक्ष–

अब लखनऊ जब कलकत्ता बम्बई और मद्रास के बराबर हो जायेगा तो सरकार विचार करेगी ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

श्रीमन्, मैंने अपने उत्तर में इसीलिये दो बार "जी नहीं" कहा है। हमें कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की बात तो पता नहीं है, हमें लखनऊ के बारे में पता है और वही उत्तर मैंने यहां पर दिया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

यह प्रश्न कलकत्ता, मद्रास और बम्बई का नहीं है, प्रश्न यहां का है और मजदूरों और कर्मचारियों को सुविधा देने का है । क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद करूं कि वे अपनी बात पर विचार करेंगे और बढ़ती हुई प्राइस इन्डेक्स को देख कर मैं नहीं कहता कि 80 किलो मीटर की दूरी ही आप रखिये लेकिन इससे कुछ कम दूरी भी रखी जा सकती है, तो कोई दूरी की निश्चित सीमा आप निर्धारित कर देंगे ताकि आने वाले कर्मचारियों को और मजदूरों को थोड़ी राहत मिल सके ?

श्री नारायन दत्त–

इसमें ऐसी कोई बाधा नहीं है कि इतने किलो मीटर के अन्दर लखनऊ में रहना पड़ेगा ? बस समय से दफ्तर आ जायें यही काफी है। नियम यह है कि शहर में रहने से 15 परसेन्ट जो भत्ता मिलता है वह 8 किलो मीटर की दूरी तक रहने वाले कार्यरत कर्मचारियों को वह भत्ता देय है। जो इससे अधिक दूरी पर रहेंगे तो उन्हें खुद ही समय से कार्यालय आने और जाने में परेशानी होगी और सारा

समय आने-जाने में ही बीत जायेगा । इसलिये अपने सुभीते के लिये लोग लखनऊ के आस-पास ठहरते हैं और पास में ही रहते हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो नियमों का हवाला दिया कि शहर में 8 किलो मीटर की दूरी तक में रहने वाले कर्मचारियों को शहरी भत्ता मिलता है । तो बहुत से शहरों में अब 8 किलो मीटर के बाहर भी कार्यालय हो गये हैं, जहां व्यक्ति को काम करने के लिये रोज आना-जाना पड़ता है । यह 8 किलो मीटर की परिधि का जो उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है क्या उसे वे शिथिल करने की कृपा करेंगे? सीतापुर में ही इण्डस्ट्रियल कार्यालय शहर से 8 किलो मीटर की दूरी पर बना हुआ है तो क्या मुख्य मंत्री जी यह 8 कि0मी0 सीमा को शिथिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त–

मेरे पास 15 दिसम्बर, 1981 का यह शासनादेश जो कि उत्तर प्रदेश के तमाम नगर क्षेत्रों के लिये लागू है, इसमें अलग-अलग नगरों के लिये अलग अलग दूरी रखी गयी है । यह बहुत लम्बी सूची है नहीं तो मैं अभी यहां इसे पढ़ देता । इसमें सीतापुर भी शामिल है।

श्री विजय सिंह राणा–

इसमें क्या आगरा भी है या नहीं ?

श्री नारायन दत्त–

आगरा भी है । उत्तर प्रदेश के अनेकानेक नगर हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

यमुना नदी में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण हेतु उपाय

*1–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुना नदी का जल मथुरा से होकर आगरा महानगर, टुण्डला, फिरोजाबाद और बटेश्वर नाथ जी तक इतना अधिक प्रदूषित हो जाता है कि वह जल पीने और स्नान योग्य नहीं रहता ? यदि हां, तो जल प्रदूषण से जमुना किनारे बसी घनी आबादी को बचाने हेतु शासन ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

यमुना नदी दिल्ली महानगर में प्रदूषित होने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है । इसके जल की गुणता में विशेष गिरावट मथुरा व आगरा महानगर में प्रदूषण के कारण होता है । जिसका प्रभाव बटेश्वरनाथ जी तक अवश्य रहता है । परन्तु बटेश्वर-नाथ जी तक नदी की स्वयं की प्रदूषण शुद्ध करने की क्षमता के कारण प्रदूषण नगण्य हो जाता है। यमुना नदी में प्रदुषण का मुख्य कारण मथुरा, वृन्दावन व आगरा के नगरों के बिना शुद्धिकरण किये मलजल का निस्तारण किया जाता है । इस क्षेत्र में नदी का जल बिना शुद्धिकरण के पीने या स्नान करने योग्य नहीं है ।

यमुना जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण हेतु मथुरा और वृन्दावन की

जलोत्सारण योजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा आगरा नगर में विभिन्न नालों के बहाव को डाईवर्सन कर सीवर लाइन में मिलाने तथा प्राथमिकता शुद्धिकरण के उपरान्त बायोगैस संयंत्र लगाये जाने की योजना विचाराधीन है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर जिसकी आबादी 8 लाख के करीब है और जहां विदेशी पर्यटक आते हैं और मान्यवर, जब मंत्री जी गये थे तो जो उन्हें पानी पीने को मिला था, उस पानी की हालत को देखते हुए क्या आगरा में पानी को जल प्रदूषण से बचाने के लिये बायोगैस संयंत्र की योजना और नालों के डाइवर्जन की योजना जो विचाराधीन है, उसे कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, नालों के डाइवर्जन की योजना है और पानी के शुद्धिकरण के लिए 3 करोड़ 88 लाख रुपये की प्रस्तावित योजना है। इस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। इस पर विचार करने के उपरान्त ही यह हो पायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि अभी जापान में ताजमहल के नजदीक 10 गांवों का सर्वे किया गया था जिसमें लेप्रोसी का अध्ययन किया गया था, तो मान्यवर, उस सर्वेक्षण दल ने यह रिपोर्ट दी है भारत सरकार को कि आगरा का जल यमुना का इतना प्रदूषित है कि उससे कोढ़ की बीमारी पूरी की पूरी आबादी में फैलने की सम्भावना बढ़ गयी है। उसका पानी खारा है खारे पानी की वजह से परगनाधिकारी की भी रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न कर लीजिए ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कौन सी योजना लागू करेंगे जिससे लोग कोढ़ से भी बचें और लोगों को पानी पीने की सुविधा भी मिल जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने वृन्दावन से लेकर आगरा और टुण्डला तक की बात की है। श्रीमन्, वृन्दावन में पानी के शुद्धिकरण के लिए 49 लाख 23 हजार रुपये की योजना चल रही है यह प्रासंस में है, मथुरा में 25.26 लाख की योजना है, आगरा में 3 करोड़ 88 लाख की प्रस्तावित है और फिरोजाबाद में 39 लाख रुपयों से सीवर को ठीक किया गया और जैसा कि आपने खारे पानी की बात की है तो वहां सारी क्षारीय जमीन है। रिमोट सेन्सिंग के अन्तर्गत हमको एक स्ट्रेटा मिला है जहां से हमको मीठा पानी उपलब्ध होता है। आगरा में इस तरह के पम्प लगाकर मीठा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। डाल योजना भी प्रस्तावित है, उस योजना से पीने के पानी की उपलब्धता करायी जायेगी।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, अभी वहां पर बायो यंत्र लग रहा है तो मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आगरा में 10 नाले हैं और 10 नाले एक सीवर लाइन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। 10 नाले जो पूरी तरह से पट गये हैं और वह पानी पूरा का पूरा जमुना में

जा रहा है, वहां की रिपोर्ट है कि दिल्ली की अपेक्षा आगरा में कई गुना वाटर पालूएशन है। तो मंत्री जी 10 नाले हैं आगरा में तो आप यह पता लगायेंगे कि 10 नालों का पानी जो सीवर लाइन में जाता था तो अब पूरा का पूरा नाला टूटकर शहर में होकर सीधे जमुना में गिर रहा है जिससे वाटर पौलूएशन हो रहा है तो इन नालों को ठीक कराने के लिए क्या प्रयास करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, आगरा के लिए 3 करोड़ 88 लाख की योजना प्रस्तावित है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया कि आगरा के लिये 3 करोड़ 88 लाख रुपये की योजना है और 70 लाख का बजट ही प्रदूषण विभाग का है। तो आगरा का ही आने वाले कई सालों में पूरा होगा । मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदूषण विभाग का बजट बढ़ाने की कृपा करेंगे, 70 लाख के स्थान पर 10 करोड़ करेंगे ?

श्री नारायन दत्त–

मैं नेता जनता पार्टी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस समय आगरा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिये जो भी चेष्टा होगी, वह भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह तो बजट की बात कही गयी है, मा0 नेता जनता पार्टी इस बात को जानते हैं कि इस प्रकार के शुद्धीकरण का जो प्राविधान है, वह प्रदूषण के बजट में नहीं है, बल्कि जलनिगम के बजट में है। जल निगम का बजट अलग है, नगर विकास विभाग का बजट जो है, उसमें इसका प्राविधान किया जाता है। मा0 सदस्य आगरा ने जो पहला प्रश्न पूंछा कि 10 नाले हैं, उनको डाइवर्ट करके, उसका रुख बदल करके सिंचाई हेतु पहले चरण में ही प्राविधान है। तो यह सब बातें हैं। यमुना के प्रदूषण को गंगा के प्रदूषण का अंग माना जायेगा। मैंने प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया है और वह दूसरे चरण में यमुना के शुद्धीकरण के लिये राजी हो गये हैं। आगरा, मथुरा और बृन्दावन को पहले चरण में लिया जाये, जो गंगा प्रदूषण की पहली मीटिंग होगी, उसमें इसको उठाऊंगा। मा0 सदस्य ने कहा कि वहां के पानी से कोढ़ फैलता है, तो इस प्रकार की बातों से सावधान रहें। आज का विषय नहीं है, सैकड़ों सालों का है। इस प्रकार की बातों से टूरिज्म पर भी असर पड़ता है और इसलिये इस सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिये ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं एक जानकारी चाहता हूं कि..

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपा कर बैठ जायें।

श्री विजय सिंह राणा–

मा0 मुख्य मंत्री जी ने 10 नालों की सिंचाई की बात की है वह विचार कर रहे हैं। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह 1964 से ही यह योजना लागू है और उनसे सिंचाई के लिये 24 गूलें निकाली गयी हैं, और आज केवल 6 गूलें रह गयी हैं। जो सिंचाई का नाला है, उसके पूरे पानी की व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही है और नगरपालिका उसका दुरुपयोग कर रहा है, यह मेरा प्रश्न है।

श्री नारायन दत्त–

इसको जरूर दिखवा लूंगा कि क्या बात है।

(मंगलवार, 13 अगस्त, 1985 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

जनपद बहराइच में राप्ती नदी में नाव डूब जाने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि 19 सितम्बर, 1984 को बहराइच जनपद में राप्ती नदी में नाव डूब जाने से 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है? शासन ने मृतकों के परिवारजनों को क्या मदद की? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया यह भी बतायेंगे कि शासन नाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जफर अली नकवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यवर, पूर्ण सूचना नहीं आ पायी है, सूचना एकत्र हो रही है और जैसे ही सूचना आ जायेगी मैं मा0 सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, आप देखें कि यह 19 सितम्बर, 1984 को घटना है और 2-5-1985 को मैंने प्रश्न दिया है। प्रश्न दिये हुये ही 3 महीने हो गया है। शासन के पास जानकारी आ जानी चाहिये, तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस बात की सूचना एकत्र कर रहे हैं? जल्दी जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष–

15 दिन के अन्दर तो आ ही जायेगा।

*2–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[10 वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुरक्षा गार्डों को स्थायी किये जाने पर विचार

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 से 1982 तक नियुक्त सुरक्षा गार्डों को स्थायी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं, केवल 1-2-79 तक नियुक्त सुरक्षा गार्डों को स्थायी किया जा चुका है।

स्थाई रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह सचिवालय उत्तर प्रदेश शासन का हृदय-स्थल है और उसकी यह हालत है कि सन् 79 से अब तक जो सुरक्षा गार्ड इसमें काम कर रहे हैं उनको स्थायी नहीं किया गया है और वह भी रिक्तियों के अभाव में। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इधर हाल में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति के सिलसिले में कोई कार्यवाही की गई है? कोई नियुक्तियां की गई हैं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुल 158 पद स्थायी हैं और 9 पद अस्थायी हैं। इसके विरुद्ध 151 सुरक्षा गार्ड स्थायी रूप से नियुक्त हैं और 26 अस्थायी रूप से नियुक्त हैं। बाकी 7 पदों को भरने के लिये हमने प्रस्ताव भेजा है। जैसे ही वह [illegible] उनकी नियुक्ति [illegible]

श्री राम आसरे [illegible]–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति है कि 3 वर्ष तक काम करते रहने के बाद सम्बन्धित कर्मचारियों को स्थायी किये जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता

है। तो क्या इन सुरक्षा गार्डों के सम्बन्ध में इस नीति को क्रियान्वित किये जाने के बारे में शासन ने क्या विचार किया है?

श्री हुकुम सिंह–

मैंने निवेदन किया कि सरकार ने यह निर्णय लिया था और मुझे यह कहते हुये खुशी और गर्व भी है कि इस समय माननीय नेता सदन जो हैं उन्हीं के नेतृत्व में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि तीन साल से ऊपर नौकरी हो जाने पर स्थायीकरण किया जायेगा। लेकिन इसमें जो कठिनाई है उसके बारे में माननीय वर्मा जी जानते हैं। स्थायी पद कम हैं, उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है। 7 स्थायी पदों के बारे में हमने प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर जैसे ही विचार हो जायेगा, हम उन्हें भर देंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सुरक्षा गार्डों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही आपने शुरू की है उसकी प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लग जायेगा? कब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि इन्हें आप स्थायी कर देंगे जिनकी सेवायें 3 साल से ज्यादा हो गई हैं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें 12 सुरक्षा गार्ड आते हैं जिनकी 3 साल से अधिक की सेवा हो चुकी है जिनमें 10 की नियुक्ति 1979 में तथा 2 की नियुक्ति 1980 में हुई थी। इनमें 7 ऐसे हैं जिनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही वहां से इनके बारे में निर्णय हो जायेगा, वैसे ही उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। बाकी 5 हमारे पास बच जायेंगे, उनके बारे में मैंने निवेदन किया कि उन पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, जिन अतिरिक्त पदों की आप आवश्यकता अनुभव करते हैं, उनके सृजन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री हुकुम सिंह–

उनके संबंध में कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा है और वह वित्त विभाग में विचाराधीन है। जल्दी ही कार्यवाही हो जायेगी।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जितने आपके सुरक्षा गार्ड लगे हुये हैं, उन सब की आवश्यकता है तो क्या जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्थायी करके उनको नियमित करने पर आप विचार करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

सबके स्थायीकरण का प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि आवश्यकता हमें कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। इसी परीक्षण के बाद पदों का सृजन किया गया है। इसी के अनुसार हमारे पास 138 स्थायी पद हैं लेकिन 26 अस्थायी हैं। जैसा कि अभी वर्मा जी ने कहा कि 3 वर्ष की जो शासन की नीति है उसके अनुसार केवल 12 आते हैं 7 पद रिक्त हैं और कुछ अन्य पदों का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री गौरी शंकर भइया–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको एलिस से कम वेतन और सुविधायें मिलती है माननीय मंत्री जी को जब इस हाउस में आवश्यकता पड़ती है तो एलिस को

भी बुला लेते हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी सुरक्षा गार्डों को पुलिस के समान वेतन और अन्य सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

इसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है।

जनपद आगरा, थाना फिरोजाबाद में श्री मोहन लाल जाटव की मृत्यु की जांच

*4–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद आगरा के थाना फिरोजाबाद उत्तर में गत वर्ष थाने में श्री मोहन लाल नामक वृद्ध जाटव की अनावश्यक रूप से हिरासत में रखने और बर्बरतापूर्ण पिटाई से मौत हुई ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पुलिस ने शव को गायब कर दिया? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जफर अली नकवी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रभारी निरीक्षक, थाना फिरोजाबाद उत्तर, दिनांक 7-10-84 को धारा 396 भा0 दं0 वि0 के एक मामले में अभियुक्तों की तलाश में ग्राम धुनपई, रैपुरा व हलपुरा गये थे । अभियुक्तों के न मिलने पर वह श्री मोहनलाल जाटव, निवासी ग्राम धुनपई, थाना खैरगढ़, जिला मैनपुरी के अतिरिक्त 4 अन्य व्यक्तियों को उपरोक्त ग्रामों से पूंछतांछ के लिए दिनांक 7-10-84 को प्रातः 5 बजे थाना लाये और उसी दिन पूंछतांछ के उपरांत उक्त पांचो व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था।

श्री मोहनलाल जाटव की कथित मृत्यु तथा शव गायब करने के संबंध में श्री लीलाधर, निवासी ग्राम धुनपई, थाना खैरगढ़ की लिखित सूचना पर दिनांक 20-10-84 को पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग अपराध संख्या 440/84, अन्तर्गत धारा 343/304 201 भा0 दं0 वि0 थाना फिरोजाबाद उत्तर पर पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना स्थानीय पुलिस के राजपत्रित अधिकारी को सौंपी गई।

इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच हेतु पंजीकृत अभियोग की विवेचना का चेक-अप अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं बताना चाहता हूं कि जो 7-10-84 को लोग गिरफ्तार किये गये उनमें लीलाधर के साथ मोहनलाल को भी गिरफ्तार किया गया और मोहन लाल को मार दिया गया। इस सम्बन्ध में लीलाधर ने जो रिपोर्ट लिखायी है वह क्या है और इस मामले की जो राजपत्रित अधिकारी ने जांच की है वह रिपोर्ट क्या है?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, जो रिपोर्ट लीलाधर ने लिखाई वह बहुत लम्बी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

यही तो हम जानना चाहते हैं वह रिपोर्ट क्या है?

श्री जफर अली नकवी–

उसका सारांश यह है कि उनको रोक लिया गया और थाने में मार दिया गया यह लीलाधर ने कहा है चार आदमियों को छोड़ दिया और एक को रोका गया था।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

राजपत्रित अधिकारी की रिपोर्ट क्या है और लीलाधर की रिपोर्ट क्या है

उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं लीलाधर ने साफ लिखा है कि गुप्तांगों में मिट्टी तेल डाल कर आग लगा दी जिसकी वजह से मोहन लाल मर गया और उसकी लाश गायब कर दी। अगर वह जिन्दा है तो बता दें कि वह मोहन लाल जिसे छोड़ दिया गया वह कहां है?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, इसमें बता दिया गया है कि थाने से सब को छोड़ दिया गया था।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसमें गम्भीर आरोप हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले इसी सदन में जब माननीय श्रीपति मिश्रा जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी आदमी की पुलिस द्वारा मारे जाने की सूचना प्राप्त होगी तो उसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराई जायेगी। लेकिन अब जितने मामले आ रहे हैं उसमें सी0 आई0 डी0 की जांच के बजाय चैकअप सी0 आई0 डी0 से करा देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री विजय सिंह राणा–

सी0 आई0 डी0 से चैकअप कराने में विभाग अपनी बला सी0 आई0 डी0 पर टाल देता है। तो चैकअप के बजाय संबंधित मामले में सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, सरकार ने खुद इस मामले को लिया है और उनकी शिकायत पर 304, 343, 201 धारा लगायी है। आपने सी0 आई0 डी0 की जांच की बात की है मैं उसे स्वीकार करता हूं जांच करा लूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जांच रिपोर्ट इनके पास है...

श्री अध्यक्ष–

सी0 आई0 डी0 जांच स्वीकार कर ली है। (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जांच रिपोर्ट इनके पास मौजूद है जो राजपत्रित अधिकारी ने की है (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, एक अनर्थ हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी ने एक प्रश्न उठाया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। (व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी मुझे दुःख होता है आपको टोकने के लिये। मुझे शर्म आती है कि जब उत्तर में कह दिया कि इसकी इंक्वायरी सी0 आई0 डी0 से होगी फिर भी आप लोग खड़े हो जाते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट तो 10 साल में आयेगी तो उससे क्या होगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सी0 आई0 डी0 से इंक्वायरी होगी यह तय हो गया लेकिन बात है कि जांच रिपोर्ट फाइल में है तो वह क्या है और यदि नहीं है तो मंत्री जी मना करें कि नहीं है?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, रिपोर्ट के बारे में जो पूछा गया तो इसको चैक-अप के लिये

सी0 आई0 डी0 को दिया गया है, इसलिये पूरे तथ्यों को देखते हुए सी0 आई0 डी0 जांच के लिये कहा है और जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जो एक साथ बोल रहे हैं इसलिये कुछ नहीं लिखा जायेगा। (व्यवधान) आप लोग बैठ जायं । नेता विरोधी दल ने एक बात उठायी जिसका उत्तर आ गया है।

सिविल लाइन, मुरादाबाद में बन रहे अस्पताल की छत गिरने पर अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही

*5–श्री मुहम्मद आजम खां (अनुपस्थित)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिविल लाइन मुरादाबाद में बन रहे अस्पताल की अनुबन्ध संख्या 6/ईई, दिनांक 16-11-79 के अन्तर्गत 3,76,051.06 रु0 का ठेका हुआ, जिसकी छत दिनांक 28-1-83 को बनते समय ही गिर गयी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

जी हां, परन्तु अनुबन्ध की धनराशि 3,76,051.06 रु0 के स्थान पर रु0 3,67,051.06 लाख रु0 थी, निर्माण कार्य के दौरान इसमें से केवल एक कमरे की छत दिनांक 28-1-83 को गिर गयी थी।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को माह फरवरी, 83 में सर्वेक्षण खण्ड आगरा को स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये उक्त सहायक अभियन्ता की एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अवर अभियन्ता की तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने के आदेश मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी) सा0 नि0 वि0 मेरठ द्वारा दिये जा चुके हैं।

दोषी पाये गये अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भी "कारण बताओ नोटिस" जारी करके और स्पष्टीकरण प्राप्त करके अपनी संस्तुति सहित शासन को भेजने हेतु प्रमुख अभियन्ता को आदेश दिये जा चुके हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में पूर्ण्यागिरी तीर्थ स्थल पर मोटर मार्ग तथा रज्जू मार्ग बनाने का प्रस्ताव

*6–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में पूर्ण्यागिरी नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां फरवरी 24, 1980 में तत्कालीन सरकार ने पक्का मोटर मार्ग तथा रज्जु मार्ग बनाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में भूतपूर्व विधायक श्री जसवन्त सिंह बिष्ट जी द्वारा 1 जून, 84 को लिखे पत्र जो श्री सी0 एल0 कुरील संयुक्त सचिव, द्वारा अ0 शा0 पत्र–क 212/28-5-84 उ0 प्र0 शासन पर्वतीय विकास अनुभाग-5, दिनांक 12 जुलाई, 84 द्वारा प्राप्त किया गया, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? कब तक उपरोक्त मोटर मार्ग व रज्जु मार्ग बन जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सिंह–

तत्कालीन सरकार ने मार्ग सुधार हेतु धन की उपलब्धता पर विचार करने का आश्वासन दिया था। पूर्णागिरी जाने के लिए टनकपुर ठुलीगाड़ तक 12·575 कि0 मी0 मार्ग की स्वीकृति दी गयी थी जिसमें से 10·750 कि0मी0 सड़क बन चुकी है।

ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक 6·39 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति अप्रैल, 80 में दी गयी है। यह 6·39 कि0मी0 मार्ग रिज़र्व वन भूमि के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक (पर्वतीय) द्वारा कार्यवाही की जा रही है। भूमि के हस्तान्तरण होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। भैरव मंदिर से पूर्णागिरी तक 3 कि0मी0 लम्बा पैदल मार्ग ठीक हालत में है। रज्जु मार्ग बनाने की कोई योजना नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 12·575 कि0मी0 मार्ग में 10·750 कि0मी0 सड़क बन चुकी है तो शेष सड़क कब तक बन जायेगी ?

दूसरी बात पर्यावरण की समस्या को देखते हुए जिस तरह नैनीताल में रज्जु मार्ग का निर्माण किया गया उसी तरह पूर्णागिरी में जहां हर साल लाखों तीर्थ-यात्री जाते हैं वहां क्या रज्जू मार्ग बनाने की कोई योजना प्रस्तावित करेंगे?

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, सड़क का शेष 1·825 कि0मी0 भाग वन भूमि में होने के कारण इसका निर्माण नहीं हो सका है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा जा चुका है और वहां से कुछ सूचनाएं दुबारा मांगी गयी हैं और जैसे ही वहां से तय हो जायेगा वैसे ही निर्माण करा दिया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, नैनीताल की तरह पूर्णागिरी में भी हर साल लाखों यात्री जाते हैं, अतः पर्यावरण की दृष्टि से भूमि का कटाव न हो, भूमि की समस्या न हो, इसलिये वहां क्या रज्जू मार्ग बनाने की योजना की बात स्वीकार करेंगे ?

श्री गुलाब सिंह–

इस वक़्त तो सड़क बनाने की बात है और भारत सरकार से इस सम्बन्ध में खत-किताबत हो रही है और सड़क बनने की आशा है। जब यह बात नहीं होगी तो रज्जू मार्ग की बात बाद में सोची जायेगी।

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध अनियमितताओं और घोटाले की जांच

*7–श्री किरनपाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर की घोर अनियमितताओं और घोटाले के संबंध में प्रश्नकर्ता की शिकायत पर 4-7-84 को कोई उच्च स्तरीय जांच की गयी थी तथा जांच में घोटाला व अनियमितताओं के लगाए गए आरोपों की सत्यता प्रमाणित हुई थी ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

जी हां, शिकायतों की जांच की गई तथा जांचोपरान्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में गलत संस्तुति करने की अनियमितता प्रकाश में आई। संबंधित अधिशासी अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी।

वन विभाग द्वारा पम्पिंग सेटों के क्रय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लिया गया कथित ऋण

*8–श्री मित्रसेन–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 व 1982-83 में सिंचाई के लिए डीजल पम्प खरीदने हेतु 25 करोड़ रुपये का ऋण अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लिया गया है? यदि हां, तो उक्त धनराशि किस मद में कितनी-कितनी व्यय की गयी है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त पम्प खरीदने हेतु निर्धारित दुकान एवं दर के बावजूद अन्य प्राइवेट फर्मों से खरीद की गयी है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जाली वृक्षारोपण कार्यक्रम भी दिखाया गया है? यदि हां, तो उक्त के लिए कौन-कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री जफर अली नकवी–

जी नहीं, वर्ष 1981-82 व 1982-83 में वन विभाग द्वारा पम्पिंग सेटों के क्रय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से कोई ऋण अलग से नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां, वर्ष 1981-82 में कुल 387 पम्प खरीदे गये जिनमें से 234 पम्पिंग सेट रेट कान्ट्रेक्ट पर, 37 उद्योग निदेशक की स्वीकृति से, 76 स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज विकास निगम से, 35 पम्प कोटेशन प्राप्त कर अन्य फर्मों से तथा 5 पम्प प्रतिष्ठित कम्पनियों से खरीदे गये। वर्ष 1982-83 में कुल 270 पम्प खरीदे गये जिनमें से 139 पम्पिंग सेट रेट कान्ट्रेक्ट पर, 14 स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज विकास निगम से तथा 117 पम्प कोटेशन प्राप्त कर अन्य फर्मों से खरीदे गये। रेट कान्ट्रेक्ट से पम्पों के दरें में मिलने के कारण व रेट कान्ट्रेक्ट फर्म द्वारा सप्लाई किये गये माल की श्रेणी खराब होने के कारण वन रोपण कार्य के हित में कुछ पम्प सेट उक्तानुसार अन्य फर्मों से खरीदे गये वृक्षारोपण बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। वृक्षारोपण के अन्तर्गत फर्जी कार्य के लिये जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर यथोचित कार्यवाही की जाती है। यदि इस बारे में कोई विशिष्ट मामला जानकारी में लाया जाय तो उसकी भी जांच कराई जायेगी।

श्री मित्रसेन–

81-82 में 387 पम्प रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत खरीदे जाने चाहिए, उसमें से केवल 234 खरीदे गये, शेष जो खरीदे गये हैं और 81-82 में और 82-83 में भी जो विभिन्न फर्मों से खरीदे गये, उनकी दर क्या थी और रेट कान्ट्रेक्ट की दर क्या थी?

श्री जफर अली नकवी–

डायरेक्टर इंडस्ट्रीज से जो अनुमति ली गई, उसमें से 3684 रुपये का रेट था और जो कोटेशन से लिये गये उनका 6695 का रेट था, किन्तु उसमें दाम के साथ ट्राली और अन्य सामान भी सम्मिलित था।

श्री मित्रसेन–

मैं जानना चाहता हूं कि दोनों वर्ष में जो अलग-अलग पम्पिंग सेट्स खरीदे गये और जो रेट कान्ट्रेक्ट से खरीदे गये हैं, उनमें कितने का फर्क आया है यानी कितना अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है, विभाग को ?

श्री जफर अली नकवी–

यह अलग-अलग खरीदे गये हैं जिला वाईज और इनका अलग-अलग रेट भी है। जिस स्पेशफिक जिले का आप पूछें, उसकी सूचना दे दी जायेगी।

श्री मित्रसेन–

मैं यह पूछ रहा हूं कि जो यह 387 खरीदे गये थे और जो 234 रेट कान्ट्रेक्ट पर खरीदे गये और 153 अलग से खरीदे गये तो इन पर रेट कान्ट्रेक्ट से अतिरिक्त कितना दाम देना पड़ा है? यह दोनों वर्षों का आप बता दें? इसमें कितने करोड़ रुपया अलग से आपको देना पड़ा है?

श्री जफर अली नकवी–

सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं, उन्होंने 25 करोड़ की जो बात कही, यह पूरे वन विभाग का कार्यक्रम है, यह खाली पम्पिंग सेट का नहीं है। पम्पिंग सेट का कुल 24,07,224 है जो पम्पिंग सेट खरीदे गये और जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, उसका विवरण इस प्रकार है –रेट कान्ट्रेक्ट पर 11,08,847 रुपये के खरीदे गये और 82-83 में 7,75,888 रुपये के खरीदे गये हैं। मान्यवर, इसी प्रकार से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिये से 6 लाख 54 हजार, 712 रुपये की खरीद की गयी। 82-83 में 1 लाख 16 हजार रुपये की तथा उद्योग निदेशक के जरिये 2 लाख 92 हजार 932 रुपये की खरीद की गयी। इसके अलावा 82-83 के आधार पर 2 लाख 73 हजार 575 रुपये की खरीद कोटेशन प्राप्त करने के बाद की गयी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, एक बात साफ हो गयी कि कहीं न कहीं खरीद में कोई गड़बड़ है। यह 25 करोड़ रुपया जो पंपिंग सेट और ऐसे ही कामों के लिये कर्ज लिया गया था जिसका दुरुपयोग किया गया। यह कर्ज अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लिया गया था तो इसका अहसास करते हुए कि कहीं न कहीं गड़बड़ है तो क्या इसकी जांच करायेंगे कि यह खर्च किस मद में और कहां हुआ, इसका सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, और मुकम्मल जांच कराकर सदन को उससे अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य को मालूम होना चाहिये कि पूरे रुपये का आडिट होता है। उसकी रिपोर्ट आप चाहें तो भेज दी जायगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, इसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी दिखाया गया है। मेरी जानकारी है कि वाराणसी से इलाहाबाद, छोटी लाइन और वाराणसी से प्रतापगढ़, बड़ी लाइन पर वृक्षारोपण का कार्य दिखाया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि इन लाइनों पर वृक्षारोपण का कार्य नहीं हुआ है क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ? यदि है, तो इन लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कराने में कितना रुपया व्यय किया गया और क्या इसकी जांच करायेंगे कि इस गोलमाल के लिये कौन दोषी है?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, अलग-अलग कार्यक्रम की अलग-अलग जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि कितना खर्च हुआ तो उनको अवगत करा दिया जायेगा।

रामनगर थाने की पुलिस द्वारा ग्राम सफीपुर में घरों को लूटे जाने के विरुद्ध कार्यवाही

*9—श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मई, 1985 को बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत राम नगर थाने की पुलिस ने ग्राम सफीपुर में एक दर्जन घरों को लूटा तथा खोद डाला? क्या यह सही है कि पुलिस के आतंक से ग्रामवासी अपने घर छोड़कर भाग गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने अब तक लूटे हुए लोगों की क्या सहायता की तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जफर अली नकवी—

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह जो सम्बन्धित दरोगा है उसकी मृत्यु पुलिस कांस्टेबिल की गोली से हुई और इसी को लेकर 18 आदमियों को मुलजिम बनाया गया है। 3 के खिलाफ 82/83 का आदेश लेकर पुलिस गयी और 3 लोगों के घर खोद डाले। दो जो और आदमी हैं, मैकू और परशुराम के घर भी खोद डाले गये और पूरी सम्पत्ति लूट ली गयी। तो मैकू और परसुराम जिनके घर खोद डाले गये और सम्पत्ति लूट ली गयी तो जिन पुलिस वालों ने ऐसा किया उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जफर अली नकवी—

जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा है एसी कोई सूचना नहीं है और न ऐसा कुछ हुआ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि न ऐसा कुछ हुआ और न ऐसी घटना घटी, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस एजेंसी से आपने जांच करायी?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, जिला प्रशासन से जांच हुई है। यह घटना जो घटी है, इसका मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर कि पुलिस ने वास्तव में लूटा और घरों को जलाया और उनका सामान कुर्क किया और लोग वहां से भाग गये तो क्या इसकी जांच करायेंगे? दूसरा सवाल यह है कि जो रिपोर्ट आपको दी गयी और जिस एजेंसी ने बताया कि यह घटना गलत है क्या उस एजेंसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है उसका सवाल नहीं उठता। पहले हिस्से का सवाल आप कर लीजिये।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

ठीक है मान्यवर, उत्तर दिला दीजिये।

मान्यवर, क्या मेरी सूचना को सही मानकर कि पुलिस ने उनको लूटा और वह घर छोड़ कर चले गये, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं हुआ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अब आपका प्रश्न हो गया, उसका उत्तर भी आ गया। कृपा करके आप बैठें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं अपने प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 1 मई, 1985 को रामनगर थाने की पुलिस ग्राम सफीपुर में गयी थी या नहीं? यदि हां, तो किसलिए गयी थी और इस गांव में जिस सिलसिले में पुलिस गयी थी वहां पर एक दरोगा और एक प्रधान की हत्या पुलिस कर्मी के द्वारा हुई थी? यह मेरे दो सवाल का उत्तर मान्यवर, दिला दें।

श्री जफर अली नकवी–

मान्यवर, यह 30-3-85 की पुरानी घटना है जिसके संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल किया है। इस घटना के सम्बन्ध में जांच भी हो चुकी है और 17 अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही हुई है और न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और चार्जशीट इसमें लग चुकी है।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पहली तारीख की यह घटना है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, दूसरे थाने की पुलिस से जांच के लिए मुकर्रर किया गया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर, मैं खुद मौके पर गया, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस भी गये, पुलिस ने लूट किया और उस लूट की जांच करवायेंगे कि नहीं?

श्री अध्यक्ष–

इसकी आप जांच करवा लें।

श्री जफर अली नकवी–

माननीय सदस्य लिखकर दे दें, मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने जांच मांगी, उन्होंने स्वीकार कर ली, अब आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, चार दरोगा और दो सिपाहियों को वहां से ट्रान्सफर किया गया, माननीय मंत्री जी इससे इनकार कर रहे हैं। जिन पुलिस कर्मियों ने लूटा, मेरा निवेदन है कि इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करवाने का आदेश देंगे? जिस एजेंसी से वह जांच करवाना चाहते हैं, उस पर हमें विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष –

सी0 आई0 डी0 से जांच करवायेंगे?

श्री जफर अली नकवी–

माननीय सदस्य लिखकर दे दें, मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री, आप कृपा करके इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करवा लें।

श्री जफर अली नकवी–

ठीक है मान्यवर, इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करवा लेंगे।

श्री नारायन दत्त–

श्रीमन्, इस प्रकरण में जो बात कही गयी उसको पूरे ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना है। यह जो मामला है इसमें पुलिस के दरोगा अंजनी राय सार्वजनिक मेले में जनता की सुरक्षा करते हुए जान से मारे गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग नेता सदन की बात तो सुनिए।

श्री नारायन दत्त–

समाचार पत्रों में और सब जगह इसका जिक्र हुआ। इसमें एक केस चला जो न्यायालय में है, उसमें सी0 आई0 डी0 की जांच नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरे केस का जिक्र किया गया है उसमें सी0 आई0 डी0 की जांच करा ली जायेगी।

मूल्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश की और अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय

*10–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1970 के मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 1975-76 व 1984-85 को अवधि में अलग-अलग हर वर्ष में प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश की और अखिल भारतीय औसत आय क्या थी और दोनों की अलग-अलग वार्षिक वृद्धि दर क्या रही ?

नियोजन मंत्री (श्री जयराम वर्मा)–

वर्ष 1970-71 के मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 1975-76 व 1984-85 की अवधि में अलग-अलग हर वर्ष में उत्तर प्रदेश एवं अखिल भारतीय औसत प्रति व्यक्ति आय निम्नवत् रही :–

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रु0) में	
	उत्तर प्रदेश	भारत
1975-76	474	660
1976-77	477	650
1977-78	506	693
1978-79	514	715
1979-80	432	660
1980-81	519	697
1981-82	511	715
1982-83	522	711
1983-84	533	749
1984-85	548	अनुपलब्ध

(मोटे अनुमान)

और दोनों की अलग-अलग वार्षिक वृद्धि दर के वर्ष 1984-85 के तुलनात्मक आंकड़े अभी अनुपलब्ध हैं। वर्ष 1975-76 से 1983-84 की अवधि में उत्तर प्रदेश एवं अखिल भारतीय औसत प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 2.0 प्रतिशत तथा 2.2 प्रतिशत रही।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जनता शासन काल में 1977-78 तथा 1978-79 में जिस गति से औसत आय में वृद्धि हो रही थी, वह अब नहीं हो पा रही है इस कमी के क्या कारण हैं और इसको अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ाने के लिए, जिससे औसत व्यक्ति की आय बढ़े, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा–

श्रीमन्, प्रति व्यक्ति आय निर्भर करती है कुल आय और जनसंख्या पर, और हमारे प्रदेश की जनसंख्या दुर्भाग्यवश तेजी से बढ़ती जा रही है। 1974-75 के बाद से जो हमारी आमदनी की दर है वह राष्ट्रीय आमदनी की

दर से ज्यादा हुई है। वह अब तक बराबर कायम है। चूंकि आबादी ज्यादा बढ़ रही है इसलिए जो हमारी विकास दर है वह न्यूटरलाइज हो जाती है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से स्पष्ट पूछा कि 1977-78 तथा 1978-79 में जिस गति से आय बढ़ी वह अब नहीं बढ़ रही है। आबादी तो तब भी बढ़ी थी, लेकिन अब औसत व्यक्ति की आय को बढ़ाने के लिए मंत्री जी क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा–

आय निर्भर करती है विनियोजित धन और उसकी उत्पादकता पर। हमारा विनियोजन और प्रदेशों के मुकाबले कम है। जहां तक विनियोजन बढ़ाने की बात है, यह अपने सब साधन और केन्द्रीय सहायता से होता है। केन्द्रीय सहायता में इधर कुछ वृद्धि हुई है और होती जा रही है। उसके हिसाब से बहुत ऊंचा तो नहीं लेकिन 16 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर है। जहां तक अपने संसाधन का सवाल है, वह कम है। एक तो हमारे संसाधन का प्रमुख भाग जो है वह केन्द्रीय सरकार की नीति पर आधारित है। अल्प बचत योजना में जितना धन जमा होगा उसका 2/3 राज्य को मिलता है। इसके लिये प्रयास करना चाहिए कि अल्प बचत योजना में अधिक धन इकट्ठा हो, दूसरे केन्द्र अपनी नीति में परिवर्तन करे और 2/3 के स्थान पर 3/4 कर दें, तो आमदनी बढ़ जायेगी। दूसरा मार्केट बारोइंग केन्द्र सरकार की नीति पर निर्भर करता है। हमारा ऋण जमा प्रतिशत 51 है और राष्ट्रीय प्रतिशत 70 है। इसमें 19 प्रतिशत का अन्तर है। केन्द्र सरकार ऐसी नीति बनावे कि 19 प्रतिशत का जो अन्तर है, वह मार्केट बारोइंग से पूरा किया जाय। दूसरे जो हमारे संसाधन हैं, जो सिंचाई में, विद्युत में जो क्षमता उपार्जित करते हैं, उसका पूरा-पूरा उपयोग होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शोर मचायेंगे। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। तीन मिनट ज्यादा हो गये।

*11–श्री कल्यान सिंह –

[30वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

राज्य चीनी निगम की सहायक इकाई किच्छा में गन्ना मूल्य की आरक्षित धनराशि का क्रेडिट खाते में हुए ओवर ड्राफ्ट में समायोजन

*12–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट शुगर कारपोरेशन यूनिट किच्छा ने पिराई सीजन 1983-84 में निर्मित चीनी पर बैंक द्वारा देय 1 करोड़ 40 लाख के अग्रिम भुगतान को अपने पूर्व के लिए हुए ओवर ड्राफ्ट में एडजस्ट करवा लिया जबकि उपरोक्त धनराशि किसानों को गन्ना मूल्य में भुगतान हेतु सुरक्षित होनी चाहिए थी? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नारायन दत्त –

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की सहायक इकाई किच्छा के बैंकर्स "बैंक

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आफ बड़ौदा'' ने पेराई सत्र 1983-84 के लिये देय गन्ना मूल्य की आरक्षित धनराशि से किच्छा चीनी मिल के कैश क्रेडिट खाते में हुए ओवर ड्राफ्ट में समायोजित कर लिया ।

चूंकि उक्त कार्यवाही बैंक द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए की गयी है, अतः इस सम्बन्ध में मिल प्रबन्धकों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पेराई सत्र 1983-84 तथा 1984-85 का समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

*13–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[10वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पी0 सी0 एस0 संवर्ग में प्रोन्नति होकर आये डिप्टी कलेक्टरों को ए0 डी0 एम0 अथवा समकक्ष पदों पर प्रोन्नत किये जाने का विचार

*14–श्री विनोद कुमार, श्री सिकन्दर अली खां नवाब तथा श्री राम औतार मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि पी0 सी0 एस0 वर्ग में प्रोन्नत होकर आये डिप्टी कलेक्टरों के बारे में शासन ने जनवरी, 1985 अथवा उसके आसपास यह निर्णय लिया था कि उनको कार्यवाहक (आफीशिएटिंग) डिप्टी कलेक्टरी की अवधि को पी0 सी0 एस0 सेवाकाल में जोड़ते हुए उनको ए0 डी0 एम0 अथवा समकक्ष पदों पर तात्कालिक प्रभाव से प्रोन्नत किया जायगा? यदि हां, तो इस शासनादेश का लाभ अभी तक कितने डिप्टी कलेक्टरों को दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन कब तक इस शासनादेश को क्रियान्वित कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

शासन ने माह जनवरी, 1985 में यह निर्णय लिया है कि पी0 सी0 एस0 संवर्ग में प्रोन्नति कोटे की सीमा तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रोन्नत अधिकारियों के पद पर निरन्तर की गई स्थानापन्न सेवाओं का लाभ ज्येष्ठता निर्धारण में दिया जाय।

यह विषय प्रक्रियागत होने के कारण उक्त लाभ देने हेतु कार्यवाही चल रही है अतएव अभी तक कोई लाभ नहीं दिया जा सका है।

उक्त लाभ लगभग 40 अधिकारियों को दिया जाना है। ऐसी आशा है कि इस बीच कोई अधिकारी इस लाभ से वंचित नहीं रह जायगा। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया निश्चित होते ही शीघ्र आदेश जारी कर दिये जायेंगे। वैसे इस लाभ को देने के पूर्व ही उक्त 40 अधिकारियों में से 34 अधिकारियों को ए0 डी0 एम0 या समकक्ष पदों पर प्रोन्नति दी जा चुकी है।

उ0 प्र0 चल चित्र निगम के तत्वावधान में मनाये गये फिल्मोत्सव समारोह से आय तथा व्यय

*15–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 चलचित्र निगम के तत्वावधान में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 30-3-1985 से एक सप्ताह के लिए फिल्मोत्सव सप्ताह मनाया गया?, यदि हां, तो इसमें कितने फिल्मों के निर्माता निर्देशक और सिनेमा जगत के कलाकारों तथा समीक्षकों ने भाग लिया और इस समारोह के ऊपर चलचित्र

निगम का कितना रुपया व्यय हुआ और उक्त समारोहों में टिकटों की बिक्री से कितने रुपये की आय हुई ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

इस फिल्मोत्सव में 48 सिनेमा निर्माता, निर्देशक, फिल्म समीक्षक व कलाकारों ने भाग लिया। समारोह में कुल 4.60 लाख व्यय हुआ। इस समारोह में टिकटों की बिक्री से रु0 64,277.00 की आय हुई ।

आगरा जिले में जमुना नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

*16–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में समोगर पर जमुना नदी पर पैन्टून ब्रिज बनाये जाने के सन्दर्भ में सा0 नि0 वि0 के विशेष सचिव श्री आई0 पी0 गुप्ता के पत्र संख्या 170 एल0 सी0 ई0/23 सा0 नि0 अनुभाग-11/10(3) ई/83, दिनांक 15 सितम्बर, 1984 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और इस पुल का निर्माण कब तक पूरा हो सकेगा?

श्री नारायन दत्त–

इस पुल के विषय में कोई प्रस्ताव अभी जिला समिति से प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, बाराबंकी में पेयजल आपूर्ति हेतु जेनरेटर की व्यवस्था

*17–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, बाराबंकी में पेयजल आपूर्ति के लिए जेनरेटर न होने के कारण बिजली चले जाने पर पानी का भयानक संकट पैदा हो जाता है? यदि हां, तो शासन उक्त नगरपालिका में जेनरेटर की व्यवस्था कराने की कृपा करेगा?

श्री नारायन दत्त–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

*18–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[दिनांक 23-7-84 को अता0 प्र0 सं0 184 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में कार्यरत निगमों में घाटे को समाप्त करने पर विचार

*19–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने निगम हैं तथा उनमें से कौन-कौन से निगम कितने वर्षों से कितने-कितने घाटे में चल रहे हैं? क्या शासन इन घाटे में चल रहे निगमों को समाप्त करने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

वर्तमान में 59 मुख्य निगम प्रदेश में कार्यरत हैं।

निरन्तर घाटे पर चल रहे निगमों की सूचना संलग्नक-1 पर दर्शायी गयी है। जी नहीं, शासन द्वारा स्थापित विभिन्न निगम केवल लाभ अर्जन के उद्देश्य से गठित नहीं किये गये हैं। अतः प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166 पर)

*20–श्री शतरुद्र प्रकाश–

[पुनर्विचार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

डुमरिया गंज तहसील में फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना करने की मांग

1—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील के अंतर्गत भीषण अग्निकान्ड की लगातार घटनाओं को देखते हुए एक फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना करने का आदेश डुमरियागंज तहसील मुख्यालय बस्ती पर करेंगे जिसके संबंध में अप्रैल, 85 की प्रथम सप्ताह के आसपास पुलिस अधीक्षक बस्ती ने भी फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर जनरल को डुमरियागंज में फायर स्टेशन की स्थापना करने की मांग की है ? यदि हां, तो डुमरियागंज में भीषण अग्निकाण्ड को देखते हुए फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना कब तक कर दी जायगी ?

श्री नारायन दत्त—

वर्तमान निर्धारित मापदण्डों एवं नीति के आधार पर फिलहाल जनपद बस्ती के तहसील डुमरियागंज में फायर स्टेशन की स्थापना का औचित्य नहीं बनता । इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने 8 मई, 1985 को पुलिस महानिरीक्षक, अग्नि शमन सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रस्ताव भेजा है । फायर स्टेशन की स्थापना नीति के अनुसार मापदण्ड पूर्ण होने पर की जा सकेगी ।

2—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 6-8-85 को अता0प्र0सं0 5 द्वारा उत्तरित]

3—श्री यदुनाथ सिंह—

[7वें मंगलवार में अता0प्र0सं0 111 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

4—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आयुक्त बिक्री कर द्वारा सहायक अधिकारी की पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि तथा सेवा समाप्ति

5—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 15/83 दिनांक 10-1-83 रिमाइन्डर संख्या 1093, दिनांक 6-4-83 व द्वितीय रिमाइन्डर संख्या 1388, दिनांक 9-5-83 मिले हैं? यदि हां, तब माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेरठ कार्यालय का ता0 22-8-52 को निरीक्षण करने के बाद आयुक्त बिक्री कर ने एक स0 अधिकारी का वर्ष 49-50 की प्रतिकूल प्रविष्टि की थी और सत्यनिष्ठा को प्रमाणित नहीं किया था तथा इस प्रविष्टि पर तारीख नहीं डाली थी और इस प्रविष्टि के कारण उस सं0 अधिकारी का स्थायीकरण 1-3-55 से नहीं हुआ और अन्त में जनवरी, 58 में उसकी सेवाएं एक मास की नोटिस देकर समाप्त कर दी गयीं ? क्या यह भी सही है कि शासन द्वारा 10 वर्ष बाद इस प्रविष्टि को स्वयं समाप्त कर दिया गया परन्तु इस अधिकारी को सेवा में पुनः वापिस नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्या इस स0 अधिकारी जिनको आयुक्त के द्वेष के कारण जो मानसिक आर्थिक व सामाजिक यन्त्रणा उठानी पड़ी की क्षतिपूर्ति कर दी गयी ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

पत्र दिनांक 10-1-83 प्राप्त हुआ है परन्तु पत्र दिनांक 6-4-83 व रिमा-

न्डर 9-5-83 अलग से प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते किन्तु एक अन्य पत्र के साथ पत्र दिनांक 6-4-83 की प्रति प्राप्त हुई थी ।

उक्त पत्रों में सम्बन्धित अधिकारी का नाम यद्यपि उल्लिखित नहीं किया गया है किन्तु विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के लिए श्री यदुनाथ सिंह के अतारांकित प्रश्न सं0-56 के संबंध में यह प्रतीत होता है यह श्री लाला बाबू वार्ष्णेय भूतपूर्व सहायक बिक्रीकर अधिकारी से सम्बन्धित है । विभागीय नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी केवल 5 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है अतः लगभग 33 वर्ष बाद यह कहना सम्भव नहीं है कि निरीक्षण टिप्पणी क्या थी । उक्त अधिकारी की सेवायें सामान्य अनुपयुक्तता के आधार पर समाप्त की गई थीं । स्थायीकरण न होना सेवा समाप्त का एक मात्र आधार नहीं था ।

जी नहीं, उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि का कुछ अंश 1963 व 1965 में विलुप्त/संशोधित किया गया था किन्तु उसे निरस्त नहीं किया गया था । प्रतिकूल प्रविष्टि सेवा समाप्ति का एक मात्र आधार नहीं था । अतएव सेवा में पुनः लिये जाने का कोई औचित्य नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगंज नगर एवं सड़क योजना के अन्तर्गत सेक्टर आई में स्थित दुर्बल आय वर्ग कालोनी में सीवर की सफाई तथा प्रकाश की व्यवस्था की मांग

6–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री को ज्ञात है कि अलीगंज नगर एवं सड़क योजना अन्तर्गत सेक्टर आई में स्थित दुर्बल आय वर्ग कालोनी, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की है, में सीवर जाम हैं, नालियां टूटी फूटी हैं, सफाई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है तथा प्रकाश की भी व्यवस्था सही नहीं है ? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था ठीक हो जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

सीवर की सफाई का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। सीवर जाम निरन्तर दूर किया जाता है। टूटी हुई नालियों की मरम्मत वर्तमान समय में वित्तीय संसाधनों के अभाव में मरम्मत का कार्य कराया जा सकना संम्भव नहीं है पूरे नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए सफाई कर्मचारियों के अभाव के कारण यहां की सफाई व्यवस्था महापालिका, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा दौरे से कराती है। मार्ग प्रकाश व्यवस्था के सम्बन्ध में इस पूरे सेक्टर में 85 ट्यूब फिटिंग, दो मरकरी फिटिंग लगी है। वर्तमान समय में सभी प्रकाश विन्दु जल रहे हैं। साथ ही जब कभी भी किसी बिन्दु के खराब होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसे ठीक कर दिया जाता है।

7–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 6-8-85 को अता0 प्र0 सं0 32 द्वारा उत्तरित]

8–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

9–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

10–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 18-3-85 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

रामनगर वाराणसी में गंगा जी पर पक्के पुल की अनुमानित लागत, स्वीकृत धनराशि तथा कृषकों की अधिगृहीत की गयी भूमि

11–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि रामनगर वाराणसी में गंगा जी पर पुल बनने जा रहा है? यदि हां, तो पुल की अनुमानित लागत क्या है, पहली किस्त में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां।

गंगा पर 920 मीटर लम्बे पुल तथा 28.4 किमी0 लम्बे बाईपास की लागत वर्तमान दरों पर 41.60 करोड़ रु0 आंकी गई है।

पहुंच मार्ग का भूमि अर्जन तथा सर्वे इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रमशः 106.88 लाख रु0 तथा 39.84 लाख रु0 की धनराशियां स्वीकृत हुई है।

12–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है? यदि हां, तो किस भाव से तथा अब तक कितनों को मुआवजा दिया जा चुका है? जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, उनको अथवा उनके आश्रितों को ब्रिज कारपोरेशन में नौकरी का अवसर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल को बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

13–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या कम है? क्या उसकी संख्या को बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री नारायन दत्त–

जी हां। प्रदेश की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए पुलिस बल को बढ़ाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश में गन्ना ग्राम सेवक तथा गन्ना पर्यवेक्षक राजकीय तथा समिति वेतन भोगियों के स्वीकृत पद

14–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी गन्ना विभाग उ0 प्र0 लखनऊ में कितने पद गन्ना ग्राम सेवक तथा गन्ना पर्यवेक्षक राजकीय तथा समिति वेतन भोगियों के स्वीकृत है? कितने पर उक्त कर्मचारी कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं? उन्हें सरकार पूरा करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश में गन्ना ग्राम सेवक तथा गन्ना पर्यवेक्षक राजकीय तथा समिति वेतन भोगियों की स्वीकृत पदों, कार्यरत कर्मचारियों तथा रिक्त

पदों की संख्या के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है:-

पद नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्तियों की संख्या
1-गन्ना ग्राम सेवक (राजकीय)	3404	3327	77
2-गन्ना पर्यवेक्षक (राजकीय)	1397	1124	273
3-गन्ना ग्राम सेवक (समिति भोगी)	936	527	409
4-गन्ना पर्यवेक्षक (समिति भोगी)	95	38	57

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की नीति के कारण राजकीय गन्ना ग्राम सेवकों तथा गन्ना पर्यवेक्षकों के पद भरे नहीं जा सके थे। सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त इन रिक्तियों को आवश्यकतानुसार भरने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

समिति वेतन भोगी गन्ना ग्राम सेवकों तथा गन्ना पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को समितियों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुये भरा जाना संभव नहीं है।

15-श्री यदुनाथ सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बिक्री कर विभाग में बिक्री कर योग्य वस्तुओं के उत्पादन, खपत व कीमतों में वृद्धि के आंकड़े

16-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि गत चार वर्षों में बिक्रीकर योग्य वस्तुओं के उत्पादन, खपत व कीमतों में दुगने से अधिक बढ़ोत्तरी हो गयी है? यदि हां, तो बिक्रीकर राजस्व की प्राप्ति वर्ष 80-81, 81-82, 82-83 व 83-84 में कितनी है और बढ़ोत्तरी कितने प्रतिशत है? राजस्व में बढ़ोत्तरी कर योग्य वस्तुओं के उत्पादन खपत व बढ़ी हुई कीमतों के अनुपात में हुई है? यदि नही, तो इसका क्या कारण है?

श्री नारायन दत्त-

(क) बिक्रीकर विभाग में बिक्रीकर योग्य वस्तुओं के गत वर्षों के उत्पादन, खपत व कीमतों में वृद्धि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) बिक्रीकर से वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में क्रमशः रु0 301.56 करोड़, रु0 377.88 करोड़, रु0 411.58 करोड़ व रु0 462.39 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां हुई (जो वर्ष 1979-80 में बिक्रीकर से प्राप्त राजस्व रु0 252.62 करोड़ से) व क्रमशः 18.0 प्रतिशत, 47.8 प्रतिशत, 61.0 प्रतिशत के 80.9 प्रतिशत अधिक थीं।

(ग) "क" के समक्ष दिए गए उत्तर के कारण प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नही उठता।

ऐशबाग में शीवर लाइन को चालू करने के संबंध में प्रतिवेदन

17-श्री यदुनाथ सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के छठे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि एशबाग नागरिक संघ का प्रतिवेदन बाबत एशबाग आई0 टी0 कालोनी से प्रारम्भ होकर बिलौचपुरा होकर जाने वाली सीवर लाइन को चालू करने के सम्बन्ध में मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? सीवर लाइन कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री नारायन दत्त–
जी हां।

उत्तर प्रदेश जल निगम ने लखनऊ जल संस्थान को सुझाव दिया है कि एशबाग में फिल्टर्स के नवीनीकरण हेतु वर्ष 1983 में दिये गये धनराशि में से रु0-5 लाख का उपयोग प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर डालने के लिए किया जाय जिससे प्रश्नगत कार्य शीघ्र पूर्ण हो जायेगा।

18–श्री यदुनाथ सिंह–
[दिनांक 6-8-85 के अता0 प्र0 सं0 151 द्वारा उत्तरित]

19–श्री यदुनाथ सिंह–
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजेन्द्र नगर वार्ड में एशबाग आई0 टी0 कालोनी से भदेवां बिल्लोचपुरा तक सीवर लाइन डालने के संबंध में पत्र

20–श्री यदुनाथ सिंह–
क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका में राजेन्द्र नगर वार्ड में एशबाग आई0 टी0 कालोनी से होकर भदेवां बिल्लोचपुरा तक जाने वाली अधूरी सीवर लाइन के बारे में प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1298 दिनांक 15-10-84 मा0 मुख्य मंत्री जी को मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायन दत्त–
जी हां।

जल निगम द्वारा लखनऊ जल संस्थान को यह सुझाव दिया गया है कि एशबाग में फिल्टर्स के नवीनीकरण हेतु स्वीकृत की गई धनराशि में से रु0-5 लाख का उपयोग प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर लाइन डालने में कर लिया जाय।

21–श्री यदुनाथ सिंह–
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बिक्रीकर अधिकरण के क्षेत्राधिकार की जारी हुई अन्तिम विज्ञप्ति

22–श्री यदुनाथ सिंह–
विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिकार क्षेत्र की विज्ञप्ति किस तारीख को जारी हुई? अध्यक्ष, बिक्रीकर अधिकरण ने किन-किन तारीखों को कितने-कितने केसेज स्थानान्तरित किए?

श्री नारायन दत्त–
बिक्रीकर अधिकरण के क्षेत्राधिकार की अन्तिम विज्ञप्ति दिनांक 3-1-84 को जारी हुई थी। अध्यक्ष बिक्रीकर अधिकरण ने अगस्त, 1983 से जनवरी, 1984 तक विभिन्न तिथियों में लगभग 1890 द्वितीय अपीलें स्थानान्तरित की थीं।

सार्वजनिक निमार्ण विभाग की मदों में आवंटित धनराशि

23–श्री कल्यान सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की किस किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी और वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यपगत की गयी और व्यपगत होने के कारण क्या है? इस सम्बन्ध में सरकारने क्या कार्यवाही की है?

श्री नारायन दत्त–

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

नगर विकास विभाग की विभिन्न मदों में आवंटित व्यपगत हुई धनराशि

24–श्री कल्यान सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में नगर विकास विभाग की किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी और वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी कितनी धनराशि व्यपगत हो गयी और व्यपगत होने के कारण क्या है? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री नारायन दत्त–

निम्नवत् धनराशि स्वीकृत की गयी:–

मद	धनराशि
	रु0
(1) स्थानीय निकाय निदेशालय	14,96,000
(2) मेला अधिष्ठान	35,40,300
(3) सार्वजनिक निर्माण कार्य	3,000
(4) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल सम्पूर्ति	81,36,38,000
(5) दैवी आपदाओं के कारण सहायता	2,00,98,000
(6) सड़के तथा पुल	30,06,60,400
(7) स्थानीय निकायों को प्रतिकर	28,93,92,000
(8) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल सम्पूर्ति के लिए ऋण	13,52,38,000
(9) प्रकाश व्यवस्था	1,13,50,000
(10) प्रकीर्ण ऋण	15,00,000

9089

कोई धनराशि व्यपगत नहीं हुई। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस तथा सुपरिटेंडेंट पुलिस का कार्यकाल तथा उन्हें स्थानान्तरित न किये जाने का कारण

25–श्री कल्यान सिंह –

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में एसे कौन-कौन सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस एसे हैं, जिन्हें दिनांक 5-5-85 तक एक ही जिले में कार्यरत हुए पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि व्यतीत हो चुका है उनको स्थानान्तरित न किए जाने के क्या कारण है तथा उन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद के गन्ना काश्तकारों का रत्ना शुगर मिल शाहगंज और मसौधा चीनी मिल, फैजाबाद पर बकाया धनराशि

26–श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के गन्ना काश्तकारों का कुल कितना रुपया रत्ना शुगर मिल शाहगंज और मसौधा चीनी मिल, फैजाबाद पर अब तक का बकाया है और यह बकाया धनराशि कब से कब तक की है ? इस बकाया पैसे को मय सूद के सम्बन्धित चीनी मिलों से सम्बन्धित बकाएदारों को दिलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री नारायन दत्त–

जनपद फैजाबाद के गन्ना काश्तकारों का रत्ना शुगर मिल शाहगंज और मसौधा चीनी मिल फैजाबाद पर बकाया गन्ना मूल्य का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	बकाया गन्ना मूल्य (लाख रु0 में)	
	शाहगंज	मसौधा
1979-80 से पूर्व वर्षों का	शून्य	1-68
1981-82	0·08	शून्य
1982-83	2·82	शून्य
1984-85	2·33	1·13
योग	5·23	2·81

अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं । जहां तक बकाया गन्ना मूल्य पर सूद दिये जाने का प्रश्न है यह विवादास्पद है कि सूद भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य पर देय होगा अथवा राज्य सरकार द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य पर । इस बिन्दु का विधिक दृष्टि से परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक स्थिति के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद में अकबरपुर सहकारी चीनी मिल्स लि0 की जमा की गयी अंश पूंजी तथा लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु उठाये गये कदम

27—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में अकबरपुर सहकारी चीनी मिल्स लि0 का कुल कितना धन शेयर मनी के रूप में जमा है? यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त जनपद में गन्ना ही एक मात्र कैश क्राप है ? क्या सरकार फैजाबाद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उक्त चीनी मिल के लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु आवश्यक कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जनपद फैजाबाद में अकबरपुर में सहकारी चीनी मिल्स लि0 के लिए जनवरी, 1978 तक 10.23 लाख रु0 की अंश पूंजी जमा हुयी । भारत सरकार द्वारा उक्त चीनी मिल का लाइसेन्स वर्ष 1978 में निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध भारत सरकार को प्रत्यावेदन भेजे गये जो स्वीकृत नहीं हुये । भारत सरकार की वर्तमान गाइड लाइन्स के अनुसार अब उन्हीं जनपदों के लिये नये लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायेगा जिन जनपदों में पहले से चीनी मिल स्थापित न हों । चूंकि जनपद फैजाबाद में एक चीनी मिल पहले से स्थापित है इसलिये भारत सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत इस जनपद में नयी चीनी मिल की स्थापना का कोई औचित्य इस समय नहीं बनता ।

अपराध ग्रस्त योजना के अंतर्गत बदायूं जनपद के संचार साधन एवं पिछड़ेपन को दूर करने हेतु उपाय

28—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद सरकार द्वारा अपराध ग्रस्त जनपद घोषित है ? यदि हां, तो सरकार अपराध ग्रस्त योजना के अंतर्गत बदायूं जनपद के संचार साधन यातायात एवं पिछड़ेपन को दूर करने हेतु वर्ष 85-86 में जिला योजना के अतिरिक्त कितना धन किन-किन विभागों में व्यय करने जा रही है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय राम वर्मा—

बदायूं जनपद के अतिरिक्त झांसी, बांदा, इटावा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा और ललितपुर जनपद भी डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अंतर्गत आयोजनागत परिव्यय के लगभग 30 प्रतिशत भाग का आवंटन निम्न फार्मूले के आधार पर किया जाता है । यह फार्मूला निम्न प्रकार है:—

जनसंख्या	50	प्रतिशत
अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या	5	,,
सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10	,,

कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5	,,
औद्योगिक पिछड़ापन	5	,,
सड़कों का पिछड़ापन	5	,,
विद्युतीकृत ग्रामों का पिछड़ापन	5	,,
अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या का पिछड़ापन	5	,,
पेयजल अभावग्रस्त ग्राम	5	,,

(5 प्रतिशत की धनराशि राज्य स्तर पर विशेष समस्या एवं विसंगति आदि निराकरण हेतु सुरक्षित)

इस प्रकार बदायूं जनपद को भी परिव्यय आवंटित करते समय केवल पिछड़ेपन के आधार पर 30 प्रतिशत का भार दिया गया है।

राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से केवल अपराधग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई योजना प्रस्तावित नहीं की है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही अपराधग्रस्त क्षेत्रों की आर्थिक समस्याओं के प्रति पूर्णतया जागरूक रही है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने केन्द्रीय योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया था जिन्होंने न केवल इस राज्य के बल्कि प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के डकैती प्रभावित जनपदों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके विद्युतीकरण कार्यों को प्राथमिकता दी तथा यह संस्तुति की है कि इन क्षेत्रों में बीहड़ सुधार, सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को प्राथमिकता दी जाय जिससे अन्य विकास कार्यों के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

इस कार्यकारी दल ने उत्तर प्रदेश के लिये सातवीं पंच वर्षीय योजना काल के लिये रु0 296.52 करोड़ की योजनाओं की संस्तुति की है जिसमें से बीहड़ सुधार हेतु रु0 23.25 करोड़, सड़क एवं पुल हेतु रु0 123.27 करोड़ एवं ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु रु0 150.00 करोड़ की संस्तुति की है।

कार्यकारी दल की उपर्युक्त संस्तुतियां अभी केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं। यह भी अभी विचाराधीन है कि उपर्युक्त रु0 296.52 करोड़ में से राज्य सरकार का क्या अंशदान होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने पर इस योजना का लाभ अन्य दस्यु प्रभावित जिलों के साथ-साथ जनपद बदायूं को भी प्राप्त होगा।

श्यामदेउरवा विकास क्षेत्र, जिला गोरखपुर में बड़े गांवों को जोड़ने वाली सड़क योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि तथा निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

29—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्यामदेउरवा वि0 क्षेत्र जिला गोरखपुर में बड़े गांवों को जोड़ने वाली सड़क योजना के अंतर्गत हरपुर तिवारी, मिर्जापुर पकड़ी, वर्मपुर, लक्ष्मीपुर, देउरवा सी0 सी0 टैक्ट से बारीगांव सड़कों पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि आवंटित थी ? क्या कार्य पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री नारायन दत्त–

इन मार्गों पर 1984-85 में निम्न-लिखित धनराशि आवंटित की गई थी :–

मार्ग	आवंटन (लाख रु0 में)
1. धर्मपुर–लक्ष्मीपुर दउरवा मार्ग	2.31
2. पिपरा-ब्रम्हान उर्फ वारीगांव	0.04
3. मिर्जापुर-पक्ड़ी	0.70

जी नहीं । भूमि की कठिनाई के कारण मार्ग पूर्ण नहीं हुये । इनमें से मिर्जापुर पकड़ी मार्ग पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । भूमि का विवाद समाप्त होने पर ही शेष निर्माण कार्य किया जा सकेगा ।

30–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या यह सच है कि उक्त सड़कों के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में गत माह प्रश्नकर्ता ने शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां ।

जांच प्रगति में है ।

नगरपालिका बस्ती की सीमा विस्तार के सम्बन्ध में कथित प्रस्ताव

31–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे सत्रकार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 104 के उत्तर के संबंध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बस्ती की सीमा विस्तार के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बस्ती से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पुरानी नगरपालिका सीमा को तत्काल उस सीमा तक बढ़ाकर नगर में रहने वाले लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री नारायन दत्त–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में विधायकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के संबंध में पत्र

32–श्री विजय सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में विधायकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के सन्दर्भ में विधान परिषद् के कार्यालय से निर्गत पत्र संख्या 159/वि0 प0-195/वि0 अ0 स0/83 दिनांक 10 अप्रैल, 1985 द्वारा उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को भेजे गए 90,000 (नब्बे हजार रुपए) के चेक संख्या ए 134–0604558 दिनांक 8 अप्रैल के सन्दर्भ में विधायकों को संजय प्लेस योजना के अन्तर्गत भवन आवंटित किए जाने के सन्दर्भ में आगरा विकास प्राधिकरण ने क्या निर्णय लिया है और विधायकों को कितने दिन में भवनों का आवंटन कर दिया जायेगा?

श्री नारायन दत्त–

विधान परिषद् के कार्यालय से निर्गत पत्र संख्या–159/वि0प0/195/वि0 अ0 स0/83 दिनांक 10 अप्रैल, 1985 द्वारा सम्प्रेषित रु0 90,000/- का चेक आगरा विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। संजय प्लेस ग्रुप हाउसिंग योजना के 225 प्रस्तावित उच्च आय वर्ग के भवनों में से 9 भवन सं0 13/8, 12/1, 1/14, 15/11, 6/3, 14/5, 6/13, 6/2 व 4/3 विधा-

यकों व स्वतंत्रता सेनानियों को संयुक्त रूप से दिनांक 11-9-1984 को निकाली गई लाटरी द्वारा आरक्षित किये जा चुके हैं। किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 28-9-1984 के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही स्थगित है। स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् ही विधायकों को आरक्षित कोटे के अनुसार लाटरी डालकर भवनों का आवंटन किया जायेगा।

जनपद आगरा में आगरा से बिचपुरी अछनेरा मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का कथित प्रस्ताव

33–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आगरा से बिचपुरी अछनेरा मार्ग के जिला परिषद् के मार्ग को सा0 नि0 विभाग को हस्तान्तरण किए जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसे कब तक हस्तान्तरित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दूसरे विभागों के मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

कस्बा रुदौली, जनपद बाराबंकी में नालियों, सड़कों एवं गलियों को पक्का कराने हेतु विचार

34–श्री मित्रसेन तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कस्बा रुदौली, जनपद बाराबंकी के सैकड़ों परिवार के हजारों लोगों का जीवन कच्ची गलियों कच्ची नालियों एवं इनसे जल निकास अवरुद्ध होने से नारकीय बना है और भयंकर बीमारियों से त्रस्त रहा करता है? यदि हां, तो क्या सरकार स्वच्छ जीवन एवं आवागमन सुविधा हेतु नालियों, सड़कों एवं गलियों को पक्का कराने हेतु अतिरिक्त धन स्वीकृत करने पर विचार करेगी?

श्री नारायन दत्त–

जनपद बाराबंकी की नोटीफाइड एरिया कमेटी के कुछ मोहल्लों की गलियां व नालियां कच्ची अवश्य हैं, परन्तु उनकी निरन्तर सफाई करायी जाती है, जिसके फलस्वरूप जल निकास का मार्ग अवरूद्ध नहीं है और न ही उक्त कस्बा किसी प्रकार भयंकर बीमारी से त्रस्त है।

यद्यपि कच्ची गलियों, नालियों तथा सड़कों के रख-रखाव का दायित्व स्थानीय निकाय का होता है, फिर भी उन्हें आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर शासन द्वारा सड़क अनुदान दिया जाता है

जनपद बाराबंकी में कस्बा रुदौली को टाउन एरिया बनाने पर विचार

35–श्री मित्रसेन तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा रुदौली, बाराबंकी जनपद की सबसे बड़ी और घनी आबादी की बस्ती है और आबादी तथा क्षेत्रफल के मानक के आधार पर टाउन एरिया बनाया जाना चाहिए? यदि हां, तो सरकार रुदौली कस्बे को टाउन एरिया बनाने पर विचार करेगी?

श्री नारायन दत्त–

जनपद बाराबंकी में कस्बा रुदौली पहले से ही नोटीफाइड एरिया कमेटी है। अतः कस्बा रुदौली को टाउन एरिया बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत टाउन एरिया जैतपुर को नगरपालिका में परिवर्तित करने पर विचार

36–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत टाउन एरिया जैतपुर जिसकी आबादी 25000 से अधिक है को. नगरपालिका में परिवर्तित करने पर विचार किया जा जा रहा है?यदि हां, तो उक्त टाउन एरिया नगरपालिका में कब तक परिवर्तित की जायेगी?

श्री नारायन दत्त–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

37–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

38–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 30-7-85 को अता0 प्र0 सं0 88 द्वारा उत्तरित]

39–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 6-8-85 को अता0 प्र0 सं0 80 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 गवर्नमेंट स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा प्रेषित मांगों पर निर्णय

40–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19 जनवरी, 1984 को उ0 प्र0 गवर्नमेंट स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा प्रेषित मांगों पर शासन द्वारा निर्णय लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

जी हां। एसोसियेशन द्वारा प्रस्तुत मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

41–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 6-8-85 को अता0 प्र0 सं0 42 द्वारा उत्तरित]

42–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

43–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

44–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

45–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 6-8-85 को अता0 प्र0 सं0 61 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में जाली लाटरी टिकट छपने के बारे में जांच

46–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में जाली टिकट छपने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1090 दिनांक 12-9-84 माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायन दत्त–

प्रदेश में जाली लाटरी टिकट (न कि टिकट) छपने के बारे में, मुख्य मंत्री को सम्बोधित, प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1090/रा0 लो0 मो0/84, दिनांक 11-9-84 (न कि 12-9-84) प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच कराने के उपरान्त उन्हें सूचित कर दिया गया कि उक्त पत्र में उल्लिखित अवधि में किसी प्रेस से उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी की जाली टिकटें नहीं छपी थीं।

कानपुर बिक्री कर कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान

47–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि कानपुर बिक्री कर कार्यालयों के धारकों को ता0 6-2-84 को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने माह जनवरी का वेतन न मिलने के कारण बन्द कर दिया था तथा अधिकारियों और कर-दाताओं को अन्दर नहीं जाने दिया था? यदि हां, तो वेतन इन कर्मचारियों को समय पर क्यों नहीं मिला?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी नहीं।

कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण मण्डल कार्यालय, कानपुर के चतुर्थ श्रेणी के स्थायी कर्मचारियों को दिनांक 2-2-84 तथा अस्थायी कर्मचारियों को दिनांक 7-2-84 को वेतन का भुगतान किया जा सका। कानपुर के अन्य समस्त वर्ग के कर्मचारियों को माह जनवरी, 1984 का वेतन दिनांक 1-2-84 को वितरित किया गया था।

कानपुर रेलवे गोदाम से बिना नियमित बिक्री कर अदा किये बाहर निकल गये सामान की जांच

48–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर रेलवे गोदाम से ता0 2-2-81 से 2-3-81 तक एक करोड़ रुपये का माल बिना नियमित बिक्रीकर अदा किये हुए बाहर निकल गया था? जबकि उस दौरान बिक्रीकर अधिकारियों का विशेष दल गोदाम में चेकिंग के लिये तैनात था और इस सम्बन्ध में उनको विधायक यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या 1092, दिनांक 21-1-84 को मिला है? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र शासन को प्राप्त हुआ था उसमें वर्णित विषय में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच की जा रही थी जिसकी रिपोर्ट शासन के सतर्कता विभाग को प्राप्त हो गई है और उनके विचाराधीन है। रिपोर्ट पर विचार होने के उपरान्त ही यह निश्चित हो सकेगा कि सम्बन्धित मामले में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और तभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न होगा।

49–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 11-3-83 को अता0 प्र0 संख्या 74 द्वारा उत्तरित]

50–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

51–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

52–श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 23-3-84 को अता0 प्र0 सं0 91 द्वारा उत्तरित]

तिलहर सहकारी चीनी मिल (शाहजहांपुर) में प्रधान प्रबन्धक द्वारा विभिन्न पदों हेतु कर्मचारियों को दिये गये नियुक्ति पत्र

53–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर, शाहजहांपुर के प्रधान प्रबन्धक द्वारा अप्रैल सन् 1985 में विभिन्न पदों हेतु कितने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिये गये तथा कितने कर्मचारी नियुक्ति-पत्र पाने से वंचित रह गये ? क्या सरकार

जिन कर्मचारियों ने 240 दिन कार्य दिवसों में कार्य किया है उन्हें इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 25 बी के अनुसार नियुक्ति पत्र दिलाने तथा समायोजित कराने के विषय में कोई प्रक्रिया अपना रही है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

श्री नारायन दत्त–

तिलहर सहकारी चीनी मिल (शाहजहांपुर) में अप्रैल सन् 1985 में 363 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया तथा अतिरिक्त नियमित पद उपलब्ध न होने के कारण 320 कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया जा सका है।

इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 की धारा 25बी में कर्मचारियों की छटनी एवं बैठकी (ले आफ) की लगातार सेवाओं को पारिभाषित किया गया है। इस धारा में नियमितीकरण/नियुक्ति करने की व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश के तहसील मुख्यालयों के कस्बों को टाउन एरिया में परिवर्तित किये जाने के निर्धारित मानक

54–श्री देवकुमार यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों के कस्बों को टाउन एरिया कमेटी के रूप में परिवर्तित करने की सरकार की नीति के प्रतिकूल बांदा जनपद की मऊ तहसील के मुख्यालय कस्बा मऊ को टाउन एरिया कमेटी के गठन की सभी शर्तों के पूरा करने के बावजूद भी टाउन एरिया कमेटी के रूप में अब तक परिवर्तित नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त कस्बे के विकास के हित में ऐसा करने की तत्काल कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

टाउन एरिया बनाने के संबंध में शासन द्वारा कतिपय मानक निर्धारित किये गये हैं । चूंकि कस्बा मऊ उक्त मानकों की पूर्ति नहीं करता है, अतः उसे टाउन एरिया घोषित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद बांदा की नगरपालिका अतर्रा में विकास की योजनायें

55–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नगरपालिका अतर्रा में विकास की कोई योजनाएं शासन के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी योजनायें हैं और कब तक पूरी हो जायेंगी?

श्री नारायन दत्त–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, थाना बदौसा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती पत्र

56–श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के थाना बदौसा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्त एवं अन्य के शिकायती-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का संलग्न पत्र 20 या 22 मार्च, 85 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र का पूरा विवरण क्या है और उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री नारायन दत्त–

जी हां । शिकायती पत्रों में थानाध्यक्ष, बदौसा के विरुद्ध ज्यादतियां, गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी आदि के आरोप लगाये गये हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना)

बांदा द्वारा की जा रही है। जांच अभी अपूर्ण है। थानाध्यक्ष, बदौसा श्री बी0 बी0 सिंह को जनपद बांदा से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

डी0 सी0 यू0 पी0 डब्लू0 डी0, बस्ती को बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रा0 पाठशाला और जू0 हा0 स्कूल के भवन निर्माण हेतु दी गई धनराशि

57–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0 सी0 यू0 पी0 डब्लू0 डी0, बस्ती को बेसिक शिक्षा परिषद्, बस्ती द्वारा वर्ष 81–82 से 83–84 तक कितना धन प्रा0 पाठशाला और जू0 हा0 स्कूल के भवन निर्माण के लिए किन-किन विद्यालयों के लिए धन दिए गये और मार्च, 85 तक कितने भवन प्रा0 पा0 और जू0 हाई स्कूल के बनकर तैयार हुए? क्या यह सत्य है कि डी0 सी0 यू0, बस्ती में 116 प्रा0 स्कूल के निर्माण की जगह पर केवल 20 प्रा0 स्कूल और 29 जू0 हाई स्कूल के जगह पर केवल 7 स्कूलों का निर्माण किया है और अब लागत खर्च बढ़ जाने की वजह से यह विभाग बनाने को तैयार नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे?

श्री नारायन दत्त–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में आल इंडिया सेमिनार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एण्ड मेन्टेनेन्स का आयोजन तथा व्यय का समायोजन

58–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में अक्तूबर, 1975 में आल इंडिया सेमिनार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एन्ड मेन्टेनेन्स आयोजित किया गया था यदि हां, तो इस आयोजन हेतु धन का व्यवस्था किस प्रकार की गयी थी? क्या इस व्यय का समायोजन हो चुका है? क्या इस पर होने वाले लेखा की स्थानीय निधि लेखा अथवा महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा सम्परीक्षा की गयी थी? यदि नहीं, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

जी हां, कालेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, इस्टर्न यू0 पी0 प्रोडक्टीविटी काउन्सिल एवं भारतीय उर्वरक निगम गोरखपुर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में उक्त सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार हेतु धन की व्यवस्था एक सांविनियर प्रकाशित करके, पंजीकरण शुल्क एवं भारतीय उर्वरक निगम गोरखपुर के योगदान द्वारा की गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार कालेज द्वारा दी गई धनराशि का समायोजन हो चुका है तथा इसकी सम्परीक्षा भी स्थानीय निधि लेखा द्वारा हो चुकी है। शेष भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

59–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

60–श्रीमती इशि शर्मा–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद् द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं में भवन अथवा भूखण्डों का आवंटन तथा विधायकों के लिए आरक्षित कोटा

61–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की

कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद् द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं जैसे इन्द्रानगर, अलीगंज हाउसिंग योजना, कुर्सी रोड आवासीय योजना, कानपुर रोड आवासीय योजना तथा ताल कटोरा आवासीय योजना में वर्ष 1982 से 1985 तक कितने आवासी भवन अथवा भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, इसमें कितने भूखण्ड तथा भवन विधायकों को किये गये तथा कितने विधायकों ने विधायक कोटे के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दिये? क्या उपरोक्त योजनाओं में विधायकों के लिए आरक्षित कोटे की पूर्ति की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

लखनऊ स्थित आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इन्दिरा नगर, कुर्सी रोड तथा ताल कटोरा आवासीय योजनाओं में क्रमशः 2900 आवासीय भवनों तथा 684 भूखण्डों, 990 आवासीय भवनों तथा 883 भूखण्डों, 5478 आवासीय भवनों तथा 429 भूखंडों का वर्ष 1982 से जून, 1985 तक आवंटन किया गया है। इसमें से इन्दिरा नगर आवासीय योजना में एक भूखण्ड तथा एक भवन का आवंटन विधायक को किया गया है। अलीगंज हाउसिंग योजना तथा कानपुर रोड आवासीय योजना परिषद् द्वारा नहीं संचालित हैं। विधायक कोटे के अन्तर्गत कुल दो विधायकों ने आवेदन पत्र दिये। पर्याप्त संख्या में विधायकों द्वारा आवेदन पत्र न दिये जाने के कारण विधायकों के लिये आरक्षित कोटे की पूर्ति नहीं हो सकी है।

62–श्री राम आसरे वर्मा–

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 45 पर स्थानान्तरित]

63–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 16-7-85 को अता0 प्र0 सं0 107 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव में असलहों की मरम्मत के लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र

64–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के आग्नेय अस्त्रों के कितने विक्रेताओं ने सन् 80 से अब तक फार्म 11 भरकर असलहों की मरम्मत के लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था? इसमें से कितनों को लाइसेन्स स्वीकृत हुए हैं और किन-किन व्यक्तियों का फार्म स्वीकृति हेतु रुका है और रोके जाने के कारण क्या हैं?

श्री नारायन दत्त–

जनपद उन्नाव में असलहों के मरम्मत के लिए फार्म 11 के लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु तीन व्यक्तियों ने आवेदन पत्र वर्ष 1980 से 30-6-85 तक दिए हैं। इनमें से किसी भी आवेदक को अभी तक लाइसेन्स स्वीकृत नहीं हुआ है।

एक आवेदक पहले से प्रपत्र 13 व 14 का लाइसेंसी है। उसकी दुकान का निरीक्षण परगना मजिस्ट्रेट, हसनगंज द्वारा दिनांक 14-6-1982 को किया गया था और निरीक्षण के समय अनियमितायें पाई गई थीं। उन अनियमितताओं के सम्बन्ध में उस आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है। इस कारण उस आवेदक का प्रार्थना पत्र फार्म 11 जिला स्तर से शासन को अग्रसारित नहीं किया गया है।

अन्य दो आवेदकों के प्रार्थना पत्रों में कुछ त्रुटियां शासन स्तर पर दृष्टिगत हुई थीं। उसके निराकरण के पश्चात् उनके प्रार्थना पत्र फार्म 11 दिनांक

4-12-1984 व 5-12-1984 को शासन में प्राप्त हुए हैं। शासन में अभी तक उन प्रार्थना पत्रों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

उन्नाव जनपद के श्री राम नरोश कुरील हरिजन की मछलियां जबरन छीन कर बेचे जाने के संबंध में कथित रजिस्ट्री पत्र

65—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 29 अप्रैल, 1985 को उन्नाव जनपद के श्री राम नरेश कुरील नामक हरिजन की ढाई हजार रुपये की मछलियां श्री अर्जुन सिंह नामक गिरोह बन्द व्यक्ति ने अपने अन्य लोगों सहित मछली मण्डी कैसरबाग में जबरिया छीन कर बेच लीं? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में उक्त हरिजन ने कोई रजिस्ट्री पत्र थाना कैसरबाग लखनऊ को भेजा? यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लेखित दिनांक की घटना का घटित होना नहीं पाया गया। श्री राम नरेश कुरील द्वारा थाना कैसरबाग पर न तो कोई सूचना अंकित करायी गयी और न ही कोई रजिस्ट्री प्रार्थना-पत्र ही थाना कैसरबाग, लखनऊ पर प्राप्त हुआ। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

उन्नाव जिले के थाना मौरावां में दर्ज डकैती के मुकदमों

66—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के थाना मौरावां में दिनांक 8, 9 जून, 84 को सुखराम पुत्र रामचरन लोधी, नि0 असरीखेड़ा के यहां हुई डकैती को मुकदमा अपराध संख्या 132 के अन्तर्गत आई0पी0सी0 459 में, 6/7 जुलाई, 84 को शिवराज पुत्र मंगली पासी नि0 गंगाबख्श खेड़ा, हिलौली के यहां हुई डकैती को अपराध संख्या 153 के अंतर्गत धारा 457/380 में 27, 28 अक्टूबर, 84 को बेचा लाल पुत्र राम भरोसे लोधी, निरहीखेड़ा के यहां हुई डकैती को अपराध सं0 224 के अन्तर्गत धारा 459 में, 16 17 नवम्बर, 84 की बालगोविन्द पुत्र लक्ष्मण यादव, नि0 बैशन खेड़ा के यहां डकैती की अपराध संख्या 237 के अंतर्गत धारा 459 में, 19/20 नवम्बर, 84 को छेदी लाल पुत्र संकठा रैदास, नि0 पान कुंवर खेड़ा के यहां हुई डकैती को अपराध संख्या 240 के अन्तर्गत धारा 394 में 29/30 नवम्बर, 84 की महाबीर पुत्र राम नारायण चमार बखरी सन्दाना के यहां हुई डकैती को अपराध संख्या 246 के अन्तर्गत धारा 382 में, 2/3 जनवरी, 85 की राम आसरे पुत्र देवान नि0 निरही खेड़ा के यहां हुई डकैती को अपराध संख्या 2/85 के अन्तर्गत धारा 382 में कम करके लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या इन सभी मिनिमाइजेशन के मामलों की जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित सातों घटनाओं का उल्लेख थाना मौरांवा में दर्ज है। यह सातों अपराध वादी की सूचना पर लिखे गये तथा उनकी विधिवत विवेचना हुई। मुकदमा अ0सं0 132 अन्तर्गत धारा 459 भा0 दं0 वि0 ग्राम असरी खेड़ा न्यायालय में विचाराधीन है तथा अन्य 6 मुकदमों में प्रेषित की गई अंतिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। कोई मुकदमा कम करके (मिनिमाइजेशन के मामलों की जांच करने

तथा दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

67–श्री राम आसरे वर्मा–

[5वें शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 24 पर स्थानान्तरित]

राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने के संबंध में कार्यवाही

68–श्री राम आसरे वर्मा तथा
श्री हृदय नारायन दीक्षित–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को जानकारी है कि विभाग के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान) दिये जाने के आदेश तीन माह पूर्व किए गये थे ? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो इसके लिए दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां ।

तृतीय श्रेणी में 1 व चतुर्थ श्रेणी में 91 कर्मचारियों को तथा 12 ड्राइवरों को सेलेक्शन ग्रेड (समयमान वेतनमान) दिये जाने के आदेश दिये गये हैं । समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण से यह बात सामने आई कि संबंधित कर्मचारियों को वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिल रहा था । इस असंगति के सम्बन्ध में वित्त वेतन आयोग से राय मांगी गई है । वित्त वेतन आयोग के राय के पूर्व समयमान वेतनमान में उक्त कर्मचारियों को वेतन दिया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उग्रवादियों द्वारा बम विस्फोट की घटनाएं

69–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 11/12 मई, 1985 को तथाकथित उग्रवादियों द्वारा डाले गए बम विस्फोटों से कितनों की जानें गयी ? सरकार ने उग्रवादियों की हरकतों पर क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायन दत्त–

दिनांक 11 मई, 1985 को प्रदेश में उग्रवादियों द्वारा किये गये बम विस्फोटों में 5 व्यक्तियों की जानें गयीं । दिनांक 12 मई, 1985 को प्रदेश में बम विस्फोट की कोई घटना नहीं हुई । घटनाओं के संबंध में अभियोग पंजीकृत करके त्वरित विवेचना की गई । सभी को सतर्क किया गया तथा पुलिस व्यवस्था मजबूत कर दी गयी, जिससे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकी ।

प्रदेश में पूर्वांचल के विकास हेतु कथित प्रस्ताव

70–श्री रणजीत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के पास पूर्वांचल के विकास हेतु किसी प्रस्ताव के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार ने सप्तम पंचवर्षीय योजना में सामान्य रूप से पूर्वी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है । कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं भ्रमण (टी एण्ड वी) प्रणाली पहले पूर्वी क्षेत्र में ही लागू की जा रही है जिसका उद्देश्य नवीनतम कृषि

उत्पादन विधियों से कृषकों को अवगत कराना है । भारत सरकार की सहायता से धान की उत्पादकता में वृद्धि का विशेष कार्यक्रम पहले ही पूर्वी क्षेत्र में आरम्भ किया गया है । बहुत से बड़े और मध्यम उद्योग जैसे सुल्तानपुर में गैस पर आधारित रासायनिक खाद इकाई, हिन्दुस्तान एरो-नाटिक्स इकाई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, गोण्डा में इलेक्ट्रानिक एक्चेंज इक्युपमेंन्ट, कताई मिल, बलिया आदि भी इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार व भारत सरकार की सहायता से लगाई जा रही है । गंडक एवं शारदा सहायक की वृहत सिंचाई परियोजनायें, नारायनपुर और जमनिया की पम्प नहरों का कार्य भी सप्तम योजना में पूरा हो जायेगा । इस क्षेत्र के बड़े भाग को सिंचाई सुविधा देने के लिए सरयू पम्प नहर पर कार्य की प्रगति बढ़ाई जा रही है । फैजाबाद में 440 मेगावाट का टाण्डा ताप विद्युत गृह और मिर्जापुर के 630 मेगावाट का आनपारा-ए ताप विद्युत गृह भी सातवीं योजना में पूर्ण हो जायेंगे । अन्य क्षेत्रों में भी पूर्वी क्षेत्र की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी ।

बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी में गन्ने की पेराई व चीनी का उत्पादन गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान

71—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी में वित्तीय वर्ष 80-81, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85 में क्रमशः कितने गन्ने की पेराई व चीनी का उत्पादन कितना किया गया तथा गन्ना किसानों को, कितना रुपया भुगतान किया गया और कितना रुपया बकाया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मिल को उपरोक्त वर्षों में कितना घाटा एवं मुनाफा हुआ और सरकार का कितना कर्जा उपरोक्त शुगर मिल पर बाकी है ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 167 पर)

बुढ़वल शुगर मिल, जनपद बाराबंकी पर व्यय की गई धनराशि

72—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुढ़वल शुगर मिल जनपद बाराबंकी पर उक्त वित्तीय वर्षों में कितना-कितना धन कारखाने की मरम्मत, श्रमिकों के वेतन तथा अन्य देयों एवं प्रबन्धकों के रखरखाव वेतन एवं भत्तों तथा मनोरंजन (इंटरटेनमेंट) के नाम पर व्यय किया गया?

श्री नारायन दत्त—

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 168 पर)

अस्थायी निर्माण खण्ड, प्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के अन्तर्गत कार्यों की कथित स्वीकृति

73—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी निर्माण खण्ड प्रथम, बस्ती को वर्ष 82-83 में कौन-कौन से कार्य किस-किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए थे और कितना-कितना धन उन कार्यों हेतु स्वीकृत हुआ था ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कौन-कौन से कार्य वर्ष के अंत में पूर्ण हुए और कितना-कितना धन खर्च हुआ और कितना-कितना धन अवशेष रहा तथा कितना मेटीरियल किस-किस कार्य हेतु लिया गया और उसमें से कितना-कितना मैटीरियल खर्च हुआ और कितना अवशेष रहा ? क्या मा0 मंत्री जी

सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

अस्थायी निर्माण खण्ड, प्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग, दस्ती के अंतर्गत वर्ष 1982-83 में किसी कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74--श्री रणजीत--

[दि0 16-7-85 को अंता0 प्र0 सं0 74 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश जल निगम में गृह जनपदों में कार्यरत सहायक अभियन्ता व उनके ऊपर की श्रेणी के अभियन्ताओं का कार्यकाल

75--श्री रणजीत--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के सहायक अभियन्ता या उनके ऊपर के श्रेणी के कितने अभियन्ता अपने गृह जनपदों में कार्यरत हैं, उनके अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को क्या आदेश दिए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

उत्तर प्रदेश जल निगम के सहायक अभियन्ता या उनके ऊपर की श्रेणी के कुल 9 अभियन्ता अपने गृह जनपदों में कार्यरत हैं । उनके अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को शासनादेश आदेश दिये जा चुके हैं ।

जनपद कानपुर में मुहल्ला लाजपतनगर में पार्क का निर्माण तथा माली की व्यवस्था

76--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में मुहल्ला लाजपतनगर में पक्का तालाब के निकट नगरमहापालिका, कानपुर द्वारा कोई पार्क बनाया गया है ? यदि हां, तो नगर महापालिका द्वारा उक्त स्थान पर पार्क का निर्माण कब (किस वर्ष) किया गया और वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में प्रति वर्ष अलग अलग किन-किन मदों में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और कितनी धनराशि विभिन्न मदों में व्यपगत हुई ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

पार्क का निर्माण वर्ष 1955 में किया गया था । 1982-83, 83-84 व 84-85 में स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है--

वर्ष	स्वीकृत धनराशि माली	मरम्मत
82-83	-	-
83-84	-	6,420-96
84-85	17,055-70	23,755-00

कोई धनराशि व्यपगत नहीं हुई ।

77--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर महापालिका कानपुर द्वारा उक्त पार्क में बच्चों के लिए झूले आदि की तथा पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए माली की भी व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो कितने माली कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पार्क के निकट सफाई की व्यवस्था रखने की कृपा करेगी?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

दो माली कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पार्क के निकट सफाई की व्यवस्था है ।

78--श्री देव कुमार यादव--

[दिनांक 30-7-85 को अंता0 प्र0 सं0 120 द्वारा उत्तरित]

कैसरबाग बाराबरी व उसके आस पास की सड़कों पर कब्जे के संबंध में जानकारी तथा आवासीय कालोनी बनाने के प्रश्न पर विचार

79–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैसरबाग सफेद बारादरी व उसके आस-पास की सड़कों पर अंजुमनें हिन्द अवध का कब्जा किस नियम के अन्तर्गत है ? क्या प्रदेश में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद भी प्रदेश के ताल्लुकेदारों को इस क्षेत्र में कोई विशेष अधिकार प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

कैसरबाग स्थित अमीरउद्दौला लाईब्रेरी से बारादरी तक का क्षेत्र खसरा संख्या 313 बन्दोबस्त 1862 का है तथा अभिलेखों के अनुसार सम्पत्ति नजूल है परन्तु कैसारबाग के इस क्षेत्र की सम्पत्ति के बारे में ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन के पास एक सनद है जिसके तहत यह क्षेत्र इस संस्था के नियंत्रण में है । तालुक्केदारों को इस क्षेत्र में कोई विशेष अधिकार प्रदान किये जाने के विषयक सूचना विकास प्राधिकरण, लखनऊ को नहीं है।

80–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कैसरबाग क्षेत्र में (कैसरबाग चौराहे से हजरत महल पार्क तक और दोनों बड़े फाटकों के बीच) नबाबी काल में निर्मित इमारतें विभिन्न तालुकेदारों के अधिकार में हैं ? यदि हां, तो उन तालुकेदारों के नाम क्या है और उनके पास कितनी-कितनी भूमि का क्षेत्रफल है ?

श्री नारायन दत्त–

कैसरबाग क्षेत्र में कैसरबाग चौराहे से हजरत महल पार्क तक तथा दोनों फाटकों के बीच नवाबी काल में निर्मित इमारतें किन-किन तालुकेदारों के अधिकार में है इसका ब्योरा विकास प्राधिकरण लखनऊ में उपलब्ध नहीं है इसका विवरण ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन द्वारा ही उपलब्ध कराया जा सकता है ।

81–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सरकार उस पूरे क्षेत्र को हस्तगत करने व उस पर नगरवासियों के लिए आवासीय कालोनी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

कैसरबाग बारादरी के आस-पास का क्षेत्र कैसरबाग गृह एवं सड़क योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष अर्जन हेतु विचाराधीन है ।

प्रदेश के समस्त जिलों में फौजदारी तथा माल पक्ष में हरिजन वकीलों की संख्या

82–श्री रामबदन एडवोकेट–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में कितने सरकारी वकील (माल और क्रिमिनल) के हैं और उसके हरिजन वकीलों की संख्या क्या है ?

न्याय राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में फौजदारी पक्ष के सरकारी वकीलों की कुल संख्या–494 है तथा माल पक्ष के सरकारी वकीलों की कुल संख्या–250 है । इनमें से फौजदारी पक्ष में हरिजन वकीलों की संख्या–29 है तथा माल पक्ष में हरिजन सरकारी वकीलों की संख्या–5 है ।

प्रदेश में चल रहे मुकदमों के निपटारे में विलम्ब

83–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमात निपटाने में जो विलम्ब हो रहा है और मुकदमात निपटाने में कई-कई वर्ष लगते हैं, जिससे गरीब जनता को न्याय लेने में कठिनाई हो रही है, इसको शीघ्र निपटाने में सरकार क्या सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

यह बात सही है कि मुकदमों के निपटारे में काफी विलम्ब हो रहा है और वादकारी जनता को कठिनाई हो रही है । परन्तु यह समस्या न केवल हमारे प्रदेश की है बल्कि यह समस्या सभी प्रदेशों की है । भारत सरकार भी इस समस्या के निदान के लिये उपाय सोच रही है । इस समय भारत सरकार द्वारा एक न्यायिक सुधार आयोग का शीघ्र गठन प्रस्तावित है । आशा है कि यह सुधार आयोग न्यायालय में लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु नये उपाय एवं योजना तैयार करेंगे । भारत सरकार द्वारा पूर्व गठित विधि आयोग द्वारा भी समय-समय पर न्यायालयों में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु सुझाव दिये गये हैं और तदनुसार अधीनस्थ न्यायालयों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं । शासन के सीमित संसाधनों को देखते हुए न्यायालयों की संख्या में वृद्धि, यंत्रीकरण और नयी योजनायें बनाने पर भी विचार किया जायेगा । लोक अदालत तथा नि:शुल्क कानूनी सहायता शिविरों के माध्यम से भी इन मामलों को शीघ्र निस्तारित कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

अस्थायी खण्ड प्रथम, जिला बस्ती में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य व व्यय की गई धनराशि

84–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी खण्ड प्रथम जिला बस्ती को वर्ष 84–85 में कौन-कौन से कार्य किस-किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए थे और कितना-कितना धन उन कार्यों हेतु स्वीकृत हुआ था ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से कार्य वर्ष के अन्त में कितने-कितने पूर्ण हुए और कितना धन खर्च हुआ और कितना धन अवशेष रहा तथा कितना धन उन कार्यों हेतु स्वीकृत हेतु लिया गया और उसमें से कितना-कितना मेटीरियल खर्च हुआ और कितना अवशेष रहा ?

श्री नारायन दत्त–

वर्ष 1984–85 में निम्नलिखित कार्य विभिन्न योजना में स्वीकृत हुए:-

1–आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत 29.30 कि0 मी0 मार्ग की कार्य लागत 58.60 लाख रु0 का स्वीकृत हुआ जिसके विरुद्ध केवल 17.50 लाख रु0 आवंटित हुआ और जिसमें से 17.44 लाख रु0 व्यय किया गया ।

2–40.0 किमी0 ग्रामीण मार्गों को निर्माण (श्रेणी) "ए" योजना के अन्तर्गत 5.5 किमी0 में केवल खड़न्जा का कार्य लागत 5.5 लाख रु0 का स्वीकृत हुआ जिसके विरुद्व आवंटन केवल 3.00 लाख रु0 का प्राप्त हुआ तथा जिसमें से 2.95 लाख रु0 व्यय किया गया ।

3–जिला योजना के अन्तर्गत 10 मार्ग 445 किमी0 ग्रामीण मार्गों का निर्माण योजना में कुल लम्बाई 23.5 किमी0 का कार्य 42.30 लाख रु0 के लागत का स्वीकृत हुआ तथा जिला योजना के अन्तर्गत ही 3 सेतु कुल लागत 22.22 लाख रु0 तथा एक पहुंच मार्ग 3.25 लाख रु0 का स्वीकृत हुआ जिसमें से सेतु निर्माण पर 2.00 लाख रु0 व्यय हुआ ।

4–बखिरा–रुधौली मार्ग आमी नदी के छपिया घाट पर पक्के सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण लागत 21.60 लाख रु0 स्वीकृत हुआ जिसके विरुद्ध व्यय शून्य रहा ।

निम्नलिखित कार्य किए गए :–

20.60 कि0 मी0 मिट्टी, 2.5 किमी0 पुलिया, 14.0 किमी0 खड़न्जा एकत्रीकरण, 3.50 किमी0 सोलिंग, 1-4-85 को सामग्रियों के अवशेष का विवरण निम्नवत् है :–

10.5 किमी0 खड़न्जा ।

रामपुर नगर में परिषद् द्वारा बनायी कालोनी का नाम ''मोहम्मद अली जौहर नगर'' रखने का निर्णय

85–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन एवं आवास विकास परिषद् के ऐसे आदेश के बावजूद भी आज तक रामपुर नगर में परिषद् द्वारा बनाई जा रही किसी कालोनी का नाम जौहर नगर नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो शासन अपने आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री नारायन दत्त–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् ने अपनी रामपुर योजना संख्या–1 एवं 2, जो एक साथ स्थित है, का नाम ''जौहर नगर'' रखने का निर्णय लिया था परन्तु बाद में इस नाम में संशोधन कर कालोनी का नाम ''मोहम्मद अली जौहर नगर'' रखने का निर्णय लिया गया जिसमें पुराना नाम जौहर नगर समाविष्ट है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए0 जे0 रिजवी, तत्कालीन मुख्य लेखाकार, सहकारी चीनी मिल नादेही (नैनीताल) के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

86–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल नादेही (नैनीताल) के तत्कालीन मुख्य लेखाकार (श्री ए0 जे0 रिजवी) के विरुद्ध फर्जी टी0 ए0 बिलों को दाखिल करने का कोई मामला पिछले 6 माह के अन्तर्गत प्रकाश में आया है? यदि हां, तो इन फर्जी बिलों की जांच किस अधिकारी ने की है तथा उत्तर-दायी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो यह कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायगी?

श्री नारायन दत्त–

श्री ए0 जे0 रिजवी, तत्कालीन मुख्य लेखाकार सहकारी चीनी मिल नादेही, (नैनीताल) के, नादेही मिल में उनके कार्यकाल के टी0 ए0 बिलों में अनियमितताएं इस अवधि में प्रकाश में आई हैं जिनकी जांच चीनी मिल संघ के प्रबन्धक (लेखा परीक्षा) द्वारा की जा रही है। जांच शीघ्र पूरी करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में मुख्य तकनीकी सलाहकार (यांत्रिक) के पद पर प्रो0 एन0 आर0 खड़ियावाला की नियुक्ति व उनकी योग्यतायें

87—श्री हर्ष वर्धन—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में श्री खड़ियावाला की नियुक्ति चीफ टेक्निकल एडवाइजर (इंजीनियरिंग) के पद पर हुई है? क्या उक्त पद हेतु शासन द्वारा सुनिश्चित मापदण्ड के अनुसार श्री खड़ियावाला का साक्षात्कार आदि हुआ था और क्या श्री खड़ियावाला संबंधित पद के लिये अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं?

श्री नारायन दत्त—

यह सही है कि प्रो0 एन0 आर0 खड़ियावाला की नियुक्ति उत्तर प्रदेश चीनी निगम में मुख्य तकनीकी सलाहकार (यांत्रिक) के पद पर की गयी है।

प्रो0 खड़ियावाला उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में सेवायोजित होने के पूर्व भारत सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में निदेशक के पद पर कार्यरत थे, जो कि स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और उनकी योग्यता का द्योतक है। अतः निगम में नियुक्ति हेतु उनके मामले में निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

कानपुर के थाना सीसामऊ द्वारा पकड़े गये ट्रक को उसके मालिक को दिये जाने के आदेश

88—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर थाना सीसामऊ द्वारा पकड़े गये ट्रक सं0 यू0 पी0 आई0 9737/4031, इसके मालिक श्री राम दुलारे कनौजिया पुत्र श्री मन्नी लाल, निवासी मल्लावां, जिला हरदोई को दिए जाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा 12-1-1984 को आदेश पारित किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति एच0 एस0 ओ0 सीसामऊ, जिला कानपुर को आदेश के क्रियान्वयन हेतु भेजी गयी? यदि हां, तो ट्रक या नीलामी से प्राप्त धनराशि उसके मालिक को अब तक न दिए जाने के क्या कारण हैं और उक्त आदेश का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायगा?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम गिरजापुर में श्री जतन स्वरूप के घर पर भीषण विस्फोट

89—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम गिरजापुर में मई, 1985 के तीसरे सप्ताह में श्री जतन स्वरूप के घर पर भीषण विस्फोट के बाद कई विस्फोटक पदार्थ तथा हथगोले बरामद किए गये? यदि हां, तो आज तक पुलिस ने इस संबंध में क्या जांच की है?

श्री नारायन दत्त—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 17-5-85 को श्री जतन स्वरूप पुत्र श्री भोलू, आतशबाज, के घर धूरगोला सुखाते समय एक गोला फटा था जिसकी सूचना थाने पर न दिये जाने के कारण जांचोपरान्त जतन स्वरूप व भोलू के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की धारा 286 तथा 5/8 एक्सप्लोसिव एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 27-5-85 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

बुलन्दशहर के मुहल्ला सुन्दरपुरी स्थित नगरपालिका के आराजी के दो प्लाटों पर भूतपूर्व ठेकेदार श्री जय भगवान द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास

90–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की नगर-पालिका के अन्तर्गत मुहल्ला सुन्दरपुरी में स्थित नगरपालिका के दो आराजी के प्लाट हैं, जिनकी कीमत लगभग दस लाख है परन्तु इस पर नगरपालिका के एक ठेकेदार जय भगवान के एक मरे हुए आदमी से झूठी अनरजिस्टर्ड डीड मात्र अस्सी रुपए में फर्जी बैनामे के आधार पर बनाकर नगरपालिका की इतनी कीमती भूमि को हड़पने की साजिश नगरपालिका के कर्मचारियों से मिलकर बनाई है, जिसमें नीची न्याया-लय में नगरपालिका मुकदमा हार चुकी है? क्या यह सही है कि नगरपालिका ने उक्त मुकदमें की अपील जय भग-वान ठेकेदार के खिलाफ कर रखी है परन्तु नगरपालिका के स्थायी वकील श्री हरिगोपाल तिवारी उक्त अपील की सही पैरवी नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या नगर विकास मंत्री नगरपालिका की इस कीमती जमीन को नगरपालिका के ठेकेदार जय भगवान से हड़पने से बचाने के लिए सूट नं0 74 सन् 81 की पैरवी न्यायालय में किसी अच्छे वकील द्वारा करायेंगे?

श्री नारायन दत्त–

बुलन्दशहर के मुहल्ला सुन्दरपुरी (कोठियात) स्थित नगरपालिका का एक भूखण्ड दो भागों में विभक्त है जिसके बीच से एक आम सड़क जाती है। उक्त भूखण्ड का वर्तमान बाजार मूल्य रु0 3,13,200 है। पालिका के भूत-पूर्व ठेकेदार श्री जय भगवान नामक एक व्यक्ति ने उक्त भूखण्ड के एक भाग पर चहारदीवारी बनाकर दिनांक 22 जून, 1979 को अतिक्रमण करने का प्रयास किया था जिसे पालिका ने अविलम्ब हटवा दिया था। इसके विरुद्ध श्री जय भगवान ने एक वाद संख्या 74 सन् 1981 मुंसिफ बुलन्दशहर के न्यायालय में दायर किया था जिसमें पालिका वकील श्री हरिगोपाल तिवारी द्वारा ठीक प्रकार से पैरवी की गई परन्तु न्यायालय द्वारा पालिका के विरुद्ध निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध पालिका द्वारा जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में अपील संख्या 45 सन् 1985 दायर की गई जिसमें यद्यपि पालिका के वकील श्री तिवारी द्वारा न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई है तथापि पालिका सम्पत्ति के हितों के दृष्टिगत पालिका ने श्री तिवारी के साथ-साथ दीवानी के एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता को भी उक्त वाद की पैरवी हेतु रख लिया है।

अस्थाई निर्माण खण्ड प्रथम, बस्ती को योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य, धनराशि का आवंटन तथा सामग्रियों के अवशेष का विवरण

91–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी निर्माण खण्ड प्रथम, बस्ती को वर्ष 83–84 में कौन-कौन से कार्य किस-किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए थे और कितना-कितना धन उन कार्यों हेतु स्वीकृत हुआ था ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से कार्य वर्ष के अन्त में कितना-कितना पूर्ण हुआ और कितना-कितना धन खर्च हुआ और कितना-कितना धन अवशेष रहा तथा कितना-कितना मेटीरियल किस-

किस कार्य हेतु लिया गया और उसमें कितना-कितना मेटीरियल खर्च हुआ और कितना-कितना अवशेष रहा? क्या माननीय मंत्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री नारायन दत्त–

अस्थाई खण्ड नं0 1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के कार्य क्षेत्र में वर्ष 1983-84 में विभिन्न स्तरों में जिला योजना के अन्तर्गत 35 मार्ग एवं 2 लघु सेतु कुल लागत 137.30 लाख रु0 तथा राज्य योजना में एक मार्ग 15.40 लाख रु0 लागत का स्वीकृत हुआ। इन कार्यों के लिये वर्ष 83-84 में 33.25 लाख रु0 का एक मुस्त अनुदान मिला जिसमें जिला योजना में 33.26 लाख रु0 व्यय किया गया। राज्य योजना के अन्तर्गत व्यय शून्य रहा।

निम्नलिखित कार्य किये गये :–

1 किमी0 मिट्टी

2 किमी0 खड़न्जा

20 किमी0 मध्य सतह एकत्रीकरण

1 किमी0 मध्य सतह कुटाई

24.2 किमी0 ऊपरी सतह एकत्रीकरण।

2.00 किमी0 ऊपरी सतह कुटाई

2.2 किमी0 ग्रिट

29.7 किमी0 मेक्सफाल्ट एकत्रीकरण प्रथम सतह लेपन हेतु तथा

16.7 किमी0 मेक्सफाल्ट एकत्रीकरण द्वितीय सतह लेपन हेतु।

1-4-84 को सामग्रियों के अवशेष का विवरण निम्नवत् है :–

19 किमी0 ईंट की गिट्टी

22.2 किमी0 पत्थर की गिट्टी प्रथम सतह लेपन हेतु 2.2 किमी0 ग्रिट एवं 29.7 किमी0 मेक्सफाल्ट द्वितीय सतह लेपन हेतु 16.7 किमी0 मेक्सफाल्ट।

प्रदेश में चलचित्र निगम के चल रहे छवि ग्रह व उनसे लाभ

92–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चलचित्र निगम के कितने छविगृह प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश को कितना धन लाभ के रूप में मिल चुका है? क्या छवि गृहों को कांट्रैक्ट पर देने की बात चल रही है और कई छविगृह किराए पर दे दिए गए हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम के प्रदेश में 38 छविगृह चल रहे हैं। इन छविगृहों से प्रदेश को लाभ के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। जी नहीं। दो छविगृह पट्टे पर दिये गए हैं।

हानि को कम करने के लिए पट्टे पर दिए गए हैं।

राजकीय निर्माण निगम में नियमित तदर्थ तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी

93–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने कर्मचारी दैनिक भत्ता पर कार्यरत हैं, उनको कितने दिन हो गये? कार्य करते हुए क्या उन्हें 240 दिन में स्थायी हो जाना चाहिए?

श्री नारायन दत्त–

नियमित, तदर्थ तथा प्रतिनियुक्ति पर कुल 1006 कर्मचारी कार्यरत हैं परन्तु दैनिक भत्ते पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। जी नहीं।

94–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

95–श्री रणजीत–

[दि0 16-7-85 को अता0 प्र0 सं0 77 द्वारा उत्तरित]

सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) में गोदाम का निर्माण

96–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल तिलहर, जिला शाहजहांपुर में आवश्यकतानुसार दो चीनी गोदाम होते हुए भी लगभग 20 लाख रुपए की कीमत से एक तीसरा गोदाम बनवाया गया? क्या यह सही है कि मिल की वित्तीय स्थिति पहले से ही दयनीय है और वह गन्ना किसानों का पूरा पैसा भुगतान नहीं कर पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई कदम उठाया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) के लिये चीनी के भण्डारण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तीसरे गोदाम का निर्माण कार्य रु0 16 लाख की अनुमानित लागत से किया जा रहा है।

मिल द्वारा 1983-84 तक का गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। केवल पेराई सत्र 1984-85 का रु0 35 लाख भुगतान के लिये शेष है, जिसका भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा।

इस मामले में सार्वजनिक धन का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ।

सहकारी चीनी मिल तिलहर, शाहजहांपुर में कर्मचारियों की ग्रेड सहित ज्येष्ठता सूची

97–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के कर्मचारियों की कोई ग्रेडेशन लिस्ट कर्मचारियों को अपनी आपत्ति प्रकट करने हेतु प्रदर्शित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

सहकारी चीनी मिल तिलहर में माह अप्रैल, 1985 में नियमित कर्मचारियों की ग्रेड सहित ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है जिस पर आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं।

98–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[दिनांक 23-7-85 को ता0 प्र0 सं0 13 द्वारा उत्तरित]

जनपद मुरादाबाद की गजरौला ग्राम सभा को टाउन एरिया बनाए जाने पर विचार

99–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मुरादाबाद के जिलाधिकारी की संस्तुति पर विचार करते हुए जनपद की गजरौला ग्राम सभा को टाउन एरिया बनाए जाने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायगा?

श्री नारायन दत्त–

जी हां। सम्बन्धित अधिकारियों की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

100–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[6ठवें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तराखण्ड में खनिज उद्योग तथा अन्य वृहत कारखाने लगने से पूर्व कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के सम्बन्ध में बनाये गये स्थायी विधान

101–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का दि0 1-4-85 का पत्र मिला, जिसमें उत्तराखण्ड (आठ पर्वतीय जनपदों) में किसानों की कृषि योग्य भूमि की अत्यन्त कमी को ध्यान में रखते हुए वहां खनिज उद्योग, अन्य वृहत कारखाने लगाने से पूर्व भूमि अधिग्रहीत करते समय यह स्थायी विधान बना देने का निवेदन किया गया है कि संबंधित भूमि से हटाए जाने वाले कृषकों का कम से कम 25 प्रतिशत अंश उनकी भूमि में लगने वाले उद्योग में पूंजी निवेश माना जाय? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

जी हां । खनिज उद्योग/अन्य वृहत कारखाने लगाने के लिये यथावश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। औद्योगिक संस्थानों में बहुधा छोटी इकाइयां स्थापित होती है जिसमें अंश पूंजी निवेश का प्रश्न नहीं उठता है। सार्वजनिक उद्योग, जिनके लिए भूमि अर्जित की जाती है भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पूंजी निवेश कर स्थापित की जाती है। उनमें भू-स्वामियों को शेयर दिया जाना सम्भव नहीं है। शेयर जारी करने में किसी प्रकार के आरक्षण का कोई भी प्राविधान नहीं है। ये शेयर्स भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधिक प्रणाली के अनुसार दिये जाते हैं। बड़ी कम्पनियों की पूंजी अधिक होती है और यदि इन कम्पनियों में भू-स्वामी को 25 प्रतिशत शेयर देने का विधान बनता है तो हो सकता है कि उसका मूल्य भू-स्वामी देने में सक्षम न हो। साथ ही साथ प्रायः कम्पनियां दो-तीन वर्ष तक शुद्ध लाभ अर्जित होने की स्थिति में नहीं होती है अतः भू-स्वामियों को शीघ्र भूमि पर मूल्य न मिलने पर कठिनाई हो सकती है। इन तमाम कठिनाइयों को देखते हुए प्रश्नगत प्राविधान उपयोगी एवं व्यवसायिक नहीं है।

अखिल भारतीय सिविल ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन तथा प्रतियोगी टीम का चयन

102–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज ड्रामा प्रतियोगिता इस वर्ष मई, 85 में अगरतला त्रिपुरा में आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो प्रतियोगी टीम के चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ? क्या यह सही है कि उक्त टीम के चुनाव संयोजक स्वयं एक प्रतियोगी थे तथा प्रतियोगियों का चयन नियुक्त जजों से न कराकर बाहरी व्यक्तियों से कराया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है एवं शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां । प्रतियोगी टीम का चयन शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया था । उक्त टीम के चुनाव संयोजक स्वयं भी एक प्रतियोगी अवश्य थे परन्तु उन्हें इस क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान था तथा वह सरकार के उप सचिव स्तर के अधिकारी थे जिनसे किसी पक्षपात पूर्ण रवैये की किंचित संभावना नहीं थी । प्रतियोगियों का चयन शासन द्वारा नियुक्त निर्णायकों के निर्णय के आलोक में ही किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र में विदेशी जासूसी के भंडाफोड़ के सिलसिले में छानबीन

103–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र में विदेशी जासूसी का भंडाफोड़ होने के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उच्च अधिकारियों के सिलसिले में छानबीन सम्बन्धी कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डा0 भीमराव अम्बेदकर के जन्म दिन पर राजकीय अवकाश घोषित किये जाने पर विचार

104–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 भीमराव अम्बेदकर के जन्म दिन (14 अप्रैल) पर निर्बन्धित अवकाश को राजकीय अवकाश (गजटेड हालीडे) घोषित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

जी नहीं ।

अपितु वर्ष 1984 से डा0 भीमराव अम्बेदकर के जन्मदिन (14 अप्रैल) को निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर शासन के कार्यकारी आदेश के अंतर्गत पूर्ण अवकाश दिया जा रहा है । कार्यकारी आदेश के अंतर्गत घोषित अवकाश ट्रेजरी/सब ट्रेजरी में लागू नहीं होता । प्रदेश सरकार के शेष सभी कार्यालय बन्द रहते हैं ।

भारत सरकार की यह नीति है कि महात्मागांधी के जन्म दिवस के अलावा किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के जन्म दिवस पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सरकारी छुट्टी घोषित न की जाए । अतः भारत सरकार की नीति का अनुसरण करते हुये राज्य सरकार द्वारा भी डा0 अम्बेदकर के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश (गजटेड हाली डे) घोषित करना उपयुक्त नहीं पाया गया ।

श्री सतीश चन्द्र पचौरी, उप निरीक्षक, पुलिस के विरुद्ध जांच तथा उनका निलम्बन

105–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री सतीश चन्द्र पचौरी, उप निरीक्षक, पुलिस उत्तर प्रदेश तत्कालीन थानाध्यक्ष बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर को बिना कारण बताए बिना किसी जांच कराए गत 14 माह से अधिक समय (दिनांक 20-3-84) से निलम्बित रखा गया है जबकि जनपद के अधिकारियों ने थानाध्यक्ष को जिस काण्ड में निलम्बित किया था उसमें निर्दोष पाया है परन्तु अब तक थानाध्यक्ष को न तो आरोप-पत्र दिया है और न अब तक बहाल किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

जी नहीं। इस मामले में सदन में दिनांक 20-3-84 को जब चर्चा हुई थी उस समय पक्ष एवं विपक्ष द्वारा कही गयी बातों को देखते हुए तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को सूचित किया था कि जनपद मुजफ्फरनगर में एक हरिजन युवक को जिन्दा जला दिये जाने सम्बन्धी गम्भीर घटना से श्री पचौरी को अलग नहीं किया जा सकता और सदन को आश्वासन दिया था कि श्री पचौरी को तत्काल निलंबित किया जाता है।

यह सही है कि जनपद के अधिकारियों ने श्री पचौरी को, जांचोपरान्त, निर्दोष पाया परन्तु दिनांक 20-3-84 को ही सदन में तत्कालीन राज्य मंत्री गृह द्वारा

दिये गये आश्वासन के अनुरूप मामले को एक अधिसूचना के अधीन गठित एक न्यायिक जांच आयोग को सौंपा जा चुका है। जब तक आयोग द्वारा जांच पूरी नहीं कर ली जाती तब तक श्री पचौरी को आरोप पत्र देने अथवा बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी चीनी मिल तिलहर शाहजहांपुर में कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन

106–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अप्रैल, 1985 में नियुक्त पत्रों की जांच के लिए चीनी मिल फेडरेशन द्वारा कोई समिति गठित की गयी है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी सदस्य हैं और नियुक्ति पत्रों की गड़बड़ियों की जांच कब तक पूरी करा दी जायगी? क्या सरकार गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को भी दंडित करेगी, यदि हां, तो कब तक?

श्री नारायन दत्त–

सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) में अप्रैल, 1985 में हुई कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के परीक्षण के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सहकारी चीनी मिल संघ, उ0 प्र0 द्वारा किया गया है।

इस समिति में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ, अतिरिक्त जिलाधिकारी, शाहजहांपुर, प्रधान प्रबन्धक (क्रय), सहकारी चीनी मिल संघ तथा प्रधान प्रबन्धक दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर को सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यथाशीघ्र मामले का परीक्षण किया जायेगा और जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

थाना तम्बौर, जिला सीतापुर का आकस्मिक निरीक्षण

107–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-5-85 को अथवा उसके आस-पास जब उपे पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने रात्रि में थाना तम्बौर जि0 सीतापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया, उस समय थाने में कौन-कौन सब इंस्पेक्टर तथा थानाध्यक्ष थाने में अनुपस्थित पाए गये? क्या उनकी रवानगी कहीं के लिए लिखी थी ? यदि नहीं, तो बिना कारण अनुपस्थित रहने के दोष में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायन दत्त–

निरीक्षण के समय पाया गया कि केवल एक उपनिरीक्षक श्री भगवती प्रसाद तिवारी सरकारी कार्य से बाहर गये थे। अन्य कोई भी सब-इन्सपेक्टर अथवा थानाध्यक्ष अनुपस्थित नहीं पाया गया। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर में चुंगी/पथकर समाप्त होने से बेकार कर्मचारियों का अन्यत्र समायोजन

108–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया सिसवां बाजार जनपद गोरखपुर में कितने चुंगी कर्मचारी बेकार पड़े हैं उन पर सरकार का कितना धन खर्च हो रहा है? क्या सरकार उन कर्मचारियों को अन्य टाउन एरिया में नियुक्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

टाउन एरिया सिसवां बाजार, जनपद गोरखपुर में चुंगी/पथकर समाप्त होने के पलस्वरूप वर्तमान समय में कुल 24 कर्मचारी बेकार पड़े हैं और उन पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रुपये 4,906 व्यय किया जाता है।

जिलाधिकारी, गोरखपुर को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वे ऐसे कर्मचारियों को जनपद की अन्य टाउन एरियाओं में समायोजित करें।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान थानाध्यक्ष घुघली, गोरखपुर के विरुद्ध कथित आरोप

109–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान थानाध्यक्ष, घुघली (गोरखपुर) (एस0 एन0 सिंह) को गम्भीर आरोपों के आधार पर पदावनति कर उन्हें हटा दिया था और उनके स्थान पर श्री राय ने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया था? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उनकी पदावनति और स्थानान्तरण रोककर पुनः उन्हें घुघली में ही रहने दिया गया और कार्यभार ग्रहण करने वाले श्री राय को वापस भेज दिया गया?

श्री नारायन दत्त–

जी नहीं

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास समिति, घुघली में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती पत्र

110–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामाश्रय जायसवाल युवा जनता, घुघली, गोरखपुर ने कोई शिकायतीपत्र अक्टूबर, 84 में गन्ना विकास समिति घुघली के व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में लिखा था? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं? उसकी जांच कब और किस अधिकारी द्वारा कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री नारायन दत्त–

प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसमें गन्ना विकास परिषद् घुघली द्वारा कराये गये कच्चे पक्के कार्यों में भ्रष्टाचार एवं डी0 आर0 डी0 ए0 के धन का दुरुपयोग तथा गलत पड़ताल कराकर फर्जी नाम से उर्वरक लेकर काले बाजार में बेचने आदि की शिकायतें हैं। इसकी जांच मुख्य जांच दल अधिकारी द्वारा की जा रही है।

सरकार बनाम पी0 सी0 बब्बर आदि तथा सरकार बनाम सुभाष बबर के पंजीकृत अभियोग की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच तथा जांच अधिकारी श्री चूड़ा सिंह के विरुद्ध दिया गया ज्ञापन

111–श्री कल्याण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अपराध संख्या 26 सन् 1980 सरकार बनाम पी0 सी0 बब्बर आदि तथा अपराध संख्या 85 सन् 80 सरकार बनाम सुभाष बब्बर आदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 3/420, थाना नबाबाद के अन्तर्गत तथा थाना प्रेमनगर, जिला झांसी में कायम किए गये मामले लखनऊ गुप्तचर शाखा महानगर में विचाराधीन हैं? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है तथा आरोपी व अभियुक्तों के नाम व पते क्या हैं तथा प्रथम जांच अधिकारी कौन था?

श्री नारायन दत्त–

दिनांक 10-2-80 को श्री लखपत राम शर्मा, भूतपूर्व विधायक, झांसी के लिखित प्रार्थना-पत्र पर अपराध संख्या 27/80 (अपराध संख्या: 26 नहीं)

धारा 420/120 बी0/511 भारतीय दण्ड विधान व 3/7 ई0 सी0 एक्ट का अभियोग थाना प्रेम नगर, झांसी में प्रतिवादी (1) सूरज प्रकाश, निवासी उरई, जालौन, (2) कान्ति प्रकाश, निवासी उरई, जालौन, (3) प्रेम चन्द्र बब्बर, 62/1, सिविल लाइन, झांसी (4) पी0 एन0 उपाध्याय, मैनेजर, पेट्रोल पम्प प्रकाश मोटर्स, राजगढ़ बिजौली, थाना प्रेमनगर, झांसी तथा (5) रघुबर दयाल, कर्मचारी, पेट्रोल पम्प प्रकाश मोटर्स राजगढ़ बिजौली थाना प्रेमनगर, झांसी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

दिनांक 10-2-80 को ही अपराध संख्या: 85/80 धारा 420/120 बी0 भा0 दण्ड विधान व 3/7 ई0 सी0 एक्ट का अभियोग श्री लखपत राम शर्मा, भूतपूर्व विधायक की ओर से थाना नबाबाद झांसी में प्रतिवादी (1) बी0 पी0 दीक्षित झोंकनबाग, मालिक विष्णु आटोमोबाइल्स, झांसी तथा (2) सुभाष बब्बर, निवासी सदर बाजार, झांसी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप था कि अभियुक्तगण ने अभिलेखों में धोखाधड़ी करके जाली अभिलेख तैयार करके षड़यंत्रपूर्ण ढंग से पेट्रोल पम्प पर अवैध कब्जा कर लिया और डीजल की सप्लाई में गोलमाल व ब्लैक किया तथा लाखों की सम्पत्ति के मालिक बन गये।

इन मामलों की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही है।

उक्त दोनों मामलों के प्रथम जांच अधिकारी श्री चूड़ा सिंह निरीक्षक थे।

112–श्री कल्याण सिंह–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उपर्युक्त दोनों अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को दिनांक 10-12-84 को आरोप-पत्र भू0 पू0 विधायक लखपत राम शर्मा, झांसी द्वारा जांच अधिकारी श्री चूड़ा सिंह निरीक्षक, सी0 ओ0 सी0 आई0 डी0 लखनऊ के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो उपरोक्त ज्ञापन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

जी हां। उक्त पत्र में श्री चूड़ा सिंह, निरीक्षक पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रतिवादीगण से मिलकर उनसे रिश्वत लेकर, पक्षपातपुर्ण ढंग से विवेचना करके उक्त दोनों अभियोगों में फाइनल रिपोर्ट लगाकर विवेचना समाप्त कर दी।

उल्लेखनिय है कि उक्त मामलों की विवेचना श्री चूड़ा सिंह द्वारा समाप्त नहीं की गई थी। उन्होंने इन मामलों की विवेचना केवल एक माह की थी, तदोपरान्त मामलों की विवेचना श्री एस0 एन0 चौधरी, निरीक्षक को सौंप दी गई थी जिन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रेषित की थी।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा की जा रही है।

श्री भुदेव सिंह, लिपिक गन्ना विकास परिषद् इकबालपुर (रुड़की) के विरुद्ध शिकायती पत्र

113–श्री राम सरन, श्री त्रिलोक चन्द्र तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भूदेव सिंह लिपिक जो रुड़की में

पिछले 16 वर्षों से गन्ना विकास परिषद् में कार्यरत हैं, के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम प्रधानों ब्लाक व महामंत्री किसान कांग्रेस (आई0) ब्लाक नारसन अध्यक्ष कांग्रेस (इ) ब्लाक नारसन एवं भू0 पू0 अध्यक्ष, जिला परिषद् सहारनपुर तथा सर्वश्री कुंवर नरेन्द्र सिंह विधायक, सुरेन्द्र कपिल, काजी मोहीउद्दीन, श्रीमती विमला राकेश, विधायकों तथा श्रम मंत्री श्री सईदुल हसन से शिकायती-पत्र माह जनवरी, 85 से मई, 1985 तक प्राप्त हुए थे, जिनमें उक्त लिपिक का वहां से स्थानान्तरण के बाद विजिलेन्स से जांच की अपेक्षा की गयी थी? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी और जांच की प्रक्रिया क्या निश्चित हुई?

श्री नारायन दत्त–

श्री भूदेव सिंह परिषद् भोगी लिपिक, गन्ना विकास परिषद् इकबालपुर (रुड़की) के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित सदस्यों के शिकायती पत्र उक्त समय में प्राप्त हुये थे। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में रुड़की से सहारनपुर कर दिया गया। प्राप्त शिकायती पत्रों की जांच जिला गन्ना अधिकारी, सहारनपुर एवं मुख्यालय स्तर से मुख्य जांच अधिकारी द्वारा करायी गयी। जांच कराने पर शिकायतें निराधार पायी गयीं। अतः किसी अन्य प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ में घटित अपहरण, हत्या, डकैती का विवरण तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही

114–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ में वर्तमान पुलिस इन्सपेक्टर ने जिस तिथि से कार्य-भार संभाला है, तब से दिनांक 31-5-85 तक उक्त थाने के क्षेत्र में कहां-कहां, कब-कब अपहरणों, हत्याओं, डकैतियों और चोरियों की वारदातें हुई हैं ? उनमें से किस-किस मामले में चालान किए गए हैं ? शेष मामलों में कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 29-5-84 से थाना अतरौली का चार्ज लेने के उपरान्त दिनांक 31-5-85 तक की अवधि में अपहरणों, हत्याओं, डकैतियों और चोरियों की घटनाओं तथा पुलिस द्वारा इनमें की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 169 पर)

115–श्री कल्यान सिंह–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अपहरण के एक भी मामले का पता लगाने तथा बदमाशों के चंगुल से बिना फिरौती (रेन्सम) के एक भी अपहृत व्यक्ति को छुड़ाने में स्थानीय पुलिस विफल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

116–श्री कल्यान सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फैजाबाद की टांडा तहसील में थिरुआ नाले पर पुल बनाने पर विचार

117–श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की टांडा तहसील में निर्माणाधीन भारी डीहा सम्पर्क मार्ग पर अभी तक केवल ग्राम जगन्नाथपुर के पास तक ही मिट्टी का कार्य हुआ है

और जब तक इस सड़क को ग्राम भारीडीहा तक बढ़ाया नहीं जायेगा और उस पर पड़ने वाले थिरुआ नाले पर पक्का पुल नहीं बनाया जायेगा तब तक उक्त सड़क की ग्राम भारीडीहा के निवासियों के लिए कोई उपयोगिता नहीं होगी ? यदि हां, तो उक्त दोनों कार्य कब तक सम्पन्न करा दिए जायेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

जी हां ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति के सदस्यों का कोटा पूरा करने हेतु रोस्टर का कथित शासनादेश तथा प्रोन्नति का नियम

118—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 100 एस0सी0(2) बी—316—1984, दिनांक 15 मार्च, 1985 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति के सदस्यों का कोटा पूरा करने के लिए **रोस्टर की व्यवस्था की गयी है? यदि हां**, तो सचिवालय संवर्ग के संयुक्त सचिव तथा उप सचिव के पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर प्रोन्नति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त—

संख्या—100—एस0सी0 (2) बी—316—1984 दिनांक 15 मार्च, 1985 का ऐसा कोई शासनादेश नहीं है जिसके द्वारा राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति के सदस्यों का कोटा पूरा करने के लिए रोस्टर की व्यवस्था की गयी हो । प्रश्न नहीं उठता ।

119—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का कोटा पूरा करने के लिए शासनादेश संख्या 15/25/73 रा0 एको0, दिनांक 10 मई, 1976 द्वारा पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुसचिव के पद पर उक्त वर्ग के सदस्यों का कोटा पूरा करने के लिए पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर प्रोन्नति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । कार्यवाही की जा रही है ।

कुछ वस्तुओं में बिक्री कर की दरों में संशोधन

120—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जून, 85 से बिक्रीकर की दरों में कुछ वस्तुओं में संशोधन कर दिया गया है ? यदि हां, तो 1 जून से पहले व 1 जून के बाद की दरें क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

(क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 171 पर)

सीतापुर नगरपालिका में पुनरीक्षित पेयजल योजना क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने हेतु मांग पत्र

121—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें सीतापुर नगरपालिका में पुनरीक्षित पेयजल योजना क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई मांग पत्र 22-5-85

को या उसके आस पास मिला ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त –

जी हां, योजना बन गयी है किन्तु इस वर्ष बजट में नागरीय क्षेत्रों के लिए कम धन आवंटित होने के कारण कोई भी नये कार्य लिया जाना संभव नहीं है।

सीतापुर नगरपालिका में सीवर लाइन बिछाने की व्यवस्था के संबंध में पत्र

122–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगरपालिका में सीवर लाइन बिछाने की व्यवस्था के संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा कोई मांग पत्र दिनांक 22-5-85 या उसके आस पास मिला ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या नगरपालिका ने भी कोई योजना शासन को दी है तथा योजना का सर्वे कराया है ? कार्य प्रारम्भ होने में क्या विलम्ब है ?

श्री नारायन दत्त –

जी हां ।

प्रशासक, नगर पालिका सीतापुर के अनुरोध पर उ0 प्र0 जल निगम द्वारा वर्ष 1978-79 में सर्वे कराया गया । धनाभाव के कारण उक्त योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

उत्तर प्रदेश के जिलों में ट्रांजिस्टर बमों का विस्फोट तथा क्षति

123–श्री शतरुद्र प्रकाश–
श्री राम सरन–श्री त्रिलोक चन्द्र तथा
श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 10 मई, 85 से 15 मई, 85 के बीच उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने ट्रांजिस्टर बमों का विस्फोट किया गया और इससे कुल कितने व्यक्ति घायल हुए और कितनों की जान गयी तथा इससे कुल कितनी धनराशि की सम्पति का नुकसान हुआ ? क्या सरकार इस बात की जांच कर रही है कि उक्त विस्फोटक हथियार विदेश निर्मित थे ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री नारायन दत्त –

उत्तर प्रदेश में दिनांक 10 मई, 85 से 15 मई, 85 के बीच गाजियाबाद, मेरठ, फैजाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, अलीगढ़ तथा रामपुर जिलों में ट्रांजिस्टर बम विस्फोट के 9 मामले प्रकाश में आये जिसके परिणामस्वरूप 31 व्यक्ति घायल हुए एवं 22 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इन विस्फोटों में कुल लगभग 8200/- रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई । इसके अतिरिक्त मेरठ में रेलवे का एक कम्पार्टमेन्ट भी क्षतिग्रस्त हुआ । इन विस्फोटों में प्रयोग में लाये गये ट्रांजिस्टर बमों का विदेशों में निर्मित होने की बात प्रकाश में नहीं आयी ।

जनपद गोरखपुर से झगहा पुलिस स्टेशन तक जाने वाले मार्ग पर अवैध वाहनों का संचालन तथा पुलिस द्वारा संरक्षण देकर चलवाने की जांच

124–श्री रमेश चन्द्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर से झगहा पुलिस स्टेशन तक जाने वाले मार्ग पर जिस पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसें चलती हैं, पर अवैध वाहनों के संचालन व पुलिस द्वारा संरक्षण देकर चलवाने, रुपये वसूलने, यात्रियों से निर्धारित किराये से अधिक रुपये

वसूलने व पुलिस की व्यक्तिगत गाड़ियों को चलवाने संबंधी परिवहन विभाग के कर्मचारियों जैसे श्री श्याम नारायन वर्मा एवं अन्य दस कर्मचारियों ने थाना झंगहा गोरखपुर को दिनांक 1-2-85 में कोई रजिस्ट्री पत्र द्वारा कुछ अवैध वाहनों का नम्बर देते हुए कार्यवाही करने की मांग की है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कौन-कौन अवैध वाहन नियमित रूत से इस मार्ग पर चल रहे हैं तथा किन-किन थाना क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां ।

मामले की जांच उप निरीक्षक, थाना झंगहा द्वारा की गयी थी । इस मार्ग पर कोई अवैध वाहन नहीं चलता है। पुलिस द्वारा अवैध वाहनों का संरक्षण देकर चलवाने, रुपये वसूलने तथा पुलिस की व्यक्तिगत गाड़ियों को चलवाने संबंधी आरोप निराधार पाये गये।

125–श्री रमेश चन्द्र–

क्या यह सही है कि इन अवैध वाहनों में विशेष रूप से अवैध वाहन नं0 यू0 टी0 ओ0 4238 रहा है और जिससे यदा कदा कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आकर झंगहा में रुकते हैं और रात में छुट-पुट घटना आसपास जैसे अमहिया, राजी जगदीशपुर लक्ष्मीपुर झंगहा राजधानी गौरी जंगल नं0 1 आदि में करके चले जाते हैं ? इस संदर्भ में माह मई 4 से 22 मई, 1985 तक कितनी सूचनाएं थानाध्यक्ष झंगहा, डी0 आई0 जी0 गोरखपुर रेंज गोरखपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर आदि को किन-किन व्यक्तियों के नाम से प्राप्त हो चुकी हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

जी नहीं ।

इस संदर्भ में केवल श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का शिकायती पत्र डी0 आई0 जी0 गोरखपुर परिक्षेत्र तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी पिपराइच द्वारा की गई है । जांच से उक्त आरोप निराधार पाये गये ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल शेखूपुर में घाटे के कारणों की जांच

126–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल शेखूपुर वर्ष 19-8-85 तक कितने घाटे में चल रहा है एवं इसका क्या कारण है ? क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करायेगी कि जिससे इस गन्ना मिल में शीघ्र से शीघ्र सुधार लाया जा सके एवं नुकसान में चलने के कारणों की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

चीनी मिल को वर्ष 1984-85 तक लगभग रुपया 1329.79 लाख का घाटा अनुमानित है । चीनी मिल की पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ना आपूर्ति न हो पाना तथा लेवी एवं खुली चीनी का लाभकारी मूल्य न मिल पाना मिल में घाटा के मुख्य कारण हैं ।

चीनी मिल की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये गन्ना विकास की

एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी है । इनके कार्यान्वित होने पर मिल को आवश्यकता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध होने की सम्भावना है । चूंकि मिल को हुई हानि के कारण स्पष्ट है । अतः जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्यालदे में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

127–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के वि0 खं0 स्यालदे में प्रा0 स्वा0 केन्द्र (पी0एच0 सी0) स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसके भवन निर्माण हेतु वर्तमान राजकीय चिकित्सालय की सीमा के अन्दर ही पर्याप्त भूमि में बहुमंजिले भवन बनाकर इसकी स्थापना करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्यालदे में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है न कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित सभी आवासीय तथा अनावासीय भवन केन्द्र परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण नहीं बन सकते हैं तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की राय के अनुसार पूर्व निर्मित भवनों पर बहुमंजिले भवन बनाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि भवनों की नींव बहुमंजिले भवनों के निर्माण के लिये उपयुक्त नहीं है ।

संयोजक, लोहिया विचार मंच, अल्मोड़ा द्वारा पारित प्रस्ताव के संबंध में विचार

128–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको संयोजक, लोहिया विचार मंच, अल्मोड़ा का दिनांक 12-10-84 को पारित एक प्रस्ताव मिला था जिसमें अल्मोड़ा, निर्माणाधीन 200 शैय्या के अस्पताल का नाम डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय रखने की मांग की गयी है ? इस संबंध में तत्कालीन विधायक श्री जसवन्त सिंह विष्ट दिनांक 16-10-84 के पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां ।

इस संबंध में एक अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था । शासन द्वारा निर्धारित सामान्य नीति के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

नागरिक चिकित्सालय रानीखेत के नव निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उसका उपयोग

129–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि रानीखेत नागरिक चिकित्सालय का विस्तार एवं विकास गत कई वर्षों से लम्बित चला आ रहा है ? यदि हां, तो जो धनराशियां चिकित्सालय के नव निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी थी, उनका उपयोग न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां ।

नागरिक चिकित्सालय रानीखेत के नव निर्माण के लिये जो धनराशियां स्वीकृत की गई हैं उनका उपयोग किया जा रहा है ।

जनपद अल्मोड़ा में ह्वाराहाट नामक स्थान पर अस्पताल खोलने की कथित घोषणा

130–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में ह्वाराहाट नामक ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थान में 34 बिस्तर के अस्पताल खोलने की घोषणा 1974 में लिखित रूप में सरकार ने की थी ? यदि हां, तो अब तक इसका निर्माण न हो पाने के क्या कारण हैं ? कब तक इसका निर्माण हो जायेगा ?

श्री नारायन दत्त–

ऐसी लिखित घोषणा की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

131–श्री काशी सिंह ऐरी–

[5वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 41 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान में प्रोजेक्ट आफिसरों के पद पर हुई नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन

132–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा 1983 में गठित वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान में प्रोजेक्ट आफिसरों के पद पर हुई अब तक की नियुक्तियों में शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां ।

4 पदों के विपरीत 3 पदों पर पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा चुका है । उपयुक्त अभ्यर्थी के अभाव में एक पद रिक्त रह गया है ।

ग्राम अमुआही, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में फर्जी बैनामा किये जाने के संबंध में पत्र

133–श्री इकबाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमुआही, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ का फर्जी बैनामा किये जाने के संबंध में श्री ऊदल भू0 पू0 सभापति लोक लेखा समिति का पत्र उन्हें दिनांक 29-11-1984 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त–

जी हां ।

मामला स्व0 श्री राम सुमेर निवासी ग्राम अमुआही थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ का फर्जी बैनामा श्री राम सजीवन आदि द्वारा कराये जाने के संबंध में है । प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों पक्षों के व्यक्तियों द्वारा इस समय दीवानी अदालत में उभय पक्ष के हक में किये गये बैनामों के निरस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है और बैनामों की सत्यता का प्रश्न दीवानी अदालत के समक्ष विचाराधीन है ।

134–श्री राम गोविन्द चौधरी–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

परिवहन मंत्री द्वारा प्रदेश के अन्दर की गयी हवाई यात्राओं का विवरण तथा उन पर हुआ व्यय

135–श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अप्रैल, 85 एवं माह मई, 85 में परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के अन्दर कुल कितनी हवाई यात्राएं किन स्थानों से किन स्थान तक कीं और उनकी यात्राओं का प्रयोजन क्या था तथा उन सभी यात्राओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्री नारायन दत्त–

माह अप्रैल, 1985 एवं माह मई, 1985 में परिवहन मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्दर की गई हवाई यात्राओं का विवरण संलग्न है । ये सभी यात्राएं जनहित में की गई । इन सभी यात्राओं पर कुल 28, 930·25 रुपये की धनराशि व्यय हुई ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 172 पर)

सीमान्त जनपदों में बनी मोटर मार्गों में कंकरीट व कोलतार करने के लिए मार्ग चयन के मानक

136–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपदों में बनी मोटर मार्गों में कंकरीट कोलतार करने के लिये मार्ग चयन करने में क्या-क्या मान्क है? इन महत्वपूर्ण जनपदों में इस कार्य हेतु सरकार क्या मानकों में छूट देकर इन कार्यों को द्रुत गति से करने की राजाज्ञा देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

सीमान्त जनपदों में बनी मोटर मार्गों में कंकरीट व कोलतार करने के लिए मार्ग चयन, उस मार्ग पर चलने वाला यातायात, मार्ग के महत्व एवं उपलब्ध संसाधन पर निर्भर रहता है। इनमें छूट देने का प्रश्न नहीं उठता।

137–श्री राम गोविन्द चौधरी–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

138–श्री राम गोविन्द चौधरी–

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

पर्वतीय क्षेत्र में गांव से मुख्य मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु रज्जु मार्ग के निर्माण की कथित योजना

139–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय पर्यावरण को स्थायी रूप से बनाये रखते हुए यातायात के लिये गांव से गांव व गांव से मुख्य मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु मात्र विकल्प 'रोप वे' रज्जु मार्ग है ? यदि हां, तो रज्जु मार्ग की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसके भार, यांत्रिक खर्च, आर्थिक खर्च कम करते हुए अधिक भार वाहक बनाने के लिए शीघ्र विशेष रज्जु मार्ग अनुसंधान संस्थान खोलने के आदेश देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त–

सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र में यातायात के लिए गांव से गांव व गांव से मुख्य मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु रज्जु मार्ग के निर्माण की कोई योजना सम्मिलित नहीं है। अतः रज्जु मार्ग अनुसंधान संस्थान खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल क्षेत्र में पहाड़ी व सीमान्त जनपदों में मोटर मार्ग बनाने, कंकरीट, कोलतार करने में औसतन व्यय

140–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई, तराई से लगे पहाड़ी व सीमान्त जनपदों में मोटर मार्ग बनाने उसमें कंकरीट, कोलतार करने का औसत खर्चा क्रमशः कितना रुपया प्रति कि0 मी0 आता है? इन्हीं मार्गों पर रज्जु मार्ग (रोप वे) लगाने का प्रति कि0 मी0 औसत खर्चा कितना अनुमानित है?

श्री नारायन दत्त –

गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत तराई, तराई से लगे पहाड़ी व सीमान्त जनपदों में मोटर मार्ग बनाने उसमें कंकरीट, कोलतार करने में औसतन व्यय प्रति कि0मी0 निम्न प्रकार से आता है:–

औसत लागत प्रति कि0 मी0	तराई क्षेत्र में	तराई से लगे पहाड़ी क्षेत्र में	सीमान्त जनपद क्षेत्र में
1–5.95 मी0 चौड़ाई के कच्चे मोटर मार्ग पर–	रु0 3.05 लाख	रु0 4.60 लाख	रु0 5.00 लाख
2–मार्ग का सुधार कंकरीट बिछाना (रोड़ी की कुटाई) तथा उसे कोलतार करना)	रु0 3.35 लाख	रु0 3.60 लाख	रु0 4.00 लाख

पर्वतीय विकास विभाग में सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पर्वतीय क्षेत्र में मार्गों के स्थान पर रोप वे लगाने की कोई योजना नहीं है। अतः तुलनात्मक व्यय की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

निबन्धन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में हरिजनों का सुरक्षित कोटा पूरा न करने की शिकायत

141–श्री राम सजीवन–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सनेही पुत्र जुड़ी राम हरिजन निवासी ग्राम पिपरहरी, तह0 नरैनी, जिला बांदा ने दि0 14-8-84 को जिला निबन्धक (रजिस्ट्रेशन) बांदा को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें निबन्धन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय हरिजनों का सुरक्षित कोटा पूरा न करने की शिकायत की गयी थी? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां।

शासन के नवीन आदेशों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित

नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिला चयन समिति द्वारा आरक्षित कोटे के पदों पर हरिजन अभ्यर्थियों को चयनित करके उपलब्ध कराये जाने पर उनकी नियुक्ति की जायेगी एवं सुरक्षित कोटा भरा जायेगा।

रजिस्टर्ड भूमि को सम्मिलित करते हुए पूर्ण हिस्से का बैनामा किये जाने का नियम

142–श्री बद्री प्रसाद–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 16 नवम्बर, 81 को क्रमांक 4285 पर सब रजिस्ट्रार गोण्डा के यहां रजिस्टर्ड भूमि को सम्मिलित करते हुए उन्हीं विक्रेताओं ने पुनः अपने पूर्व हिस्से का बैनामा जिसके शेष भाग में हरिजनों के वर्षों पूर्व मकान आदि बने हुए हैं, सवर्णों को दिनांक 27 जून, 84 को (बैनामा) किया है, नियमानुकूल नहीं है ? यदि हां, तो उक्त बैनामा को निरस्त करने तथा दोषी विक्रेताओं, क्रेताओं, अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा? क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित हरिजनों द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 84 का प्रार्थना-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

रजिस्टर्ड भूमि को सम्मिलित करते हुए उन्हीं विक्रेताओं द्वारा पुनः अपने पूर्ण हिस्से का बैनामा किया जाना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्राविधानों के विरुद्ध नहीं है। निबन्धन अधिकारी बैनामा की वैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते जो सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतएव यह स्थिति नियमानुकूल है। शेष प्रश्न ही नहीं उठते।

लखनऊ राजा बाजार की फर्म मो0 जमाल व मो0 हसन पर बकाया बिक्री कर की राशि

143–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ राजा बाजार की फर्म मो0 जमाल व मो0 हसन की बिक्रीकर बकाया 43,922 रु0 के लिये सम्पत्ति की नीलामी की तिथि 18-3-85 को लगी थी? यह बकाया किन-किन सालों की है और प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना बकाया है? प्रत्येक वर्ष में कितना अर्थ दण्ड लगाया गया? और नीलामी में कितना रुपया मिला?

श्री नारायन दत्त–

जी हां। व्यापारी पर बकाया बिक्रीकर की राशि रुपया 44,707-57 पैसा थी।

वर्षवार बकाया निम्न प्रकार है :–

वर्ष	धनराशि रुपया
1964-65	1,340-68
1967-68	5,589-92
1968-69	16,249-51
1969-70	21,527-76
कुल योग	44,707-87

कोई अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया। नीलामी से रुपया 785-69 पैसा प्राप्त हुआ।

विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना की सुल्तानी मउनाथ भंजन और खुरहट सरसेना सड़कों पर निर्माण कार्य

144–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 219 विधान सभा सुरक्षित मुहम्मदाबाद गोहना की सुल्तानी मउनाथ भंजन और खुरहट सरसेना सड़कें जो 1930 ई0 की बनी हुई हैं, आज तक मरम्मत क्यों नहीं हुई? सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जांच कराकर सरकार यह जानकारी हासिल करेगी कि उपरोक्त सड़कों का बजट किस उपयोग में लगाया गया?

श्री नारायन दत्त–

ये दोनों सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन 1978 में आयीं। इसके पहले ये जिला परिषद् के अधीन थीं। इनका अनुरक्षण सामान्य अनुरक्षण मद से बराबर किया जा रहा है।

सुलतरनीपुर – मउनाथ भंजन का जिसका सही नाम मउ-रानीपुर–सुल्तानीपुर मार्ग है, अनुरक्षण मद में पैच तथा नवीनीकरण का कार्य भी विभिन्न किलोमीटरों में कराया गया।

इसी प्रकार खुरहट सरसेना मार्ग पर 12·00 कि0मी0 में लेपन कार्य भी स्वीकृत किया गया जो 775 मीटर को छोड़कर, जहां भूमि उपलब्ध न थी, पूरा हो गया है।

अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इनकी मरम्मत न कराये जाने अथवा किसी प्रकार की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली भूमि के मुआवजे का मानक

145–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली उपयोगी व कृषि/बागवानी/उद्योग के रूप में पहले से लगातार उपयोग में लाई जा रही भूमि का मुआवजा दिये जाने वाले धन का मानक क्या है? इसे कितने समय में भुगतान किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में किन-किन मार्गों पर क्रमशः कितनी धनराशि देय है? इसका भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री नारायन दत्त–

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली भूमि के मुआवजे का मानक, अर्जित भूमि के आस पास की भूमि का गत 3 वर्षों के पंजीकृत विक्रय पत्र में दर्ज औसत मूल्य है। बागवानी की भूमि के मुआवजे का मानक उपरोक्त के अतिरिक्त अप्रैल, 82 से 30 प्रतिशत सोलेशियम, 12 प्रतिशत धारा 4(1) की विज्ञप्ति से हस्तान्तरण की तिथि या अन्तिम अभिनिर्णय की तिथि जो पहले की हो अतिरिक्त मुआवजा देने का प्राविधान है। भूमि हस्तान्तरण से अन्तिम अभिनिर्णय की तिथि तक का एक वर्ष की अवधि के अन्दर 9 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। यदि इस अवधि में अन्तिम अभिनिर्णय नहीं हो पाता तो 15 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का प्राविधान है और यथाशीघ्र भुगतान किया जाता है।

वांछित विवरण प्रपत्र में संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 173 पर)

146–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पी0 सी0 एफ0, लखनऊ पर बकाया बिक्री कर

147–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1548, दि0 22-8-84 पी0 सी0 एफ0, लखनऊ के ऊपर बिक्री-कर बकाया के बारे में मिला है? यदि हां, तो दिनांक 31-3-85 तक पी0 सी0 एफ0 से कितना बिक्री-कर, ब्याज व अर्थदण्ड वसूल हुआ है?

श्री नारायन दत्त–

जी हां।

दिनांक 31-3-85 तक रुपये 10, 10, 67, 151-29 पै0 वसूल हुआ है। समस्त अन्य बकाया की वसूली स्थगित है। अतः ब्याज की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थदण्ड बकाया ही नहीं है।

उपायुक्त बिक्री कर के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग

148–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1494 दि0 8-8-84 बिक्री-कर कानून में धारा 10-बी में आयुक्त बिक्री-कर द्वारा शासन में भेजे गए संशोधन प्रस्ताव श्री महेश प्रसाद उपायुक्त के बारे में मिला है? यदि हां, तो क्या उपायुक्त के मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई गयी और उसका क्या परिणाम रहा?

श्री नारायन दत्त–

जी हां। किन्तु पत्र का दिनांक 31-7-84 है जो दिनांक 8-8-84 को प्राप्त हुआ था।

संबंधित उपायुक्त द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत ही सम्पादित किया गया है। अतः उनके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर से जंगीपुर शादियाबाद होते हुये बटरियाबाद जाने वाले राजमार्ग पर निर्माण कार्य की प्रगति

149–श्री रामनाथ मुंशी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर से जंगीपुर शादियाबाद होते हुए बटरियाबाद जाने वाले राजमार्ग पर किस-किस प्रकार का कितना कार्य होना अभी शेष है? उक्त राजमार्ग पर कितने किलोमीटर पर पिच करने का कार्य कब-कब पूरा करा दिया गया है तथा जो कार्य शेष है उसे पूरा कराने के लिए क्या किया जा रहा है और कब तक उसे पूरा करा दिया जायगा?

श्री नारायन दत्त–

निम्नलिखित कार्य शेष है:–

कि0 मी0 26·200 के बाद 2·50 कि0 मी0 तक बेसो पुल के पहुंच मार्ग पर मिट्टी का कार्य चल रहा है। मार्ग को पक्का करने की पूरी प्रक्रिया शेष है।

कि0 मी0 29·000 से 30·200 तक मध्य सतह का कार्य हो चुका है, ऊपरी सतह का कार्य शेष है।

2. कि0 मी0 38 में उदन्ती सेतु के पहुंच मार्ग की 1·20 कि0 मी0 लम्बाई में से 650 मीटर में कार्य लेपन स्तर तक पूरा हो गया है। शेष भाग में कार्य आरंभ किया जा रहा है।

विभिन्न वर्षों में डामर लेपन (पिच का कार्य) की प्रगति निम्न प्रकर है:-

वर्ष	कि0 मी0
गाजीपुर	बटरियाबाद
1970-71	3·20
1971-72	1·60
1972-73	2·40
1973-74	2·00
शादियाबाद	बटरियाबाद मार्ग
1973-74	2·50
1974-75	1·50
1975-79	11·75

अब शेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

न्याय विभाग को विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि

150-श्री कल्याण सिंह तथा श्री बहमदत्त द्विवेदी-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 84-85 में न्याय विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यपगत हो गई? व्यपगत होने के कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री नारायन दत्त-

वित्तीय वर्ष 1984-85 में न्याय विभाग को अनुदान संख्या-29 के अंतर्गत कुल रु0 24,45,78,000/- की धनराशि स्वीकृत की गई। मदवार स्वीकृत धनराशि इस प्रकार है:-

(क) वेतन तथा भत्ते रु0 20,94,49,000/-

(ख) कार्यालय व्यय रु0 2,64,72,000/-

(ग) व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं लिए भुगतान रु0 70,00,000/-

वर्ष के अन्त में किसी धनराशि के व्यपगत (लैप्स) होने की सूचना निबंधक उच्च न्यायालय से शासन को प्राप्त नहीं हुई। वेतन तथा भत्तों में रुपये 94,000, कार्यालय मद में रुपये 12,45,000 तथा निर्माण कार्य में रु0 2,000 की बचत की सूचना प्राप्त हुई। उक्त धनराशि वित्त विभाग को समर्पित (सरेंडर) कर दी गयी जो नियमों के अनुकूल है। चूंकि वित्तीय वर्ष 1984-85 में व्यपगत होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई इसलिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली की जनता को जाड़ों में स्थायी आवास व पूर्ण रोजगार की समस्या का समाधान हेतु किये गये प्रयास

151-श्री काशी सिंह ऐरी-

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली के किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांव की जनता पूर्ण या अपूर्ण रूप से जाड़ों में अपने मूल आवास छोड़कर ग्रीष्म स्थलों में चले जाते हैं? सरकार ने इन परिवारों के स्थायी आवास व परम्परागत कुटीर उद्योग द्वारा पूर्ण रोजगार दिलाते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त-

सूचना एकत्र की जा रही है।

नियम 301 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

[समय 12·24]

श्री शतरुद्र प्रकाश-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

नियम 301 के बाद सुन लूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

कार्यसूची की मद 3 पहले आती है। इस सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 आता है, उसके बाद मद 3 आता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

3 बाद में आयेगा।

जनपद फैजाबाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कुछ अध्यापकों द्वारा शासन से मुफ्त उपलब्ध छात्रों की पोशाक के कपड़ों के बांटने में धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 में 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से मैंने 8 स्वीकार किया।

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीया कुदसिया बेगम, माननीया कुमारी अलमेलु अम्माल, माननीय राज किशोर सिंह, माननीय सुखपाल पाण्डे, माननीय बुनियाद हुसैन अन्सारी साहब, माननीय महेन्द्र सिंह भाटी और माननीय मूल चन्द्र।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्रायमरी पाठशालाओं/जूनियर हाई स्कूलों के निर्धन छात्रों/छात्राओं को मुफ्त पोशाक उपलब्ध कराने के लिये शासन द्वारा लगभग ढाई हजार मीटर कपड़ा उपलब्ध कराया गया था लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कुछ अध्यापकों ने मिलकर वह कपड़ा और उसकी सिलाई का पैसा हजम कर लिया और उसका वितरण किसी भी शिक्षा क्षेत्र में छात्रों/छात्राओं में नहीं किया गया। अगर अविलम्ब सारे अभिलेख सील करके मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाय और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को फर्जी और मनगढ़न्त अभिलेख तैयार करने का अवसर न दिया जाय तो सही तथ्य बड़ी ही सरलता से प्रकाश में आ सकते हैं। अतः आपकी अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस निश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

सण्डीला, हरदोई में बेहता नदी पर जैसू खेड़ा, घाट मजरे गदौरा पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती कुदसिया बेगम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित अति लोक महत्व के विषय को सदन के सामने लाना चाहती हूं। मान्यवर, मेरे निवास क्षेत्र सण्डीला, जनपद हरदोई में बेहता नदी पर जैसू खेड़ा, घाट मजरे गदौरा पर पुल का निर्माण न होने के कारण क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में क्षेत्र के लोगों ने कई प्रार्थना-पत्र भी भेजे हैं और मैंने भी इस मामले को कई बार उठाया है। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस पुल का निर्माण न होने से वर्षाकाल में मेरा पूरा क्षेत्र दो भागों में बंट जाता है और दूसरी तरफ की जनता को सण्डीला पहुंचने के लिये करीब 25 मील का चक्कर लगाना पड़ता है। करीब 50 हजार जनता को इससे कठिनाई होती है। इसलिये सदन की जानकारी में लाकर मैं शासन से उम्मीद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करती हूं कि जबकि पुल निर्माण के एस्टीमेट भी शासन को भेजा जा चुका है, तो इस कार्य को जल्द से जल्द कराने की कृपा की जाय ।

बस्ती सदर के अन्तर्गत वाल्टरगंज चीनी मिल को बन्द न होने देने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुमारी अलमेलू अम्माल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के सामने लाना चाहती हूं।

बस्ती जनपद में मेरे क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत वाल्टरगंज चीनी मिल स्थित उक्त मिल के मालिक सरकार के पास उक्त मिल को सदैव के लिये बन्द करने की अनुमति लेने के लिये 7-8-85 को पहुंचे हैं। जिसके बन्द होते ही मिल पर आश्रित दुकानदार, स्थायी व सीजनल मजदूर ही नहीं बेकार होंगे, अपितु हजारों गन्ना किसान, बरबादी के कगार पर पहुंच जायेंगे। इस स्थिति के कारण मेरे क्षेत्र के स्थायी व सीजनल मजदूर, दुकानदार व गन्ना किसानों में क्षोभ की लहर व्याप्त हो गयी है। अतः मैं नियम 301 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी से इस विषय में स्पष्टीकरण चाहते हुए यह मांग करती हूं कि उक्त मिल को बन्द करने की अनुमति किसी भी अवस्था में न दें।

देवरिया जिले के हाटा और पडरौना तहसीलों में गंडक परियोजना के अन्तर्गत नहरों को पक्का बनाने तथा उनके किनारे मिनी ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, देवरिया जिले के हाटा और पडरौना तहसीलों में गंडक परियोजना के अन्तर्गत नहरों का जाल बिछाया गया है। तराई क्षेत्र होने के कारण पानी की सतह ऊपर आ गयी है। साथ ही नहरों का रिसाव निरन्तर अबाध गति से हो रहा है जिससे हजारों एकड़ जमीन के दलदल तथा ऊसर हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। शासन की ओर से इन नहरों को पक्का बनाने तथा 8000 मिनी नलकूप नहरों के किनारे-किनारे लगाकर पानी उठाकर नहरों में डालने की योजना कागज पर ही रह गयी है। उपरोक्त परिस्थिति से दोनों तहसीलों की हालत चिंतनीय हो गई है और किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए आपके माध्यम से शासन से संदर्भित नहरों को पक्का बनाने तथा उसके किनारे-किनारे 8000 मिनी ट्यूबवेल लगाने की मांग करता हूं।

थानाध्यक्ष, हर्रैया, बस्ती के बर्बरतापूर्ण रवैये से जनता में भय एवं आतंक होने तथा तत्काल उनके निलम्बन की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डे–

महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान निम्नांकित विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं।

थानाध्यक्ष हर्रैया तथा पुलिस कर्मी हर्रैया क्षेत्र, जिला बस्ती में घोर आतंक, अत्याचार, तस्करी अवैध कमाने का धन्धा, काउण्टर करने की धमकी, गुण्डों, बदमाशों, तस्करों से सांठगांठ कर धन कमाने की रवैया बहुत बढ़ गयी है। थानाध्यक्ष, हर्रैया का इसी क्षेत्र में रिश्तेदारियां होने के कारण स्थानीय दलगत राजनीति के आधार पर फर्जी मुकदमें फसाने की रवैया से

निरन्तर आतंक फैलाकर फर्जी मुठभेड़ की धमकी देकर सम्भ्रान्त व्यक्तियों को धमकाकर झूठे मुकदमें में फंसाकर अवैध धन लेने के अनेकों दृष्टांत हैं। मुरादीपुर, राजघाट हरिजनों से धन लेना तथा कसियापुर के हरिजनों तथा अगरा के परशुराम चौधरी आदि एवं धुम सिंह आदि को झूठे मुकदमें में फंसाना, अध्यापकों को मार पीटकर बन्द करने, शराब, पेट्रोल डीजल अन्य सामानों की चोरी से तस्करी कराना मुख्य लक्ष्य है। 8 अगस्त, 1985 को डाक्टर अशोक कुमार एम0 बी0 बी0 एस0 पर प्राण घातक हमला थानेदार के सहयोगी गुण्डों ने किया, थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी उल्टे डाक्टर को थानेदार ने मारा पीटा तथा गालियां दी इसके बाद देरी से रपट दर्ज की गयी। डाक्टरों की एसोसियेशन ने डाक्टर अशोक कुमार पर प्राण घातक हमले की निन्दा की और शासन से शांतिमय ढंग से संघर्ष करने की भी सूचना दी है। थानेदार को तत्काल निलम्बित करने को जांच में विलम्ब होने से जनता में आक्रोश है।

अतः सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि तत्काल थानेदार को निलम्बित करके तत्काल उसके विरुद्ध जांच की जाय।

सीतापुर जनपद में लहरपुर कस्बे के खेमकरन इण्टर कालेज में हाई स्कूल तक उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

महोदय, लहरपुर सीतापुर कस्बे के खेमकरन इण्टर कालेज में हाईस्कूल तक उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था 1981 में की गयी थी। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने उर्दू विषय में प्रवेश लिया तथा परीक्षा में अच्छे नम्बर प्राप्त किये। कालेज के प्रबन्धकों ने उर्दू शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग से न कोई स्वीकृति प्राप्त की और न ही एल0 टी0 ग्रेड का कोई अध्यापक रखा। इस वर्ष से खेमकरन इण्टर कालेज में उर्दू शिक्षा कक्षा 9 में बन्द कर दी गयी है। इस बात से लहरपुर में बहुत असंतोष है। सीतापुर जिले में यही एक मात्र कालेज था जहां उर्दू शिक्षा का प्रबन्ध था।

राज्य सरकार इस पर आवश्यक ध्यान दे तथा इस कालेज में उर्दू शिक्षा की व्यवस्था करवायें।

जनपद गाजियाबाद की नोयडा औद्योगिक बस्ती में ग्रेटर नोयडा निर्माण की भूमि का सीमांकन पूर्ण होने के बाद चकबन्दी कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में निम्न विषय आकृष्ट करना चाहता हूं। दिनांक 24-3-85 को मुख्य मंत्री ने जनपद गाजियाबाद की नोयडा औद्योगिक बस्ती में ग्रेटर नोयडा निर्माण की घोषणा की थी। ग्रेटर नोयडा का विस्तार नोयडा से जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद औद्योगिक बस्ती तक परिकल्पित है। इस ओर सूरजपुर औद्योगिक बस्ती गाजियाबाद का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है। बड़े-बड़े उद्योगों की प्रस्थापना हो रही है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्रेटर नोयडा के विस्तार में सैकड़ों गांवों की भूमि अधिग्रहण सम्भावित है।

तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में एवं तहसील सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में चकबंदी प्रक्रियायें चल रही हैं। जिसके अन्तर्गत 4 प्रतिशत भूमि की कटौती चकबन्दी का खर्चा एवं मुकदमें अवश्यम्भावी है।

मान्यवर, जब तक ग्रेटर नोयडा का निश्चित सीमांकन न हो तब तक चक-बन्दी प्रक्रियाओं का चलना हजारों किसानों के हित में कदापि नहीं है। किसानों में अत्यन्त क्षोभ एवं चिन्ता व्याप्त है।

अतः जब तक ग्रेटर नोयडा की भूमि का सीमांकन पूर्ण न हो जाय तब तक चकबंदी प्रक्रिया रोकने की शासन से मांग करता हूं ताकि किसानों को अनायास बर्बाद होने से बचाया जा सके।

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत दुद्धी, चौपन, राबर्ट्सगंज क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा लाह की खेती को प्रोत्साहन देने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मूल चन्द–**

महोदय, जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत दुद्धी, चौपन, राबर्ट्सगंज क्षेत्र में लाह की खेती होती थी जिसको कोल भील किरात आदिवासी लोग बड़े चाव से तथा बड़े ही परिश्रम के साथ करते थे। जिसमें सरकार का करीब 10 लाख रुपया खर्च होता था। शासना-देश के मुताबिक लाह के बीज उप-करण, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए सिखाया जाता था। मुझे ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त योजना को सर-कार ने तोड़ दिया है जिससे उन गरीब आदिवासियों का जीवन यापन का कार्य एक दम ठप हो गया है और वे आज कल भुखमरी के कगार पर आ गये हैं और आज तक उन गरीबों के कल्याण के लिए कोई दूसरी योजना का गठन नहीं हो पाया है। जब कि हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी आदिवासियों के घर जाकर स्वयं देखे हैं और उन लोगों की जिन्दगी को ऊपर उठाने की बात भी किये किन्तु कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क हो गया है। सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखायी दे रहा है। बड़ा आश्चर्य है कि जब देश का प्रधान मंत्री होकर इस प्रकार की बात कह कर मुकर जायेंगे तो कैसे देश व शासन चलेगा? यही नहीं आदिवासियों के जीविकोपार्जन के साधन भी समाप्त कर दिये गये हैं। उनके पास जमीन आदि भी नहीं रह गयी है कि वे पुनः उक्त लाह की खेती कर सके और अपनी गुजर-बसर भली-भांति कर सकें।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक-महत्व के इस गम्भीर विषय पर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर तत्काल उचित एवं आव-श्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना तत्काल अध्यक्ष को न देने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण

***श्री शतरुद्र प्रकाश–**

मान्यवर, आप कार्य सूची की मद संख्या–3 को देखें। जिसमें यह साफ लिखा गया है "सदस्यों की गिर-फ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचना यदि कोई हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरी जानकारी है कि श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, सदस्य, विधान सभा जो रासुका में बन्दी थे, की रिहाई 9 अगस्त को हो गयी और वे 12 अगस्त को इस आदरणीय सदन की कार्यवाही में उपस्थित भी थे। मैं समझता हूं कि परम्परा यह रही है और शासनादेश भी यही है कि अगर किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाय तो तत्काल उसकी सूचना अध्यक्ष, विधान सभा को प्रेषित की जानी चाहिए और जब उनकी रिहाई हो जाय तो उसके बारे में भी अध्यक्ष विधान सभा को सूचना दी जानी चाहिए। चाहे वह पुलिस का बड़ा अधिकारी हो, या कोई सहायक अधिकारी हो, जो भी सम्बन्धित अधिकारी है कारागार का, उसे इसकी सूचना माननीय अध्यक्ष को देनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सम्बन्ध में हम लोगों को आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। माननीय सदस्य भी सदन में विराजमान हैं, वे भी अपनी गिरफ्तारी के बारे में माननीय सदस्यों को बतायेंगे।

मुझे जानकारी मिली है कि विधान सभा के प्रति इस सरकार की आस्था बिल्कुल नहीं रह गई है और न ही उसकी मंशा इसकी इज्जत करने की रह गई है। माननीय सदस्य को सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई, को रिहाई के आदेश दे दिये थे और उनके वकील ने इसकी सूचना 3 तारीख को मेरठ के जिला कारागार अधीक्षक को दे दी थी। 5 तारीख को आजमगढ़ के जिला कारागार अधिकारी ने उनके रिहाई की सूचना मेरठ कारागार के अधिकारी को 7 अगस्त को दे दी थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें 7 अगस्त से 9 अगस्त अर्थात 48 घण्टे कारागार में निरुद्ध किया गया। सदन की कार्यवाही यहां पर चल रही थी। रिहाई के तुरन्त बाद उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ जाना चाहिए था, लेकिन 48 घण्टे निरुद्ध रखे जाने की वजह से वह कार्यवाही में भाग नहीं ले सके।

माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं था और न ही कोई अभियोग था, माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं, इसके बावजूद भी उन्हें दो दिन तक कारागार में निरुद्ध क्यों रखा गया जबकि उनकी रिहाई के आदेश व सारे कागज 7 अगस्त को वहां पर प्राप्त हो गये थे। 9 तारीख को जब रिहा हो गये तो इसकी सूचना वायरलेस या किसी एजेन्सी द्वारा आपको दी जानी चाहिए थी लेकिन आज 13 अगस्त हो गई, 9 तारीख को रिहाई हुई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक हम लोगों को जानकारी नहीं मिली है। मेरठ में वायरलेस है, टेलीप्रिन्टर है, हाट लाइन दी हुई है। तो क्या इस मंत्रिमंडल ने फैसला कर लिया है कि वह विधान सभा की गरिमा को नहीं बनाये रखेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कड़ा रुख अख्तियार कीजिये, इसकी जांच करा लें कि क्या कारण थे उनकी गिरफ्तारी के और उनकी रिहाई की सूचना आज तक नहीं मिली। दो दिन तक मेरठ जेल में उन्हें किस मुकदमें में निरुद्ध रखा गया।

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, आप नियम 81 देखने की कृपा करें। हमारे जो विशेषा-

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

धिकार है, माननीय शतरुद्र जी ने जो विन्दु उठाया है, मैं उससे अलग दूसरा विन्दु जोड़ना चाहता हूं । आदरणीय सदन के जो विशेषाधिकार हैं वही इन्डिवीजु-अल को भी है । लेकिन लिखा है कि अमुक तिथि को हाउस आफ कामन्स में जो विशेषाधिकार थे, वही माननीय सदस्यों को भी होंगे । इसमें कुछ तो परम्परागत हैं और कुछ कोडीफाई । 81 जो नियम है उसमें यह हमारा विशेषाधिकार है कि जब कोई सदस्य निरुद्ध होते हैं या रिहा किये जाते हैं, उसकी सूचना तत्काल आपके पास आयेगी वह भी विहित प्राधिकारी द्वारा जिसका उल्लेख हमारी नियमावली में दिया हुआ है । तो जो सूचना जिला-धिकारी मेरठ या आजमगढ़ से नहीं है तो साफ-साफ यह उस अधिकार के खिलाफ ब्रीच बनता है, यह सदन की अवमानना का प्रश्न है ।

यह उतना गम्भीर मामला नहीं है कि किसी को जेल में बन्द कैसे रखेंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपका ध्यान उस विन्दु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, संसदीय ज्ञाता हैं, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, नियम 80–81 का ब्रीच होता है जो विशे-षाधिकार की अवहेलना है और सदन की अवमानना है । मैं इसकी सूचना लिखित में दे दूंगा लेकिन मैं यहां मौखिक रूप से आप को सदन के विशे-षाधिकार की सूचना आपको उस अधि-कारी के खिलाफ देता हूं ।

*श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, दुर्गा प्रसाद जी हैं यहां, उन से सुन लें । 9 तारीख तक जेल में रहे हैं, छूट कर आ गये, तो जो एक सबसे गम्भीर मसला है वह है एक अफसर ने कहा कि तुम असेम्बली से इस्तीफा दे दो वरना जिन्दा नहीं रहोगे । यह सबसे सनसनीखेज बात है कि आजमगढ़ के एक अफसर ने चैलेंज किया है । दुर्गा प्रसाद जी मौजूद हैं , . .

(व्यवधान)

सी0 ओ0 सिटी हैं, उसने चैलेंज किया है और टेलीफोन पर कहा है, इनके वकील से कहा है, असेम्बली से इस्तीफा दे दीजिये वरना आप नहीं रहेंगे । इस पर क्या व्यवस्था देंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

जैसा मसूद साहब ने कहा है उनको एक अधिकारी ने कहा है कि असेम्बली से इस्तीफा दे दीजिये, तो आप उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें और सरकार को आदेश दें कि उनकी सुरक्षा के लिए वह घोषणा करें, व्यवस्था करें, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं ।

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मुझे 31-7-85 को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था । 9-8-85 तक मेरठ जेल में था तो अतिरिक्त अधीक्षक थे महेन्द्र सिंह गौतम जो मुझे बार-बार धमकी देते थे और न पेपर देते थे, न कोई इन्तजाम था, न कोई चिट्ठी देते थे । छूटने के बाद जाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी । जब मैं अपने घर पहुंचा तो 11 तारीख को टेलीफोन पर सी0 ओ0 (सिटी) राधे श्याम मिश्र ने धमकी दी कि एसेम्बली से इस्तीफा दे दो नहीं तो गोली मरवा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देंगे । मुझे उनसे बहुत खतरा है, मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, और उनका तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाय ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री त्रिलोक चन्द्र के खड़े होकर एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार से बयान दिलवा दें । मा0 सदस्य की सुरक्षा के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग एक-एक करके खड़े हो जाते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं । त्रिलोक चन्द्र जी, आपको क्या कहना है ?

(व्यवधान)

*श्री त्रिलोक चन्द्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के संज्ञान में आया और यादव जी ने अपना बयान भी बड़ा डरते-डरते हाउस में दिया । यह समस्या इतनी गम्भीर हो गयी है इनके साथ कि इनको रखा गया जिस कानून में "रासुका" में दो दिन, वह बात तो माननीय गुप्त जी ने और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने रख दी । समस्या इतनी नहीं है कि छूट आये बल्कि जो व्यवहार छूटने के बाद हुआ, वह असहनीय है । इनके पास न किराया था, न कूपन थे, न इस बात को सोचा गया कि कैसे घर पहुंचेंगे । इनको कोई सुविधा नहीं दी गयी । उसके बाद अब यहां आ गये, इनको अपनी जान का खतरा है । यदि इस बात को गम्भीरता से न लिया गया, विशेषाधिकार का सवाल तो बाद की बात होगी, मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय विधायकों के साथ ऐसा सलूक रहा तो ये कैसे काम करेंगे, सी0 ओ0, एस0 पी0, थानेदार धमकी देंगे कि तुम इस्तीफा दे दो और काम नहीं करोगे तो किसी विधायक का सदस्य रहना मुश्किल है । आज इनको धमकी दे रहे हैं, कल दूसरे किसी को धमकी देंगे । इससे बड़ी समस्या कोई हो नहीं सकती कि एक विधायक को कोई चैलेन्ज करे कि इस्तीफा दे दो और मुख्य मंत्री कुछ न कहें । कल को वह इधर भी आकर बैठ सकते हैं, अगर मान और सम्मान जाता रहा और अधिकारी और कर्मचारी हावी हो गये तो एसेम्बली का कोई महत्व नहीं होगा । इस मामले की गम्भीरता से लेकर उनकी सुरक्षा कीजिये । जो अनियमितता की गयी है छोड़ने में और घर पहुंचाने में, उसके लिये मुख्य-मंत्री जी कोई आश्वासन दें, नहीं तो हमारे लिये भी काम करना मुश्किल हो जायगा अगर ऐसी चुनौती मिलती है, किसी विधायक को । इनकी बात तो छोड़ दीजिये, हमारी सबकी क्या सुरक्षा होगी अगर कोई अधिकारी डरायेगा और धमकायेगा ?

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्यों से, जिन्होंने यह अभी प्रश्न उठाया है, इतना ही कहना चाहूंगा कि केवल पहली बार सदन में ही यह बात सुनने को मिल रही है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी कृपा होती यदि सम्मानित सदस्य जो कि जेल से छूटे हैं, यदि वे आ करके या टेलीफोन के द्वारा या नेता विरोधी दल के द्वारा, किसी प्रकार से भी वह मुझे इस बारे में सूचना देते कि मुझे जान का खतरा है ....

एक सदस्य–

आप मिलते जो नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन खड़े हो कर बोल रहे हैं, आप लोग कृपा करके शान्ति बनाये रखें ।

श्री नारायन दत्त–

जहां तक यह प्रश्न है कि हाईकोर्ट के कोई निर्देश हुए और उसके अनुसार वे छूटे, यह सही है कि श्रीमन्, इसकी सूचना आपके पास आनी चाहिये थी । सूचना आयी है या नहीं आयी है या किस प्रकार से आ रही, यह आपके कार्यालय से मालूम हो सकता है। लेकिन यह जिलाधिकारी का कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना भेजे । मैं आज ही इसको दिखलवाऊंगा कि सूचना क्यों नहीं भेजी गयी। क्रिमिनल प्रिविलेज में एक यही प्रिविलेज है कि गिरफ्तारी की सूचना मिलनी चाहिये । मैं समझता हूं कि जिलाधिकारी महोदय ने अवश्य सूचना भेजी होगी, मैं अब इसका पता लगा लेता हूं ।

जहां तक यह बात है कि इनसे कहा गया कि तुम सदस्यता से इस्तीफा दे दो नहीं तो तुम्हे मार डाला जायेगा । मैं समझता हूं कि कोई जिम्मेदार अधिकारी इस तरह की बात नहीं कर सकता है । माननीय सदस्य के सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जायेगी । माननीय सदस्य से किस अधिकारी ने इस तरह की बात की और उनसे ऐसा कहा, यह बात कुछ बनती नहीं है, यदि माननीय सदस्य इसे लिख करके देंगे, तो मैं इसकी पूरी जानकारी करा लूंगा ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, मैंने 7 अगस्त को एक सूचना दी थी, उसमें आपने व्यवस्था सुरक्षित रख ली थी ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठिये ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, आप सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

कृपा करके आप बैठ जायं । आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

[* * *]

श्री विजय सिंह राणा–

मेरी व्यवस्था प्रश्नों के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष–

पहले यह मामला तो हो जाने दीजिये। आप तो दूसरा मामला उठा रहे हैं । श्री शतरुद्र प्रकाश ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है इसकी पूरी जांच की जायेगी कि आया जिला मैजिस्ट्रेट ने मेरे कार्यालय को सूचना दी है या नहीं । सूचना आ गयी है या नहीं । माननीय सदस्य का सम्मान इस सदन का सम्मान है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, कृपा

नोट :–[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

करके माननीय सदस्य जो भी उनके साथ व्यवहार हुआ है, उसे लिख करके दे दें । मैं आशा करता हूं शासन से और माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वे इस पर ध्यान देंगे कि इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्य की किस तरीके से उनकी मर्यादा और उनकी गरिमा, उनका सम्मान बरकरार रहे और आगे इस तरह की बात नहीं उठनी चाहिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, निर्णय हो तो गया।

श्री विजय सिंह राणा–

मेरी प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष–

आप भी बैठें । इस समय दूसरी तरह की सूचना चल रही है ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

आप कुछ नहीं बोल सकते हैं । कृपया बैठ जायं ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि वहां की स्थिति दूसरी होता जा रही है तो मान्यवर, व्यवस्था नहीं देंगें तो सदन में चर्चा नहीं हो पायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

आप उसका इन्तजार करें ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

[× × ×]

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

शतरुद्र प्रकाश जी, आप चाहते हैं कि मैं अपनी रूलिंग आज ही दे दूं ।

(व्यवधान)

सत्र के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर नीति सम्बन्धी घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज औचित्य के प्रश्न की 3 सूचनाएं मिली हैं, इसमें पहली सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की है, दूसरी शफीकुर्रहमान बर्क साहब की और तीसरी श्री सूर्यप्रताप शाही की है । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह सदन की परम्परा है कि अगर सदन चल रहा है तो सरकार के मंत्रिपरिषद् या मुख्य मंत्री को कोई भी ऐसी घोषणा नहीं करना चाहिए, सदन के बाहर, जो नीतिगत हो । मैंने समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा है और कई समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से 10 तारीख को श्री पी0 एन0 शुक्ल, संसद सदस्य कांग्रेस पार्टी के हैं, श्रमिक नेता भी हैं, उनका एक प्रतिनिधि मंडल मिला था जो उनको बधाई देने गया था कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल का एक साल पूरा

नोट :–[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो गया है। उस बधाई के सिलसिले में काफी तारीफ तक कर दी गयी थी। उस सम्बन्ध में घोषणा की मुख्य-मंत्री ने कि उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी हैं सचिवालय के हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं, उनके वेतन के संबंध जो लोक सेवा आयोग है, उसकी ही तरह का एक आयोग का गठन किया जायेगा, और यह आयोग का गठन एक तरह से नीतिगत मामला है। वह आयोग बने इसके सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी जैसी उम्र के लोग सिखावें, **वह तो अच्छा नहीं लगता है, मैं तो खुद** उनसे सीखना चाहता हूं लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि मजबूरी में न चाहते हुए भी आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ता है।

मैं चाहता हूं कि अगर यह चीज सदन के अन्दर कह देते तो उससे मुख्यमंत्री जी की भी गरिमा बढ़ती और सदन की गरिमा भी बढ़ जाती। मान्यवर, यह मुख्यमंत्री **का प्रश्न है और एक सिलसिला चल गया** है और मंत्रिपरिषद् के कई वरिष्ठ **सदस्यों ने ऐसी घोषणायें की हैं, जो कि** नीतिगत मामले हैं, खाली मंत्री ही घोषणा नहीं करते हैं, हरेक उस विभाग के सचिव भी घोषणा करने लगे हैं और हर एक जिलाधिकारी स्तर पर यह सिलसिला चल गया है और **ऐसी घोषणायें करने लगे हैं ताकि** उनका नाम अखबार में आ जाय और फोटो छप जाय।

सदन चल रहा है, सदन की गरिमा का कोई ख्याल ही नहीं रह गया है, सदन की उपेक्षा होती चली जा रही है। मुख्यमंत्री जी मंत्रिपरिषद् के सर्वोच्च हैं, अगर आप ही ऐसा करने लगेंगे तो देखा देखी जो छोटे-छोटे मंत्री हैं, वह आपसे 2–4 गज आगे चले जायेंगे।

मैं आपसे चाहता हूं कि जब सदन चल रहा है तो आप इस तरह की घोषणा सदन में करें तो सदन की मर्यादा बढ़ेगी और जिस-जिस की घोषणा की है उसकी **मर्यादा भी बढ़ेगी।**

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं मा0 सदस्य वाराणसी कैन्ट का क्योंकि वह मुख्य मंत्री की त्रुटियों को बताते रहते हैं। इसलिए मैं उनसे लाभान्वित होता रहता हूं। उनकी आलोचना, स्वस्थ आलोचना से मैं लाभान्वित होता हूं और मेरी **गलतियां प्रकाश में आती हैं, तो कोई** **ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने समाचार** पत्र को पढ़ा होगा, तो उनको मालूम होगा कि मेरी कोई घोषणा नहीं है। जो लोग मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री ने इस प्रकार का संकेत दिया।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

अगर उन्होंने उस समय घोषणा नहीं **की है तो सदन में घोषणा कर दें कि** आयोग बनेगा।

श्री नारायन दत्त –

मान्यवर, शायद वह दूसरे सन्दर्भ में आये थे। पी0 एन0 शुक्ल, जो राज्य **सभा के सदस्य हैं, उनके साथ प्रतिनिधि** मंडल आया था और उसने कई समस्यायें कही थी और जो स्थिति थी बतायी गयी और बाहर जाने के बाद उन महानुभावों ने **अपनी प्रतिक्रिया प्रेस को दे दी। तो मैं** कहना चाहूंगा कि ऐसी त्रुटि दीर्घ कालीन जीवन में कम ही करूंगा, ऐसी उनको आशा रखनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष –

मैंने शेष सूचनाएं अस्वीकार की हैं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

मान्यवर, एक मिनट का समय मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष –

वर्क जी, आप कृपा करके बैठ जाइये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तारांकित प्रश्न 16 नत्थी (घ) के संबंध में तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा न किए जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विजय सिंह राणा –

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न सं0 16 है । इसमें पुल बनने के संबंध में बात थी, श्री अम्मार रिजवी जो उस समय के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह पुल बन जायेगा । उसकी कार्यवाही मेरे पास है । मान्यवर, मैंने यहां पर चर्चा भी की थी, उसकी कार्यवाही मेरे पास मौजूद है माननीय मंत्री जी का आश्वासन भी था । मैंने लिखाकर भी दिया था, तो कहा गया कि जिला योजना से स्वीकृत होकर आना चाहिए तो मैं कहना चाहता हूं कि 30 लाख से ऊपर की जो योजना होती है, उसको जिला प्लान से स्वीकार होना आवश्यक नहीं है । इस पुल की कीमत 45 लाख रुपया है । तो मान्यवर, हमारा प्रश्न आया ही नहीं है, इसलिए आप इसको नियम 49 में स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष –

आप लिखकर भेज दें, मैं इसको देख लूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह –

मान्यवर, प्रश्न समाप्त होने के उपरान्त आपने नियम 301 की सूचनाएं लीं, फिर औचित्य के प्रश्न लिए और फिर प्रश्नों के बारे में चर्चा शुरू कर दी क्या प्रश्नों के बारे में चर्चा बराबर होती रहेगी?

श्री अध्यक्ष –

मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आप सभी सदस्यों का इस सिलसिले में सहयोग चाहूंगा ।

जनपद फैजाबाद में विकवाजीतपुर-"महरुआ बाजार रोड" को पक्की कराने आदि के संबंध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद फैजाबाद में बिकवाजीतपुर–महरुआ बाजार रोड को जिला परिषद् फैजाबाद से सार्वजनिक निर्माण विभाग को ट्रान्सफर करके पक्की कराने आदि के संबंध में श्री चिन्तामणि पान्डेय एवं श्री राजमणि तिवारी निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद फैजाबाद में अकबरपुर इल्तफात गंज रोड से निकलने वाली "भारीडीहा सम्पर्क मार्ग" को बढ़ाने तथा थिरुआ नाले पर पक्का पुल बनवाने के संबंध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद फैजाबाद में अकबरपुर इल्तफातगंज रोड से निकलने वाली भारीडीहा सम्पर्क मार्ग को बढ़ाने तथा थिरुआ नाले पर पक्का पुल बनवाने आदि के संबंध में श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी निवासी ग्राम व पोस्ट भारीडीहा जिला फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कुशलपाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह आदि की हैं, जो मथुरा जनपद में बाढ़ एवं जल प्लावन के सम्बन्ध में है। दूसरी श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की श्री रणजीत विधायक के प्रति थानाध्यक्ष द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन

तथा श्री राम सजीवन की है जो कि फैजाबाद पुलिस द्वारा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी श्री राम सरन तथा श्री त्रिलोक चन्द्र जी की यमुना नदी की धारा से कटाव के सिलसिले में है। पांचवीं डा0 दिनेश जौहरी, श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री किशनलाल आदि की है जो कि प्रदेश में गायों की तस्करी किये जाने के बारे में है। छठी श्री राजेन्द्र गुप्त जी की भी इसी सिलसिले में है। सातवीं श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा) की एटा में डकैतों द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने के सिलसिले में है। आठवीं श्री सूर्य प्रताप शाही तथा कुंवर मानवेन्द्र सिंह की है जो कि मंत्रि परिषद् में भ्रष्टाचार के बारे में है। नवीं श्री रघुवर दयाल वर्मा की आगरा-कानपुर रोड पर पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा नाला न बनाये जाने के बारे में है। दसवीं श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में छात्र नेताओं द्वारा आमरण अनशन के सिलसिले में है। ग्यारहवीं श्री हृदय नारायण दीक्षित की है, जो उन्नाव जिले में अधिक लोगों के विकलांग होने के सम्बन्ध में है। बारहवीं श्री देव कुमार यादव की कानपुर में जहरीली गैस के सम्बन्ध में है। तेरहवीं श्री सुखपाल पाण्डे की है, जो बस्ती के बी0 डी0 ओ0 द्वारा गबन किये जाने के सिलसिले में है। चौदहवीं श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री फागू चौहान आदि माननीय सदस्यों की आजमगढ़ में पुलिस द्वारा लोकदल कार्यकर्ताओं को परेशान किये जाने के सिलसिले में है। पन्द्रहवीं श्री बाबूराम यादव, श्री कमलेश कुमार पाठक आदि की इटावा की पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में है। सोलहवीं श्री शतरुद्र प्रकाश की है जो श्री अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या किये जाने के बारे में है। सत्रहवीं श्री गौरी शंकर भइया की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा परीक्षा फार्म समय से न छपवाने के सिलसिले में है। अट्ठारहवीं श्री विजय सिंह राणा की है जो आवश्यक वस्तु खाद्य निगम द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में है। उन्नीसवीं श्री अवनीश कुमार की है जो बदायूं में महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा आन्दोलन के संबंध में है और बीसवीं श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की संस्कृत अध्यापकों द्वारा अनशन के सिलसिले में है।

माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री कुशलपाल सिंह—

मान्यवर, मथुरा तीन लोक से न्यारी है लेकिन जब वहां बाढ़ आती है और जो नजारा दिखाई देता है तो सारा मथुरा बाढ़ से डूबा हुआ होता है। आज सारे घर और मकान डूबे हुए हैं। मीलों तक पानी ही पानी दिखाई देता है। इस तरह से मथुरा में भयंकर जल-प्लावन की स्थिति हो गयी है। कोई खेत ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है, सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं और प्रत्येक घर के अन्दर 2-2 और 4-4 फिट तक पानी भरा हुआ है। हजारों मकान झुग्गी-झोपड़ियां सभी डूबे हुए हैं। कुछ गांव जैसे बरका बुजारी, बचावली, नौगांव आदि में तो मीलों तक पानी भरा हुआ है। वहां जाने के लिये कोई रास्ता नहीं रह गया है। हरियाणा का पानी इन गांवों में तेजी से आ रहा है। इस बाढ़ में बरका गांव का एक आदमी डूब कर मर गया है और बुजारी के दो

आदमी डूब कर मर गये हैं। वहां बाढ़ से तबाही मची हुई है। वहां चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, सब चारा खतम हो गया है, लोगों के खाने के कोई साधन नहीं है, ईंधन मिट्टी तेल आदि चीजें उपलब्ध नहीं है। शासन की तरफ से नालों की सफाई न होने से छपरा, गोकुल के सैकड़ों गांव पानी में डूब गये हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनको पानी से निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है।

अत: मैं मांग करता हूं कि पीड़ित लोगों की सहायता की जाय और बरका तथा बुखारी नाले का पानी जमुना में डाला जाय। इस बार जो गम्भीर स्थिति वहां हुई है ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। वहां 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में मंत्री जी भी गये उनके सामने इंजीनियरे ने बताया कि हमारे पास इस काम के लिए पैसा नहीं है, जीपों में पेट्रोल डालने तक के लिये पैसा नहीं है, तो हम सहायता कैसे कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा आप यहां से एक टीम भेज कर दिखवा लें कि कितना नुकसान हुआ है। वहां लोग पानी में डूबे हुए हैं। वहां तुरन्त पम्प लगवा कर पानी निकाला जाय जिससे जनता को राहत मिल सके। वहां के लिए अनुदान व तकाजी तुरन्त भिजवायी जाय ।

श्री कनक सिंह--

मेरा अनन्य मामला है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें काफी लोग हैं आप देखें एक व्यक्ति को मैं बुलवा सकता हूं वह बोल चुके हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है इस कामरोको प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में जो बात रखूंगा वह अपने आप में ग्राह्यता सिद्ध करती है। यह घटना तात्कालिक है। श्री रणजीत देवरिया के विधायक हैं और उनके सम्बन्ध में चर्चा भी हो चुकी है। अभी 11 ता0 को इस आदरणीय सदन में वह भाग लेने को आ रहे थे, तो हमारे नेता को तार मिला है और मेरे पास एफ0 आई0 आर0 की कापी भी है, मेडिकल रिपोर्ट छूट गयी है वह भी मैं दे दूंगा। वही थानाध्येक्ष जिसकी यहां चर्चा आयी थी, माननीय मुख्य मंत्री यहां पर मौजूद थे और उन्होंने एक शालीनता का परिचय दिया था और उन्होंने कहा था कि यहां पर कोई भी दरोगा चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए और इस सम्बन्ध में नेता जनता पार्टी से मिल कर कार्यवाही करूंगा।

मैं आभारी हूं उन्होंने कार्यवाही की और दरोगा का स्थानान्तरण आजमगढ़ कर दिया। लेकिन जब वह दुबारा चार्ज देने के लिये एस0 एस0 पी0 के यहां गया तो एस0 एस0 पी0 उसे रोक लेता है और पुन: उसे गौरी बाजार थाने में नियुक्त कर देता है। 11 ता0 को उसने रणजीत सिंह जी के सामने जब वह यहां के लिये आ रहे थे तो अपनी बुलेट गाड़ी खड़ी कर दी और उन्हें वह गाली देना शुरू कर देता है। इस पर उन्होंने कहा कि शराफत से बात कीजिये, यह अच्छी बात नहीं है। तो उसने उनका कालर खींच कर जो व्यवहार उनके साथ किया उसको कहने में शर्म और लज्जा से मस्तिष्क झुक जाता है।

तो आज हमारी यह स्थिति हो गयी है कि रास्ते चलते एक अदना दो पैसे का दरोगा किस तरह से व्यवहार

करता है। माननीय विधायक को पकड़ कर पटक देता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जिसको यह मेडिकल रिपोर्ट स्वयं बतायेगी। उनका एसेम्बली पैड फाड़ दिया, रेलवे कूपन फाड़ दिये और उनको खून से लतपथ कर दिया। खून से सने कपड़े कोतवाली में जमा है जिसकी इनवेंट्री हमारे पास मौजूद है। माननीय विधायक डी0 एम0 के यहां जाते हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि यह गंभीर बात है और एस0 एस0 पी0 को लिख दिया कि इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज हो।

तो यह मामला बड़ा गम्भीर है। एक दरोगा की इतनी हिम्मत है। उसकी आज यह हैसियत है कि जिस किसी को चाहे माननीय विधायक के साथ दुर्व्यवहार कर दे और यह प्रशासन कार्यवाही करने में अक्षम हो तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं आज आप सरकार में हैं। हमेशा यहां नहीं बैठेंगे। बाहर जाने पर आपके सिर पर भी डंडे पड़ेंगे आप अपना सिर सफेद टोपी पर छिपा नहीं पायेंगे। सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम करते हैं, यह हो सकता है कि उनमें आपस में मतभेद हो, लेकिन सार्वजनिक कार्यकर्ता की एक मर्यादा होती है आज उस मर्यादा को ही चुनौती दी जा रही है। आज आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका यह एक उदाहरण है शांति के नाम पर रोज इंकाउन्टर हो रहे हैं, गरीबों का खून बहाया जा रहा है, उससे आज हम लोग भी बचे नहीं हैं जैसे कि आज देवरिया के माननीय सदस्य की बात सामने आयी।

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, यह मसला एक व्यक्ति रणजीत का नहीं है, यह मसला सदन का बन गया है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। जब हम विधान सभा के बाहर जायेंगे तो हम पर क्या बीतेगा, हम भी सार्वजनिक जीवन में है। माननीय मुख्य मंत्री ने जवानी के समय में विरोध की राजनीति की थी तो क्या उनके सर पर डंडे नहीं पड़ सकते थे। आज विरोध की राजनीति कुंठित की जा रही है। उस समय किसी दरोगा की हिम्मत नहीं थी कि सदन के मा0 सदस्यों के बारे में एक शब्द अमर्यादित तरीके से कहे, लाठी डंडे की तो बात दूर की थी। लेकिन आज हालत इतनी खराब हो गयी है कि यदि हम किसी अधिकारी की आदरणीय सदन में आलोचना करते हैं, प्रश्न करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, जनता की भावना की अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसकी सजा मिलती है पुलिस का डंडा और यदि डंडा ही खाना है तो यहां आने का क्या औचित्य है? सदन में रहने का क्या औचित्य है और सदन की गरिमा का क्या औचित्य है?

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, वह आश्वासन दें कि जो घटना हुई है, उससे जो भी अधिकारी संबंधित होगा दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करेंगे वरना समझा जायेगा कि जो हो रहा है वह विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को डिमोरेलाइज करके विरोध पक्ष को समाप्त करने के लिये एक साजिश की जा रही है।

मान्यवर, हमारा अधिकार है और हमको डेढ़ लाख लोगों ने चुनकर यहां भेजा है, इसलिये उनकी भावनाओं की यहां अभिव्यक्ति करना हमारा मौलिक

अधिकार है । इन शब्दों के साथ में आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा करायें और संबंधित थानाध्यक्ष, गौरी बाजार, देवरिया को निलम्बित करने का आदेश दें । यदि हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है सदन की गरिमा सुरक्षित नहीं है, तो फिर यहां डिबेट चलाने से क्या मतलब और यहां बैठने का क्या मतलब है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे मात्र डिबेट न माना जाए, यह हमारा कार्य स्थगन का प्रस्ताव है, इस संबंध में जो कुछ कहना है शासन से ही कहलाएं । स्पष्ट आदेश दिलाएं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपके पीछे इतने माननीय सदस्य खड़े हैं वह भी डिबेट चाहते हैं ।

(व्यवधान)

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी को सत्य की जानकारी नहीं है ।

(व्यवधान)

हमारे जो विधायक हैं देवरिया के जिनके संबंध में श्री ओझा जी ने बताया, हम चाहेंगे कि कोई भी माननीय सदस्य हो, हम इज्जत करते हैं, हम तो चाहेंगे कि जो भी तथ्य हों, चाहे जिस दल के हों, जो सूचना आज आयी है, पहले दिन हम यहां नहीं थे, उसकी जांच करा लें, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह थानेदार देवरिया का नहीं है, वह जाना माना ईमानदार बस्ती जिले का रहने वाला है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया–

यह पुलिस के दलाल हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

यह पुलिस के दलाल हैं और इसीलिए उसकी पक्षधरी कर रहे हैं ।

एक सदस्य–

बैठ जाइये, अब अपनी असलियत खुलने दीजिए, असलियत का पता चल जाएगा ।

(दोनों पक्षों के बहुत से सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

श्री अध्यक्ष–

आप माननीय सदस्य को बैठने के लिए बोलिए । आप कृपा करके बैठ जाइये । कुंवर रेवती रमण सिंह जी ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

पूरा गोरखपुर जानता है, ओझा जी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसकी जांच कराई जाए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शान्त रहिए यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

आप इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ले लीजिए जो 1962 से आज तक . . .

(घोर व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा कई विरोध पक्ष के सदस्य उत्तेजित होकर सत्तापक्ष की ओर एक दम से झपट पड़े। सबसे आगे श्री गोपाल दास यादव आए और वह अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ गए । सदन के फ्लोर पर दोनों पक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में गुत्थम-गुत्था और बीच-बचाव करने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को स्थगित करता हूं 25 मिनट के लिए ।

(श्री अध्यक्ष सदन से बाहर चले गये।)

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 25 मिनट के लिये स्थगित किया । 1 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने 30 मिनट सदन की कार्यवाही और स्थगित किये जाने की सूचना सदन को दी । 2 बजकर 15 मिनट पर 30 मिनट और सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने की सूचना डिप्टी मार्शल ने सदन को दी । 2 बजकर 45 मिनट पर 15 मिनट और सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने की सूचना डिप्टी मार्शल ने सदन को दी ।)

(इस समय 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

सदन में हुई अव्यवस्था के सम्बन्ध में खेद प्रकाश

श्री अध्यक्ष–

मुझे बड़ा दुःख है कि आज ऐसी स्थिति इस सदन में हो गई।

श्री मुहम्मद आजम खां–

(व्यवधान) [xxx]

श्री अध्यक्ष–

यही स्थिति रही तो इससे बेहतर यह है कि गम्भीरता से आप खुद ख्याल करें कि इस तरह की घटना सदन में होगी तो हम दुनियां के सामने क्या मुंह दिखायेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस सदन की मर्यादा और गरिमा को कायम रखें, आप हमारी इज्जत करें, हम आपकी इज्जत करें। यह दृष्टिकोण होना चाहिये। मैं चाहूंगा नेता सदन और जितने भी माननीय सदस्य हैं, नेता विरोधी दल, इसमें आप सब मिलकर योगदान दें, ताकि जो वातावरण होना चाहिये, उस हिसाब से यह सदन चल सके।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)–

श्रीमन्, मैं किन शब्दों में अपनी वेदना को व्यक्त करूं। आज जो कुछ सदन में हुआ, वह हमारी परम्पराओं, हमारी मर्यादाओं और हमारे मन के सपनों के बिल्कुल प्रतिकूल रहा। इस सदन के इतिहास में बहुत कम ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई हैं। जैसा हमने आज यहां देखा। मैं किसी प्रकार से किसी तरह से किसी सम्मानित सदस्य के प्रति कोई, किसी प्रकार की कोई आलोचना करूं, यह अवसर नहीं है। मैं समझता हूं, हम सब को आत्मचिन्तन करना चाहिये और किसी भी स्थिति में हमें इतना सहिष्णु होना चाहिये कि कठोर से कठोर बात को पार्लियामेंटरी ढंग से कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। किसी तरह का हिंसा का वातावरण या इस तरह का वातावरण होगा तो जिस उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने इसका निर्माण किया है, हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, जो घटना घटी, व्यक्तिगत रूप से, सदन के नेता के नाते, दल के नेता के नाते मुझे क्षोभ है, दुख है। श्रीमन्, मैं क्षमा चाहता हूं कि ऐसी स्थिति आयी कि आपको सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से इस सदन का एक सेवक होने के नाते अपील करूंगा कि हम सब ऐसी स्थिति किसी भी हालत में न आने दें, जिससे जो हमारी

नोट:--[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मर्यादा रही है, जिस मर्यादा के साथ हम सब की मर्यादा और सदन की मर्यादा निहित है, ऐसी घटना न घटे जिससे हमारी मर्यादा को ठेस पहुंचे और बाहर संसार को कुछ कहने का मौका मिले। जो कुछ यहां होता है, बाहर के लिये, प्रजातांत्रिक ढांचे के लिये एक बिन्दु बनता है कि विधान सभा में क्या चल रहा है। हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए मेरा यही आग्रह होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आज जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, आपको उसका बहुत बड़ा क्लेश है ही, लेकिन मुझे भी और मैं समझता हूं कि सदन का कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा, जिसको इस घटना का बहुत बड़ा क्षोभ न हो। मान्यवर, संसदीय परम्परा में सबसे बड़ी कसौटी यही होती है कि माननीय सदन कितने संयम से कायम है और जो संसदीय परम्पराएं जानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उनमें से जो माननीय सदस्य अपशब्द बोलते हैं और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, संसदीय इतिहास में बहुत बड़ा सम्मान उनको कभी नहीं मिला। जिसने मधुर भाषा और संसदीय परम्पराओं का पालन किया, उसका संसदीय इतिहास में सम्मान सदैव बड़ा है।

मान्यवर, मैं किसी सदस्य के संबंध में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार पर जरूर टिप्पणी करना चाहता हूं। अगर सरकार संयम से काम ले, सही बात कहने की कोशिश करे सदन में, तो बहुत सी अनावश्यक घटनाओं से बचा जा सकता है। मुझे सबसे बड़ा खेद यह है कि इस तरह की अभी तक जो भी घटनाएं हुई हैं, तो ऐसे संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के इस सदन के दोनों पक्षों ने एक सी बात का समर्थन किया है। यह पहली बार मेरी जानकारी में यह घटना है कि एक दृश्य को इस तरह से ले करके सत्ता और विपक्ष के लोग अलग-अलग रहे। किसी सदस्य के सम्मान का प्रश्न रहा हो, हमने देखा है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने उसका सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से समर्थन किया है।

अतः मान्यवर, यदि सरकार संयम और सचाई के साथ सारी बातों को रखने की कोशिश करे तो बहुत सी घटनाएं जो आपके सामने आती हैं, बच सकती हैं। मान्यवर, इसलिये जो घटना घटी है, उससे मुझे क्षोभ और खेद है और मैं अपनी ओर से और इधर के माननीय सदस्यों की ओर से यही आपको आश्वासन देता हूं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं घटित होगी।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कुछ बोलना चाहूंगा। मान्यवर, इस सदन के जो भी सदस्य हैं, उन्हें आपकी इजाजत से कुछ बोलने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। आपकी इजाजत से मैंने उस समय जो कुछ भी कहा या कह रहा था, नियमतः मुझे अधिकार था। कोई गलत बात अगर हुई होती, तो विधान में व्यवस्था है, उसके लिये कार्यवाही हो सकती थी। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं माननीय नेता विरोधी दल को सुपुर्द करने के लिये तैयार था। लेकिन, मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही नहीं दिया गया। मैं यह कभी नहीं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य या माननीय नेता सदन उस विषय पर विचार करें। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता जनता पार्टी किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता को मैं वह मामला सुपुर्द करने के लिये तैयार था।

मान्यवर, वह मेरे जिले का मामला था, हम लोग जिले में गये थे, तो वहां इस बारे में तथ्य सामने आये थे। क्या हम चूंकि सत्ता पक्ष के विधायक हैं या इस तरफ के अन्य विधायकों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। हम लोग सुबह से शाम तक यहां बैठकर शांतिपूर्वक विपक्ष के सदस्यों की बातों को सुनते हैं। और, जब मेरी बात आती है, तो कहने का अधिकार इस सदन में मुझे न मिले, इसके लिये मुझे खेद है।

मान्यवर, मेरी तरफ से आज यदि ऐसी कोई बात हुई है, अमर्यादित बात हुई है, यदि कोई उत्तेजनापूर्ण भाव आये हैं, उसके लिये मुझे अत्यन्त खेद है। लेकिन, एक निवेदन जरूर करूंगा कि अगर हमारे बोलने के अधिकार का अगर हनन किया जाता है, तो आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। मान्यवर, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे आचरण से यदि कोई गलती होती है सदन के अन्दर या सदन के बाहर तो उससे सबकी मर्यादा पर आंच पड़ेगी।

मान्यवर, मैं पुनः यह कहूंगा कि मेरे आचरण से किसी भी रूप में कहीं किसी को कोई कष्ट हुआ है, उससे मुझे दुःख है।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

माननीय अध्यक्ष जी संसदीय परम्पराओं और मान्यताओं के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो राय व्यक्त की, जो इच्छा व्यक्त की, हम दोनों एक ही स्कूल के विद्यार्थी थे। आचार्य नरेन्द्र देव के चरणों में बैठकर हम लोगों ने राजनीति की शिक्षा ली। संसदीय ज्ञान भी हासिल करने की कोशिश की। मान्यवर, जब से मैं यहां पर आया हूं मेरे संसदीय कार्य के इतिहास के जो भी पन्ने उपलब्ध हो सकें, अन्धे जो न देख सकें उनके लिये तो कुछ नहीं कहना, लेकिन जो विचारों से राजनीति में आये हैं जिनको पढ़ने पढ़ाने की रुचि है, वे उसे देख सकते हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कोई आचरण नहीं किया जिसके लिये खेद प्रकट करूं। मेरा जानबूझकर कतई इरादा नहीं रहा, किसी माननीय सदस्य को चोट पहुंचाने का। जो कुछ भी यहां हुआ है, नहीं होना चाहिये था, कतई नहीं होना चाहिये था, यदि हुआ तो उसका दायित्व किस पर है, उसका निर्णय आप देंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जनतंत्रीय परम्पराओं में मेरा विश्वास है, जरूरत से ज्यादा दृढ़ विश्वास है। मैं आदरणीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने जानबूझकर ऐसा कोई आचरण नहीं किया है जो असंसदीय हो और जिससे किसी को पीड़ा हुई हो।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब तो सब बातें हो चुकी हैं। नेता सदन, नेता विरोधी दल ने भी अपनी बात कह दी है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इसी संबंध में निवेदन कर रहा हूं। मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जितने सवाल यहां आते हैं, मैंने आपको एक पत्र भी लिखकर उस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया था। उसमें कई सूचनायें लिये जाने के कारण सदन का काफी समय चला जाता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल हों 2-3 उन्हें ही लिया जाना चाहिये। आपने कृपा करके कल माननीय नेताओं की एक बैठक भी बुलायी थी। उसमें नियम 56 के बारे में भी जिक्र हुआ था। और कल की बैठक में आम सहमति थी कि नियम 56 एक महत्वपूर्ण विषय है, अतः आज महत्वपूर्ण दो तीन प्रश्नों पर ही आप केवल ग्राह्यता के ऊपर माननीय सदस्य को संक्षेप में सुनेंगे उसके बाद आप निर्णय देंगे। आज जब वह विषय आया तो आपने माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी को ग्राह्यता के बारे में बोलने के लिए पुकारा। माननीय श्री ओझा जी खड़े हुए। जब वे बोल रहे थे, तो उसी समय आप यह कहते कि माननीय ओझा जी आप ग्राह्यता की सीमा के अन्दर बोलें। माननीय श्री ओझा जी ने अपनी बात कही। विरोध पक्ष के दो तीन सदस्य ग्राह्यता के बारे में बोलने के लिए इच्छुक थे। क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय एक विधायक से संबंधित था। वे विधायक चोट लगने से अस्पताल में दाखिल हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रपट लिखवाई है। श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र जी उसके ग्राह्यता के विरुद्ध बोलने के लिए खड़े हुए क्योंकि यह विषय उनके अपने थानेदार से संबंधित था।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मेरे थाने का मसला नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह–

जिस तरह से श्री मिश्र जी ने अपनी बात रखी, उससे उत्तेजना फैल गई। दोनों तरफ से भद्दा प्रदर्शन हुआ। इस तरह के प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश के आदरणीय सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। आज सारे देश में इस घटना की चर्चा होगी। हर जगह हमारी निन्दा होगी। ऐसी घटना न हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। इस घटना के लिए न तो मिश्र जी जिम्मेदार हैं और न ओझा जी। इस संबंध में आपके पीठ से भूल हुई है। आपको केवल ग्राह्यता के बारे में सुनना चाहिए था। उसके बाद आप संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनते या फिर मुख्य मंत्री जी को सुनते कि यह अग्राह्य क्यों है? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पहले भी आपसे निवेदन किया जा चुका है कि नियम 56 पर और प्रश्नों के बारे में विवाद न खड़ा किया जाय। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सदन की गरिमा को रखने के लिए कुछ मंत्री भी ऐसा उत्तर देते हैं, जिससे सदन में उत्तेजना पैदा हो जाती है। वे लोग जिम्मेदारी वाला उत्तर नहीं देते हैं। प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी, माननीय आर्या जी, माननीय श्री जयराम वर्मा जी और श्री नरेन्द्र सिंह जी क्यों नहीं उत्तर देने खड़े होते। संसदीय कार्य मंत्री जी तो बीमार हो गये हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी तो वही उत्तर देते हैं जो विभाग के अधिकारियों की ओर से लिखकर आता है। उसमें वह कामा और फुलिस्टाफ को भी दायां और बायां नहीं कर सकते हैं। अफसर जो लिख देते हैं, वह उनके लिये कुरान की आयत और वेद की ऋचा बन जाती है। यदि यही चलता रहा तो सदन की कार्यवाही का संचालन कैसे होगा? माननीय मुख्य

मंत्री जी अपने मंत्रियों को आदेशित करें।

(अत्यधिक शोर)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इन दलालों के कहने पर हम सदन की कार्यवाही से नहीं हटेंगे। इस तरह की बकवास को हम बर्दास्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जो चीज आप कह रहे हैं यही मैं आप से आग्रह कर रहा हूं।

नियम 56 के अन्तर्गत जो मैनेजर सिंह जी ने सुझाव दिया है उस को मानता हूं और यही आग्रह करता हूं कि सदस्यगण संक्षेप में अपनी बात ग्राह्यता पर कह लें मगर माननीय सदस्य यदि मेरे आग्रह के बाद भी बोलते रहें तो आप ही बता दें कि वह कौन सा रास्ता अपनायें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत जो मथुरा जिले की बाढ़ के सिलसिले में था, उसे मैं ध्यान आकृष्ट करने के लिए सरकार के पास भेज रहा हूं। जहां तक रामचन्द्र दक्ष सिंह जी का फैजाबाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सिलसिले में, तो मैं उस को अवाच्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं। इसी तरह से माननीय डा0 दिनेश जौहरी, के प्रदेश में गायों की तस्करी के संबंध में है, श्री राजेन्द्र गुप्त की इस प्रकार की नियम 51 में भी सूचना आयी है, दोनों को मिला कर के वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूं। इसी तरीके से अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या का मामला है जो शतरुद्र जी का है, वह भी वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

एक सदस्य–

मान्यवर, ओझा जी का ?

श्री अध्यक्ष–

ओझा जी की सूचना जो रणजीत सिंह विधायक के संबंध में है, वक्तव्य के लिए स्वीकार है।

(मद संख्या 10 पुकारे जाने पर)

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

श्री अध्यक्ष–

नेताओं की बैठक जो तय हुआ था, उसी के अनुसार हुआ है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुनेंगे। क्या शालीनता से बैठक यहां का जो सदन है, चले, इसमें हम आप को सहयोग देंगे, क्या यह केवल हमारा काम है ? या हम भी वैसे ही करें तभी काम करेंगे। गांव के गांव बह जायेंगे . . . .

श्री अध्यक्ष–

आप कल दे दीजियेगा।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,98,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इसी के संबंध में आपकी अनुमति से दो शब्द कहना चाहता हूं । आज के इस प्रदेश के विकास की बेला में इस विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और प्राचीन काल से ही इस बारे में कोई न कोई व्यवस्था रही है। अपने प्रदेश में आजादी के पहले ही 1945 में इस विभाग की शुरूआत हुई। सबसे पहले प्रदेश में रोडवेज की पहली बस का संचालन 15 मई, 1947 को लखनऊ और बाराबंकी के बीच में हुआ । धीरे-धीरे यह विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है और प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में परिवहन सेवायें प्रदेश में 7 हजार 465 कि0मी0 पक्की सड़कों पर फैल गया था । चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में रोड ट्रान्सपोर्ट एक्ट के अन्तर्गत राज्य परिवहन की 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के रूप में स्थापना हुई ।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इसकी सीमायें आप सभी के सम्मुख है । वैसे पिछले कुछ महीनों के पूर्व जब यह भार आप लोगों की तरफ से मुझे सौंपा गया उस समय इसकी स्थिति आज से कहीं ज्यादा खराब थी और जो कुछ अपने यहां बहुचर्चित विभाग है, उसमें से एक प्रमुख सा विभाग दिखता था । आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कमियां जरूर रही है और तमाम सारी आलोचनायें और प्रत्यालोचनायें होती रहती है । मैं उन सारी बातों को नेगलेक्ट नहीं कर सकता, उससे दूर नहीं मानता हूं, लेकिन इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस समय सरकार की जो भी योजना है, उसके अंतर्गत इसका हर तरह से सुदृढ़ीकरण करने के लिये विभाग अनवरत प्रयास कर रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 84-85 में परिवहन निगम के बेड़े में 6198 बसें, 151 ट्रकें तथा 59 टैक्सियां थीं । निगम की बस सेवायें प्रदेश के 2,69,626 किलोमीटर मार्ग पर प्रसारित दो बिन्दुओं के बीच 1818 मार्गों पर जनता को अनवरत रूप से बस परिवहन व्यवस्था सुलभ कर रही है । इसमें कमियां तमाम सारी है, जिस पर निगाह जाती है, आप इंगित भी करेंगे और सुझाव भी देंगे लेकिन मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी भूमिका देना चाहता हूं कि कैसे इसको और भी मजबूत बनाने की कोशिश में है।

विभाग को प्रशासनिक नियंत्रण में सुविधा की दृष्टि से प्रदेश को 6 जोनों, 14 संभागों तथा 12 उप सम्भागों में बांटा गया है । वाहनों का पंजीकरण करना, स्वस्थता प्रमाण-पत्र देना, चालकों एवं परिचालकों को लाइसेंस देना, अनुज्ञा पत्र दिया जाना आदि काम परिवहन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं । परमिट शुल्क का निर्धारण करना प्रमुख चीज है, जिसकी बहुत ही चर्चा हाउस में हुई है । बजट के पूर्व भी आपको और हमको सब को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी दुर्घटनायें भी होती रही है, लेकिन एक चीज खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि जब "डेटा" हमारे सामने आते है, तो हमें ज्ञात होता है कि पिछले 4 सालों में इसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है बल्कि काफी बड़ी संख्या में कमी आयी है । वर्ष 1981-82 में 612 दुर्घटनायें हुई, 82-83 में 507 दुर्घटनायें हुई, 83-84 में 473 दुर्घटनायें हुई जब कि पिछले वर्ष 84-85 में इनकी संख्या घटकर 449 रह गयी ।

इससे साफ जाहिर होता है कि प्रगति की तरफ अवश्य अग्रसर हैं, लेकिन हम इसको मानते हैं कि इसमें और भी ज्यादा कमी आनी चाहिये और इसमें कमी लायी जा सकती है। इसके लिये प्रयास करने का समय है। करों की वसूली जो कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं

वर्ष 1984-85 में 117 करोड़ रु0 की प्राप्ति हुई थी करों की वसूली से, वर्ष 85-86 में टारगेट 130 करोड़ रु0 का है, लेकिन मैं समझता हूं कि विभाग के प्रयास ऐसे हैं, अधिकारियों के प्रयास ऐसे हैं कि 150 करोड़ रु0 तक इकट्ठा करने की कोशिश में है। वर्ष 84-85 में 1,58,400 वाहनों की चेकिंग की गयी, लगभग एक लाख वाहनों के चालान हुए, लगभग 1,000 चालकों व लगभग 15,000 वाहनों को बन्द किया गया और शमन शुल्क के रूप में लगभग 2 करोड़ रुपये वसूल किये गये। लगभग 53,200 मुकदमों में फाइन हुआ और सवा करोड़ रु0 इकट्ठा हुए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 1985-86 के पहले तीन महीनों में सभी करों की वसूली में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि इससे इस विभाग को और विभाग के माध्यम से जो घाटा पिछले दिनों तक रहता था उसमें काफी कुछ सुधार लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। विभाग का जो प्राधिकरण है उसको सुदृण बनाने के लिये और साथ ही साथ उसके पुनर्गठन का भी मामला विचाराधीन है। प्राधिकरण में जो असंतुलन की वास्तविक परिस्थितियां थीं उसमें परिवर्तन करके उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिये हम वायरलेस सेट लगवा रहे हैं। जो गाड़ियां पल्यूशन ज्यादा करती थीं उसमें स्मोक मीटर की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह से शराब पी करके जो ड्राईवर वाहन को चलाते थे उसके लिये ट्रंक्यूलाइजर हम मंगा रहे हैं। इन सब बातों के ऊपर हम कठोर कदम उठा रहे हैं और आशा है कि आप सबके सहयोग से अच्छे परिणाम हम आपके सामने रख सकेंगे।

दुर्घटनाओं के संबंध में मुझे यह कहना है कि हम उनको जो कम्पनसेशन की राशि देते हैं उसको हम बढ़ाने की कोशिश में हैं। जो लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं अब उनको काफी पैसा मिल सकेगा और जो इन्जरीज के लिये हम पैसा देते हैं उसको भी बढ़ाने के बारे में हम काफी प्रयास कर रहे हैं। 127 बसों की दुर्घटनाओं में हमने 27 लाख रु0 की आर्थिक सहायता दी है। दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिये, विशेष कर पहाड़ी क्षेत्रों में बसों की फ्लीट के बारे में ड्राइवर जिसको ट्रेनिंग नहीं है, इन सब बातों के बारे में हम तमाम सारी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि बसों की दुर्घटना की रोकथाम हो सके और ट्रेनिंग के लिये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल रहे हैं।

जैसा कि मैंने अभी बतलाया परिवहन निगम 1972 में बना उसके बाद में दुर्भाग्य इस बात का है, मैं इसकी सच्चाई से अपने कमियां भी हैं। कमियां हर कदम पर हैं। भ्रष्टाचार तो नहीं कहूंगा को परे नहीं कर सकता कि इसमें बहुत सी

क्योंकि भ्रष्टाचार का तो व्यापक रूप होता है, उसके माने भी कुछ और होते हैं, लेकिन अभी जो कुछ भी आप इस निगम में देखेंगे कि जहां भी सप्लाई होती है रिपेयर में, सबमें गड़बड़ी होती है। माल जो खरीदा जाता है उसमें क्वालिटी कन्ट्रोल पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जाली समान आता है, सही टेन्डर नहीं लिये जाते हैं।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, यह बजट पेश कर रहे हैं या कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

राजकुमार संजय सिंह—

मैं कटौती के प्रस्ताव पर नहीं बल्कि बजट पर बोल रहा हूं और जो सच्चाई है उसकी तस्वीर आपके सामने रखना अपना कर्तव्य समझता हूं। तो मैं कह रहा था कि जो भी सामग्री की खरीद होती है, यह ज्यादातर देखने में आया है कि सारी सामग्री सब स्टेण्डर्ड ली जाती रही है। जो सच बात है उसकी जानकारी आपको भी है और उसको मैं एडमिट करता हूं और बतला रहा हूं कि कैसे उसको रेक्टीफाई हम करेंगे।

मान्यवर, यह ऐसा विभाग है कि जो जेब में नहीं रखा जा सकता है। यह विभाग ऐसा है कि जिसकी बसें गांव-गांव जाती हैं इसलिये मैं आपके सामने इसकी पूरी तस्वीर रखना चाहता हूं कि वर्तमान में यह विभाग क्या है और भविष्य में यह कैसे कामयाब होगा इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं।

मान्यवर, इन सारी कमियों को देख कर हमने दो तीन महीने हुए हमने एक सर्वे कराया, एक स्टडी करायी थी जिसमें तामिलनाडू की एक कंसल्टेन्ट एजेन्सी है "पल्लवन" के नाम से उसने पूरी स्टडी की है और उसकी रिपोर्ट आ गयी है, उस रिपोर्ट की पूरी रूपरेखा की घोषणा आज मैं आपके सामने करूंगा। 2–4 शब्दों के बाद उसकी आपके बीच में घोषणा करूंगा इस बीच में जो भी सुधार आये हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। संचालन में इस समय सुधार इतना आया है कि पिछले जून माह में यात्रियों की संख्या में पिछले माह जो एक वर्ष में रूपरेखा होती थी, उसमें 38 लाख ज्यादा यात्रियों ने बस में यात्रा की है। मई में यह 40 लाख थी। किलोमीटर में विगत वर्ष के दौरान अप्रैल में 44 लाख, मई में 12 लाख तथा जून में 2 लाख की वृद्धि हुई है। जो हमारी बसे चलती है उसमें कि0 मी0 की तादाद बढ़ी है। निगम ने स्पष्टतः कि0 मी0 क्षमता बढ़ायी है। लोड फैक्टर जो हमारा था वह गत वर्ष के दौरान में इस वर्ष 69 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हुआ है, जो अपने में इंष्टपात करता है कि इसमें सुधार हुआ है। बसेस उपयोग में वृद्धि हुई है, जिसमें प्रति दिन 218 कि0 मी0 प्रति बस जबकि गतवर्ष सिर्फ 118 कि0 मी0 थी। आर्थिक सुधारों में उठाये गये कदम में बसों की प्रति कि0 मी0 आय 362 पैसे, मई में 384 पैसे और जून में 387 पैसे प्राप्त हुई और बढ़ती हुई इसी तरह से जून माह में 18.80 करोड़ रुपये की आय हुई जब कि गतवर्ष 12.46 करोड़ हुई थी।

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोग एक अच्छी व्यवस्था दें,

आज एक नयी प्रणाली से जो हम व्यवस्था करने जा रहे हैं । हम विश्वास करते हैं कि आपके मार्गदर्शन से और भी ऐसे एचीवमेन्ट होंगे और इसमें सुधार जरूर आयेगा । नगर बस सेवा के बारे में जरूर कठिनाई है, जो हम लोग महसूस करते हैं, हर जगह कठिनाई है चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे कानपुर हो, हर कवाल टाउन्स में समस्या है। उसमें तमाम सारी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए स्टडी कर रहे हैं । उसमें हरेक स्थिति में हरेक शहर में 0.3 परसेन्ट बसें उपलब्ध होनी चाहिए हरेक प्रति हजार हमारे यात्रियों को, लेकिन उसके अनुसार बसों की संख्या जो आती है हमारे यहां प्रदेश में उतनी नहीं है, उसमें करीब 1985 बसें होनी चाहिए उसमें हमें अभी सिर्फ करीब साढ़े चार सौ बसें ही उपलब्ध हैं। जो नई 1985-86 में 450 बसें खरीदी हैं, इसमें 1500 बसें खरीदी जानी शेष है हमारी ऐसी व्यवस्था है कि 5 सालों में जितनी भी आवश्यकता है वह पूरी की जायेगी। बसों की डिजाइन में भी परिवर्तन किया गया है उसमें आवाज ज्यादा थी। आपके कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि उसमें छाता लेकर चल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

छाता ला रहे हैं ।

राजकुमार संजय सिंह–

मैं सलाह दे रहा हूं कि छाता लेकर न आयें निगमों का पुनर्गठन कर रहे हैं। कन्सलटिंग एजेन्सी से वहां की परिवर्तन करने की व्यवस्था में विचार किया जा रहा है । टिकट के बारे में घपला है, जो आपको जानकारी है । जो हमारे यहां टिकट का सिस्टम है, बहुत ही भ्रामक है और समस्या पैदा करने वाला है । उसके बारे में हम विभाग की व्यवस्था कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम बेइमानी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा हो । इस विभाग में जो चैकिंग की व्यवस्था है उसको ज्यादा मजबूत किया जा रहा है । स्टाफ की मानीटरिंग ठीक से हो सके इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि इसमें सुधार लाया जा सके, इसे और भी मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके ।

मान्यवर, नयी प्रबन्ध सूचना व्यवस्था की गयी है, आज के वैज्ञानिक युग में जो कर्मचारी हैं उनके कार्य का ठीक से रख रखाव नहीं हो पाता है । इन सारी चीजों की व्यवस्था हो सके, इसीलिये इनका हम कम्प्यूटराइजेशन कर रहे हैं। इससे बसों का लेखा जोखा और जो कर्मचारी है उनका लेखा जोखा रखा जा सकेगा । हम बहुत कठोर कदम उठा रहे हैं जिससे सारी सूचना ठीक से मिल सके और वह जानकारी वैज्ञानिक तरीके से हो सके, इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमारा प्रयास है कि मानवीय क्षमता का विकास किया जाये । मान्यवर, 1972 में इस निगम की स्थापना की गयी है और जो विभाग है वह तो बहुत पुराना है, लेकिन आज तक इस विभाग में जो कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था नहीं की गयी है । अधिकारी और कर्मचारी सीधे भरती होते हैं और सीधे काम पर लगा दिये जाते हैं इन बदलती हुई

परिस्थितियों में उनकी कार्य क्षमता किस प्रकार से बढ़े और किस प्रकार से वह ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, इसलिये हमने उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है और अभी तक 100 अधिकारियों को टाटा कम्पनी और सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है, जिससे विभाग को चुस्ती प्रदान कर सकें ।

मान्यवर, कार्यशाला कानपुर के बारे में बहुत कहा जाता है, वहां पर हमारी सेन्ट्रल वर्कशाप है । जो भी सदस्य मिला उसने यही कहा कि वहां पर बहुत ही भ्रष्टाचार है और बेईमानी होती है । मान्यवर, उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सके इसके लिये हमने एक विशेष एजेन्सी से स्टडी करायी है और 30 लाख के इक्यूपमेंट्स, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और इन्सेंटिव की व्यवस्था की जा रही है, जिससे 7000 बसों की फ्लीट की व्यवस्था ठीक ढंग से की जा सके । इस बारे में आलोचना की जाती है और हम भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि जो भी कार्य ठीक हों उनका एप्रीसियेशन भी जरूर होना चाहिये, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो । मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा यह प्रयास है कि सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना की एक शाखा हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो । इस सम्बन्ध में मैंने सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्री से बात कर ली है और निवेदन किया है कि उसकी एक शाखा हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो । हम वहां पर गये थे और इन्स्टीट्यूट के प्रबन्ध मैनेजर से भी बात की है, जिससे कि उसकी एक ब्रान्च उत्तर प्रदेश में खुल सके । मान्यवर, उसकी जगह और शैड के लिये स्वयं प्रबन्ध किया है और मुझे आशा है कि इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिये ।

मान्यवर, इस परिवहन निगम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां के कर्मचारियों में व्यवहार और कुशलता की कमी है । विधायक और यात्री जाते हैं, उनको ठीक से रेस्पान्स नहीं मिलता है कि बस कब जायेगी, कहां-कहां पर रुकेगी । कर्मचारियों में ठीक से जवाब देने की भावना नहीं है । कर्मचारियों और कन्डक्टरों में जिस तरह का व्यवहार होना चाहिये, वह हो, इससे निगम की इमेज और उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी। मान्यवर, सबसे बड़ी बात है कि जो परम्परा है, प्रक्रिया है कि बिना टिकट के कोई कष्ट नहीं महसूस करता है। कोई गिल्टी न महसूस करें। उसको कैसे ठीक कर सकें इसके लिये हम एक अभियान चला रहे हैं जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो जायेगी कि हमें टिकट खरीदकर ही यात्रा करनी चाहिए । जिससे उनको यह मालूम हो सके कि टिकट का यह जो पैसा है वह किसी व्यक्ति की जेब में नहीं जाता है, बल्कि वह जनता की सेवा में ही लगता है। पिछले 10-12 सालों से जो हमारी बसेज की फ्लीट है उसमें बदलावा नहीं आया है जिसके कारण उसकी आलोचना भी होती है । इसीलिये सख्ती से हमारी निगाह भी जा रही है । हमारा प्रयत्न है कि हम अगले पांच सालों में इस फ्लीट को स्वस्थ कर सकें, जिससे बस सेवा आम जनता को सुलभ हो सके । हमने दूसरे प्रदेशों में जाकर देखा है । तामिलनाडु में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है । वहां पर बस सेवाओं को विभिन्न श्रेणियों में

बांटा गया है । वहां पर एयर कंडीशन बसेज भी चलती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इतने बड़े और विस्तृत प्रदेश में साधारण तरीके से ही बस सेवा नहीं रख पा रहे हैं ।

मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी जो योजनायें हैं उनमें इन बस सेवाओं को स्वस्थ करेंगे और अगले पांच साल के भीतर हर तरह की श्रेणी की बसें हम हर रूट पर चलायेंगे। साथ ही जो हमारे तीर्थ-स्थल हैं, टूरिस्ट के प्वाइन्ट आफ व्यू से वहां के लिये हम विशेष बस सेवा उपलब्ध करा सकें । आज सबसे बड़ी एक चीज यह आती है कि कंडक्टर अपने आप रूट चेंज कर देता है । ड्राइवर जहां जाना चाहता है, उसका रूट बदल दिया जाता है। इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि रूट श्रेणी बद्ध होगा। ए, बी, सी श्रेणी हम करने जा रहे हैं जिसमें कंडक्टर या स्टेशन इंचार्ज जहां पर बस सेवा आवश्यक हो, उसी तरह की बस में उसी श्रेणी का कर्मचारी लगेगा । इस तरह की व्यवस्था की जा रही है । इस तरह के मॉरल वैल्यूज पैदा हों, एक ऐसा अटेचमेंट पैदा हो, सानिध्य जिससे रह सके कि इन बसेज के द्वारा हम देश और प्रदेश की आम जनता की सेवा कर सकें ।

मान्यवर, जहां हमारा परिवहन निगम इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, वहीं इस विभाग के अन्दर खेलकूद को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि इस दृष्टि से भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके । हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जो प्रदेश में अच्छे और उत्साही प्लेयर्स हैं उनको भी कारपोरेसन्स के माध्यम से उनमें नौकरी देकर उनका और उत्साह बढ़ायें ।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि मैं जो आपके सामने अपने इस परिवहन निगम और परिवहन विभाग के बारे में आपके बीच में कुछ कह सका । जो समस्यायें हमारे विभाग में हैं उनको देखते हुये जो हमने खोज की है और नये आयाम में जो हमने नई नीतियां निर्धारित की हैं उन्हें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । सरकार की जो परिवहन नीति है जो उसके सम्बन्ध में लांग टर्म प्लानिंग है जिसके माध्यम से हम परिवहन सेवा को ज्यादा सुदृढ़ बना सकेंगे और जो हमने समय-समय पर बात कही है, सदन में भी कही हैं और बाहर भी कहीं हैं वह यह है कि हम इसका विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं ।

परिवहन निगम इतना बड़ा है कि इस प्रदेश की 12 करोड़ से भी ज्यादा आबादी के हिसाब से हम इसे डिसेन्ट्रलाइज करना चाहते हैं और उसके लिये हमने जो नीति तैयार की है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये सभी प्रकार की परिवहन सेवायें पूर्ण रूप से सहायक हों। इस ओर सरकार इस बात के लिये भी सदैव प्रयत्नशील रहेगी कि परिवहन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के साधनों का विकास समन्वित ढंग से एवं उपयुक्त संसाधनों के अधिक से अधिक उपयोगिता के आधार पर हो।

दूसरे, प्रदेश में परिवहन के प्रमुख साधन रेल एवं मार्ग यातायात ही रहेंगे। जहां तक रेल सेवाओं का प्रश्न है, सरकार की यह पूर्णरूप से चेष्टा रहेगी कि भारत सरकार द्वारा उन्हें अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाया जाये एवं यथा सम्भव उनकी सेवाओं के आधार का विस्तार हो। प्रदेश के लिये उपलब्ध

वायु सेवाओं के बारे में भी सरकार इसी प्रकार प्रयास करेगी। निकट भविष्य में परिवहन की दृष्टि से प्रदेश की मुख्य नदियों के प्रयोग के बारे में भी सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही की जायेगी। तीसरे सड़क परिवहन के परिपेक्ष्य में जहां तक माल वाहनों का सम्बन्ध है, सरकार की वर्तमान उदार नीति बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास होगा कि माल वाहन अपनी सेवायें आवश्यकतानुसार देश के अन्य दूसरे भागों में भी नियमित ढंग से चला सकें।

चौथे यात्री सड़क परिवहन के बारे में सरकार निम्न रूप से विशेष प्रयत्नशील रहेगी–

निगम का संचालन हर प्रकार से सुव्यवस्थित किया जायेगा। अगले 5 वर्षों में निगम के बस बेड़े की निष्प्रयोज्य बसों की पूरी तरह से परिस्थापना कर दी जायेगी। अनुरक्षण का आवश्यक आधुनिकीकरण किया जायेगा। केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर की उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी तथा वर्तमान कार्यशाला को स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में संचालित किया जायेगा। राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्तमान प्रशासकीय ढांचे का मण्डलीय स्तर पर प्रभावी रूप से विकेन्द्रीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। ध्येय यह होगा कि आगे चल कर यह इकाइयां एक स्वतंत्र रूप धारण कर सकें।

श्री गौरी शंकर भइया–
मान्यवर, यह पढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–
नीति संबंधी वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

राजकुमार संजय सिंह–

नगरीय परिवहन सेवाओं को समुचित ढंग से उपलब्ध कराने हेतु भी एक अलग इकाई की स्थापना की जायेगी। (व्यवधान) यह नीति है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर जन आवश्यकताओं का पूर्णरूप से सर्वेक्षण करते हुए यात्री बसों के लिए अनुज्ञा पत्र दिये जायेंगे। इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि अनुज्ञापत्र से संबंधित मार्ग जन सुविधा को पूरी तरह दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित हो। इस परिपेक्ष्य में यथावश्यक संबंधित राष्ट्रीयकृत योजनाओं में भी संशोधन किया जायेगा।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी भाषण दे नहीं रहे हैं लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं। मैं आपकी इस संबंध में व्यवस्था चाहता हूं। अगर नीति संबंधी वक्तव्य है तो उसे वितरित करा दें। यह लिखा हुआ है। इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आपका कहना अपनी जगह पर सही है, लेकिन माननीय मंत्री जी नीति सम्बन्धी वक्तव्य पढ़ सकते हैं। आप संक्षेप कर दीजिये।

राजकुमार संजय सिंह–

इसमें ज्यादा से ज्यादा दो मिनट लगेगा। आगे है कि नगरों में केवल उन्हीं हल्की व्यवसायिक गाड़ियों को अनुज्ञापत्र दिये जायेंगे, जिनकी बनावट, संचालन एवं कार्यक्षमता नगरीय यातायात एवं वातावरण के अनुकूल हो।

परिवहन करों से संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन इस आधार पर किये जायेंगे कि एक ओर करों की

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वसूली में सरलता आये एवं साथ ही साथ करों की अपवंचना की रोकथाम भी प्रभावी ढंग से हो।

वाहनों की दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से और प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, विशेष तौर पर वाहनों के स्वस्थता प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था और सुदृढ़ की जायेगी तथा मार्गों पर परिवहन नियमों का पालन सुदृढ़ रूप से कराया जायेगा।

परिवहन विभाग के कार्यालय जो वर्तमान में केवल 26 जनपदों में उपलब्ध हैं, का विस्तार यथाशीघ्र सभी जनपदों में किया जायेगा। विभागीय प्रक्रियाओं को जनसुविधा की दृष्टि से अधिक से अधिक सरल बनाया जायेगा। विभागीय नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से यथासम्भव कम्प्यूटर का उपयोग भी किया जायेगा।

मान्यवर, जैसा मैंने आपके सामने निवेदन किया इस विभाग की रूपरेखा के बारे में हम क्या व्यवस्था करना चाहते हैं वह आपके सामने रखा। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और अपने साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ध्यान से मेरी बातों को सुना कि हम परिवहन के बारे में क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31–परिवहन विभाग से संबंधित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, यातायात के साधनों का विस्तार तथा सस्ते एवं उचित मूल्य पर नागरिकों को सुविधा प्रदान कराना, निजी वाहनों को पुलिस के भ्रष्टाचार से मुक्त करना है।

मान्यवर, अभी माननीय परिवहन मंत्री जी जो जोरदार शब्दों में अपने विभाग के बारे में उद्घोषणा कर रहे थे और कह रहे थे कि हम यह नीति बनायेंगे। मुझे उनके भाषण से इस बात से जरूर प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने पूर्व के दो परिवहन मंत्रियों को भ्रष्टाचार का पोषक मान लिया एक तो माननीय वीर बहादुर सिंह जी और दूसरे हमारे माननीय बल्देव सिंह जी आर्य को। क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें यह कहा कि पूर्व में भ्रष्टाचार अपनी जगह में चलता रहा और कहा कि अब हम प्रगति कर रहे हैं। तो मान्यवर, यह मुख्य मंत्री के पद का जो झगड़ा है उसमें श्री वीर बहादुर सिंह और माननीय मंत्री जी दोनों दावेदार हैं। इसलिये किसी न किसी को तो भ्रष्ट साबित ही करना पड़ेगा जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

मान्यवर, एक बात यह जरूर कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि 15 मई, 1947 को लखनऊ से बाराबंकी बस का संचालन करके परिवहन विभाग की स्थापना हुई, तो ऐसा नहीं है बल्कि 1937 में जब इस सदन में भारतीयों की सरकार बनी थी तो उस समय सुझाव दिया गया था क्योंकि इसके पहले परिवहन विभाग की बसें जो चलती थीं, वह पुलिस अधीक्षक द्वारा परमिट दिये जाने पर-जिला स्तर पर बसें चलती थीं; किन्तु यहां जब सुझाव दिया गया कि इसको व्यापक बनाया जाये तो भारतीय संसद ने एक मोटर वेहिकिल एक्ट 1939 में बनाया उसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंतर्गत यह रेगुलराइज करने के कि परमिट कैसे दिये जायं। तो 1939 में इसकी व्यवस्था शुरू हुई, जिसके विरुद्ध प्राइवेट आपरेटर्स ने अपील किया उसमें कुछ प्रतिबन्ध लगे और फिर कुछ संशोधन हुये जिसके अन्तर्गत यह परिवहन विभाग चल रहा है।

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी ने बड़ी होशियारी से आंकड़ों की यह किताब प्रस्तुत किया लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि आज तक कितने प्रतिशत बसें चल रही हैं, परिवहन विभाग में कितनी सड़कें हैं और कितनी नई सड़कें लेंगे, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा। मान्यवर, सड़कों की लम्बाई जितनी है उसका आंकड़ा इन्होंने दिया है कि 1979-80 में 21867 कि0 मी0 सड़क पर बसें चल रहीं थीं, इधर कुछ बढ़ा होगा लेकिन उसका आंकड़ा नहीं दिया। इन्होंने कहा कि बसों की अधिष्ठापित क्षमता जो चलती हैं, किलोमीटर निकलता है, उसका अलग आंकड़ा है, उसमें नहीं पता चलता कि कितने किलोमीटर पर बसें चलती हैं।

मान्यवर, सड़कों के बारे में बताना चाहता हूं कि उ0 प्र0 में पी0 डब्लू0 डी0 की जो सड़कें हैं वह 50117 कि0 मी0 और जिला परिषदों व अन्य 14201 कि0 मी0, कुल 64318 किलोमीटर हैं। लेकिन बसें इनकी जो चल रही हैं, इनके आंकड़े के अनुसार, 21867 किलोमीटर पर और इधर 200 कि0 मी0 बढ़ गया होगा, तो कुल 22-23 हजार से ज्यादा सड़कों पर इनकी बसें नहीं चल रही हैं। दूसरी तरफ देश के अन्य राज्यों को देखें तो गुजरात में शत प्रतिशत, महाराष्ट्र में शत प्रतिशत सड़कों पर बसें चल रही हैं। इस तरह हमसे ज्यादा परिवहन विभाग की बसें दूसरे प्रदेशों में चल रही हैं। इनका बस बेड़ा कुल 6198 है जो 1818 रूटों पर चलता है। किताब में जो दिया है उसके अनुसार कुल 18,000 बसें हैं, जिसमें लगभग 12 हजार प्राइवेट बसें हैं, इस तरह इनकी 6 हजार लगभग बसें चलती हैं। मान्यवर, इनकी बसों की क्षमता निरन्तर घटती जा रही है जिसके सम्बन्ध में कहते हैं कि बसें ओवरएज हो गयी हैं किन्तु यह नहीं बताते कि कितनी बसें चलती हैं।

मान्यवर, 1939 मोटर वेहिकिल एक्ट के अन्तर्गत धारा 68-सी जो है उसके अन्तर्गत नोटीफिकेशन जारी करते हैं कि कितनी सड़कों पर बसें चलेंगी लेकिन 1972 में पं0 कमलापति त्रिपाठी ने व्यवस्था करा दिया कि फ्री-परमिट जारी किये जायं। जब इनको यह आभास हुआ कि इस ओर ज्यादा लोग आ जायेंगे तो इन्होंने 68-सी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिससे उस पर अन्य बसें न चलें। तो बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जहां पर न आपकी बसें चलती हैं और न प्राइवेट वाले चलाते हैं, न चला सकते हैं। 1937 के पहले जो व्यवस्था थी। वह आज भी है। आज यात्री बढ़ते जा रहे हैं, जिससे यात्रा में उनकी मुसीबतें भी बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन आप बसों की संख्या नहीं बढ़ाते हैं। आपमें शक्ति नहीं है कि आप यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुसार अपनी बसों को बढ़ा सकें। जब दूसरे लोग बढ़ाना चाहते हैं, बसें चलाना चाहते हैं तो आप 68–डी का नोटिफिकेशन कर देते हैं। उसमें जो अपनी बसें चलाते हैं, उसमें कितनी बसें

चलाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने 7707 को जो अस्थायी परमिट दे रखा है, और 12555 जो इन्होंने ले लिया है। उनका जो पथकर और टैक्स है, उसे आज के हिसाब से जोड़ दिया जाए तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि इस तरह से आपके राजस्व प्राप्ति में कमी होती है। प्राइवेट वालों को हम नहीं कहते हैं, उसके पहले 95 परसेंट लोड फैक्टर प्राइवेट वालों का चल रहा है। वह ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, आपके मुकाबले में। जो आपने नोटिफिकेशन कर रखा है, उससे आपको कठिनाई होती है और उन्हें भी कठिनाई होती है। आप कितने यात्री ढोते हैं और कितने प्राइवेट वाले? तो न प्राईवेट वालों की बसें चलती हैं, न आपकी बसें चलती हैं। आप 68-सी को, जहां आप कामयाब नहीं हैं, वापस ले लीजिए या सब पर आप अपनी बसें चलाइये, या जो बसें खड़ी हैं, जिनको आप अनधिकृत बसें कहते हैं, उनको चलने की इजाजत दीजिए, जिससे आपको पथकर ज्यादा मिल सके।

आपने परिवहन निगम में एक अथारिटी बना रखी है सूबे के स्तर पर परमिट जारी करने के लिए कि कितने परमिट जारी होने चाहिए और कितने नहीं जारी होने चाहिए। आप बड़ी भारी वकालत करने वाले हैं हरिजनों की, किन्तु जितने परमिट हरिजनों को देने चाहिए थे वह बिलकुल उनको नहीं दिए गये हैं। आप तो राजा हैं और राजा कब हरिजनों को प्यार करेगा। हरिजनों को जो परमिट मिलने चाहिए वह उन्हें नहीं मिले हैं। मैं सभी हरिजन सदस्यों से कहूंगा कि वह हरिजनों को परमिट दिए जाने की स्थिति को देखें, यदि वह देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बारे में स्थिति ज्यों की त्यों है। जो 82-83 में है, वह अब भी है। केन्द्रीय सरकार ने मिनी बसों के परमिट जारी करने का आदेश जारी किया था।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद-

कितने हरिजन बस-ओनर हैं, इसकी भी संख्या आप बता दीजिए?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

इनकी खुद की दो डग्गामार बसें चल रही हैं, मैं तो यह कहकर इन्हीं की वकालत कर रहा हूं, लेकिन यह व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री मुईद अहमद-

फिर आप उनके नम्बर दे दीजिए।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

जो उनके लिए 21 परमिट जारी हो जाने चाहिए, वह जारी नहीं हुए, वह आप शीघ्र जारी कीजिए, जिससे आपको राजस्व प्राप्त हो। परमिट जारी करने का जो आपका तरीका है, वह भी बहुत दोषपूर्ण है और उसमें भ्रष्टाचार की पूरी गुंजायश बनी रहती है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, जो कहूंगा आपके बाद में विस्तार से कहूंगा। मंत्री जी के बजट में दुर्भाग्य से हम लोगों को बहुत कम समय मिल पाता है। जब आपका बजट आता है तो कोई न कोई बाधा यहां उपस्थित हो जाती है, जिससे सदन का काफी समय उसी में चला जाता है। इसलिए मैं आज इस समय ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहीं नहीं बताया है कि जो 12555 बसें चलीं उससे कितना लाभ हुआ और कितना रुपया

आपने उनको पेमेन्ट किया। तो यह आप साफ बता दें, तो साफ मालूम हो जाएगा कि आपका विभाग किस हद तक बेईमानी कर रहा है। आपको पता हो तो मुझे बतायें। हमारे लिये जानकारी लेना कठिन है क्योंकि एम0 एल0 ए0 के लिये भी टेढ़ी कोठी में जाने के लिये पास की व्यवस्था की है तो इसको हटवा दीजिये। आपको बताना चाहिये था कि कितना रुपया इससे आया और कितना रुपया आपने पेमेन्ट किया। लेकिन इसका जिक्र आपने नहीं किया।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आर0 टी0 ओ0 के दफ्तर के बारे में यहां विधान सभा में तमाम बार घोषणाएं हुयीं लेकिन कुछ हल नहीं निकला। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वह टैक्स जमा करने के लिये जाते हैं तो बीमा का कागज एक जगह जमा होगा दूसरा कागज दूसरी जगह जमा होगा। तो सारे कागज एक जगह लेने की व्यवस्था आप क्यों नहीं करते हैं। आपने 3–4 काउंटर खोल रखे हैं अगर इनको घटाकर एक कर दें तो भ्रष्टाचार कम होगा लेकिन आपने एसा नहीं किया। मान्यवर, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये एक पांडेय कमीशन बना था उसने कुछ सुझाव दिये थे। उनका सुझाव था कि अगर परिवहन निगम के दफ्तर में सारे कार्य एक खिड़की पर किये जायं तो भ्रष्टाचार कम होगा। विधान सभा में मुख्य मंत्री और कुछ मंत्रियों ने घोषणायें भी कीं लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सका।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि परिवहन के अन्तर्गत आपने जगह-जगह पर लाइसेंस देने वाली कमेटियां बना रखी हैं लेकिन आज तक कभी उनकी बैठक नहीं हुई। हमारी मिश्रा जी, मा0 सुखदा मिश्रा मंत्री हो गयी हैं वह इसकी सदस्या हैं, तो आप इन समितियों की बैठकें बुलाइये और उनसे कहिये कि अधिक से अधिक परमिट जारी करें। टेम्परेरी परमिट 3–4 महीनों के लिये होता है। उसके बाद दूसरा परमिट नहीं मिलता है तो वह बस वाले डग्गामारी करने लगते हैं। पुलिस वालों को और परिवहन विभाग के लोगों को मिलाकर डग्गामारी करते हैं, जिससे आपको राजस्व की हानि होती है। आपको जो टैक्स उनसे मिलना चाहिये वह मिलता नहीं है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उन रूटों पर आप उनको परमानेंट परमिट जारी करें। आपकी बसें 4–5 कि0 मी0 के एवरेज से चलती हैं और प्राइवेट वालों की 3 कि0मी0 के एवरेज से चलती हैं लेकिन आप 1/3 राजस्व का हिस्सा देते हैं और वह लोग 2/3 हिस्सा देते हैं। तो आप स्थायी रूप से उनके लिये परमिट मंजूर करिये।

आपने इस पुस्तिका में रोना रोया है कि हमारी आमदनी इसलिये कम है कि प्राइवेट बस वाले अनधिकृत रूप से चलते हैं। मुझे आश्चर्य है कि कुंवर साहब आप मंत्री हैं। आपका इतना बड़ा परिवहन विभाग है और इतने अधिकारी और कर्मचारी हैं फिर भी आप यह रोना रोते हैं कि हमारी आमदनी प्राइवेट वालों की वजह से कम होती है। जब आप यह रोना रोते हैं तो हम किसके पास जायं। आपके पास इतना बड़ा विभाग है और आप नहीं रोक सकते तो या तो आप अपने साफ सुथरे चेहरे पर कालिख पोत लें या हम अपने चेहरे पर कालिख पोत लें।

यह बड़े शर्म की बात है। आपके पास इतना बड़ा विभाग और कर्मचारी हैं फिर भी आप रोना रो रहे हैं कि डग्गामार बसों की वजह से हमारी आमदनी गिर रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा यदि आप स्थायी परमिट जारी कर देंगे तो यह किस्सा अपने आप खत्म हो जायेगा। मैं एक चीज के बारे में और कहना चाहता हूं। आप संभाग खोल रहे हैं, आपने परमिट जारी करने की बात कही। आपने पल्लवन समिति की राय ली और 70 हजार रुपये फीस दी। लेकिन 70 हजार रुपये देकर भी इसका कोई हल नहीं निकला। आप घूमें होंगे और देखा होगा महाराष्ट्र के पल्लवन की खूबियों को। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो आप सर्वेक्षण करवाइये और एक कमेटी बनाइये कि कौन कौन से रूट आपके लिये लाभदायी हैं और कौन से नहीं हैं। आपने जो 68-सी में नोटीफिकेशन कर रखा है उसको वापस कर लीजिये और प्राइवेट सेक्टर वालों को लाइसेंस दीजिये तो आपकी राजस्व प्राप्ति स्वत: बढ़ जायेगी।

मान्यवर, मैं थोड़े समय के लिये निगम की तरफ आना चाहता हूं। आपने 60 लाख रुपये की व्यवस्था 2-3 वर्ष से की है और यह प्राविधान किया है कि यदि एक्सीडेंट हो जायेगा तो मरे हुये व्यक्ति के परिवार को 20 हजार, 15 हजार, 5 हजार दिया जायेगा। जिला धिकारी के पास भी केन्द्रीय सरकार का फण्ड है। आपने व्यवस्था कर दी है कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां दाखिल करें। आपने बता दिया है कि 10 रुपये देकर दाखिल किया जा सकता है। लेकिन वहां पर मेडिकल रिपोर्ट और न जाने क्या क्या मांगते हैं जिससे 2-3 वर्ष लग जाते हैं तब कहीं जाकर पैसा मिल पाता है। तो इसका सरलीकरण कराइये। अनुदान देने के बजाय इसका सरलीकरण करें ताकि 7-10 दिन में यह धनराशि आसानी से मिल सके। तब तो उसके माने हैं और दो वर्षों में 400 एक्सीडेंट हुए जिसमें से दो वित्तीय वर्षों में 359-359 एक्सीडेंट को आपने दिया, शेष को आपने नहीं दिया, इसलिए इस राशि को आप बढ़ावें। यह इसमें जो 60 लाख रखा है, इसको आप बढ़ायें, जिससे कि परिवहन विभाग में एक्सीडेंट से जो लोग पीड़ित हैं, उनको कुछ लाभ मिल सके। मान्यवर, अब मैं परिवहन निगम पर आना चाहता हूं। यह विभाग जो है, इसके जो कार्य-कलाप हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, माननीय मंत्री जी ने इसमें तमाम बातें बतायीं कि हम इतना इसमें कर रहे हैं, हम इतने यात्री ढोते हैं, इसका परिचालन इतना है, इसमें मुझे केवल एक चीज कहना है कि घाटा क्यों है? आपने देखा होगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इनकी बसें जो हैं, उनका मानक 250 किलो मीटर प्रतिदिन चलने का है, परन्तु वह मानक इनकी बसें नहीं पूरा कर पा रही हैं, वह केवल 220 किलो मीटर ही जाती हैं। गुजरात में 280 किलो मीटर, केरल में 282, आंध्र में 307 किलो मीटर प्रतिदिन बसें चलती हैं। आपकी क्यों नहीं इतनी चलती हैं? जो आपकी बसें हैं, उनको 250 किलो मीटर से ज्यादा चलाया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इसके सम्बन्ध में पूरा विवरण लिखा

है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इनका बसों का व्यक्ति भार हर वर्ष बढ़ता चला जा रहा है। 1980-81 में 9.95 था, 1981-82 में 9.7 था और 1982-83 में और 1983-84 में 11.38 हजार था और 1984-85 में 11.74 हो गया। इसी मुकाबिले में हरियाणा में 5.70, पंजाब में 5.85, प्रति कर्मचारी इनका व्यय और प्रदेशों के मुकाबिले में अधिक है। इनका है 63.10, मध्य प्रदेश का 44.66, पंजाब का 42.50, हरियाणा का 41.60, महाराष्ट्र का 74.331 महाराष्ट्र और गुजरात का ज्यादा होने का कारण यह है कि वह सम्पूर्ण राष्ट्र में बसें चलाते हैं। एक बस पर 11.74 व्यक्ति कार्यरत हैं, जबकि इनकी 16.26 बसें ओवर एज हैं, जो चलती ही नहीं हैं। तो इस हिसाब से 1560 बसें सड़क पर चलती ही नहीं, उस आंकड़े के हिसाब से 11 हजार, 12 हजार आदमी बेकार में, बिना काम किये ही तनख्वाह ले रहा है, इसलिए घाटा हो रहा है। जिस कमेटी का इन्होंने नाम लिया, जो पूना की कमेटी है, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ रोड एण्ड ट्रान्सपोर्ट रिसर्च, पूना, उसी के आंकड़े हैं। उसकी रपट है कि 2 लाख 80 हजार किलो मीटर चलने के बाद बसों को सेवा निवृत्त कर देना लाभदायक होगा, परन्तु आपकी बसें ओवर एज हैं, साथ ही साथ पांच लाख से सात लाख तक चलती हैं। इसलिए उनमें तेल और मोबिल ज्यादा आता है। कराधान समिति ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक बस पर 12 हजार से 16 हजार तक अतिरिक्त पुर्जे और स्पेयर पार्ट्स का खर्च आता है, जबकि आंध्र का 8 हजार आता है और आपका ज्यादा आता है, तो आपका घाटा नहीं होगा, तो क्या होगा ? मान्यवर, इनका जो अतिरिक्त खर्चा है बसों पर इस तरह से बढ़ जाता है। हरियाणा में 5.70 एक बस पर है पंजाब में 5.60 एक बस पर व्यक्ति भार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रति किलोमीटर यात्री व्यय 63.90, मध्य प्रदेश में 44.66, हरियाणा में 41.60, महाराष्ट्र में हमसे ज्यादा है, क्योंकि वह सारे रूटों पर चलाते हैं, वहां का 64.33 गुजरात में है, 60.24। इसलिए अब इसमें भी आपको सुधार लाना होगा। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने तीन महीने का बता दिया कि तीन महीनों में हमने इतना बढ़ाया, लेकिन 1984-85 के पूरे आंकड़े आप देख लें जितना आपको चलना चाहिए, उतना नहीं चले। 1980-81 के आंकड़े आप देख लें। तीन महीनों के आंकड़े आपने बताये। बजट के समय पूरे वित्तीय वर्षों की विवेचना को देखा जाता है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, दो मिनट में और कहना चाहता हूं। मान्यवर, 1980-81 में यह चले 42 करोड़ 18 लाख मार्ग किलोमीटर सवारी उठाई 46 करोड़ 10 लाख। 1981 में चले 46 करोड़ 10 लाख, सवारी उठाई 46 करोड़ 90 लाख। 1984-85 में चले 44 करोड़ 39 लाख, 38 करोड़ 90 लाख सवारी उठाई। मान्यवर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने कहा कि बस का रखरखाव ठीक नहीं है। यदि बस खराब हो जाती है तो बस को एक महीने में परिवहन विभाग को सूचना दे देनी चाहिए। जब सूचना नहीं दी जाती है तो पथ-कर लग जाता है, तो पथ-कर

आपको देना पड़ता है। इसमें भी सुधार करें। भ्रष्टाचार की जो बात कही गई है। मान्यवर, इन्जिन दो लाख 80 हजार किलोमीटर जाने के बाद हटाना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1982-83 का है। इन्होंने कहा है 42 नये इन्जिनों में से 27 इन्जिन अपना निर्धारित जीवन चलने के पूर्व हटा लिए गये, यह बेईमानी हो गयी। 11 इन्जिन 2.8 लाख किलोमीटर निर्धारित जीवन के विरुद्ध दो लाख किलोमीटर से कम चलने के पूर्व हटा लिये गये। 1982-83 में चलाए गये 219 इन्जिन, उसमें 149 इन्जिन अपने निर्धारित जीवन चलने के पूर्व हटा लिए गये। एक बात और कहना चाहता हूं। मान्यवर, इन्जिन में तेल भी ज्यादा लग जाता है, जितना लगना चाहिए वह नहीं लगता है। इन्जिन का स्तर उठाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। निगम द्वारा निर्धारित 74 सौ किलोमीटर मोबिल आयल पर चलना चाहिए। जबकि मानक के विरुद्ध 82-83 तक के तीन वर्षों के दौरान डिपोवार इन्जिन तेल का वास्तविक औसत उपयोग 264 से 397 किलोमीटर प्रति लीटर इन्जिन के बीच रहा । चोरी हो गई । जला हुआ तेल 80 प्रतिशत वापस होना चाहिए। कहीं वापस नहीं हुआ । मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इन सारे तथ्यों पर गम्भीरता से विचार करेंगे । मैं बाद में सुझाव दूंगा । चूंकि माननीय अधिष्ठाता ने लाल बत्ती जला दी है । मैं सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बल दें, परिवहन विभाग में जो व्याप्त गड़बड़ियां है, जो विसंगतियां है, उनको दूर करने के लिये इससे बल मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।।

श्री अमिताभ अनिल दूबे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी परिवहन मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और हमारे विरोध पक्ष के सदस्य पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसकी निन्दा करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि 1980 में जब कांग्रेस दुबारा सत्ता में आयी आंकड़े आपके सामने हैं, आप देखें निरन्तर परिवहन विभाग में सुधार हुआ है। आज मंत्री जी ने जो बजट रखा है, सुधार के उपाय तथा परिवहन नीतियों से परिवहन विभाग की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आज अधिक से अधिक लोग परिवहन से यात्रा कर रहे हैं। आंकड़े आपके सामने हैं। इस विभाग में जो कमियां हैं, मैं उनसे इन्कार नहीं करता हूं । उन कमियों को मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है। इन 4–5 सालों में लगातार दुर्घटनाओं में कमी, इस बात का द्योतक है कि परिवहन विभाग में मुस्तैदी से काम हो रहा है।

माननीय मंत्री जी ने जब से परिवहन विभाग का चार्ज लिया है, इसमें काफी सुधार हुआ है। जो कमियां है, इस समय जो परिवहन की नीति है, उससे काफी हद तक सुधार होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, परिवहन विभाग के पुर्नगठन से नई डिजाइन की बसें देने की बात से, जिन चीजों के लिये हम लोग चिन्तित हैं, उन समस्याओं पर हम काबू पा सकेंगे। जो 50 हजार कर्मचारियों का दायित्व निश्चित किया है, लेखा जोखा रखा जायेगा, यह बहुत बड़ा काम हुआ है। इससे परिवहन विभाग का छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सन् 1972 से परिवहन विभाग में ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में

चलने वाली बसों को जो चाहे वही चलाते थे। जिससे अधिकांश दुर्घटनायें होती थीं। परिवहन विभाग में कर्मचारियों के लिये ट्रेनिंग देने की व्यवस्था नहीं थी। इसके अन्दर ट्रेनिंग देने की जो बात कही गई है, इससे काफी सुधार होगा। मैं गाजीपुर क्षेत्र से चुनकर आया हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वहां की समस्याओं की तरफ आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जिन क्षेत्रों में परिवहन विभाग की बसें नहीं हैं या कम हैं, उन क्षेत्रों की समस्याओं को देखते हुये, नई बसें न दे सकते हों तो अनुबन्ध करके, उन क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिये बसें बढ़ा दें। दूसरी बात, हमारा गाजीपुर जनपद इसके पहले आजमगढ़ जोन में था और अब उसे बनारस मण्डल में कर दिया गया है। सुना है कि इसको फिर आजमगढ़ मण्डल में करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा अनुरोध है कि इसको बनारस में ही रहने दिया जाय। आपने तिवारीपुर से ले करके लक्ष्मीपुर तक का बसों का परमिट दिया है, जिससे गाजीपुर से 6 किलोमीटर पहले ही यात्रियों को उतार दिया जाता है और वहां से जनता को जाने के लिये कोई साधन नहीं मिलता है और दोबारा इक्का तांगा करके जाना पड़ता है। आज के समय में बसें होते हुए भी वहां पर बसें नहीं जाती हैं क्योंकि वह रोडवेज की बसों का रूट है। मैं चाहता हूं कि उस 6 किलोमीटर का परमिट और बढ़ा दिया जाय जिससे लोगों को आसानी हो जाय। इन शब्दों के साथ में पुनः बजट जो रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अधिष्ठाता जी,

[× × × ×]

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं या भाषण कर रहे हैं। क्या नियमों के अनुसार दो कटौती प्रस्ताव रखे जा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

दो कटौती नहीं होंगी। आप भाषण करें। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, जो कार्यवाही छपी है, उसे देखें और उसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, निकाल देंगे। आप बोलिये।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, माननीय सदस्यों को बर्दाश्त करने में थोड़ा समय लगेगा। एक बात माननीय मंत्री जी के भाषण में नहीं आयी, मुझे उम्मीद थी कि वे उसका जिक्र करेंगे। श्रीमन्, 12-12 और 14-14 घंटे बसों में यात्री यात्रा करते हैं, पहले बसों में फर्स्ट एड बाक्स रखने की परम्परा थी लेकिन अब किसी भी बस को चेक कर लें, फर्स्ट एड के नाम पर कोई भी दवा किसी भी बर्थ में उपलब्ध नहीं है।

श्री राम आतार दीक्षित–

अब तो वीडियो भी लग गये हैं, बसों में।

श्री गौरी शंकर भइया–

वीडियो और फर्स्ट एड बाक्स में अंतर है। फर्स्ट एड बाक्स बसों में रखने का कानून है और इसकी अवहेलना हो रही है। दूसरी बात मैं श्रीमन्, कहना चाहता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हूं कि इनके बस स्टेशनों को देख लीजिए। जो इनके सुलभ शौचालय और मूत्रालय हैं कोई भी शरीफ आदमी और स्वस्थ्य आदमी उसमें जाना नहीं चाहता है। जितनी गंदगी वहां पर दिखाई देती है, उतनी गंदगी, म्यूनिसिपैलिटी के चौराहे पर जहां पर यह काम होता है, वहां पर नहीं दिखाई देती है। आपके जो स्टेशन हैं, वहां पर भी कोई फस्ट एड की सुविधा नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर आप एक ट्रेंड हैण्ड आदमी को बैठा दीजिए ताकि दूर से यात्रा करता हुआ किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है, तो वहां पर उसे स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार मिल सके। निगम को घाटा है, इसे मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया। मैं बहुत दूर तक जाना नहीं चाहता हूं, बस एक बात कहना चाहता हूं। किसी बस वाले को यदि एक बस का परमिट दिया जाता है, तो वह 3–4 बसों का मालिक हो जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो फिर घाटा कैसे नहीं होगा। घाटे का कारण जो हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं।

पहला, कन्डक्टर के पास जो वेबिल होता है वह डुप्लीकेट होता है। अब वह चलता है तो फर्जी टिकट काटता है, जब जमा करना होता है तो ओरिजिनल जमा करता है। जैसे 80 यात्रियों को लेकर वह बलिया से कानपुर के लिए चला तो 50 आदमियों को तो वह सही टिकट देगा, लेकिन 40 आदमियों को वह फर्जी टिकट देगा। जब पैसा जमा होगा तो 50 लोगों का पैसा जमा करेगा। 40 आदमियों को फर्जी टिकट देने से जो धनराशि जमा हुई, उसे कन्डक्टर और आपके अधिकारियों ने मिलकर बांट लिया।

दूसरा, यह कि आपकी जो लोकल कार्यशालायें हैं, वहां पर बसों को खराब दिखाकर डाल दिया जाता है, लेकिन उनको लोकल रोड पर चालू कर देते हैं, उससे जो धनराशि प्राप्त होती है, वह सारा पैसा आपके प्रबन्धक, कन्डक्टर और लोकल कार्यशाला का इन्चार्ज मिल करके बांट लेते हैं।

तीसरा, मोबिल आयल की जितनी मात्रा पड़नी चाहिये निर्धारित किलोमीटर की दूरी तय करके, वह नहीं पड़ती है। कागज पर दिखा दिया जाता है। जिससे इन्जन अपने समय से पहले ही घिस जाता है। जैसा कि अभी पंडित जी ने कहा था कि 27 इन्जन को जल्दी क्यों हटा दिया गया। इसका कारण यही था कि जितना मोबिल आयल की जरूरत थी और ग्रीसिंग आयल की जरूरत थी, वह उसमें डाला नहीं गया, जिसकी वजह से वह घिस गया और खराब हो गया।

चौथा, टायर के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जितने प्लाई की टायर को लगाया जाना चाहिए, उतना नहीं लगाया जाता है। सड़कें हमारे प्रदेश की दूसरे प्रदेशों से इतनी खराब हैं कि उन पर टायर जल्दी खराब हो जाता है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विभाग में कमीशन नम्बर-2 का सामान खरीदा जाता है और अच्छे सामान को मारकेट में बेच दिया जाता है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो आपका यह विभाग चल नहीं पायेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया है कि आपकी कितनी गाड़ियां आफ दि रोड हैं, कितनी गाड़ियां आपकी निर्धारित किलोमीटर की सीमा पार कर चुकी हैं और कितनी गाड़ियां कम से कम 5 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं। पिछले साल हमने जो बसें खरीदी थी, उनकी बाडी आप

कहां बना रहे हैं। कानपुर में आपकी कार्यशाला है, जहां पर इनको बनाया जा सकता था लेकिन आपके अधिकारी दूसरे प्राइवेट बाडी बिल्डर्स से इनको बना रहे हैं, जबकि यहां पर ये कम कीमत पर बन सकती थी।

आखरी निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि प्राइवेट बसों के संबंध में, जरा मंत्री जी ध्यान दें, परमिट जारी करते हो, पूरा का पूरा टैक्स देखते हो, सारी गाड़ियों को चेक करते हो, इसके बाद भी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो अपने गन्तव्य से चले और उसे कोई दरोगा या सिपाही रोक कर पैसा न मांगे। जो परमिट जारी हुए, परमिट रहे या न रहे, थाने से परमिट लेने की जरूरत होती है। अगर वह तीन-चार सौ रुपये नहीं देता तो वह बसों को चलने नहीं देते। एक सुझाव देता हूं, हेड क्वार्टर की परिधि में जो 20 कि0 मी0 का एरिया है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप, भइया जी बैठें।

(व्यवधान)

[समय 4.35]

*कैप्टेन बल्देव सिंह—

जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, यातायात के साधन किसी देश या प्रदेश में एक ऐसा पैमाना है जो देश और प्रदेश की उन्नति और विकास को दिखाता है। उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा और पंजाब का जो इक्जांम्पल है, जो कि कृषि और उद्योग, दोनों पर ही उनके यातायात के साधनों से बहुत असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जो परिवहन निगम और ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर या नियंत्रण रखने का जो कार्यालय है, उसमें कमियां हैं, उसके बारे में मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है। जो इसके क्षेत्रीय तौर पर और उप-भागों में नियंत्रण किया है, उसके बारे में मंत्री जी को एक सुझाव देने का कष्ट करता हूं। जो क्षेत्रीय और सम्भागों, उपभागों के विभाग बनाये हैं वह उस तौर पर होने चाहिए जिस पर कि जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को, अलीगढ़ जिले की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। यहां का, 5वां या 6वां नम्बर है अलीगढ़ का लेकिन वहां अब भी उसका रीजनल आफिसर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से नियुक्त नहीं हुआ है। कृपा करके इस बारे में कुछ करने के आदेश दें।

मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो टैक्स की वसूली की गई है उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि तो जरूर होती है और 85-86 में जो 140-150 करोड़ का टारगेट है उसमें कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह काफी अच्छा है, पिछले सालों से बहुत इसमें वृद्धि हुई है, इस वृद्धि में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जो राज्य परिवहन, प्राधिकरण है उसके विषय में माता प्रसाद जी ने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये जो दिया जाता है, उसके बारे में पूरे तरीके से उनका कोटा पूरा नहीं किया था बल्कि 3-4 महीनों से जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से जो लाइसेन्स नहीं दिये गये हैं। उसका कारण एक यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो हैं, उनके प्रार्थना-पत्र आये नहीं थे। जिसके लिये उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं रीजनल आफिस को और जैसे ही आ जाते हैं तो जो भी कोटा है, अवश्य भरा जायगा, इसके लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं। बाकी जो नियंत्रण किया है मोटर वाहन का उसमें ढाकी टाकी, सैल्फ कम्प्यूटराइजेशन जो किया है, इसके अलावा जो गाड़ियां धुआं देती हैं, उसमें जो डिवाइस लगायी है और जो लगाने का प्रोपोजल है, ये सब चीजें इन सब चीजों से मोटर वाहन नियंत्रण का जो विभाग है, उसमें आवश्यक तौर पर सुधार होगा।

मेरा इस चीज के बारे में एक और सुझाव है कि जितनी भी अलग-अलग रीजनल कमेटीज बनायी हैं, उनमें जनप्रतिनिधि अवश्य हों, जो लाइसेंसेज के बारे में देखरेख कर सकें और जो शिकायतें आ रही हैं वह अलग-अलग क्षेत्र की समितियों पर जनप्रतिनिधि अवश्य हों। नगर निगम के बारे में मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो नयी बसें और नयी डिजाइनें जो लायी जा रही हैं उसमें जो बाडीज हैं, उसकी अभी तक जो बसें पुरानी थीं, उसकी बाडी की आयु और इन्जन की आयु में कोई तालमेल नहीं था, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो अब बाडीज बनायी जा रही हैं, 5 लाख किलोमीटर उनकी आयु होगी और जो गर्मी आती है बसों के अन्दर और पर्वतीय क्षेत्रों में जो ठंडक होती है, उसको बचाने के लिये जो थर्मोकोल और जो सुविधायें दी जा रही हैं, उसके लिये भी मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मा0 मंत्री जी ने जो अनुदान की मांगें रखी हैं और अपना भाषण दिया उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वह एक साथ मंत्रालय की मांगों पर और कटौती के प्रस्ताव पर एक साथ बोल रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वयं उपलब्धियों की चर्चा की और विभाग की असफलताओं को भी फराकदिली से स्वीकार किया है। उन्होंने माना कि कई प्रकार की कमियां हैं। मुझे खुशी होती कि इन विपक्षी बेंचों पर बैठते हुए भी मंत्री जी की अनुदान मांगों का समर्थन करते अगर मैं देखता कि उनका विभाग, विभाग द्वारा सड़कों पर चलने वाली बसें और उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी होती, उनकी संख्या उतनी ज्यादा होती, वह बसें उतनी आकर्षक और खूबसूरत होती जितना हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं हैं तो मुझे खुशी होती। लेकिन हालात में 3 और 6 का फर्क है जितने खूबसूरत माननीय मंत्री जी हैं उनकी बसें उतनी ही बदसूरत है, बिलकुल खटारा है, खस्ता हालत की टूटी फूटी बसें हैं जो सड़क पर चलती हैं तो हार्न को छोड़कर बाकी सब कुछ बजता है। बैंड बाजे, नगाड़े सब का शोर सुनाई पड़ेगा, तो मान्यवर, यह हमारी उन बसों की हालत है, जो हमारे प्रदेश में चल रही है।

मान्यवर, मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि एक ओर बसों का स्वर छट रहा है और यात्री किराया लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों का परिवहन मंत्रालय का सारा इतिहास गिरावट का, पतन का और घाटे का इतिहास है। आप देखें

आज से 5 साल पहले सड़क पर जो बसें चलती थी लांग रूट की, उसमें अब यात्रियों की संख्या घटाकर 75 परसेन्ट रह गयी है जबकि यात्रियों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। इसमें जहां 80-81 में 46 करोड़ 10 लाख लोगों ने यात्रा की है वहीं 84-85 में यात्रियों की संख्या 35 करोड़ 25 लाख रह गयी है। नगर सेवा की हालत तो और बद्तर है उसमें यात्रियों की संख्या घटकर 44 प्रतिशत रह गयी है इन्हीं 5 सालों में जहां 79-80 में 967 लाख 86 हजार लोगों ने यात्रा की है वहां अब 84-85 में यह घटकर 422 लाख 78 हजार रह गयी। यह हालत है हमारी नगर सेवा की।

हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वयं इसको स्वीकार किया है कि जितनी बसें हमारी सड़क पर रहनी चाहिए पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना में हम इसका 50 प्रतिशत भी प्रतिस्थापित नहीं कर सके और इस कारण से आज बसों का जो विभाग है उसमें भ्रष्टाचार है, चोरी है, जाली टिकट है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी कल ही बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में एक बस के चेकिंग में 21 सवारियां बिना टिकट पकड़ी गयी और उन सवारियों ने कहा कि हमने कण्डक्टर को पैसे दे दिया और उसने हमको टिकट नहीं दिया और वह पैसा कण्डक्टर की जेब में चला गया अब इसकी जांच हो रही है यह एक उदाहरण है विभाग में फैले भ्रष्टाचार का। इस तरह से विभाग का घाटा हो रहा है। मान्यवर, कुछ बात नगर सेवा के बारे में अवश्य ही कहना चाहूंगा। एक ओर नगरों महानगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है सिटी बस सेवा की आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन बसों की संख्या तेजी से घट रही है। मैं आगरा का उदाहरण दूं वहां पिछले 10 सालों में नगर सेवा के लिए आगरा में एक भी नयी बस नहीं दी गयी है। बस सेवा अत्यन्त जर्जर हो रही है। हमारे यहां आवास विकास परिषद् की बनाई हुई एक विशाल कमला नगर कालोनी है, आज वहां की आबादी 35 हजार है। 4-5 साल पहले जब वहां आबादी 15 हजार थी तो वहां 5, 11, 15, 31 नम्बर की बसें चलती थी और महिला बस चलती थी। आज जब 35 हजार आबादी है तो 11, 15, 31 नम्बर की बस और महिला बस बन्द है केवल एक 5 नम्बर की बस वहां चलती है। इससे यह हालत हो गई है कि हमारी बेटियां जो सुबह पढ़ने के लिए विद्यालयों और इण्टर कालेजों, डिग्री कालेजों में जाती हैं, उनकी बसों की संख्या कम होने से तथा उनकी अधिक भीड़भाड़ होने से, अकथनीय कष्टों का और अत्यन्त अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। यही हालत प्रदेश के सभी नगरों में है। हमारे परिवहन मंत्री जी जब उत्तर देने के लिए खड़े होंगे तो मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी नगर सेवा की बसों और लांग रूट की बसों की सेवाओं के लिए उनमें वृद्धि किये जाने की निश्चित घोषणा करेंगे।

श्रीमती शशि शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो गौरवशाली बजट दिया है, मैं उसकी भरपूर शब्दों में सराहना करती हूं, उन्होंने जिस उद्देश्य से इस बजट को रखा है, जिस लगन से वह अपने विभाग के सुधार की बात करते हैं, मैं उसका समर्थन करती हूं और विपक्ष द्वारा

रखे गये कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करती हूं, विरोध करती हूं ।

मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूं क्योंकि सभ्यता जो है वह सड़कों के थ्रू होकर चलती है तो सभ्यता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हमारा जो परिवहन विभाग है, उसमें सुधार होना चाहिए। हमारे देश के अन्य राज्यों की राजधानी में जैसी सर्विसेज है जैसे हैदराबाद और चण्डीगढ़ में देखें, बहुत अच्छी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है उसमें बस सर्विसेज जो है, उतनी सुविधाजनक नहीं है इसमें सुधार की आवश्यकता है। सन् 1975 में हमारे यहां 105 बसेज थीं जिसकी संख्या इस समय घट गयी है जबकि लखनऊ का विस्तार होता चला जा रहा है, इन्दिरा नगर कालोनी बन गयी है, राजाजीपुरम् की इतनी बड़ी कालोनी बन गयी है लेकिन यहां पर एक भी रूट दूसरे रूट से कनेक्टेड नहीं है। आप चौक से चारबाग जाकर देख लीजिये, इसी तरह से इन्दिरा नगर से अलीगंज तक जाकर देख लीजिये कोई भी रूट आपस में कनेक्टेड नहीं है। सारे रूट वेल कनेक्टेड होने चाहिये।

इसके अतिरिक्त आप एक बस में कर्मचारियों की संख्या को देखें कि प्रति बस कितने ड्राइवर, कण्डक्टर और फोरमैन काम करते हैं। आपकी प्रति बस आमदनी के बजाय घाटे में चल रही है जिसमें सुधार लाने के लिये मंत्री जी स्वयं जागरूक हैं और प्रयत्न भी कर रहे हैं। मैं भी उनसे अनुरोध करूंगी कि वे इसमें सुधार लायें। इसमें जो प्रशासनिक लोग हैं उनकी संख्या तो ठीक है लेकिन जो बसों में कर्मचारियों की संख्या है उसके रेशियो पर मंत्री जी जरा ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कि बसें चलने के लायक हो सकें, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये।

परिवहन विभाग के परचेज डिपार्टमेन्ट में जो गड़बड़ियां हैं जिनका कि उल्लेख मंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में किया है और वे जागरूकता के साथ इसमें जांच भी करा रहे हैं इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं और मैं उन्हें बधाई इसलिये भी देना चाहती हूं कि उन्होंने जो ट्रेनिंग की बात कही है, वह एक नई प्रणाली है।

एक्सीडेन्ट्स के लिये माननीय मंत्री जी ने अश्योर किया है कि वे सबको ज्यादा सहायता पहुंचायेंगे।

इसके साथ ही मैं मंत्री जी से एक अनुरोध और करूंगी कि मेरे क्षेत्र देवरिया में बस-सर्विस बहुत कम हो गयी है। खास करके लगन (शादी-विवाह) के दिनों में लोगों की भीड़ बस का इन्तजार करती रहती है और सुबह से शाम हो जाती है और बेचारे लोग शाम तक बैठे रहते हैं तब कहीं जाकर पता चलता है कि बस अब नहीं आयेगी, वह कैन्सिल हो गयी है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी जगहों पर बसों की सेवा की व्यवस्था सुचारु रूप से करायें जिस स्थान पर इनकी संख्या कम है।

बसों के किराये को भी कम किया जाय, 40 किलो मीटर पर जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सब्सीडी देती है उसी तरह से यहां भी बसों के किराये को घटाया जाय जिससे कि जनता की सेवा हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये।

श्री मुस्तमन्द अली खां–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के कुछ पदों के बारे में कहना चाहता हूं कि डिप्टी जोनल ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर का जो पद है, अब तक उसको कोई पावर नहीं दी गयी है जिसकी वजह से कोई चीज उनके जिम्मे नहीं है। वह एक तरह से बिलकुल बेकार है। इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि या तो उनको कोई पावर दें नहीं तो उस पोस्ट को ही खत्म कर दें।

दूसरी बात कि आर0 टी0 ओ0 आफिस में कोई रेकार्ड रूम नहीं है जबकि और तमाम आफिसेज में रेकार्ड रूम होता है। जब आर0 टी0 ओ0 आफिस में आदमी कोई काम से जाता है, तो वहां का हर बाबू कहता है कि फाइल नहीं मिल रही है जिससे कि आम पब्लिक को बड़ी असुविधा होती है और इससे करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है।

आपने नये सब-रीजन खोलने की बात की है, अभी तक वहां पर ए0आर0टी0 ओ0 (ई0) वर्क कर रहे हैं अब जो प्राविधान किया गया है वह ए0 आर0 टी0 ओ0 (ए) और पी0 टी0 ओ0 का किया गया है। पी0 टी0 ओ0 का कार्य ए0 आर0 टी0 ओ0 (ए) और ए0 आर0 टी0 ओ0 (ई0) यह दोनों कर सकते हैं तो इस पी0 टी0 ओ0 की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर एक टेक्नीकल पोस्ट रखी जानी चाहिए।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनता पर हमारी सरकार ने बहुत घोर अत्याचार किये हैं। मान्यवर, 1952 में 29 हजार वेहिकल्स इस विभाग में थीं जो रोड पर थीं, और उस समय 30 आफीसर्स थे जो इनकी देखभाल करते थे। आज इन बसों की संख्या 8 लाख 5 हजार हो गयी है, जो आन-रोड हैं, परन्तु आफीसर्स की संख्या 53 है। 1984-85 में नई गाड़ियों के रजिस्टर करने का कार्य 11,6360, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का कार्य 11,60,053, नई गाड़ियों को फिटनेस देना और पुरानी को रिन्यू करने का कार्य 61,699 और इसके साथ ही साथ 1000 गैरेज का इन्सपेक्शन। मान्यवर, आज इतना कार्य बढ़ गया है, जो कि इतने आफीसर्स प्रैक्टिकली और ह्यूमनली कर नहीं सकते हैं। जो कुछ कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है वह सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, आगरा के आर0 टी0 ओ0 आफिस की हालत ऐसी है कि कोई भी आफीसर्स वहां पर बैठकर ठीक से कार्य नहीं कर सकता है। वहां का भवन गिरने वाला है। वह बिल्डिंग कब गिर जाये इसका कुछ पता नहीं है। आदमी उसमें दबकर मर सकता है, आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं लेकिन मुआवजा देने के लिये तैयार हो जायेंगे। इसलिये इस प्रकार की कोई घटना न घटे आप आगरा के आर0 टी0 ओ0 आफिस की नई बिल्डिंग बनवा दें।

बहुत सी बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, जो रोडवेज से परमिट नहीं ले रही हैं। जिन रूटों पर आप बसें नहीं चला सकते हैं और आपकी क्षमता नहीं है

तो आप उन रूटों को प्राइवेट बसों को दे दें। आपकी बसें जो चल रही हैं और जो बसें आपने अटैच कर रखी हैं उनकी प्रति किलो इनकम में बड़ी भिन्नता है। आपकी बस कम इन्कम देती है इसलिये घाटा होता है और जो प्राइवेट बसें हैं उनको अधिक इनकम है। जो बसें आपने अटैच कर रखी हैं उनसे अधिक इनकम हो रही है, तो उनको आपको बढ़ाना चाहिये। जो बसें नई खरीदी गयी हैं उनके सम्बन्ध में इस बात की जानकारी होना चाहिए कि वह किस तारीख को खरीदी गयी हैं, किस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ और किस तारीख को रूट में आयीं। इस चीज को आप इस वर्ष और पिछले वर्ष से तुलना करें तो देखेंगे कि बहुत अन्तर आयेगा और जो यह लास होगा उसको कारपोरेशन पूरा नहीं कर सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन निगम के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे युवा परिवहन मंत्री डा0 संजय सिंह ने परिवहन विभाग में काफी गतिशीलता और सुधार लाने का प्रयास किया है, जिससे परिवहन की सुविधा में प्रगति होगी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में परिवहन निगम को बढ़ाने और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जायेगा और जो ओवरएज बसेज हैं, जो पुरानी हो गयी हैं उनको रिप्लेस किया जायेगा और इससे परिवहन में काफी गतिशीलता आयेगी। जिन औद्योगिक नगरों में परिवहन की व्यवस्था नहीं है, उनको परिवहन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी। मान्यवर, मैं परिवहन विभाग में क्रय विभाग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्रय विभाग में जो गड़बड़ियां रही हैं, उनको दूर करने के लिये सुचारु प्रणाली की व्यवस्था की गयी है तथा उन्होंने एक स्पेशल इन्वेन्ट्री कन्ट्रोल सिस्टम बनाया है जिससे परचेजिंग में और इन्वन्ट्री सिस्टम में काफी सुधार आया है। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से, परचेज इन्वेन्ट्री सिस्टम से बसों के क्रय में और उनकी कार्य कुशलता में काफी तेजी आयेगी साथ ही जो अनियमितताएं इसमें होती थीं उन पर कन्ट्रोल रहेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक तीर्थस्थल है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मथुरा-वृन्दावन के लिये नगर बस सेवायें इन्ट्रोड्यूस करें जिससे वहां जाने-आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। पैकेज टूर आप हर रविवार को कंडक्ट करायें जिससे लोग नन्दगांव, बरसाना और गोकुल जा सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यह विभाग और अधिक कार्यकुशलता से काम करेगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री रघुवर दयाल बर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के विभाग के संबंध में मैं 4/5 सुझाव देना चाहता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, फिजूल खर्ची के नाम पर विभाग के अंदर बेजोड़ हिसाब से खर्च किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने नाम से कमरा बनवाने में साढ़े तीन लाख रुपये खर्च किये हैं। यह परिवहन निगम वह निगम है जिसकी तरक्की दिखाने के

लिये यह कमरा उन्होंने बनवाया होगा । उसमें साढ़े सात हजार रुपये का रंगीन टी0वी0 सेट लगाया है जहां कि उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम की बसों की छतों से यात्रियों के ऊपर पानी टपकता हो, स्टेशनों के शौचालयों से दुर्गन्ध आती हो वहां मंत्री जी अपने कमरे में रंगीन टी0वी0 सेट लगायें तो निगम की क्या दशा सुधरेगी, इसका अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। एक ही कुर्सी साढ़े तीन हजार रुपये की मंत्री जी बनवाये हैं। इतने बड़े प्रदेश में लोगों को बैठने को बसों में सीट नहीं है और मंत्री जी ने साढ़े 36 सौ रुपये की कुर्सी बनायी हो, वे क्या सुधार ला सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग में तीन क्षेत्रीय प्रबंधक हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आपके विभाग में जो 3 क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट हैं, उनके ऊपर आप कार्यवाही करें।

मान्यवर, आपके निगम में दो प्रकार की बस सेवायें हैं। एक तो इनकी निगम की बसें हैं और दूसरी अनुबंधित बसें हैं। जो अनुबंधित बसें हैं वे 50 पैसा प्रति किलोमीटर का फायदा दे रही हैं लेकिन आपकी जो निगम की बसें हैं वे 50 पैसे घाटा दे रही हैं। वे घाटा इसलिये दे रही हैं कि विगत वर्ष में जो बसें खरीदी गई थी उनमें 975 बसों में 223 बसें ऐसी हैं जिनकी चेसिस खराब पड़ी हुई हैं, वर्षा में भीग रही हैं, उनकी बैटरियां भीग रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। साथ ही इनके 5 हजार कर्मचारी बेकार बैठे हुये हैं। यह कहा जा रहा है उनसे कि तुम इन बसों की बाडी मत बनाओ और पैसा लेते रहो। इस तरह से बसों की बाडी सड़ रही हैं। इस दोहरी नीति से आपको घाटा हो रहा है।

इसके अतिरिक्त अगले साल के लिये जो बसें आपको खरीदनी हैं उनका ठेका आपने गुप्ता जी को दिया है। बसों का ठेका उसको दिया जाता है जिसके पास कार्यशाला हो। लेकिन उनके पास कोई कार्यशाला नहीं है। उसमें बहुत घपला है। बस की बाडी बनाने में खर्च होता है केवल 35 हजार जब कि इन्होंने ठेका दिया है 73 हजार रु0 में । मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से बचत करके ठीक काम करने के लिये कह रहे हैं ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आने वाले दिनों का अंदाज लगायें। जिस राजसी ठाट बाट से आप काम कर रहे हैं उस तरह से कैसे इसमें सुधार आ पायेगा, यह सोचने की बात है । माननीय मंत्री जी इसका खुलासा करें। जब-जब कांग्रेस की रैलियां हुई हैं और उनमें बसें गई हैं उसकी कितनी लम्बी चौड़ी रकम उनके ऊपर बकाया है, उसको कांग्रेस पार्टी से वसूल करने का काम क्यों नहीं किया गया ?

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि तीन करोड़ तीन लाख रुपया राज्य सरकार का कांग्रेस आई पर बकाया है, जिसकी वसूली आज तक नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश की जनता पर दो बार 40 प्रतिशत किराया बढ़ा कर गरीबों का शोषण करने का काम हो रहा है। इंदिरा कांग्रेस के ऊपर बसों का तीन करोड़ कुछ लाख रुपया अभी तक वसूल नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें कि किस प्रकार वह लूट

खसोट का काम कर रहे हैं। इसका खुलासा करें कि फजूल खर्ची रंगीन टी0वी0 खरीद कर रंगरेलियां होती है उसका जवाब दें। किस प्रकार यह विभाग को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो इसकी शक्ल बदलने के लिए कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री पूरन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस प्रदेश के युवा परिवहन मंत्री माननीय संजय सिंह द्वारा रखे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। जितनी सच्चाई, जितनी निर्भीकता, जितनी स्वच्छता और जितनी शालीनता से वहां पर परिवहन मंत्री जी ने अपने विभाग की जहां अच्छाइयों का वर्णन किया वहीं कमियों को भी वर्णन करने में कोई चूक नहीं की। उसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं।

माननीय मंत्री जी ने यहां पर परिवहन निगम का अच्छी तरह से संचालन करने के लिये कई घोषणायें कीं ड्राइवर, कंडक्टर्स और अन्य अधिकारियों को अच्छी ट्रेनिंग देकर व्यवस्थित ढंग से गाड़ियां चलाने में सहयोग देने की जो बात कही है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि होता यह है कि जो आपके विभाग में नीचे के कर्मचारी हैं उन्हीं का प्रमोशन करके चैकिंग की ड्यूटी में लगा दिया जाता है जिससे चैकिंग का काम ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि चैकिंग स्टाफ की सीधी भर्ती की जाए जो स्वतंत्रता से इस काम को करने में सक्षम हो और जिनका नीचे के लोगों से कोई परिचय ज्यादा न हो और वे उनके साथ घुलमिल कर न रहे हों।

दूसरी बात टिकटों के संबंध में कहना चाहता हूं जो टिकट कटते हैं वह फर्जी तौर पर कट जाते हैं। असलियत में होता यह है कि कंडक्टर टिकट पूरा काटता नहीं है और शाम को मिल कर अधिकारियों के साथ पैसा बांट लेते हैं और निगम को घाटा होता है।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि शादी विवाह के मौके पर जो आपकी बसें ली जाती हैं उसमें पहले आर0 टी0 ओ0 परमिट दे देता था उससे लोगों को सुविधा होती थी लेकिन अब यह काम डी0 एम0 को दे दिया गया है उसके माध्यम से परमिट मिलता है। उसमें वही होता है कि तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो को मार्क कर दिया जाता है जिससे होता यह है कि शादी की डेट निकल जाती है और परमिट नहीं मिलता है। इससे जनता को बड़ी असुविधा होती है। इसलिए निवेदन है कि पहले जैसे आर0 टी0 ओ0 से परमिट मिल जाते थे उसी तरह की व्यवस्था हो ताकि शादी विवाह के लिए आसानी से बस मिल सके।

मैं एक बात मिनी बसों के संबंध में कहना चाहता हूं। आप मिनी बसें चलाने के लिए 7 सीटों के लिए परमिट देते हैं लेकिन उनमें 16 सीटें ले जा सकने की तकनीकी क्षमता होती है। बस चलाने वाले 7 सीटों का परमिट लेकर पुलिस वालों से मिल कर 16 सवारियां बैठाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि 16 सीटों का ही परमिट दिया जाय जिससे विभाग की आय भी होगी और छोटे-छोटे मार्गों में जो मिनी बसें चलेंगी उससे कार्यकुशलता बढ़ेगी तथा परिवहन में सुधार होगा।

इसी तरह से कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी योजनायें चलाई गयी हैं और उनके खेल-कूद की तरफ भी ध्यान दिया गया है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिये ताकि वे मन लगा कर काम कर सकें। आपने लाल बत्ती जला दी है इसलिए मैं दो लाइन में एक बात कहना चाहता हूं अपने युवा परिवहन मंत्री जी के लिए–

लोग कहा करते हैं बदलता है
अक्सर जमाना।
मर्द वह होते हैं जो जमाने
को बदल देते हैं।

श्री गोपाल दास यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते समय जो बातें कहीं उसमें उन्होंने आंकड़े रखे मैं कहना चाहता हूं कि यह आंकड़े जो यहां पर आये हैं यह उनके ही कार्यकाल के आये हैं। उसके पहले जो ट्रान्सपोर्ट में बातें कही गयी हैं उसमें मंत्री जी ने स्वयं अहसास किया कि परिवहन विभाग घाटे पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में यह जो आपका परिवहन निगम है वह सफेद हाथी की तरह है। मंत्री जी आप एक खिलाड़ी हैं और सच्ची बात कहने में हिचकिचाते नहीं हैं लेकिन इलाहाबाद में परिवहन विभाग के बारे में मैं सच्चाई से कहना चाहता हूं कि वहां नई-नई चेसिसें खरीदने में बहुत बड़ी धांधलेबाजी की गयी है और पुरानी बाडी बदलकर 6 चेसिसें बदल दी गयीं हैं। आप सोचें छोटे पुर्जों की बात नहीं बल्कि पूरी बेसिस ही बदल दी गयीं जिसमें लाखों रुपये का घोटाला इलाहाबाद में किया गया तो पूरे प्रदेश में इस तरह कितनी धांधलेबाजी की गयी होगी। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने यह धांधलेबाजी किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये और फिर चाहे बड़ा या छोटा कर्मचारी क्यों न हो।

मान्यवर, हमारी सड़कें ऊंचे स्तर की नहीं हैं, तो इस संबंध में मेरा सुझाव है कि यह आपके विभाग का कर्तव्य होना चाहिये कि जहां सड़कें खराब हैं और आपकी गाड़ियों को क्षति होती है तो आप पी0 डब्लू0 डी0 के अधिकारियों को आदेश दें कि सड़कें ठीक की जांय और ऊंचे स्तर की बनें यदि ऐसा नहीं होगा तो आपकी बसों को क्षति होगी। मान्यवर, आज घाटे का मुख्य कारण सड़कों का खराब होना है और गाड़ियों का ठीक से न चलाना। इसलिये इसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, अब मैं छोटे कर्मचारियों के संबंध में कहना चाहता हूं कि आज बड़े अधिकारियों की आप साज-सज्जा को देखें तो उनको अधिक सुविधायें मुहैया हो जाती हैं जबकि छोटे कर्मचारी को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। मान्यवर, छोटा कर्मचारी जाली टिकट नहीं छाप सकता है इसमें बड़े अधिकारियों का हाथ होता है, इसलिये इसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, मंत्री जी ने खेल-कूद की बात किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि खासकर फुटबाल, क्रिकेट के खेलों में प्रदेशीय स्तर के लोगों का चयन किया जाये ताकि रोडवेज भी रेलवे की तरह कीर्ति कायम कर सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परिवहन विभाग के बजट पर जो चर्चा चल रही है, उसमें मुझे आपने बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, उ0प्र0 जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुये प्रदेश में बहुत कम संसाधनों के होते हुए कम से कम धन व्यय करने के बाद अधिक से अधिक लोगों को लाभ परिवहन विभाग के बजट द्वारा पहुंचाया है, जिसके लिये मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव केवल औपचारिकता निभाने के लिये विरोधी दल की ओर से रखा गया है और इसलिए कटौती का प्रस्ताव बिल्कुल बेदम है क्योंकि कम संसाधन होते हुए प्रदेश में अच्छी से अच्छी सुविधायें परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को दी गयी है। मान्यवर, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे इतने बड़े प्रदेश में हमारे पास बसों की कमी है। जो बसें सड़कों पर चल रही हैं उनकी कमी के कई कारण हैं लेकिन मुख्य कारण संसाधनों की कमी है. इसके अलावा दूसरी कमी यांत्रिक की है। जो कार्यशालाओं में मशीनें हैं वह बहुत पुरानी हैं, इसलिये उनकी एकूरेसी ठीक नहीं है जिससे गाड़ियों का रख-रखाव ठीक से नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस संबंध में अच्छी धनराशि का प्राविधान किया है कि मशीनों की उपलब्धता बढ़ायें, एकूरेसी बढ़ायें लेकिन फिर भी जरूरत है उसमें सुधार की क्योंकि सुधार की कोई सीमा नहीं होती है। सुधार की जरूरत हमेशा बनी रहती है। अगर हम सुधार की बात कहते हैं तो विरोधी दल के भाई कहते हैं कि यह कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। सुधार की हर जगह जरूरत है, उसके अन्तर्गत ही जरूरी होता है कि जो कमी है और हमारे पास जो भी संसाधन हैं, उससे कम से कम पैसा खर्च करके कैसे उसको सुविधा पहुंचा सकते हैं। हमारे यहां अभी चेसीज बढ़ाई गई हैं। लेकिन जो हमारी बाडी बनाने की दर रही है वह बहुत कम है, उसमें वृद्धि की जाए। हालांकि इस समय इन्होंने 45 से 70 तक बस बाडी बनाने का आश्वासन दिया है और बस बाडी में भी वह आवश्यक सुधार कर रहे हैं, जिससे गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में उसका प्रकोप कम होगा।

ट्रैक्टर और ट्राली का जो मामला है, उस पर भी अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह उसको जरूर लाइसेंस प्रदान करें। उसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके बिना कृषकों को बहुत मुसीबत होती है, क्योंकि वहां पर कृषकों और कृषि उपजों के आवागमन का सारा साधन यह ट्रैक्टर ट्रालियां ही हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास हरियाणा प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रालियां को लाइसेंस मिला हुआ है, जिससे हमारे यहां के कृषक विवश होकर हरियाणा जाकर अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों का रजिस्ट्रेशन वहां से करा लेते हैं। तो उसका लाइसेंस यहां पर भी दिया जाए।

जो मेटाडोर की बात आई है, वह बहुत ज्यादा सुविधा प्रदान कर रही है। किन्तु उस सम्बन्ध में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा एक निवेदन है, जब वह चलती है तो उसमें हम बैठने के लिए 7 सवारियों का ही लाइसेंस देते हैं, जबकि मैटाडोर वाले 15-16 सवारियां बिठाते हैं । इसलिए आप उसमें 7 के स्थान पर 14 आदमियों के बैठने का लाइसेंस दें, ताकि हमें उससे कुछ धन प्राप्त हो सके और उनसे होने वाली अवैध वसूली रुक सके।

इसके साथ में पुनः परिवहन मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं और विरोधी दल के भाई, द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि वह उसे वापस ले लें और अपने रचनात्मक सुझाव दें, जिससे इस विभाग को सुदृढ़ किया जा सके ।

*श्री त्रिलोक चन्द्र–

अधिष्ठाता महोदय, यह माननीय मंत्री जी जब बजट पर बोल रहे थे बजट भाषण पर, तो मैं इसे बहुत विडम्बना ही समझता हूं कि विभाग ट्रांसपोर्ट का, किन्तु मंत्रीजी कभी अपनी जिन्दगी में प्राइवेट और रोडवेज की बस में बैठे ही न होंगे . .

एक सदस्य–

लेकिन यह चला रहे हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

वही मैं कह रहा हूं । उनको इस कठिनाई का क्या पता है कि बैठने वाले को क्या कठिनाई है, कंडक्टर को क्या कठिनाई है और ड्राइवर को क्या कठिनाई है । उन सबकी हालत इनको कुछ पता ही नहीं है। विभाग के अधिकारियों का यह हाल है, जो आई0ए0एस0 हो गया वह न फिर प्राइवेट बस में बैठा, न सरकारी बस में बैठा । तो यह दोनों ही मंत्री और बड़े अधिकारी प्राइवेट या रोडवेज की बसों में नहीं बैठे हैं । मुश्किल यह है कि हम लोग बैठते हैं और अपने अनुभव से सुझाव भी देते हैं, कोशिश करते हैं कि उनमें कुछ सुधार हो जाए, लेकिन अब इधर ट्रेन्ड ऐसा बदला है कि उसमें भी कठिनाई पेश आती है। पहले ट्रेन्ड यह था कि सभी माननीय सदस्य समस्याओं पर प्रकाश डालते थे, चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों, वह केवल आखिर में एक शब्द कह देते थे कि मैं इसका समर्थन करता हूं । लेकिन अब स्थिति यह है कि उधर के सदस्य शुरू से ही समर्थन करना और बधाई देना शुरू कर देते हैं । लेकिन उन्हें वास्तव में विभाग की कमियां बताना चाहिए। ट्रांसपोर्ट विभाग बहुत गलत विभाग हो गया है । पहले मैं इस विभाग की बात कहना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में आप बता दीजिए, साढ़े 5 बजे इसे खत्म करना है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

आप साढ़े 5 बजे कैसे खत्म करेंगे, चार घंटा हम पूरा लेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं ।

मान्यवर, बजट के लिये 4 घंटे होने चाहिये आप साढ़े 5 बजे तक का प्रतिबंध लगा रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलिये तो सही ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, यह ट्रांसपोर्ट विभाग का बजट है । माननीय मंत्री जी को और इनके अफ़सरों को इसका अनुभव नहीं है । अनुभव तो हम इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को है (व्यवधान) तो हमें अपनी बात कह लेने दीजिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां 2 रूट हैं एक तो रोडवेज को आपने दे रखे हैं और दूसरे रूट आपने प्राइवेट वालों को दे रखे हैं। प्राइवेट वालों पर 68-सी लागू है । 20-30 साल हो गये हैं लेकिन उतने ही परमिट चल रहे हैं । नये परमिट आप दे नहीं सकते और न आज तक आपने 68-सी को खत्म ही किया है । अब ज्यादा सवारियां नहीं भरी जायेंगी तो और क्या होगा ।

आपने 16 सवारियों के खड़े होने की बात कर दी । 100 कि0मी0, 50 कि0मी0 16 सवारियां खड़ी होकर जायेंगी । उन सवारियों में लड़कियां भी हैं, बुजुर्ग महिलायें भी हैं, और बुजुर्ग आदमी भी हैं । कोई आदमी सीट से उठने के लिये तैयार नहीं है तो उनकी क्या दशा होती होगी, उनको कितनी असुविधा होती है । इसके पहले 8 सवारियां खड़ी होकर जाने की व्यवस्था थी, बहुगुणा जी ने 8 की जगह 16 किया था । आज 10 साल बीत गये लेकिन आप स्टैंडिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं और बसों की संख्या बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं है । ध्यान तो इस बात पर होना चाहिये कि बसों की संख्या बढ़े । हमारे नौजवान मंत्री जी ने बड़ी बहादुरी के साथ खुद तसलीम किया है कि कमियां हैं। उन्होंने अपनी कमियों को धैर्य पूर्वक और दृढ़ता के साथ कहा कि कार्यशाला में कमियां हैं बसों में कमियां हैं । मान्यवर, कंडक्टर और ड्राइवर की बात तो मैं कहना ही नहीं चाहता क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है । मान्यवर, आपने इतनी जल्दी लाल बत्ती कर दी है तो कैसे काम चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक दो मिनट और बोलिये।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, भ्रष्टाचार किस सीमा तक पहुंच गया है इसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं । आपने ए0आर0टी0ओ0 के दफ्तर खोल दिये हैं और आप पावर भी उनको देने जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ट्रैक्टर आया, उसका लाइसेंस बनना था। सब नम्बर वगैरह की चेकिंग हो गयी । मान्यवर, यह उसके कागज हैं । (माननीय सदस्य ने कुछ कागज सदन में दिखाये। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब मैंने उसके कागज भेजे तो ए0आर0टी0ओ0, बुलन्दशहर के दफ्तर के बाबू ने कहा कि 50 रु0 फीस (रिश्वत) नहीं देंगे तब तक काम नहीं हो सकता। मान्यवर, सब कागज कंपलीट हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि ए0आर0टी0ओ0 के दफ्तर के यहां, हर जगह पर झोपड़ियां लगी हुयी हैं, जैसे वकीलों की लगी होती है। मान्यवर, वकीलों के यहां विस्तर होते हैं लेकिन इनके यहां दलालों

के बिस्तर लगे हुये हैं। घूस दिये बगैर काम नहीं हो सकता। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस मामले को देखें।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसको मंत्री जी को दे दें।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, लिखकर दे दूंगा। ए0आर0टी0ओ0 के दफ्तर पब्लिक को सुविधा देने के लिये खोले गये लेकिन उनका काम पैसे की वसूली करना हो गया है। चाहे बस हो या ट्रक हो उनसे वह पैसा वसूलने का काम करते हैं। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें, यह मेरा सुझाव है।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और माननीय परिवहन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सफलता से परिवहन विभाग का बजट पेश किया। यहां पर सुन्दरता का एक विपक्ष के सदस्य ने जिक्र किया सुन्दरता को लेकर मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जो स्वयं सुन्दर तो हैं ही, उसी सुन्दरता से उन्होंने अपने बजट को पेश किया और अपने दृढ़ संकल्प और कार्य कुशलता से परिवहन विभाग को सुन्दर बनाने का उन्होंने जो दृढ़ संकल्प किया। इसी परिपेक्ष में मैं प्राकृतिक सौन्दर्य की ओर पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन विभाग में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

कोटद्वार से कांडी, कोटद्वार से लैंस डाउन, कोटद्वार, रिखनी खाल, कोटद्वार-नजीमाबाद, ये सभी मार्ग राष्ट्रीकृत हैं, जहां सिर्फ परिवहन निगम की बसें चलती हैं व दूसरे निजी वाहन न चलने के कारण जब कोई गाड़ी टेक्निकल खराबी के कारण नहीं सर्विस पर जा पाती है, तो स्थानीय लोग जो 20–20 किलो मीटर की दूरी से गाड़ी की प्रतीक्षा में आये होते हैं, उनको वापिस अपने घरों में उतनी ही दूरी तय करके जाना पड़ता है। इस परिपेक्ष में मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना है कि या तो निजी वाहनों को इन मार्गों पर चलने की अनुमति दे दी जाए या फिर जो गाड़ियां अन्यत्र पहाड़ी क्षेत्रों में चल रही हैं, उनको इन मार्गों पर लगाया जाय या फिर इन मार्गों पर कुछ नई गाड़ियां लगाई जायं।

इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि परिवहन निगम की गाड़ियों में सैनियों को अपनी निजी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है तथा इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है इसलिए परिवहन निगम की गाड़ियों में निजी सामान ले जाने की अनुमति प्रदान करने की भी कृपा करें। यात्रा काल में बद्री नाथ, केदार नाथ के लिए कांट्रेक्ट कैरियिंग परमिट दे दिये जाते हैं, जोकि 4-4 माह के होते हैं जबकि इन परमिटों को देने का मकसद यात्रियों की भीड़ को मद्दे-नजर रखते हुए किया जाता है और यात्रियों की बड़ी तादाद सिर्फ डेढ़ माह ही होती है, इसलिए या तो कांट्रेक्ट परिमिट दिये ही न जायं या सिर्फ डेढ़ माह के लिए ही दिये जायं। इससे स्थानीय निजी कम्पनियों के मालिकों को आर्थिक हानि से बचाया जा सकता है जो कि वर्तमान समय में

निजी वाहन स्वामियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है । एक और सुझाव ए0 आर0 टी0 ओ0 आफिस के बारे में देना चाहता हूं । कोटद्वार नगर जोकि ट्रान्सपोर्ट नगरी के नाम से जानी जाती है और अधिकांश निजी कम्पनियों के मोटर मालिक व रोडवेज की पूरी सर्विसेज भी कोटद्वार में ही संचालित होती है । अतः कोटद्वार में ए0 आर0 टी0 ओ0 आफिस की स्थापना कर वाहन स्वामियों को सुविधा प्रदान करने की कृपा करें । कोटद्वार में रोडवेज कार्यशाला को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किया जाय व इस स्थान को रोडवेज स्टेशन के रूप में परिणत करने का भी सुझाव मैं देना चाहूंगा । यातायात की सुविधा को देखते हुए निजी कम्पनियों के मोटर मालिकों को कमीशन रायल्टी पर कोटद्वार से देहरादून, कोटद्वार से दिल्ली चलाने के आदेश भी देने की कृपा करें, इससे जहां परिवहन विभाग की आमदनी बढ़ेगी, वहीं यात्रियों को सुविधा भी प्रदान करने में मदद मिलेगी और यही मकसद परिवहन विभाग का है भी कि यात्रियों को सुविधा मिल सके व आमदनी के स्रोत भी बढ़ सकें। अन्त में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । शादी-व्याह के लिए जो परमिट देने की व्यवस्था आजकल डी0 एम0 के माध्यम से हो रही है, उसके लिए पुरानी व्यवस्था जोकि आर0 टी0 ओ0 के माध्यम से हुआ करती थी, वही सुविधाजनक है व इसको कार्य रूप में परिणत करने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय परिवहन मंत्री ने बहुत कुछ आश्वासन दिया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में बसें ज्यादातर खराब हैं, उसमें माननीय मंत्री जी ने सुधार किया और उन्होंने 33 करोड़ रुपये की नयी बसों की व्यवस्था की है और एक हजार 70 बसें खरीदी गयी हैं । वह भी अभी खड़ी हैं और उनकी बाडी न बनने और सड़क पर न जाने के कारण दो हजार रुपया प्रति दिन सूद का बढ़ रहा है । इस प्रकार का परिवहन विभाग की दुर्व्यवस्था है, इस कारण माननीय मंत्री जी आपके परिवहन विभाग का घाटा बढ़ेगा ही । यही नहीं बाडी को बनाने में अधिकारियों ने गोलमाल किया है ।

इस पर भी आप सस्ती बरतें 63 हजार प्रति बाडी के हिसाब से पंजाब की फर्म ने कोटेशन दिया था उसको न स्वीकार करके 73 हजार प्रति बाडी के हिसाब से गुप्ता कम्पनी को दे दिया गया, जिससे 10 हजार रुपया प्रति बाडी इन्हें अधिक देना पड़ा । आप ऐसी कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि रोडवेज वर्कशाप में बाडी बनवाते हैं । क्यों आप अपने सरकारी वर्कशाप में बाडी बना लेते हैं । वहां 35 हजार की बाडी पड़ती है, अगर यह आपके यहां बने तो वह मजबूत बाडी होगी। जो पैसा बचेगा वह कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर लगेगा, अगर बाडी बनाने का ठेका न दें तो अच्छा रहेगा ।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कन्डेक्टर को आप दो-चार रुपये के चोरी में सख्त कार्यवाही कर देते हैं, लेकिन जो मगरमच्छ बढ़ रहे हैं उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही करते । ऐसे मगरमच्छ श्री अनिरुद्ध पाण्डेय क्षेत्रीय प्रबन्धक

जिसने एक पूर्व मंत्री जी की लड़की की शादी में फिएट कार रिश्वत में दी थी। विभाग ट्रान्सफर करते-करते थक गया, लेकिन वह कहता है कि आजमगढ़ से नहीं हटूंगा। दो एक मगरमच्छ और हैं सतीश चन्द्र द्विवेदी, के0लाल, अनिरुद्ध पाण्डेय, जितेन्द्र सिंह, ऐसे मगरमच्छ बढ़ रहे हैं, इनको नथुनी पहनानी चाहिए, इनको नथुनी पहनाकर आप इनकी मनमानी बन्द करें। आपने एक अधिकारी वर्मा रख छोड़ा है। मैं दो घंटे से चारबाग में खड़ा हुआ था। कहा गया कानपुर से बस आ रही है, फिर कहा गया उसका इन्जिन खराब है, दूसरी बस आ रही है फिर कहा गया कि वह भी खराब है। पूछ-ताछ पर कोई जबाव ठीक से नहीं देते हैं। संयोग से मंत्री जी वहां पहुंच गये तो मैंने उनसे शिकायत की, मैंने कहा कि पूछताछ पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है एक अधिकारी इनका मोटा सा था, इतनी मंहगाई में भी इतना मोटा है। वह आकर गलत बयानी किया मैंने टोका तो वर्मा नाराज हो गया। आप वर्मा को समझाइए, जो नाटा और गंजा है, इसको आप समझाएं। यह मुझे निवेदन करना था।

(कई सदस्यों के खड़े होने से शोर)

श्री अधिष्ठाता –

माननीय सदस्य आप सुझाव लिखकर दे दें।

[समय 5.32]

श्री राम सिंह (एडवोकेट)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बड़ी मुश्किल से बोलने का समय दिया। मान्यवर, मैं अपने परिवहन मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में चेकिंग व्यवस्था में, टिकट बांटने की व्यवस्था में, कम्प्यूटर सिस्टम से रख-रखाव की व्यवस्था में और जो ट्रेनिंग देने के सुझाव रखे हैं, मैं समझता हूं इससे कुछ सुधार होगा। मान्यवर, आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो मान्यवर, बसों में कामर्शियल गुड्स बहुत लादे जाते हैं। हम देखते हैं कि ऊपर भी सामान भरा है और नीचे भी सामान भरा है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसे आदेश दें कि व्यवसायिक सामान बसों में न रखे जायं। दूसरा बसों के रख-रखाव को आप देखें। जो अनुबंधित बसें हैं वह कितनी साफ सुथरी रहती हैं और रोडवेज की बसों में गन्दगी व कूड़ा रहता है। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सरकारी बसों पर कन्डेक्टर चलते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है इसलिए वह हेराफेरी करता है। मंत्री जी इनके वेतन को बढ़ायें।

(व्यवधान)

हरिजनों का जो कोटा है उनको उसके हिसाब से परमिट जिये जायें। जो गन में गड़बड़ी होती है इसके लिए मंत्री जी हर डिपो स्तर पर आडिट आफिस स्थापित किया जाय, और आडिट आफिस हो जाने से इसमें सुधार हो सकता है। अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम सरन –

सभी माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट दे दीजिये। कोई ऐसी बात तो नहीं कहने जा रहे हैं कि सरकार उलट जायेगी।

श्री अधिष्ठाता –

सभी पार्टी के मुख्य सचेतकों ने सूची दी है। उसके अनुसार लोगों को बुलाने का प्रयास किया है। अब सभी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम सरन –

8 आदमियों का हमने नाम दिया केवल 3 बोले हैं ।

श्री अधिष्ठाता –

आप प्रस्ताव करें कि आप लोग समय बढ़ाने के लिए तैयार हैं ।

श्री राम सरन –

4 घंटे और चलाइये ।

एक सदस्य –

सूची के अनुसार आपने नहीं बुलाया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता –

आप बैठिये । मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सब लोगों को तो नहीं लेकिन 2–4 लोगों को एक-एक मिनट का समय दूंगा। एक मिनट से दूसरा मिनट नहीं दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं । पहला सुझाव तो यह है कि आपके यहां छोटे कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी वजह से रोडवेज का भट्ठा बैठता जा रहा है । मेरा सुझाव है कि एक बस का एक ड्राइवर और एक कन्डेक्टर को मालिक बना दें । आप देखें प्राईवेट वालों की 10 साल बस चलती है और कोई खराबी नहीं होती है। रोडवेज की एक साल नहीं चल पाती है । इसका कारण यह है कि कभी कोई चलाता है कभी कोई चलाता है। अन्तोगत्वा दायित्व किसी का नहीं है । रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर दीजिये कि यह कार्य इनके जिम्मे है ।

दूसरा सुझाव यह है कि हमारे यहां गांवों में पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके पास कोई धन्धा नहीं है, बेरोज़गार हैं । मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ सहयोग करें । अनुबंधित बसों के लिए पालिसी निर्धारित कर दें कि गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के हैं, उन्हें ही अनुबंधित बसों के लिए लेने की व्यवस्था करें । उनसे आपको सहयोग मिलेगा और बेरोजगार लोगों को सहारा मिलेगा । तीसरा सुझाव यह है कि आपके यहां नेशनल परमिट दिये जाते हैं और कुछ क्षेत्रीय परमिट भी दिये जाते हैं । जो नेशनल परमिट की बसें और ट्रक हैं, उन्हें बड़े-बड़े ट्रान्सपोर्ट मालिकों ने ले लिया है । उनका परमिट रद्द किया जाय और गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए इसका कोटा फिक्स कर दिया जाय और एक आदमी को एक ही परमिट मिले । यह तीन सुझाव हैं।

श्री महरम सिंह–

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनका समर्थन व कटौती का विरोध करता हूं । मेरे दो सुझाव हैं । पहला यह कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो जिला स्तरीय बस के पास दिये गये हैं, उसे प्रदेश स्तर पर दिया जाय । दूसरा यह कि एक क्षेत्रीय परिवहन एडवाइजरी कमेटी बनायी जाय ताकि समय-समय पर बैठकों में गैर सरकारी लोग सुझाव दे सकें । तीसरा यह कि यू0 पी0 की जितनी जिला परमिट की बसें हैं उनको चेकिंग कराकर उन पर पाबंदी लगा दी जाय और एक भी बस गलत चले तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाय । रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा होने वाली असावधानी के लिए कर्मचारियों की चेकिंग की जाय । इन शब्दों के साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बजट का समर्थन और कटौती का विरोध करता हूं ।

*श्री राकेश धर त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों आपके यहां से मैनेजमेंट ट्रेनीज का इम्तहान हुआ । उसकी सूची प्रकाशित नहीं की गयी है। उसमें धांधली इस तरह से की गई है कि चाहे आई0 ए0एस0 का हो या पी0सी0एस0 का इंटरव्यू, सब में लिस्ट निकाली जाती है लेकिन इसमें लिस्ट नहीं निकाली गयी है और मनमाने ढंग से 20-25 हजार रुपये ले करके एक-एक आदमी को इण्टरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है । न लिस्ट प्रकाशित हो रही है और न लोग लिये जा सकते हैं । इन्कन्वीनियन्स हो रही है । दूसरी बात यह है कि मई में इलाहाबाद में एक सांसद ने तीन बसों का उद्घाटन किया। उन्हीं तीन बसों का उद्घाटन माननीय सिंचाई मंत्री ने गोरखपुर में किया और उन्हीं तीन बसों का उद्घाटन परिवहन मंत्री जी ने अमेठी में किया ।

मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये तीन बसें इलाहाबाद में चल रहीं तो किस रूट पर चल रही हैं। अंतिम बात यह है कि कुछ नौजवान कांग्रेसी मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हैं । माननीय मंत्री जी सामंतशाही व्यवस्था के प्रतीक हैं, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से उनके राज दरबारों में चन्द्रबरदायी और बिहारी रहे थे उसी प्रकार ये कांग्रेस के सदस्यों को पाल रखे हैं । मैं माननीय माता प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं ।

कर्नल केसरी सिंह –

माननीय अध्यिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आज आपने मुझे माननीय डा0 संजय सिंह के परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इसका तहेदिल से समर्थन करता हूं और माननीय माता प्रसाद जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जबसे हमारे डा0 संजय सिंह इसके मंत्री हुए, इस निगम की कार्यकुशलता बढ़ी है और इसमें लाभ हुआ है । मेरे कुछ सुझाव हैं । वैसे तो परिवहन निगम के कार्यकलापों में लगातार विस्तार हुआ, लेकिन घाटा दुख की बात है । हालांकि पहले, 4–5 साल पहले घाटा अधिक होता था । उस समय 9-10 करोड़ का घाटा होता था जो अब घट कर 4 करोड़ वार्षिक रह गया है । घाटे को लाभ की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा । घाटे का कारण यह है कि वर्कशाप में व्याप्त भ्रष्टाचार घाटे के 60 से 70 प्रतिशत का कारण है वहां जो लाखों रुपये का सामान क्रय होता है, वह ठीक नहीं होता, डुप्लीकेट सामान आता है या क्रय ही नहीं किया जाता है और बसें खड़ी रहती हैं। आप पुरानी बसों को साहस करके डिस्पोज आफ कर दीजिये और नयी की खरीद कीजिये। तब निगम का कार्य ठीक से हो सकता है। मेरा सुझाव है कि यदि विभाग से भ्रष्टाचार मिटाना है, घाटा को लाभ में बदलना है तो अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिक ऊपर से लेकर नीचे तक आप परिवहन निगम में रखें तो घाटे को लाभ में परिणित करने की मैं गारंटी देता हूं।

श्री सखावत हुसैन–

मान्यवर, रोडवेज के बारे में मंत्री महोदय ने कदम-कदम पर अपनी नाका-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मियों का जिक्र किया है फिर इस बारे में और कहा ही क्या जाय। ये तो खुद काबिले रहम है और हमदर्दी के मुस्तहिक है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी रोडवेज बसेस चलती हैं, ठीक से नहीं चलती हैं किसी रूट पर और हर जगह घाटा ही होता है। जबकि निजी बस चलाने वालों की हालत यह है कि उससे हजारों परिवार रोजी पाते हैं और उनको कोई घाटा नहीं होता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी रोडवेज की बसें ठीक न हो जायं, पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त न हो जाय, तब तक इन निजी बसों को उन रूट्स पर से न हटाया जाय। इन प्राइवेट बसों से जनता को सहूलियत भी होती है और अगर आप इन निजी बसों से मुकाबला करें तो निश्चय ही आपकी जो रोडवेज की व्यवस्था है और जिसमें घाटा व्याप्त है, उसको कम करने में, इस व्यवस्था को संभालने में आपकी मदद मिलेगी। यही नहीं इन रोडवेज बसों की हालत यह है कि न तो इनकी गद्दी साफ रहती है और न बसों के अंदर सफाई ही रहती है। गंदगी के कारण यात्रियों के कपड़े खराब होते हैं और कई जगह से गद्दियां टूटी होने के कारण कपड़े फटने का डर रहता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां-जहां रोडवेज बस स्टेशन कायम हैं वहां भी अधिकांश रूप से बस नहीं रोकी जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं मुरादाबाद क्षेत्र से आता हूं। जो दिल्ली और मेरठ के बिल्कुल बीचोबीच आबाद है वहां रोडवेज का आफिस कायम है, स्टेशन कायम है, लेकिन वहा कभी कोई बस नहीं रुकती। न वहां कभी कोई क्लर्क दीखता है, न कोई कंडेक्टर दीखता है, वह दफ्तर खुलता ही नहीं, जिससे वहां की जनता को काफी कठिनाई होती है। वहां हर बस को रुकना चाहिये, जो वहां से पास होती हैं। ताकि जनता को आसानी हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां-जहां भी स्टेशन हैं, वे चालू रहने चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरदेव–

जब-जब आप बैठते हैं, आपकी निगाह हरदेव पर नहीं जाती है। अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिये मैं कुछ कहना चाहता हूं। आरक्षण कोटा पूरा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

हरदेव जी की कृपा है, वे कृपा करके बैठ जायं।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

परिवहन विभाग वास्तव में एक मंत्रालय है, जिसके मान्यवर, दो पहलू हैं। एक परिवहन निगम की बस-एक निजी स्वामित्व वाली बस। होता यह है कि परिवहन मंत्रालय दोनों को अलग-अलग निगाह से देखता है। जिसकी वजह से परिवहन निगम से सम्बद्ध निजी बस मालिक हैं, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, उनके जो कार्यकलाप हैं, वह सब प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। निजी स्वामित्व वाली बस परिवहन निगम की बस-दोनों एक ही चीज है, उनके लिये एक ही ढंग की कार्य प्रणाली होनी चाहिये। परिवहन निगम की बसों में कोई भी छापा नहीं मारा

जाता आर0 टी0 ओ0 आदि द्वारा और न कोई पुलिस की चेकिंग होती है। बिना टैक्स के परिवहन निगम की बसें सारे प्रदेश में चल रही हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट बसों को जब परमिट की आवश्यकता होती है तो जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और लेखपाल की संस्तुति के माध्यम से दिया जाता है। हमारे परिवहन मंत्री श्री संजय सिंह जी एक योग्य, कर्मठ और प्रजातांत्रिक भावनाओं से ओत-प्रोत नवयुवक हैं। मैं उनका ध्यान बाह विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 4-5 साल पहले वहां पर एक डिपो बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था, लेकिन आज तक उस डिपो का वहां पर निर्माण नहीं हो सका है। वहां से विभिन्न स्थानों को बसें जाती हैं। इसलिए वहां पर डिपो का निर्माण करवा दिया जाय।

मान्यवर, राजस्थान में करौली का एक मेला लगता है। सैकड़ों लोग वहां पर देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर प्राइवेट बसों व रोडवेज की बसों को परमिट न मिलने के कारण लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि प्राइवेट बसों और रोडवेज की बसों को परमिट की सुविधा सुलभ कराई जा सके ताकि वहां पर जाने के लिए यातायात में कोई कठिनाई न हो। इसी के साथ ही मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बांदा जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर कर्वी सब स्टेशन पड़ता है जहां से सतना, छतरपुर, इलाहाबाद और बांदा की बसें जाती हैं। मंत्री जी से अर्ज है कि कर्वी में एक डीपो खोल दिया जाय, जिससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो दर्शनीय स्थल हैं जैसे चित्रकूट, कलिंजर और खजुराहो, यहां पर आवागमन के साधनों की बहुत कमी है, यहां पर रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं। मंत्री जी से निवेदन है कि इन दर्शनीय स्थलों के लिए रोडवेज की बसों की सुविधा सुलभ करा दी जाय। इससे राजस्व में भी लाभ बढ़ेगा।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल हर गाड़ियों में लाल बत्ती लगा दी जाती है, आपकी गाड़ी में भी लाल बत्ती लगी हुई है। जबकि मोटर वेहिकल नियमावली, 1940 के नियम 112 के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय ही अपनी गाड़ी में इस लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, या वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय ध्वज लगाने का पात्र हो। लेकिन आज कल आपके ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और जिलाधिकारी आदि सब लगा रहे हैं। इससे मोटर वेहिकल नियमावली का उल्लंघन हो रहा है, इसे आप रोकें।

मान्यवर, बांदा जनपद में 4-5 बसों को छोड़कर शेष बसों की ऐसी हालत है कि न तो उनका इन्जन है और न उनकी बाडी। दोनों चीजें अलग-अलग पड़ी हुई हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह वहां के डीपों के फोरमैन को इस बात की हिदायत दे दें कि वह बसों का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रख-रखाव ठीक ढंग से करें साथ ही नई बसों की व्यवस्था भी करने की कृपा करें।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। परिवहन को बहुत सुलभ बना दिया है जो बढ़ती हुई आबादी तथा क्षेत्रों के विकास के साथ बहुत महत्व रखता है। बहुत बड़े-बड़े जनपदों में मास्टर प्लान लागू हो गया है जिनसे उनका विकास और विस्तार हो रहा है। हमारे मुरादाबाद जनपद में भी मास्टर प्लान लागू किया है इसके साथ-साथ मुरादाबाद जनपद का विकास तथा विस्तार हो रहा है। जैसे कि वहां की सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी को, मुरादाबाद शहर से हटा कर मझोला भेज दिया गया है जिससे वहां की जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। क्योंकि मझोला शहर से करीब 8 कि0 मी0 दूर है। इसके साथ-साथ दो तीन सुझाव दे रही हूं। मंत्री जी मुरादाबाद में सिटी बस लागू करने का शीघ्र ही निर्णय लें। दूसरी बात बसों में सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सवारियां अपना सामान बसों के अन्दर ही रखती हैं जिसकी वजह से सवारियों को चोट लगती है और कपड़े फटते हैं। इसकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। बस में केबिन आदि जैसी कोई जगह सामान रखने हेतु बनवायें। तीसरी बात विद्यार्थियों के लिए तथा दैनिक सवारियों के लिए मासिक बस पास की व्यवस्था कर दें ताकि रोजाना के आने-जाने वाले लोगों को आसानी हो और उनको सस्ता भी पड़े। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी के बजट का पुनः स्वागत करती हूं।

*डा0 बंगाली सिंह–

खूब सूरत मंत्री जी और उतनी ही बदसूरत बस, एक मजाक है। मंत्री जी ने कहा कि 47 में पहली बस चली, मैं मंत्री जी का ध्यान अपने सिकन्दराराव तहसील की ओर ले जाना चाहता हूं, वहां बस स्टैण्ड नहीं बना है। कासगंज, मथुरा, सभी जगहें बसें जाती हैं वहां बस स्टैण्ड की व्यवस्था जरूर कर दें। हमें जाना है अलीगढ़ से हाथरस लेकिन टिकट होगा नैनीताल से अलीगढ़। जब टिकट ही मंत्री जी नहीं दे सकते तो सुधार क्या करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सही टिकट मिले ताकि यात्रा सही हो। मैं देखता हूं कि किसी बस में शीशा नहीं है तो किसी में खिड़की ही नहीं है। मैंने ऐसी बसें देखी हैं जिनमें 14-14, 15-15 सीटें ही गायब हैं। जब गाड़ी डिपो से निकले तो फोरमैन की यह ड्यूटी है कि उन को चेक कर के गाड़ियों को सौंपे, इसमें उसकी जिम्मेदारी छोड़िये। 4-4 लाख किलोमीटर चलने के बाद क्षेत्रीय कार्यशाला में बसें जाती हैं। एक लाख कि0 मी0 चलने के बाद वह कार्यशाला में पहुंच जायें तो इन सुझावों को ध्यान में रखकर विभाग को ठीक करें। इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

श्री नरेन्द्र देव–

मैं सबसे पहले कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपने सुझाव रखना चाहता हूं। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं उसमें घोरावल और मिर्जापुर की जो रोडवेज बस सर्विस है उसमें मात्र दो-तीन बसें चलती हैं जबकि उसी रूट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर प्राइवेट बसें दिन भर सवारियां उठाती रहती हैं। वहां आवश्यकता है बस के बढ़ाने की। दूसरी बात घोरावल से राबर्ट्सगंज नेशनलाइज्ड रूट है वहां पर प्राइवेट बसें चलती हैं। रावर्ट्सगंज और बनारस पर भी बहुत कम बसें हैं। मिर्जापुर से वाराणसी पर भी बहुत कम बसें हैं। परमिट मिले हैं, जिन को मिले हैं उनकी कोई अच्छी बसें चलाने की बाध्यता नहीं है, ऐसी बसें चलाते हैं जिन पर सवारी अगर दो घण्टे बैठी रह गई तो धुंआ पीते-पीते उनकी तबीयत खराब हो जाती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कटौती प्रस्ताव के बारे में कि उन्होंने अपना पूरा कटौती प्रस्ताव बिजनेस के दृष्टिकोण से रखा है। उन्होंने कहीं भी यह चर्चा नहीं की कि जनता को कैसे लाभ पहुंचाया जाय। इस कटौती प्रस्ताव में उन्होंने मात्र बिजनेस संस्था इस निगम को मानकर अपने दृष्टिकोण को रखा है। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि कोई भी कल्याणकारी सरकार जनता के हितों और सुविधाओं के लिये बस सेवायें चलायेगी और चलाती है।

श्री श्याम बिहारी सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बरेली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बरेली की आंवला तहसील में कोई रोडवेज की बस नहीं चल रही है, वहां की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंवला करीब 50 हजार की आबादी का क्षेत्र है। वहां एक फैक्ट्री भी अभी खाद की मंजूर हो गयी है, कार्यवाही हो रही है। बरेली से मुरादाबाद जो बसें जाती हैं, मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा आंवला होते हुए उनका बस स्टैन्ड बनाया जाय जिससे आंवला की जनता के लिये थोड़ी सी सुविधा मिल सके। बड़ा गांव को बस चलायी जाय। बरेली से नैनीताल कम से कम चार बसें सीधी चलनी चाहिये। नगर सेवा की जो बसें चल रही हैं, उनकी हालत बहुत खराब है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मैं परिवहन बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत जानकारी रखते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिये वे जो सराहनीय काम किए हैं तथा प्रयास कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां पर निगम की बसों का अभाव है। मंसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री फूलों की घाटी जैसे तीर्थ व पर्यटक स्थानों को पर्यटक देखना चाहते हैं, लेकिन बसों की कमी के कारण वंचित रह जाते हैं। पहाड़ों की विशेष समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर बसों पर सामान न ले जाने का प्राविधान है, नियमों में शिथिलता लाकर दूरगामी अंचलों में बसों पर सामान ले जाने की छूट दे दी। देहरादून में मसूरी के अलावा अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक व रमणीक स्थान है। वहां पर डाक पत्थर, सहस्त्र धारा ऋषिकेश है, पर्यटक बसों के अभाव में इन स्थानों को देखने से वंचित रह जाते हैं। दो समस्याओं की ओर और ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। प्रदेश स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को परिवहन की निःशुल्क सुविधायें दी जानी चाहिये। विभाग में कार्यरत कर्मचारी जो मर जाते हैं उनके आश्रितों को तत्काल नौकरी देनी चाहिये।

श्रीमती शारदा देवी–

हमारे गोरखपुर से चौरी चौरा, रुद्रपुर बस चलती है, बीच में नहीं रुकती है। मंत्री जी से कहूंगी कि हमारे क्षेत्र में चौरी चौरा, मुंडेरा बाजार, गोरखपुर में बस की व्यवस्था कर दें और हमारे क्षेत्र में सारी सीटें टूटी हैं। जितनी सीटें हैं उतने ही तो पैसेंजर बैठेंगे कि पूरी बस कस्बा हो जाती है। जब हम चौरी चौरा क्षेत्र से चलते हैं तो हमें बैठने के लिये बस में सीट नहीं मिलती है, हम दरवाजे पर खड़े होकर आते जाते हैं गोरखपुर। क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी? बस पर गरीब जनता आती है और बसों का किराया बढ़ गया है।

मंत्री जी हमारे क्षेत्र में झंगहा बाजार लगती है जिसमें 250 गांव की जनता वहां पर आती है, पूरी बस कस कर आती है। कछार क्षेत्र की जनता त्राहि-त्राहि करती है और कहती है कि देवी जी आप हमारे क्षेत्र के लिये बस की व्यवस्था करें। जब गोरखपुर से बस चलती है तो सीधे बिहार और रुद्रपुर निकल जाती है। मोती राम अड्डा, इटवा बाजार तथा चौरी-चौरा बाजार में भी बस को रुकना चाहिये। मंत्री जी आप विशेष ख्याल महिलाओं के लिये करें और उनके क्षेत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। महिलाओं के क्षेत्र में विशेष तौर पर काम होना चाहिये, लेकिन आप लोग एकदम कान बहरा करके पड़े रहते हैं। आप किस मुंह से कहते हैं कि गरीब बड़ा खुश है? बस की संख्या इतनी कम है, आप बस के किराये को भी कम करिये, यह मैं मांग करती हूं। जय हिन्द।

श्री हरदेव–

आपने मुझे समय दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और मैं परिवहन के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सबसे पहले तो बस यात्रा को सर्व सुखद बनाने के लिये मेरा सुझाव है कि जो पैसिन्जर बिना टिकट के यात्रा करते हैं और जिनकी चेकिंग के लिये बस रोक दी जाती है या टिकट बनाने के लिये इससे यात्रियों का समय नष्ट होता है और एक-आधा घंटा बस खड़ी रहती है तो जो लोग इस तरह से बिना टिकट लिये यात्रा करते हैं उनसे दो रुपया पेनाल्टी वसूल किया जाना चाहिये।

दूसरा सुझाव यह है कि सभी बसों को जो यह बोगस बाडी टाटा के द्वारा निर्मित हैं यह साल भर में खराब हो जाती हैं। मा0 मंत्री जी आप अपने स्तर पर निरीक्षण करके बस की अच्छी बाडी का निर्माण करवाइये। बसों के जो पार्ट्स चोरी होते रहते हैं, मेरा सुझाव है कि रोडवेज की बस के हर पार्ट्स पर सरकारी आर्डर का नम्बर अंकित रहना चाहिये ताकि वह चोरी न हो सके और चोरी करने पर पकड़े जाय। जैसे कि प्राइवेट बसों में एक क्लीनर और मिस्त्री रहता है। इसी प्रकार से रोडवेज की प्रत्येक बसों में भी एक क्लीनर और एक मिस्त्री की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जहां बस खराब हो तो उसे तुरन्त ठीक किया जा सके और बेकार में समय बरबाद न हो सके। जिससे यात्रियों को लाभ होगा तथा विभाग की आमदनी बढ़ेगी।

हर बस स्टेशन पर शौचालय की और उसके सफाई की कमी है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी सुचारु रूप से व्यवस्था होनी चाहिये। वाराणसी से बलिया को जो बस चलती है रोज सुबह चलाई जाय मेरा निवेदन है कि हल्दरपुर और पकवाइनार बलिया में बस स्टेशन आप खुलवाने की कृपा करें। बलिया में वर्कशाप के लिये जमीन ले ली गयी

है, वह पड़ी हुई है बजट देकर बनवाने की कृपा करें। मेरा निवेदन है कि रसड़ा में एक डिपो और वर्कशाप बनाने की कृपा करें। रसड़ा से बिल्थरा रोड और रसड़ा से मऊनाथ भंजन रसड़ा से बलिया को सिटी बस चलायी जाय। मऊनाथ भंजन में एक ब्रांच डिपो वर्कशाप खोला जाय।

परिवहन निगम में 70 हजार कर्मचारी कार्यरत है उसमें मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उसमें आरक्षण के कोटे को पूरा करने के आदेश देने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीप्रकाश–

आपने मुझे कुछ सुझाव देने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं लालगंज विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरा कहना है कि रोडवेज में जो स्टेयरिंग नट बड़े पैमाने पर खरीदे गये हैं, इनका कोई काम नहीं है। यह 1500 रु0 में आते हैं केवल कमीशन के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में यह स्टोर कर लिये गये हैं। इसी तरह से रिकंडीशनिंग जो की जाती है, जो वायरिंग खराब हो जाती है उसको रिकंडीशनिंग की जाती है और जो सबसे अच्छी टाइप की बेयरिंग है उसका पैसा दिया जाता है। रिकंडीशनिंग बेयरिंग हो, रोडवेज में ली जाती है इसी तरह रेडर कुशन जो शाफ्ट में लगती है उसकी रोडवेज में कीमत 15 रुपये होती है जब कि 6-7 रुपये में खरीददारी करते हैं। इसी तरह से शाफ्ट बोल्ट चक्के के नट की खरीददारी जो लोकल परचेज में होती है, बहुत घटिया तरीके की होती है। इन्जन के संबंध में मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो इन्जन 8 हजार कि0 मी0 चलने के बाद गाड़ी के अंदर जो डीजल, मोबिल आयल चेंज होना चाहिए। आजमगढ़ जनपद में तमाम इस तरह की बसें हैं जो 12 हजार से 18 हजार कि0 मी0 चल गयी है लेकिन उनके आयल नहीं चेंज हुए हैं जिसकी वजह से इन्जन पर बड़ा बुरा असर होता है। इसी तरह से जो बसें चलायी जाती है वह रास्ते में रुक जाती है। इसी तरह से ग्रीस और चेकनट आदि यह छोटे-छोटे आइटम हैं, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जिसकी वजह से तमाम तरह की गड़बड़ियां बसों में होती हैं। मैं चाहूंगा कि इसको अच्छी तरह से देख लिया जाय।

श्री शिव नारायण मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आज परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मान्यवर, आपने केवल एक मिनट का समय दिया है इसलिए कटौती का जो प्रस्ताव पेश किया गया है माननीय पाण्डे जी द्वारा, मैं उसका विरोध करता हूं।

*श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए परिवहन मंत्री जी का ध्यान बहराइच जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र श्रावस्ती है वहां पर कोई डिपो नहीं है। यह जिला उपेक्षित है। लखनऊ से बहराइच जाने वाला जो मार्ग है वह राजधानी मार्ग कहलाता है लेकिन घाघरा घाट से बहराइच तक 75 कि0 मी0 की यात्रा में एक भी बस स्टेशन नहीं बनवाया गया है। अतः मेरी मांग है कि फखरपुर में एक बस स्टेशन बनवाया जाय। बौन्डी एक स्थान है जहां बेगम हजरत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महल गयी थीं । बहराइच से बन्डी जाने के लिए बसों की इतनी अव्यवस्था है कि 4-4, 6-6 दिन तक बस नहीं चलती है। मान्यवर, बेगम हजरत महल की स्मृति में स्वतंत्रता दिवस पर उस पर धन देने की आवश्यकता है। इसी तरह से जैतापुर के लिए एक बस जाती है, बहराइच से जैतापुर और जैतापुर से बहराइच । अन्त में बहराइच में एक डिपो माननीय मंत्री जी खोलने की कृपा करें इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम चन्दर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। 2-3 सुझाव मैं आपके सामने रख रहा हूं पहला यह कि जैसा माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि कमेटी में जनप्रतिनिधियों का समायोजन होना चाहिए साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं जो कि मुगलसराय से चंदौसी तक राष्ट्रीयकृत मार्गों पर गाड़ियां अवैध रूप से चलती हैं। जब कि उनका परमिट चंदौली तक ही वैध है। तो मान्यवर, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1960 के परमिट होल्डर रायल्टी के आधार पर गाड़ियों को चलाते हैं और गाड़ियां जो रायल्टी के आधार पर चलाई जाय, तो राजस्व का बहुत बड़ा लाभ होता। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि मिनी बसों और जीपों के परमिट सात-सात सीटों के दे रहे हैं। उनमें 18 से 12 सीट होती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि उन पर पैसेन्जर टैक्स लगा दिया जाय तो राजस्व की प्राप्ति होगी। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन यहां पर बसों की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि मुगलसराय से रामनगर और वाराणसी से राम नगर के लिये बसें चलायी जायें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मा0 परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, राजकीय परिवहन निगम की स्थापना की गयी है, इसका उद्देश्य व्यापारिक है। इसलिये इसका कार्य भी उसी तरह का होना चाहिये, जिस प्रकार का व्यापारिक संस्थाओं का होता है। इसका उद्देश्य जनता को सुख सुविधा पहुंचाना होना चाहिये, परन्तु ऐसा है नहीं । उसके अधिकारियों और कर्मचारियों का जो व्यवहार है, वह जनता के साथ उतना अच्छा नहीं होता है, जितना कि एक व्यापारिक संस्थान का होना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने यह प्राविधान किया है कि उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे आशा है कि उनमें एक व्यवहारिक दृष्टिकोण आ सकेगा जिससे इस विभाग की प्रतिष्ठा फिर बढ़ेगी।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि निगम की जो बसें हैं वह अनुबंधित बसों से अच्छी नहीं हैं, उनका स्तर अच्छा नहीं है। अनुबंधित बसों का स्तर अच्छा है। उनके आपरेटरों की कुछ कठिनाइयां हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र की बसें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं, उनको 4-5 सौ किलोमीटर दूर पूर्वी क्षेत्र में लगा दिया गया है, जिससे कि उनका रख-रखाव नहीं हो पाता है, इसलिये उनके हितों को संरक्षण प्रदान किया जाय। उनकी जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उनको दूर किया जाय। और उनको समझा जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री विनोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो अपने भाषण में परिवहन नीति की घोषणा की है, उससे क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा और मंत्री जी की जो छवि है, जिसे इधर के माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है और उधर के भी मा0 सदस्यों ने स्वीकार किया है, वह बढ़ेगी। माननीय संजय सिंह जी की जो छवि है, वह किसी से छिपी नहीं है। उनमें टीम भावना से कार्य करने की आदत है और जब से इन्होंने परिवहन विभाग का कार्यभार संभाला है, परिवहन निगम में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपनी कांस्टीटुएन्सी बरेली की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां पर हिन्दुस्तान में जब पहली बार बसें बनी थीं, तो उस समय तीन बसें आयी थी, जो आज भी चल रही हैं। उनकी आज हालत यह हो गई है कि उनको आप किसी अजायबघर में रखा दीजिये या किसी वेन्टेज कार रैली में लगा दीजिये, तो अच्छा होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी वहां पर नई सिटी बसों की संख्या बढ़ायें। साथ ही वहां पर एयर फोर्स की कालोनी बनी है, जहां के लिये कोई सिटी बस सेवा नहीं उपलब्ध है। जगराम से एक बस वहां के लिये आप और शुरू करवा दें। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बरेली से नैनीताल पर्यटक बहुत जाते हैं, उनके लिये कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है। केवल हल्द्वानी तक ही बस जाती है और वहां से नैनीताल के लिये बस बदलनी पड़ती है। एक बस आती है जो कभी आती है कभी नहीं आती है। अतः मैं चाहूंगा कि चार बसों की व्यवस्था आप बरेली से नैनीताल के लिये कर दें। इसके अतिरिक्त मैं दो सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा।

पहली बात तो यह है कि जिस तरह से रेलवे में प्लेट फार्म होता है, उसी तरह से बस स्टेशन्स में आप प्लेट फार्म बना दें और उनमें लाउड स्पीकर्स के जरिये उद्घोषणा की व्यवस्था कर दें, जिससे यात्रियों को इधर उधर न भटकना पड़े और उनको यह पता हो जाय कि कौन सी बस किस समय कहां जाने वाली है या कहां से आने वाली है।

जो आर0 टी0 ओ0 आफिस है . . .

श्री अधिष्ठाता –

अब आप समाप्त करें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये मैं आपका आभारी हूं । इतने कम-समय में माननीय मंत्री जी परिवहन विभाग में जो सुधार लाये हैं वह किसी से छिपा नहीं है । अभी वन विभाग में जो छवि वे अपनी छोड़कर आये हैं उसके बारे में भी हमारे विरोध पक्ष के लोगों को मालूम होना चाहिए । अधिष्ठाता महोदय, जैसा आपने कहा कि उनके व्यक्तित्व भरे चेहरे से जिस तरह से परिवहन निगम में निखार आया है 50 प्रतिशत सुधार अपने आप विभाग में आया है । वैसे ही सामने बैठे विरोध पक्ष के अन्धकार को उन्होंने दूर किया है . . . (व्यवधान)। चूंकि समय कम है । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं उनके बजट की जोरदार शब्दों में सराहना करता हूं। दो-एक सुझाव अपने क्षेत्र के बारे में देना चाहता हूं। हम विधायक लोग जब पहले पंजाब मेल से प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाते थे और जो दिक्कत हमें पहले हुआ करती थी वह अब मंत्री जी ने दूर कर दिया है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कौशाम्बी एक ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है उसे हर तीर्थ स्थान से जोड़ दिया जाय। इलाहाबाद से कौशाम्बी इलाहाबाद से बैरमपुर मार्ग गाया पश्चिम शरीरा, इलाहाबाद से पश्चिम शरीरा, चांदे-राई, कटरी, इलाहाबाद से कौशाम्बी वाया विरोंचा नहररोड जुगरापुर सराय-अकिल आदि मार्ग को जोड़ा जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं । मान्यवर, पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने वही बातें कहीं जिनको मैंने कहा था । उनके प्रकारान्तर में कहने का उद्देश्य भी वही था । यह सही है कि परिवहन निगम में जितनी कमियां हैं, उनके बारे में कुछ कहना हो उसकी छवि को बनाना हो जायेगा क्योंकि इस विभाग की जनता के बीच में कोई छवि नहीं है। व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं है। मैं दो सुझाव देना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी आपकी केन्द्रीय कार्यशाला में जब ये गाड़ियां जाती हैं, तो वे दो-तीन दिन तक रोक ली जाती हैं । सन् 70 में परिवहन आयुक्त ने एक आदेश निकाला था कि केन्द्रीय कार्यशाला में जब ये बसें जायं तो वे एक निश्चित समय में 8 घन्टे, 12 घन्टे में वापस आ जायेंगी। उन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि लम्बे रूटों पर चलने वाली गाड़ियां आपके लिये लाभदायी हैं लेकिन छोटे रूट पर चलने वाली बसें आपको घाटा दे रही हैं । सन् 81-82 से लेकर आज तक 38 करोड़ से ज्यादा और एक वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ घाटा आया है । आपकी राजस्व प्राप्तियां बढ़ी हैं । एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो प्रस्ताव रखा है वह व्यापारिक दृष्टिकोण से रखा है । लेकिन ऐसा नहीं है । व्यापारिक दृष्टिकोण तब हो जाता है, जब जन कल्याणकारी कार्य अपने आप राज्य में खतरा बन जायं तो ऐसे समय में उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिये। तो जो व्यापारिक दृष्टिकोण रखा है वह केवल इसलिये रखा है कि उसमें राज्य को खतरा हो गया है। इस निगम से लाभ की अब कोई गुंजायश नहीं दिखाई देती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इस सदन में जब माननीय बीर बहादुर सिंह जी परिवहन मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि गोरखपुर से पशुपतिनाथ तक बस चलायेंगे लेकिन वह नहीं हुआ। हां, गोरखपुर से छपरा जरूर जुड़ गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो बड़े तीर्थ स्थान हैं, जो लम्बे रूट हैं, उनमें बसें चलाई जायं और साथ ही सुझाव दूंगा कि छोटे रूटों की उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिये। आज होता यह है कि उन मार्गों में घटिया किस्म की बसें लगा दी जाती हैं और आधे रास्ते में ही बस खराब हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जिस दिन मुकदमें की तारीख होती है, उस दिन न पहुंच कर दूसरे दिन पहुंचते हैं और उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा खारिज हो जाता है और वे जेल चले जाते हैं क्योंकि मैजिस्ट्रेट कहता है कि तुम टाइम पर नहीं आये। छोटे रूटों में आप बसें नहीं चला सकते हैं, तो उसे प्राइवेट लोगों को दे दें इसके लिए सेक्सन 68 (सी) को विथड्रा करके प्राईवेट लोगों को दे दें और बड़े रूटों पर आप बस चलायें।

दूसरी बात आपका किराया बहुत बढ़ गया है आपने किराया बढ़ाने के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता आप मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उन लोगों के लिए कोई मूल्य सूचकांक का अनुपात नहीं होता है जिनका आप किराया बढ़ाते हैं, जो सबसे ज्यादा संख्या में इस बसों में चलते हैं। आज उनके किराया देने की परिधि लांघ चुकी है, उनके ऊपर रहम करके आप यहां पर कहें कि अब भविष्य में किराया नहीं बढ़ेगा।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो बस्ती जिला है, उसके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। वैसे मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मुझे अपने जिले की बात नहीं कहनी चाहिये, लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है। वहां जो कैन्टीन है मेंहदावल में उसमें आपके ए0 आर0 एम0 को पटक दिया जो ठेकेदार है वह एक जमाने से 10, 15 साल से 30 पैसे या 20 पैसे पर उसे लिये हुए हैं। जब नीलामी का समय आता है, तो आपकी तरफ से स्टे चला जाता है। आप मंत्री हैं इसमें अगर आपके ऊपर अंगुली उठेगी तो फिर परिवहन विभाग का क्या होगा। आप इसमें हस्तक्षेप करें और जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है वह समाप्त हो जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इस प्रकार कैन्टीनों को प्रजातांत्रिक रूप से दूसरों को देने की बात करें।

आपने अनधिकृत बसों के बारे में कहा कि अनधिकृत बसें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चल रही हैं, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी बसें जो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत रूप से चलती हैं, उनको अपने कब्जे में ले लें। आप ऐसी बसों का चालान कराते हैं लेकिन वे जमानत पर छूट जाती हैं। आप गाड़ियों के साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर का भी चालान कर दें और तीन बार जिनका चालान हो जाय उसके बाद भी न रुके, तो उनको अपने डिपो में रख लें और पूरी सम्पत्ति को जब्त कर लें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो केन्द्र सरकार को लिख

कर कहें कि वह इसमें परिवर्तन करके आपको ऐसा करने का अधिकार दे दें। तभी आप अनधिकृत बसों को रोक पायेंगे अन्यथा कोई दूसरा तरीका नहीं है।

आपने कहा कि विभाग में घोटाला है। मैं कहूंगा कि आपका विभाग ही घोटाला है और वह इसके लिये नये-नये तरीके आविष्कार करता है, जिसको आपने स्वीकार किया है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं एक चीज कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा और आपको अतीत की ओर ले जाना चाहूंगा जो गौरवमय अतीत रहा है, जिसका वेदों में वर्णन है। मैं वेदपाठी तो नहीं हूं इसलिये वेद का उद्धरण नहीं दूंगा केवल उसका भाव बताना चाहता हूं—राजा को ऐसा होना चाहिये कि वह जो टैक्स ले, वह उस तरह से हो जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से जल को खींचता है और पुनः बादल बन कर वर्षा के रूप में जमीन को पानी के रूप में उसे दे देता है। तो उसी तरह से राजा को व्यवस्था करनी चाहिये, जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने की थी। आप भगवान राम की नगरी के बगल से आते हैं, महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी। उसमें एक ऐसी कल्पना थी जिसके चलते हर आदमी को सुख और सुविधा मिलना चाहिए। राम का एक चरित्र था। जितनी तारीफ आपकी की गयी सत्ता पक्ष की ओर से उतनी बजट की कम चर्चा की गयी। मान्यवर, राम का चरित्र क्या था, राम जब राजा नहीं थे तो सीता के लिए दर दर घूमते ढूंढते फिरे और जब राजा हो गये तो अंगुली उठने पर उन्होंने सीता को त्याग दिया। उसी प्रकार आप पर अंगुली उठे तो आप उन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण न दें, उनको दंडित करें फिर चाहे वह पांडेय हों या शर्मा हों या सिंह हों उन सबको दंडित करें और ऐसी व्यवस्था करें कि परमिट के बारे में जो कमेटी बैठती है, उसकी मीटिंग 4–5 या 6 महीने में अनिवार्य रूप से करें अन्यथा परमिट ब्लैक में बिकती है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि भविष्य में कर न बढ़ाने का वायदा करें।

[समय 6-30 मिनट]

श्री राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे सहयोगी माननीय सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव दिये हैं, मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। विशेषकर, श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी का, इसलिये कि उन्होंने जो भी बातें कहीं बड़े ही मधुर ढंग से कहीं और उनका और हमारा सम्बन्ध बस्ती से रहा है, इसलिये मेरी कुदृष्ट नहीं पड़ेगी चूंकि हमारा वहां ननिहाल है। मान्यवर, अफसोस इस बात की है कि उन्होंने जो औपचारिकता का निर्वाह किया है। मैं लगभग 10 साल पहले इलाहाबाद गया था तो वहां भी उनकी औपचारिकता देखने को मिली थी। चूंकि उनकी हमदर्दी हमसे है इसलिये चर्चा का जब समापन किया तो फिर वही अंतिम औपचारिकता दिखाई पड़ी, इसलिये मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, उन्होंने कुछ बातें कहीं तो मैं समझता हूं कि शायद उनको विभागीय जो नोटिस मिले हैं जैसे बेड़ों

की संख्या बतायी तो उसको सुधारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि 6198 फ्लीट में ओवरएज 26 प्रतिशत हैं। प्राइवेट बसें 12 हजार हैं, जो कुल यात्रीकर का 40 प्रतिशत देते हैं। हमारी जो बसें हैं वह यात्रीकर 46.71 करोड़ रुपये देती हैं, जो 7 प्रतिशत हैं, यह भी सुधार उनको महसूस करना चाहिए। श्री पांडेय जी ने कहा था कि पल्लवन महाराष्ट्र में है, तो पल्लवन मद्रास, तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में नहीं है। मान्यवर, उन्होंने जो सुझाव दिये उसके बारे में कहना चाहता हूं लेकिन समय कम है। उन्होंने जो कमेंटीज के बारे में कहा, मैं प्रयास में हूं कि यथासमय एस0 टी0 ओ0, आर0 टी0 ओ0 अपने समय पर मीटिंग करें और फैसला लें। माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी निगाह पहले वहां गयी जहां कमियां हैं। मैं फिर से उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने शुरू में ही कमियों के बारे में कुछ बातें कहीं थीं और उनके सुधार की कोशिश के बारे में पहले ही कह चुका हूं।

मान्यवर, श्री गौरी शंकर भइया ने फर्स्ट एड बाक्स के बारे में कहा, तो इसकी जांच कराऊंगा और कुछ व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। मान्यवर, स्टेशनों के बारे में, टिकटों की गड़बड़ी के बारे में, बाडी बिल्डिंग के बारे में शायद उनको पता नहीं। अभी तक कान्ट्रेक्ट पर जो बसें बनवाई जाती थीं, वह विभाग की तरफ से प्रदेश में ही या अपने शहर में ही 3–4 जगह व्यापारियों को दी जातीं थीं, लेकिन जो इसमें घपला हुआ, उससे अब निश्चय किया गया है कि लोकल लोगों को मस्त करने का या उनको बस बाडी बनाने के लिए कान्ट्रेक्ट न देने का। बल्देव सिंह जी ने अपने अलीगढ़ की समस्या के बारे में कहा, मैं अवश्यमेव प्रचुरता से उसमें ध्यान देने का प्रयास करूंगा। शतरुद्ध प्रकाश जी ने भ्रष्टाचार, घटिया बसों और अव्यवस्था के बारे में बात कही, मैं सबसे पहले ही इसके बारे में सभी को अवगत करा चुका हूं। श्री खान साहब ने जो रिकार्ड होता है उसके रखरखाव के बारे में बात कही, उन्हें इस विभाग में कार्य करने का सौभाग्य रहा है, उन्होंने कुछ विशेष बातें कही हैं, मैं उन सबके बारे में विशेष ध्यान दूंगा और चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो और दुर्व्यवस्था दूर हो।

माथुर साहब जो वृन्दावन के हैं, उन्होंने पैकेज टूर और टूरिस्ट बसों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, मैं इस तरफ जरूर विभाग से कोशिश करूंगा कि वह काम हो। रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा कि आफिस में बड़ा खर्चा हो रहा है, 3 लाख खर्चे की फीगर उनको जो मिली है वह बहुत अधिक ही है, 1 लाख 20 हजार केवल खर्चा हुआ है। वह हमारा एक्सक्लूसिव आफिस नहीं है, उसमें मीटिंग भी होती हैं, बड़े-बड़े अधिकारी और दूर से भी लोग आते हैं, उनके सबकी व्यवस्था पर यह सारा खर्च होता है। कलर टी0 वी0 वहां पर आफिसर्स के इन्टरटेनमेंट के लिए है जो रिटायरिंग रूम है, यह वहां पर लगाया गया है और मैं समझता हूं कि उसकी वहां पर आवश्यकता है। वर्मा जी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था हो, जो तमाम चेसीज आती हैं, वे पड़ी रह जाती हैं, ठीक से उनको बाडी बिल्डिंग के लिए नहीं दिया जाता है। मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि आज केवल 47

चेसीज ही लाइन में है। यह भी कहा गया है कि बाडी मेकिंग का प्रोडक्शन भी बहुत सुस्त है, इस सम्बन्ध में मैं बहुत प्रसन्नता के साथ घोषित करना चाहूंगा कि एलेन फारेस्ट वर्कशाप और सेन्ट्रल वर्कशाप दोनों में इस समय सवा सौ बाडी बनाने की कैपसिटी है। जो पिछले वर्ष 45-70 ही बन पाती थीं, आज करीब 95 बाडीज वहां पर हर माह बन रही है। पूरनसिंह मेहरा साहब ने टैक्सी के बारे में कहा, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या व्यवस्था हो सकती है। गोपाल दास यादव जी ने इलाहाबाद में बंगलिंग के बारे में कहा है, मैं उसके बारे में उन्हें और सदन को सूचित करना चाहता हूं कि उस मामले में एक फोरमैन सस्पेंड हो चुका है और उसके लिए एक हाई-लेवेल इंक्वायरी चल रही है और शीघ्रातिशीघ्र उसके बारे में निर्णय लिए जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र कपिल जी ने ट्रैक्टर-ट्रालियों की बातें कही हैं, हमारा विभाग जरूर उसके बारे में देखेगा। त्रिलोक चन्द्र जी ने कमियों के बारे में कहा है, हम लोग उससे अवगत हैं और समुचित ढंग से उस पर एक्शन लेने की व्यवस्था हो रही है। सुरेन्द्र सिंह नेगी जी ने बद्रीनाथ और कोटद्वार आदि की यात्रा के बारे में बात कही है, उसके बारे में भी ध्यान दिया जाएगा और जो ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो सकती है, उसे किया जाएगा।

मैनेजर सिंह जी ने बाडी बनाने की बात कही, उसके बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं। उन्होंने श्री पाण्डेय और श्री द्विवेदी अधिकारियों के खिलाफ जो बात कही है, उस मामले में श्री पाण्डेय जी के खिलाफ अनवरत रूप से विभाग एक्शन लेने के लिए तत्पर है और द्विवेदी जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बसों में जो कामर्शियल लगेज जाता है, उस पर ज्यादा लोड पड़ता है, तो उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। राणा जी ने ड्राइवरों को बसेज के एलाटमेन्ट की बात कही है कि उसको अच्छी बस चलाने के लिये दी जाय। उसके लिये विभाग कार्यवाही कर चुका है और उसमें उसे काफी सफलता भी मिली है। उन्होंने जो अन-एम्पलायमेंट और जो बेरोजगार नौजवानों को अनुबन्ध और नेशनल परमिट में वरीयता देने की बात की, तो हम उससे सहमत हैं और विभाग इस तरफ कार्यवाही कर रहा है।

माननीय महरम सिंह जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक की सुविधा देने की बात कही तो उसके बारे में जरूर जांच करायेंगे और अगर हो सकता है तो अवश्यमेव घोषणा की जायेगी। श्री त्रिवेदी जी ने इलाहाबाद के बारे में कहा, उन्होंने बसों की बात कही। दुर्भाग्य की बात है, कई समाचार पत्रों में इस तरह की बात छपी है। वहां बसें कई बार कई जगह पर मंत्रियों द्वारा उद्घाटित हुई, लेकिन वह भ्रम की बात है, सत्यता से परे है। जबसे बसों का उद्घाटन हुआ है, वह आज उन्हीं रूटों पर चल रही हैं, उनका लेखाजोखा, चार्ट, हमारे सामने आ चुका है।

कर्नल केसरी सिंह जी ने वर्कशाप के माध्यम से घाटा और अन-आथराइज्ड आपरेशन तथा भूतपूर्व सैनिकों की बात कही।

मैं बड़ी प्रसन्नता से घोषित कर रहा हूं कि जो परिवहन विभाग है, उसमें प्रवर्तन दल में जो सिपाही लिये जाते हैं तो उसमें सुनिश्चित किया गया है कि जो भविष्य में इम्पलायमेंट होगा वह सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिये होगा। इसलिये उनको प्रसन्नता होनी चाहिये । माननीय सखावत हुसैन ने बहुत मेहरबानी करके अच्छे-अच्छे सुझाव दिये । मैं उनका स्वागत करता हूं और विभाग उन पर कार्यवाही करेगा । माननीय अमर चन्द्र ने यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 में चेकिंग नहीं होती है, उसके बारे में कहां । तो मुझे अफसोस है, मैंने स्वयं करीब 500 बसों की चेकिंग की वह सिर्फ यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की थीं । उसमें जो कमियां पायीं गयीं आन-द-स्पाट उन पर ऐक्शन लिया गया।

माननीय सुरेन्द्र पाल वर्मा ने बसों की कमी की बात कही । वहां पर अपने जिलाधिकारी और एस0पी0 का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वहां जितनी गाड़ियों को बड़ी सख्ती से रोका गया है, उतनी प्रदेश के किसी जिले में नहीं रोकी गयी हैं । जो उन्होंने कहा तो अवश्यमेव उसकी व्यवस्था की जा रही है कि चित्रकूट आदि जो धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको बस सेवा से जोड़ा जाय । श्रीमती पुष्पा सिंघल जी ने अपने मुरादाबाद की कठिनाइयों के बारे में लोकल सुझाव दिये, उनकी व्यवस्था की जायेगी। श्री बंगाली सिंह ने लोकल सुझाव दिये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उस पर विभाग को चलाने की कोशिश करूंगा । श्री नरेन्द्र देव ने लोकल सुझाव दिये हैं, जो भी सुझाव उन्होंने दिये उनको मैंने तोट किया है, उसकी व्यवस्था की जायेगी। श्री श्याम बिहारी ने बरेली के बारे में कहा, उन्होंने बसों को बढ़ाने की मांग की, तो मैं जैसे पहले कह चुका हूं अगले 5 सालों में किसी नगर में बसों की कमी नहीं रहेगी । माननीय हीरा सिंह बिष्ट ने सहस्त्रधारा आदि पर्यटन स्थलों को बस से सीधे जोड़ने की बात कही तो अवश्यमेव विभाग का ध्यान मैं आकर्षित करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो ।

श्रीमती शारदा देवी जी ने कहा कि चौरी चौरा आदि में बसों की व्यवस्था नहीं है और उन्होंने महिलाओं पर ध्यान देने की बात की तो मैं आश्वस्त करता हूं कि उस पर ध्यान दिया जायेगा। श्री हर देव जी ने लोकल सुझाव दिये । उनकी बलिया की समस्यायें हैं कई विधायकों से मेरी व्यक्तिगत बात हुयी है, तो उसकी व्यवस्था की जायेगी। माननीय विधायक लालगंज ने रिकंडीशनिंग, मैकनिकल और तमाम सारे भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था और कमियों के बारे में कहा तो उसके बारे में अवश्य व्यवस्था हो रही है ।

श्री शिव नारायण मिश्र ने चांदा क्षेत्र की बसों के बारे में कहा तो मैं अवश्यमेव उसके बारे में व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। माननीय श्री मयंकर सिंह, सदस्य, बहराइच ने बड़े भयंकर सुझाव दिये । मैं पूरे तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा। माननीय शर्माजी, जो मुगलसराय वाराणसी के हैं उन्होंने आर0टी0ए0, एस0टी0ए0 में जन-प्रतिनिधियों के सहयोग का सुझाव दिया। हम लोग इस तरफ अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्था की जाय । माननीय कुशलपाल सिंह ने अनुबंधन के बारे में सुझाव दिया, वह स्वागत योग्य है । हम लोग इसकी व्यवस्था

करेंगें । डा0 विनोद तिवारी जी ने, जो पीलीभीत के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जो सुझाव दिये हैं तो वह धन्यवाद के पात्र हैं । डा0 दिनेश जौहरी ने बरेली सिटी में बसों के बारे में सुझावं दिये हैं । उन्होंने डिमांड की कि बरेली नैनीताल सेवा के लिए स्टेशन पर व्यवस्था ठीक कराने के लिए हम स्वयं तत्पर हैं। माननीय विद्यार्थी जी ने जो हमारे इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारी व्यक्तिगत छवि के बारे में प्रशंसा की, वह प्राकृतिक है क्योंकि वह इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उनको प्रशंसा करनी ही चाहिए। माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो सुझाव दिए, और जो अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए, हो सकता है कुछ माननीय सदस्यों के नाम का उच्चारण होने से रह गया हो, उनके सुझाव को देखने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा विभाग प्रचुर सेवा देने का प्रयास करेगा। अन्त में मैं चाहूंगा कि हमारे डिमाण्ड को स्वीकार करें और हमारे विभाग को मजबूत बनायें।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय मंत्री जी ने जिन लोगों ने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन और विरोध किया है उसमें बहुत सी बातों को स्वीकार करते हुए धन्यवाद आदि दिया। एक बात जानना चाहता हूं । फैजाबाद मंडल की 82-83 और 83-84 की इन्टरनल आडिट की रिपोर्ट 31-7-84 को निगम को दी गई है। 24 लाख की खरीद में 18 लाख की अनियमितता और घोटाले की रिपोर्ट है, क्या यह भी मंत्री जी के ध्यान में है? क्या अब तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही हो पाई है?

राजकुमार संजय सिंह–

पूरी रिपोर्ट मुझे मिली है मुझे नाम के हिसाब से मालुम है कि कौन व्यक्ति इन्वाल्व है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना कठोर दंड उनको दिया जायेगा।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो विभाग की कमियों का स्वयं विवरण पेश किया और प्रत्येक माननीय सदस्य की बात को नोट करके उसका जवाब दिया, उसके लिए हम आभारी हैं।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, परिवहन आयुक्त के यहां से ऐसे आदेश जारी हुए हैं कि आर0टी0 ओ0 आफिसेज में विधान सभा सदस्यों का पता वैरीफिकेशन करने का अधिकार दरोगा और तहसीलदार को होगा, तो उस परिवहन आयुक्त को यह अधिकार कहां से मिल गया कि जो हम माननीय सदस्यों की शक्ति है उसको वापस ले लेगा?

राजकुमार संजय सिंह–

इसको रि-कंसीडर करेंगे।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चित्रकूट में हर अमावस्या को हर आदमी जाता है रेल और बसों के ऊपर चढ़कर, तमाम दुर्घटनायें होती हैं। माननीय मंत्री जी ने बांदा के पर्यटन के बारे में ध्यान आकर्षित किया है केवल दीवाली के अवसर पर विशेष व्यवस्था वहां होती है। देश में मान्यवर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इतने आदमी अमावस्या को इकट्ठे होते हों, तो क्या मंत्री जी चित्रकूट की समस्या को देखते हुए स्पेशल बसों की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे?

राजकुमार संजय सिंह–

हम पूरा प्रयास करेंगे।

(शोर)

श्री हरदेव–

मान्यवर, आरक्षण कोटा के बारे में जो मैंने कहा वह प्रदेश लेबिल पर परिवहन की आरक्षण पूरा करने की बात है। मान्यवर, आरक्षण पूरा नहीं है, उस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का विचार जानना चाहता हूं।

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, एक दफा मैं इनके चेम्बर में गया था और मैंने कहा था और इन्होंने स्वीकार भी किया था, सहारनपुर से दिल्ली एक लम्बा रूट है, उस रूट पर आधे दिन प्राइवेट बस और आधे दिन निगम की बसें चलती हैं। हमारी रोडवेज की बसें जो हैं, वह खाली चलती हैं और प्राइवेट बसें भरी हुई चलती हैं। जो बसें खाली चलती हैं, उसका क्या आधार है और जो दूसरी बसें भरी हुई चलती हैं, इसकी जरा आप जांच करावें, क्योंकि आप बहुत लास में जा रहे हैं। इसका चेक-अप करावे।

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,98,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरदेव–

अधिष्ठाता जी, कृपा करके हमारा ध्यान रखा कीजिए। आपको धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, यह जो अध्यादेश ले आये हैं, जिसको मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया है, जिसमें वह जो जमीन मकान बनाने के लिए पट्टेदारों को देते हैं, उस पर अधिक समय तक मकान न बनाने के कारण उस जमीन को वापस लेने का प्राविधान इसमें है। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक तो इन्होंने पट्टा देते समय कितना टाइम दिया, इसका इन्होंने उल्लेख नहीं किया है कि हम पट्टेदार को इतने दिन का समय देते हैं कि इतने दिन के अंदर वह मकान निर्माण कर लें और उन्होंने इस बात की भी जानकारी नहीं की कि किस कारण से वह मकान नहीं बना, पैसे के अभाव से नहीं बना या पट्टेदार की मृत्यु हो गयी या पट्टेदार बीमार है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण

वह मकान नहीं बना पाया, इन तमाम बातों को बिना सोचे-समझे यह गलत अध्यादेश हो गया और यह गलत परम्परा श्रीमन्, बन जायेगी। इन्होंने उसमें यह भी व्यवस्था किया है कि जो बकाये की वसूली होगी वह भू-राजस्व की तरह से होगी यानि कुर्की, सम्पत्ति की जब्ती और जेल, इन तीनों का प्राविधान इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने किया है कि जो बकाये की धनराशि नहीं देगा, उसकी कुर्की हो जायेगी, उसकी सम्पत्ति की जब्ती हो जायगी या उसको निश्चित अवधि तक जेल में रखने का प्राविधान इसमें है। जैसे भू-राजस्व में है वैसा प्राविधान इसमें किया गया है। यह निहायत गलत है। हायर परचेज में मकान की किस्त इतनी अधिक है कि लोग उसी को देने में तबाह रहते हैं। हायर परचेज के मकान की किस्त कम करने के बजाय इन्होंने भू-राजस्व की तरह वसूली का प्राविधान किया है। दूसरी बात इसमें यह किया गया है कि विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सेवा कर्मचारियों के लिये रूल बनाने की राज्य को शक्ति दी जाय। इसका बड़ा दुरुपयोग होगा। राज्य सरकार को यह शक्ति नहीं दी जानी चाहिये। जब तक कि उनका ट्रान्सफर कैसे होगा, कोई नियम न बन जाय, सर्विस रूल न बन जायं, यह शक्ति न दी जाय। इन तमाम बातों की कमियां हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को वापस लें और जो उसमें कमियां हैं, उनको दूर करने की दृष्टि से, मकान न बनाने का कारण क्या है, इन सब चीजों को पूरा करके एक दूसरा विधेयक ले आवें जिसमें लोगों का लाभ हो और सरकार को भी सुविधा हो। एक अच्छी शक्ल में विधेयक मंत्री जी ले आती तो ठीक रहता। चूंकि इसमें तमाम गड़बड़ियां हैं इसलिये अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही— मान्यवर, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जहां तक इसका सम्बन्ध है, इस विषय में मैं यह कहना चाहूंगी कि इस विधेयक को लाने के तीन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 18 में संशोधन करके यह प्राविधान करना कि किसी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को गृह निर्माण करने के लिए पट्टे पर जो जमीन दी जाती है, अगर काफी अरसे तक उस पर निर्माण नहीं होता है तो उसको, उसके ऊपर प्राधिकरण का अधिकार होगा और वह उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन कब्जा करने के पहले पट्टेदार को एक नोटिस भेजी जायेगी और उसको मौका दिया जायगा कि वह अपने बचाव या रीजन्स कह सके कि अभी तक निर्माण क्यों नहीं किया और उसके बाद उसको यह भी अधिकार है कि उसके खिलाफ जो कार्यवाही होती है,

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तो वह न्यायालय में 30 दिन के बाद जा सकता है।

माननीय, इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि लोग जमीन ले करके छोड़ देते हैं। वहां पर निर्माण नहीं होता है और वैसे ही मकानों की बहुत कमी है और उसके साथ-साथ प्राधिकरण को धन का भी नुकसान होता है। दूसरा उद्देश्य माननीय, उसमें यह होगा कि अधिनियम की धारा 40 में संशोधन करके हायर परचेज की बकाया किश्तों को भी भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने का प्राविधान कर दिया गया है। इसमें यह है कि माननीय, बहुत सी हायर परचेज पर जमीन ली जाती है, एक आध किश्त आती है उसके बाद फिर वह किश्त रुक जाती है जिससे कि विकास में बाधा पड़ती है। उसके साथ साथ अगर इससे भी नहीं होगा तो कुर्की की जायेगी या नीलामी की जायेगी।

माननीय, मैं यहां यह भी बताना चाहती हूं कि इससे प्राधिकरण को बहुत नुकसान होता है। लोग जमीनें लेकर डाल देते हैं और जब सड़कें बन जाती हैं, बिजली पहुंच जाती है और सारी व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद बढ़े दामों में उस जमीन को बेच दिया जाता है और निर्माण उसमें नहीं होता है।

तीसरा उद्देश्य यह है कि अधिनियम की धारा 5 को बढ़ाकर राज्य सरकार को विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा सृजन करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें कि पालिका केन्द्रीयत सेवा और डेपुटेशन पर आये हुए जो लोग हैं, उनको छोड़कर सभी विकास प्राधिकरण से संबंधित जो पद हैं, उसमें सेवारत व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया जायेगा। जो स्थायी होंगे और अस्थायी होंगे–दोनों कर्मचारियों के लिये 3 महीने का समय दिया जाय और उसके पश्चात् अगर उनका कोई जवाब नहीं आता है, तो माना जायेगा कि केन्द्रीयत सेवा में सम्मिलित होना चाहते हैं। उनकी अंतिम रूप से परीक्षा ली जायेगी और परीक्षा में पास हो जाते हैं तो केन्द्रीयत सेवा में आ जायेंगे। जो पास नहीं होता है, आप्ट नहीं करना चाहता है, उनको 3 महीने का वेतन स्थायी होने की दशा में और एक महीने का वेतन अस्थायी होने की दशा में देकर अलग कर दिया जायेगा। माननीय, इसका चौथा उद्देश्य यह है कि स्थानान्तरण एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में हो पायेंगे।

माननीय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया प्रस्तुत विधेयक पर अपना संकल्प वापस ले लें और इसे पारित करायें।

*श्री त्रिलोक चन्द्र–

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

माननीय, माननीया मंत्री जी ने उल्लेख करते हुए बताया कि जो प्लाट्स लोगों को दिये गये, उन्होंने उस पर भवन नहीं बनाये। दूसरे, जो किश्तें नहीं आ रही हैं, उनकी एक रेवन्यू की तरह वसूली होगी। तीसरे जो कर्मचारी परीक्षा पास नहीं कर पायेंगे तो निकाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया जायेगा। मान्यवर, तीनों बातें ऐसी हैं, इस मौजूदा बिल में इन बातों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है, न उनसे कोई स्पष्ट मतलब निकलता है। मैं बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद में इस तरह की समस्या थी कि कालोनी को डिक्लेयर कर दिया, न वहां सड़क बनी, न सीवर की व्यवस्था हुई, उनको नोटिस दिया गया कि आपने मकान तैयार नहीं किया है।

मान्यवर, आप देखें, जो यह बिल है अपने आप में खुद ही इनकम्पलीट है। जो प्राधिकरण हैं, वे काम ठीक नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद में हर बड़ा अधिकारी अपना मकान बनवाना चाहता है, जहां उसको प्लाट खाली दिखता है, लेने की कोशिश करता है। जहां तक किश्तों का जिक्र किया गया, आप मकान देते हैं ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को मकान देते हैं या बिजनेस वाले ले लेते हैं। किसान और गरीब आदमी को कहां मकान मिल पाता है। इसलिए उनकी किश्तें छूट पाना स्वाभाविक नहीं है।

कर्मचारियों के बारे में कहा ठीक है, पहले पहल उनके ओरीजनल विभाग से परमिशन लें अगर वह स्वीकार हो तो आज से वे इसके कर्मचारी हो गये। परीक्षा का कौन सा प्रोविजन है। जिनकी सर्विस 20 साल हो गयी, वह किस तरह की परीक्षा दे पायेंगे, आप उनको तीन माह की तनख्वाह देकर निकाल देंगी। मान्यवर, इस बिल से प्लाट के धारक को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, कर्मचारियों को दिक्कत होगी, रेवन्यू में भी दिक्कत आयेगी। जिनके पास ज्यादा पैसा है वह एडवंस बनवा लेंगे। आपके रेट इतने हायर हैं, जिनका कोई पता नहीं है। आपके विकास परिषद् और प्राधिकरण में लोग मकान के लिये रजिस्ट्रेशन कराते हैं, दस साल पहले 2 हजार, 10 हजार में रजिस्ट्रेशन कराया, अब फिर नोटिस मिलती है कि 3 हजार और जमा करो। कितने मकान देंगे या कितने प्लाट देंगे, इसका कोई नामोनिशान नहीं है। 2 हजार की जगह पर आप 5 हजार रुपए मांग रहे हैं। जब वह 5 हजार रुपए देगा तब आप उसका रजिस्ट्रेशन मानेंगे। ऐसे तो आपके कानून है। यदि कोई व्यक्ति प्लाट लेता है, तो उसको यह परेशानी उठानी पड़ती है। इसी नियति से हम प्रस्ताव लाये हैं। हम कोई बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इसमें जो कमियां रह गई हैं, उन पर प्रवर समिति विचार कर लें। परीक्षा वाली बात जो आपने कही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। 10-10 साल से वे लोग काम कर रहे हैं, यदि आज उनको निकाल दिया जायेगा तो न तो वे इधर के रहेंगे और न उधर के कानून तो आप पास कर देंगे लेकिन उसका इम्पलीमेन्टेशन करने वाले आपके अधिकारी लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें जो कमियां रह गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही साधारण बिल है। इसे प्रवर समिति को भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य ने जो एतराज उठाये हैं, वे पैदा ही नहीं होते हैं। आप बिल के खण्ड–5 को देखें जो सैक्सन–18 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। इसमें लिखा गया है "दि लीजी फेल्स विदाउट सफीसिएन्ट रीजन, टु मेक दि कन्सट्रक्सन और ए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबस्टैन्शियल पोरशन दियरआफ, विद-इन दि स्टीपुलेटेड टाइम और सच एक्सटेन्डेड टाइम एज दि लीजर मे ग्रान्ट, दि लीजर मे फोरफिट दि लीज एण्ड रि-इन्ट्री अपौन दि लैण्ड।'' एक टाइम तो आपको देना ही होगा। यह तो नहीं कि आप उसे 100 वर्ष दे दें। जिस उद्देश्य के लिए उसे पट्टा दिया गया है, यदि वह काम उस पर वह नहीं करता है, तो पट्टे का महत्व ही समाप्त हो जायेगा।

इसीलिए इसमें रीजनेबल टाइम कहा गया है। लीजरी को जहां कहीं भी किसी उद्देश्य के लिए कोई चीज दी गई है तो उसमें टाइम निर्धारित किया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि यदि वह निर्धारित समय के अन्दर नहीं बना सकता है किसी कारणवश यदि वह पर्याप्त रीजन दे देता है तो उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। इसमें ''मे'' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह उसके डिसक्रीशन पर होता है। जहां कहीं भी डिसक्रीशन एक्सरसाइज होता है, उसका एक जुडिशियल प्रिंसिपल होता है न कि कोई आरबिट्रेरी। इसके आगे लिखा हुआ है कि ''प्रोवाइडेड दैट नो फोरफीचर एण्ड रि-इन्ट्री शैल बी मेड अनलेस दि लीजी हैज बीन एलाउड रीजनेबल आपरच्यूनिटी टु शो-काज अगेन्स्ट दि प्रपोज्ड एक्शन।'' यानी आपको नोटिस दी जायेगी। आपकी पूरी बात सुनी जायेगी। सुनने के बाद उसे जुडीशियल तरीके से देखा जायेगा। यदि आपकी बात सही है तो उसे माना जायेगा और आपको रि-इन्ट्री दी जायेगी। इसके आगे आप और देखें। ''अपौन सच फोरफीचर एण्ड रि-इन्ट्री दि प्रीमियम पेड बाइ दि लीजी फार सच लैण्ड शैल बी रि-फण्डेड विदाउट एनी इन्ट्रेस्ट, आफ्टर डिडक्टिंग।'' आपने जो प्रीमियम दिया है, उसमें कुछ डिडक्शन करने के बाद लौटा दिया जायेगा। यह नहीं कि आपका पैसा वापस नहीं किया जायेगा। ''एनी परसन एग्रीव्ड बाई एन आर्डर सब सेक्शन (4) में विद-इन 30 डेज फ्राम दि डेट आफ नालेज दियरआफ प्रीफर एन अपील टु दि डेट डिस्ट्रिक्ट जज हुज डिसिजन शैल बी फाइनल।'' अब आप देखें, इस बिल में यह भी दिया हुआ है कि आप 30 दिन के अन्दर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील कर सकते हैं। इतनी सुविधायें दी गई हैं और मकान न बने तो कौन सा एसा प्राधिकरण है, जो यह कहे कि जब चाहो तब बना लो। रिकवरी की बात है, तो उसके लिए विधान है। आदमी तो यह सोचें कि हमें मकान बनाना है। थोड़े से लोग हैं जिनके पास पैसा है . . .

श्री अधिष्ठाता–

सारी बातें आ गईं। अब आप बैठें।

श्री लाल प्रताप सिंह–

यह एक्ट उचित है, मंशा उचित है, अण्डर लाइन आइडिया भी उचित है। इसमें प्रवर समिति को भेजने की कोई बात नहीं है।

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैं श्री त्रिलोक चन्द्र द्वारा प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं उन्हें बधाई दूंगा कि बड़ी खूबसूरत तरीके से त्रिलोक चन्द्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। क्योंकि यह विधेयक एक एसा विधेयक है जैसे एक व्यापारिक संस्थान का एकांगी विधेयक हो। मकान बनाने के लिए दिया गया है तो बनाया क्यों नहीं? इन्हीं बातों पर तो विचार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने के लिए प्रवर समिति को भेजने की बात है। प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार, समय कम है और हमारी साथी कह रहे हैं कि संक्षेप में कहूं, लखनऊ में ही जो प्राइवेट कालोनाइजर्स हैं, उनके मुकाबले में प्राधिकरण की कीमत ज्यादा है। वह भी डेवलप करके दे रहे हैं। आपका जो सामान लगा है, घटिया दर्जे का लेकिन कीमत ज्यादा और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। इस पर चिन्तन करने की जरूरत है। यह एक दम से कह देना कि तुमने मकान नहीं बनाया, तो वापस लेते हैं। यह कहना कि उपयुक्त अवसर देंगे, तो इसकी परिभाषा क्या होगी। इसको डिफाइन करने की जरूरत है। नोटिस कौन देगा, कौन सुनवाई करेगा। इन बातों पर विचार नहीं करेंगे तो यह एक वेल्फेयर स्टेट है समाज के हित की बात सोचें, जो बुर्जुवा वर्ग है, उसी का फायदा होगा और मजदूरों का अहित।

इसलिए आवश्यक है इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। परीक्षा वाली बात कही। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। आदरणीय सदन में इस पर चर्चा हुई है। परीक्षा का तात्पर्य है चयन की प्रक्रिया क्या हो, रिटेन टेस्ट होगा, इण्टरव्यू होगा? इन सब बातों को देखने की जरूरत है। रिटेन टेस्ट और इण्टरव्यू–इसमें सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। अगर हम इसको ठीक बनाना चाहते हैं, जहां तक मूल भावना की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जाय, कमजोर वर्ग को राहत दी जाय, इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय।

*श्री श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

(इस समय 7 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुये।)

मान्यवर, हमारे सम्मानित साथी त्रिलोक चन्द्र जी ने कुछ अपनी शंकायें प्रस्तुत की, मैं आपके माध्यम से उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। एक बात उन्होंने कही कि यह जो पट्टे मकान बनाने के लिये है, उनको एक वक्त के बाद अधिगृहीत करने की जो बात है, इस पर उनका कहना था कि इसमें कुछ ऐसी मंशा लगी कि बड़े आदमियों का यह विधेयक समर्थन कर रहा है और गरीबों का विरोध कर रहा है। मैं सम्मानित साथी से कहना चाहती हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी नगर ही है। सच कह रही हूं और गम्भीरता से कह रही हूं, मैं स्वयं जाती हूं, निरीक्षण करती हूं, 20-20 साल से और 15-15 साल से अपनी जमीनें लोगों ने डाल रखी है। जब जरूरत होती है, उनके पड़ोसी लोग गड्ढा खोद-खोद कर मिट्टी निकाल लेते हैं। बाद में जब उस गड्ढे में पानी भर जाता है तो कहते हैं आइए प्रेमवती जी, देखिये। जब पूछा गया कि इसके मालिक कौन है, तो मालूम होता है कि मालिक गोरखपुर में है और 10-15 साल से आये ही नहीं हैं। जब कोई विधेयक आता है, तो उसके पीछे एक लम्बे अनुभव की पृष्ठभूमि होती है।

इस प्रकार की जमीनें, मैं न्यायपूर्वक कहना चाहती हूं कि बड़े आदमी, गरीब नहीं, एक जमीन पर हवेली बनाते हैं और दूसरी जगह जमीन इसलिये डाल देते हैं कि इसके पैसे बढ़ेंगे। मैं अपने साथी से न्यायपूर्वक कहना चाहती हूं कि यह उनका भ्रम है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसको दूर करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो विकास प्राधिकरण के भवन बन रहे हैं, बड़े आदमियों के लिये बन रहे हैं, मैं चाहती हूं वह मेरे साथ चलें, उन्होंने गाजियाबाद की बात कही, मैं लखनऊ की कहती हूं। ऐसा नहीं है कि घर बनाकर ही देते हैं बल्कि छोटी-छोटी जगह भी देते हैं, जहां पर झोपड़ियां डालकर भी रह सकते हैं। गरीब और निर्बल वर्ग के लोगों के लिए इस सरकार ने 5,000 रु0 का अनुदान भी दिया है। सरकार का ध्यान गरीब और निर्बल वर्ग की ओर है।

एक तरफ हम कहते हैं कि घर नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि पट्टेदारों का पट्टा पड़ा रहने दें। मैं कहूंगी यह विधेयक गरीबों के लिये लाया गया है। हायर परचेज के मकानों में भी ऐसी ही चीजें हैं। हायर परचेज पर देने की मंशा ही यही है कि जो किराया किराये के मकान में रहने का देते हैं, उसको देते-देते ही एक दिन मकान का स्वामित्व ग्रहण कर लें। जब पैसा नहीं आयेगा तो आगे की योजनायें ठप्प हो जायेंगी। गरीबों को घर मिलें, बेकार पट्टे न पड़े रहें, मैं आह्वान करती हूं चलिए मेरे साथ। यह आज जो विधेयक आया है, आप भी चलें राणा जी हमारे साथ और मैं कहती हूं कि माननीय राजेन्द्र गुप्त जी भी चलें मेरे साथ, वह भी मेरी बात का समर्थन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जमीनें पड़ी हुई हैं वह गरीबों की नहीं है बल्कि वह बड़े आदमियों की है, हवेली वालों की है जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जमीन के दाम बढ़े और मैं किसकी जेब को काट लूं। यह विधेयक विकास का है, गरीबों के लिये है, हर एक को मकान देने की भावना से बनाया गया है, इसलिये मैं इसका समर्थन करती हूं और आपको जो यह प्रवर समिति में भेजने का रोग लग गया है, मैं कहती हूं कि इससे आप मुक्त हो जाइये।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह विधेयक एक को अच्छा लगा और एक को बुरा लगा, मैं इससे अलग हट कर एक बात कहना चाहता हूं। आपकी संस्थाओं का उद्देश्य एक ही रह गया है लाभ को हासिल करना। मैं आपको बतलाऊं कि आगरा में संजय पैलेस में ए0 डी0 ए0 की जमीन पड़ी हुई है, लेकिन आज तक भवन नहीं बनवा पाये। इन संस्थाओं का अपने लिये कोई नियम नहीं है, केवल दूसरों पर यह नियम लागू करते हैं। मान्यवर, मेरे साथी बड़ा उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी बात को भी यहां कह दूं लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहता था।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि वास्तव में सरकार को हमदर्दी है, उन लोगों के साथ जिन्होंने प्लाट खरीद लिये हैं और मकान बनवा नहीं पा रहे हैं, इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजने की बात आयी है। आप उनकी परेशानी को वास्तव में दूर करने के लिये उत्सुक हैं, तो इसके लिये कोई प्राविधान कीजिये कि जिनके पास पैसा नहीं है बनवाने के लिये, उन्हें सरकारी एजेंन्सियों के द्वारा ऋण दिलवाने की व्यवस्था करवाइये और फिर यदि वे मकान न बनावें तो आप ऐसा कहिये कि वह मकान नहीं बना रहे हैं।

मैं कहता हूं कि इस विधेयक की पूरी मंशा पूंजीवादी है, गरीब जनता के हित की बात इसमें कहीं नहीं है। इसलिये मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करता हूं।

[समय 7.30]

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने बड़ा संक्षिप्त सा अपना

भाषण दिया और कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग सुझाव दिये। माननीय सदस्य, राणा जी ने कहा कि उनकी (यानी सरकार की) जमीन पड़ी हुई है उसे वे बनवा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिनका पैसा ले लिया गया है, उसकी जमीन वापस कर लेंगे। मैं बलिया की बात कर रहा हूं 5-6 वर्ष हो गये हैं, सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया है लेकिन आज तक कहीं जमीन नहीं है, किसी को पता नहीं है कि जमीन कहां उन्हें मिली है। वहां की छोड़िये, यहीं की बात देखिये कि माननीय सदस्यों से दस-दस हजार रुपया जमा करवा लिया गया है, लेकिन आज तक जमीन का कहीं पता नहीं है। जितना वह ले लेंगे वह ठीक है, वह जनता का पैसा ले लेंगे लेकिन जमीन नहीं दे पायेंगे उनके लिये यह भी ठीक ही है।

अगर आप पट्टे देते हैं तो आप चाहते हैं वह कल उस पर मकान बना ले। कैसे वह कल उस पर मकान बना सकता है? तिवारी जी पता नहीं कैसे ऐसा सोचती हैं? तिवारी जी को तो बस एक ही बात टीसती रहती है कि कैसे पद्मा सेठ मंत्री पद से हट जायं और मैं उनकी जगह पर, उनके पद पर मंत्री बन जाऊं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे माननीया तिवारी जी ने निमंत्रित किया कि आप मेरे साथ चलिये और लखनऊ में देखिये। वैसे ही मैं भी उनको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मेरे साथ चलिये और बलिया में देखिये। आपने सबसे पैसा ले लिया है और जमीन की व्यवस्था अभी तक नहीं की है। और जैसा उन्होंने कहा एजेंसियों के कर्जा देने की कोई व्यवस्था नहीं है तो इन तमाम बातों को जो इसमें छूट गयी है, जो इसमें विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए यह निहायत जरूरी है कि आप इस विधेयक को वापिस ले लें क्योंकि इसमें सबके साथ न्याय नहीं हो सकेगा, सबके साथ न्याय हो तभी आप इस विधेयक को ले आयें।

*श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, तिवारी जी ने ऐसा कर दिया कि गरीब और अमीर के बीच फर्क डाल दिया और पता नहीं वह लखनऊ में कहां रहीं और कहां गयीं। मुझको जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मकान कागज पर एलाट कर दिये हैं, और मिलने के नाम पर न वहां बिजली के खम्भे हैं, न सीवर है, और न सड़कें हैं, कैसे मकान वह बना लेंगे, बस पूरा रुपया ले लिया है, लखनऊ में इसकी जांच करा लें। जब लखनऊ जैसे शहर में ऐसी समस्या है तो बाकी और जगह को छोड़ दीजिए और इसलिए यह जांच होने से पता लगेगा।

(इस समय 7 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 शिवानन्द नौटियाल पुनः पीठासीन हुए)

ऐसे बिल की जहां तक मंशा है उसमें कोई शंका नहीं है, शुबहा नहीं है इस बात की, जो प्लाट बड़े लोगों ने खरीद लिये हैं, गढ्ढा कर दिये हैं, बीमारी फैल रही है लेकिन इस बिल के अनुसार आप उस समस्या का न निदान कर पायेंगे और न पूंजीपतियों का आप जिनकी बड़ी-बड़ी कोठियां हैं, न उनके ऊपर प्रतिबंध लगा पायेंगे।

आपका जो सरकारी तंत्र है, प्रशासनिक मशीनरी है, वह ऐसा नहीं है और न उस पर ऐसा यकीन किया जा सकता है कि बिलकुल ईमानदारी से काम होगा। वह जिसको सुविधा देना चाहेंगे, उसको देंगे नहीं देना चाहेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं देंगे। क्योंकि इस बिल में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। जो बात मैंने कही वह इस हिसाब से नहीं कही कि गरीब आदमियों का है। जो सरकारी कर्मचारी है उन्हीं को आप गरीब मानिएं, कोई गांव का आदमी तो यहां प्लाट लेने नहीं आता, जो मकान लिये है, इसकी जांच करा लें और यह जांच बिना कराये आप बिल ले आईं। यह अपनों का खेल है चाहे आपको इधर कह दें चाहे उधर कह दें, न आपको समय है, न इस पर विचार करती हैं।

तिवारी जी का तो काम है कि अपनी बहन जी का समर्थन करना। एक बहन को दूसरी बहन का पक्ष लेना चाहिए। लेकिन उनकी नीयत भी साफ है, इसमें कमियां हैं, वह चाहती थीं और लाल प्रताप सिंह जी ने भी वही सुझाव दिया कि मकान इंगित करायें लेकिन जो कमियां इसमें हैं इसके द्वारा उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए हमारी मंशा जो है वह इसके विरोध में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति को दे दें, इस पर विचार हो जाय। तो इस प्रकार से जो बिल आये वह सोच समझकर आना चाहिए। हमारा निवेदन है मंत्री जी से कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, जो बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इस विधेयक की मन्शा किसी को परेशान करने की नहीं है और न इस नीयत से लाया ही गया है। इसकी नीयत अच्छी है। नगरों में जो जमीन पड़ी हुई है और मकानों की कमी है, उसको पूरा करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। यह विधेयक किसी को परेशान करने की नीयत से नहीं लाया गया है। जो पट्टा वापस करना चाहेगा, उसको पूरा मौका दिया जायेगा कि वह अपना मकान बना सके। इस विधेयक की और कोई मन्शा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि समय दिया जायेगा और मौका दिया जायेगा, तो यह किस लिये दिया जायेगा? इसका मतलब है कि इसको प्रवर समिति को दे दिया जाय। इस प्रकार से मंत्री जी हमारी बात को स्वीकार करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने कहा कि वे विचार करेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद [illegible] परित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद [illegible] हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985

[ज्सा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों को विधिमान्य करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 22 अक्टूबर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा संशोधनों सहित पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(छछ) 'विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा' का तात्पर्य धारा 5—क के अधीन सृजित केन्द्रीयित सेवा से है" ।

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) राज्य सरकार का सचिव जो उस विभाग का भार साधक हो जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य निष्पादित होता हो, पदेन,"

नयी धारा 5–क का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

केन्द्रीयित सेवाओं का सृजन

"5–क-(1) धारा 5 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी भी समय; अधिसूचना द्वारा, धारा 59 की उपधारा (4) में उल्लिखित पदों से भिन्न ऐसे पदों के लिये जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, एक या अधिक "विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवायें" सृजित कर सकती है जो समस्त प्राधिकरणों के लिये सामान्य हो और ऐसी सेवा में भर्ती की रीति और शर्तें और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें विहित कर सकती है ।

(2) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सृजित किये जाने पर, ऐसे सृजन के ठीक पूर्व ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर सेवारत कोई व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 द्वारा नियंत्रित व्यक्ति से या प्रति नियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति से भिन्न हो, जब तक कि वह अन्यथा विकल्प न करे, ऐसी सेवा में–

(क) अन्तिम रूप से, यदि वह पहले से ही अपने पद पर स्थायी हो, और

(ख) अनन्तिम रूप से, यदि वह अस्थायी या अस्थानापन्न रूप में पद धारण किये हो,

आमेलित किया जायगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सृजन से तीन मास के भीतर सरकार के आवास विभाग में ऐसी केन्द्रीयित सेवा में आमेलित न किये जाने का अपना विकल्प संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायगा कि उसने ऐसी केन्द्रीयित सेवा में, यथास्थिति, अन्तिम या अनन्तिम रूप से आमेलन के लिये विकल्प किया है ।

(4) किसी व्यक्ति की, जो अनन्तिम रूप से आमेलित हो, विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में अन्तिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्तता की परीक्षा विहित रीति से की जायेगी और यदि उपयुक्त पाया गया तो उसे अन्तिम रूप से आमेलित कर लिया जायेगा ।

(5) ऐसे कर्मचारी की, जो आमेलन के विरुद्ध विकल्प करता है या जिसे अन्तिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्त न पाया जाय, सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसकी किसी ऐसी छुट्टी, पेन्शन, भविष्य निधि या आनुतोषिक के, जिसे वह पाने का हकदार होता, दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सम्बद्ध विकास प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में निम्नलिखित के बराबर धनराशि पाने का हकदार होगा–

(क) तीन मास का वेतन, यदि वह स्थायी कर्मचारी था;

(ख) एक मास का वेतन, यदि वह अस्थायी कर्मचारी था ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ शब्द "वेतन" के अंतर्गत महंगाई भत्ता, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन भी, यदि कोई, हो, है ।

(6) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक से दूसरे विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा ।"

धारा–18 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:–

"(4) जहां रिक्त भूमि का इस धारा के अधीन व्ययन अनुबद्ध समय के भीतर निर्माण करने के लिए पट्टे द्वारा, जिसमें ऐसे समय के भीतर निर्माण न करने पर पट्टे का समपहरण करने और पुनः प्रवेश करने का अधिकार भी है, किया गया है और पट्टेदार बिना पर्याप्त कारणों के निर्माण या उसका सारवान भाग अनुबद्ध समय या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जो पट्टाकर्ता द्वारा दिया जाय, निर्मित करने में असफल रहता है, वहां पट्टाकर्ता पट्टे का समपहरण कर सकता है, और भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकता है:

परन्तु कोई समपहरण या पुनः प्रवेश नहीं किया जायगा जब तक कि पट्टेदार को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

(5) ऐसे समपहरण और पुनः प्रवेश पर पट्टेदार द्वारा ऐसी भूमि के लिये दिया गया प्रीमियम बिना किसी ब्याज के निम्नलिखित कटौतियां करने के उपरान्त लौटा दिया जायगा:—

(क) उस पट्टे के अधीन पट्टाकर्ता को देय धनराशि यदि कोई हो, और

(ख) प्रशासनिक व्यय के लिये प्रीमियम के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि ।

(6) उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसकी जानकारी के दिनांक से 30 दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(7) ऐसी भूमि का जिस पर पट्टा के समपहरण के पश्चात् पुनः प्रवेश किया जाय, व्ययन उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है ।''

धारा 40 का प्रतिस्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

प्राधिकरण की दये धनराशि की वसूली

''40—किसी धनराशि को, जो प्राधिकरण को किसी फीस, या प्रभार के मद्धे या भूमि, भवन या किसी भी प्रकार की अन्य सम्पत्ति के, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, व्ययन से किराया, प्रीमियम, लाभ या अवक्रय किस्त के रूप में दये हो, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उपबंधित वसूली की किसी अन्य रीति द्वारा वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित रूप में वसूल किया जायेगा—

(क) या तो प्राधिकरण द्वारा कलेक्टर को भेजे गये दये धनराशि के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में, या

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959

(ख) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 में उपबन्धित रीति से सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा, और उक्त अधिनियम के ऐसे उपबन्ध किसी प्राधिकरण के देयों की वसूली पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी नगर महापालिका को देय कर की वसूली पर लागू होते हैं, किन्तु इस

प्रकार उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं में "मुख्य नगराधिकारी", "महापालिका" और "कार्यकारिणी समिति" के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः "उपाध्यक्ष", "विकास प्राधिकरण" और "अध्यक्ष" के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायगा:

परन्तु वसूली की दो या अधिक रीति को एक साथ प्रारम्भ नहीं किया जायगा या जारी नहीं रखा जायगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1983 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1983

वैधीकरण

7—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1983 के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों उक्त अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

निरसन और अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1985

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप है इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती पद्मा सेठ–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें श्री विजय सिंह राणा, श्री किरनपाल सिंह और श्री दिवाकर विक्रम सिंह की सूचना रायबरेली जिले के एक सम्भ्रान्त परिवार के लोगों को पुलिस द्वारा जेल भिजवाने के बारे में है, इसको स्वीकार किया गया है और दूसरी श्री राजेन्द्र गुप्त, तीसरी श्री सूर्य प्रताप शाही, चौथी श्री मित्रसेन, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह और श्री राम सजीवन की लखनऊ में पुलिस द्वारा एक युवक की हत्या के बारे में है। पांचवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही और जगवीर सिंह की अलीगढ़ में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी, श्री झिलमिट राम की राजकीय निर्माण निगम के बारे में है और सातवीं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी श्री रामगोविन्द चौधरी, श्री वीरेन्द्र सिंह की सरकारी भूमि पर अवैध खेती के बारे में हैं और आठवीं सूचना श्री सुन्दर लाल और श्री त्रिलोक चन्द्र की उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के 200 पदों पर पदोन्नति के बारे में है, इन सभी को अस्वीकार किया गया है।

मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के साइजिंग कैलेण्डरिंग एवं फिनिशिंग कारखानों में श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ना आरम्भ करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफी-उर्रहमान अन्सारी)–

[मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ स्थित 14 साइजिंग, कैलेण्डरिंग एवं फिनिशिंग कारखानों में दिनांक 26 जून, 1985 से श्रमिकों द्वारा हड़ताल की जा रही है। इन 14 कारखानों में नियोजित श्रमिकों की संख्या लगभग 451 है, जिसका विवरण निम्न है:

प्रतिष्ठान का नाम	हड़ताल से पूर्व नियोजित कर्मचारियों की संख्या
1	2
1–मेसर्स शंकर फिनिशिंग वर्क्स,, मऊ	10
2–मेसर्स क्वालिटी फिनिशिंग वर्क्स ,,	12
3–मेसर्स डीसेन्ट फिनिशिंग वर्क्स ,,	23

नोट:–[* * *] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2
4–मेसर्स संगम फिनिशिंग वर्क्स, मऊ	18
5–मेसर्स आजमी फिनिशिंग वर्क्स, ,,	13
6–मेसर्स आल इंडिया फिनिशिंग वर्क्स, ,,	21
7–मेसर्स नावेल्टी फिनिशिंग वर्क्स, ,,	13
8–मेसर्स मऊ डाइंग ब्लीचिंग एण्ड फिनिशिंग वर्क्स, ,,	56
9–मेसर्स अग्रवाल फैब्रिक्स फिनिशिंग,	47
10–मेसर्स न्यू ताज साइजिंग वर्क्स, ,,	20
11–मेसर्स स्वदेशी साइजिंग वर्क्स, ,,	46
12–मेसर्स न्यू भारत साइजिंग वर्क्स ,,	17
13–मेसर्स मुन्शी साइजिंग वर्क्स, ,,	28
14–मेसर्स महावीर साइजिंग वर्क्स, ,,	127
योग	451

टैक्सटाइल कर्मचारी संघ मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ जो कि भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध है, ने 11 जून, 1985 को उपश्रमायुक्त, गोरखपुर को एक 9 सूत्रीय मांग-पत्र दिया और यह कहा कि यदि मांगें स्वीकार नहीं की गयी तो श्रमिक 26-6-85 से हड़ताल पर चले जायेंगे। इस मांग-पत्र में उन प्रतिष्ठानों की सूची संलग्न नहीं की गयी थी जिन सेवायोजकों को कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल की नोटिस दी गयी थी। मांगने पर यह सूची यूनियन द्वारा दिनांक 14 जून, 1985 को उपलब्ध कराई गयी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 के नियम-4 के अन्तर्गत संराधन अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और उभय पक्षों की सुनवाई के लिये प्रथम सुनवाई की तिथि 21 जून निश्चित की। सुनवाई के लिये दूसरी तिथि 25 जून निश्चित की गयी। उभय पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने को कहा गया क्योंकि संराधन कार्यवाही के दौरान हड़ताल/तालाबन्दी करना अवैधानिक है। संराधन की कार्यवाही के दौरान ही श्रमिकों द्वारा 26 जून, 85 से हड़ताल कर दी गयी।

श्रमिकों की हड़ताल से 450 श्रमिक सीधे प्रभावित हुए। मऊ नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 4500 पावरलूम कार्यरत हैं। लगभग आधे पावरलूम एसे हैं जो लुंगी टेरीकाट कपड़ा और नायलोन साड़ियों का उत्पादन करते हैं और अपनी उत्पादन प्रक्रिया में वे साइजिंग कारखानों/कैलेन्डरिंग कारखानों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इस प्रकार आधे पावरलूम साइजिंग और कैलेन्डरिंग पर निर्भर हैं जो हड़ताल से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। हड़ताल के दौरान कोपागंज स्थित एक कारखाना अमीर साइजिंग वर्क्स पूरी क्षमता के साथ कार्यरत रहा है, यह कारखाना मऊनाथ भंजन से केवल 8 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार हड़ताल के दौरान एसे पावरलूम जो उपरोक्त 14 कारखानों पर निर्भर थे आंशिक रूप से चलते रहे। अगस्त 2, 85 से मऊ में 5 साइजिंग कारखानें जो

हड़ताल से प्रभावित थे, आंशिक रूप से कार्य करने लगे हैं। इसी प्रकार हड़ताल से प्रभावित 9 फिनिशिंग और कैलेन्डरिंग कारखानों में उत्पादन पुन: आरम्भ हो गया जो कि पूर्व उत्पादन का लगभग 60 से 70 प्रतिशत है। दिनांक 7 अगस्त, 85, तक हड़ताल से प्रभावित 14 कारखानों में नियोजित 451 श्रमिकों में से 134 श्रमिक जो पूर्व में हड़ताल पर थे, काम पर उपस्थित हो गये हैं और सेवायोजकों द्वारा 110 नये आकस्मिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी कार्य पर रखे गये हैं। इस प्रकार हड़ताल के बावजूद पावरलूम में उत्पादन कार्य आंशिक रूप से चलता रहा।

टैक्सटाइल कर्मचारी संघ, मऊनाथ भंजन के दिनांक 11-6-85 के मांग-पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 में संलग्न है। हड़ताली श्रमिकों की मुख्य मांग यह है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन जारी राजाज्ञा 6 अगस्त, 1984 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कारखानों के लिये जो न्यूनतम वेतन निर्धारित हुआ है उसका भुगतान सेवायोजकों से कराया जाय। कर्मचारी संघ की अन्य मांगें कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम और कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के परिपालन से सम्बन्धित है।

यह उल्लेखनीय है कि पावरलूम उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1898/36-3-1063 (एम0डब्लू0)-75, दिनांक 1 मई, 1982 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिये अलग-अलग न्यूनतम वेतन पहले से ही निर्धारित है जो कि मऊनाथ भंजन के अकुशल श्रेणी के श्रमिक के लिये 208/- रु0 प्रतिमाह और अतिकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये 285/- रु0 प्रतिमाह है। इस राजाज्ञा के अनुसार श्रमिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं है। दिनांक 6 अगस्त, 1984 को जारी राजाज्ञा में उन कारखानों के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित हुआ है जिस पर पहले से न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पावरलूम उद्योग की यह स्थिति नहीं है। साइजिंग और कैलेन्डरिंग के कारखाने जिन्हें कि हड़ताल नोटिस दी गयी थी, पावरलूम उद्योग के ही एक अंग हैं। उनमें नियोजित श्रमिकों के लिये 1 मई, 1982 की राजाज्ञा ही प्रभावी है जिसका पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। शासन से न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-4283/36-3-65 (एम डब्लू)/84, दिनांक 6 अप्रैल, 1985 द्वारा पुनरीक्षित वेतन की प्रस्तावना को आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने के लिये प्रकाशित कर दिया है। इसके अन्तर्गत पावरलूम उद्योग में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिक का न्यूनतम वेतन 299/- रु0 प्रस्तावित किया गया है जिसके अतिरिक्त परिवर्तनीय महंगाई भत्ता के भुगतान का भी प्राविधान है जिसके अन्तिम रूप से स्वीकार होने पर अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को लगभग 433/- रु0 मासिक न्यूनतम वेतन अनुमन्य हो जायगा। प्रत्येक श्रेणी के श्रमिकों के लिये अलग-अलग न्यूनतम वेतन की दरें प्रस्तावित की गयीं हैं और प्रत्येक श्रेणी का वर्गीकरण भी प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रस्ताव की ओर टैक्सटाइल कर्मचारी संघ, मऊ का ध्यान आकर्षित कराया गया किन्तु वह अपनी हठ पर अड़े रहे। कर्मचारी संघ की अन्य मांगें विभिन्न

श्रम अधिनियमों के परिपालन के सम्बन्ध में है । सहायक निदेशक, कारखाना, गोरखपुर क्षेत्र में हड़ताल से प्रभावित 14 कारखानों में से 13 कारखानों का कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वर्ष 1983 और वर्ष 1984 में प्रत्येक कारखाने का कम से कम दो बार निरीक्षण किया, जिसमें साधारण प्रकार के उल्लंघन पाये गये और जिसका परिपालन सहायक निदेशक, कारखाना ने सुनिश्चित कराया। केवल क्वालिटी फिनिशिंग वर्क्स मऊ के सेवायोजकों के विरुद्ध इस अवधि में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्राभियोजन दायर हुआ जिसमें कि कारखाना के दाखिलकार के ऊपर 400/- रु0 का अर्थदण्ड दिनांक 24-6-85 को लगाया गया। हड़ताल से प्रभावित 14 कारखानों में से 11 कारखानों के स्थायी आदेश पहले से ही प्रमाणित हैं। 3 कारखाने एसे हैं जिनमें नियोजित श्रमिकों की संख्या 20 से कम होने के कारण औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 से आवृत्त नहीं है।

संराधन अधिकारी, मऊनाथ भंजन ने प्रमाणित स्थायी आदेशों को सुनिश्चित कराने के लिये समय-समय पर निरीक्षण कराये। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक अधिकारी के समक्ष मऊनाथ भंजन के किसी कारखाने के किसी कर्मचारी का ग्रेच्युटी सम्बन्धी दावा विचाराधीन नहीं है। सहायक निदेशक, कारखाना द्वारा निरीक्षण के समय यह नहीं पाया गया कि उपस्थिति रजिस्टर में अंकित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी कार्य करते पाये गये हों।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पावरलूम उद्योग के श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन के प्रस्तावों पर प्रभावी कार्यवाही हो रही है और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है। श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिये कारखानों में समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। प्रश्नगत हड़ताल छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सामान्यतः शान्तिपूर्ण रही। श्रमिकों की मुख्य मांग न्यूनतम वेतन के बारे में है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि इस सम्बन्ध में शासन पावरलूम उद्योग में लगे श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान निश्चित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही कर रही है।]

(परिशिष्ट 1 के लिये देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 175 पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 6/7 पन्ने का उन्होंने वक्तव्य दिया और उसमें जो मूल भावना मजदूरों की है, वह यह है कि उनको मिनिमम वेजेज मिलें। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो 6 अगस्त, 1984 को राजाज्ञा निकली थी जो कि मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948 के तहत बना था उसमें लिखा है कि जो न्यूनतम वेतन निर्धारित हुआ है उसको ही दिया जाय। इस राजाज्ञा में जितने भी उद्योग हैं, उनमें नियोजित कर्मचारियों के लिये आपने वेजेज घोषित की हैं, उनके ऊपर वही लागू होगा जो 2/3 वर्ष पहले लागू था। उनकी मांग है कि हम पर भी वही लागू कर दिया जाय और आप कह रहे हैं कि हम पुराने वाले को लागू करने जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? उस एक्ट के अनुसार यह लाभ न देने का क्या कारण है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1 मई, 1982 को जो गजट हुआ था जिसके अन्तर्गत हैंडलूम और पावर लूम के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी और 6 अगस्त, 1984 का जहां तक प्रश्न है 1 मई, 1982 के गजट द्वारा जो गवर्न नहीं होते हैं 12 ऐसे उद्योग हैं उनके लिये अध्यादेश जारी किया गया था। माननीय सदस्य की जो मंशा है तो हमारी सरकार ने उससे पहले ही 6 अप्रैल, 1985 को माल-रेडी गजट किया कि हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं और उसके सम्बन्ध में जितनी फारमेलिटीज हैं, उनको पूरी कर लिया गया है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को जो ब्रीफिंग किया, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। जो 12 उद्योगों के लिये कहा गया है उसके बारे में मेरे पास जी0 ओ0 है। उसकी आखिरी लाइन में दिया गया है। सीतापुर के बारे में मैंने कहा था और राजाज्ञा जारी हुई थी। उसमें यह था कि जो मजदूर आज तक कवर नहीं हुए हैं वे सब 6 अगस्त के इस जी0 ओ0 से कवर कर लिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने 6 अगस्त, 1984 को जो अधिसूचना जारी कर दी कि 299 रुपये और महंगाई भत्ता दिया जायेगा तो इस उद्योग के मजदूरों को उनका वेतन पुनरीक्षित करने की बात क्यों टाली जा रही है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

मान्यवर, यह तो स्वत: स्पष्ट है कि जो पहले से किसी अध्यादेश के अन्तर्गत गवर्न हो रहे हों उन पर यह लागू नहीं होगा। मैंने निवेदन किया कि 1 मई, 1982 को अध्यादेश जारी हुआ वह हैंड लूम पावर लूम के लिये हुआ था लेकिन बाद में महसूस हुआ कि अब यह कम है तो 6 अप्रैल, 1985 को गजट करके प्रकाशित किया गया।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो संदर्भित मामला है वह पावर लूम इन्डस्ट्री का नहीं है लेकिन वह मामला कैलेन्डरिंग और साइजिंग के बारे में। वह इससे भिन्न है उन पर लागू न होने का क्या कारण है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

जो साइजिंग और कैलेन्डरिंग के कारखाने हैं वे सब कारखाने पावर लूम के अंग माने जाते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि साइजिंग और कैलेन्डरिंग के जितने हैं, वह सब पावर लूम के अंग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में खलीलाबाद में साइजिंग और कैलेन्डरिंग के जो प्लान्ट लगे हुए हैं वे पावरलूम से कपड़ा बना रहे हैं लेकिन जो हैंडलूम के कपड़े बन रहे हैं उन पर कलैन्डरिंग और साइजिंग नहीं की जा रही है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

मान्यवर, यहां तो प्रश्न मऊनाथ भंजन का है बस्ती का नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

मऊनाथ भंजन तक ही सीमित है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, जो मिनिमम वेजेज लागू होती हैं, वह इस प्रकार की सभी

फैक्ट्रीज पर लागू हैं किसी शहर के लिए नहीं है। जो आपने 14 संस्था खुद दी हैं क्या इनमें केवल साइजिंग कलैन्डरिंग का काम होता है या कपड़ा भी बनता है। अगर कपड़ा नहीं बनता है तो जो 14 संस्थायें आपने बतायी हैं इनमें भी वही प्रक्रिया होती है जहां कि कपड़ा बनता है और साइजिंग और कलैण्डरिंग का काम होता है। तो इनको पावरलूम्स के साथ जोड़ कर न्यूनतम वेतन न बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

मान्यवर, बात स्पष्ट है मऊनाथ भंजन में पावरलूम ज्यादा है तो जाहिर बात है कि जो साइजिंग कलैण्डरिंग प्लांट हैं वही उनसे सहयोग लेते हैं। हम वेजेज नहीं बढ़ा रहे हैं ऐसी बात नहीं है मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि 18 जुलाई को जो एडवाइजरी बोर्ड था उसके समक्ष यह पेश किया गया था और 29 ता0 को एडवाइजरी बोर्ड से संस्तुति प्राप्त हो चुकी है।

वर्तमान शिक्षा सत्र के आरम्भ में विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश में कठिनाई के सम्बन्ध में वक्तव्य

(श्री संकठा प्रसाद शास्त्री के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

[माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि प्रदेश में कक्षा 6, 9 व 11 में प्रवेश के इच्छुक छात्रों द्वारा कठिनाई अनुभव की जा रही है तथा इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने द्विपाली व्यवस्था का सुझाव दिया है। माध्यमिक विद्यालयों में द्विपाली व्यवस्था विभागीय नियमों व व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है। कारण यह है कि जैसाकि प्राप्त अनुभवों से स्पष्ट हो चुका है, द्विपाली व्यवस्था अन्ततोगत्वा शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक गिरावट लाती है। द्विपाली व्यवस्था में भी अधिक अध्यापकों व अन्य स्टाफ की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिसका व्यय-भार शासन पर आता है। यह प्रणाली अपने में क्लान्ति उत्पन्न करने वाली भी है, क्योंकि एक ही प्रधानाचार्य दोनों ही पाली में विद्यालय के संचालन का पर्यवेक्षण करते हैं। द्विपाली व्यवस्था अन्य बहुत सी प्रशासनिक कठिनाइयों को भी जन्म देती है। प्रायोगिक आधार पर वर्ष 1973–79 के मध्य इस व्यवस्था को कतिपय राजकीय विद्यालयों में लागू किया गया था, परन्तु व्यवस्था उपयोगी सिद्ध न हो सकी।

प्रायः छात्र इन कक्षाओं में प्रवेश के समय किसी विद्यालय विशेष में अथवा पाठ्यक्रम के वर्ग विशेष में प्रवेश लेना चाहते हैं, जिसके कारण प्रवेश में कठिनाई का विशेष रूप से सामना करना पड़ता है। कक्षा 9 के स्तर पर पाठ्यक्रम का वर्गीकरण प्रभावी हो जाता है और अधिकांश छात्रों का रुझान प्रायः विज्ञान वर्ग अथवा वाणिज्य वर्ग में प्रवेश लेने का होता है। फलस्वरूप, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्गों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की संख्या अनपेक्षित रूप से बढ़ जाती है, जबकि इनमें से कितने ही छात्र सरलतापूर्वक साहित्यिक वर्ग में प्रवेश ले सकते हैं। कक्षा-11 के स्तर पर प्रवेश की यह

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समस्या कुछ और कठिन हो जाती है, क्योंकि एक भारी संख्या में छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर इण्टरमीडिएट स्तरीय शिक्षा हेतु शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं। विज्ञान वर्ग व वाणिज्य वर्ग में पठन-पाठन सामग्री व प्रयोगशाला की सुविधायें अनिवार्यतः आवश्यक हो जाती हैं, जिससे विद्यालय हर छात्र को प्रवेश देने में असमर्थ सिद्ध होते हैं।

प्रवेश में कठिनाई में वास्तविक मामलों के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों, जो विद्यालयों में उपलब्ध स्थानों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाने के लिये सक्षम हैं, को निर्देशित कर दिया गया है कि वे वर्तमान उपलब्ध पदों एवं संसाधनों के अन्तर्गत ही आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।]

श्री कौशिक रमा शंकर–

इस वक्तव्य के संबंध में पहली बात मुझे यह कहनी है कि यह पूरा का पूरा वक्तव्य वास्तविकता से परे है और केवल लफ्फाजी है। आज एक समस्या पूरे प्रदेश में नवीं कक्षा में प्रवेश की पैदा हो गयी है। मंत्री जी को जवाब देना चाहिये था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी समस्या है। हमारी सब की निजी जानकारी है जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमें घेर लेते हैं कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। यह जो स्टेटमेंट आया है इसमें नहीं बताया गया है कि किस जिले में समस्या है या किस में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आप सवाल पूछिये।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

इनका इसमें नाम नहीं है।

श्री कौशिक रमा शंकर–

यह सही है स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं है लेकिन आप एजेंडा देख लें उसमें मेरा नाम है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि 9 वी, 11 वी और 6 ठी कक्षा में भारी समस्या है या नहीं?

श्री अधिष्ठाता–

क्या माननीय मंत्री जी आपको जानकारी है कि ऐसी कोई समस्या है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

भारी समस्या तो है ही नहीं।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

कितनी भारी है?

श्री अधिष्ठाता–

फिर कैसी समस्या है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

प्रवेश की समस्या नहीं है यदि कहीं किसी का नाम नहीं लिखा गया है और आपकी जानकारी में हो तो बता दें हम दिखवा लेंगे।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, जो पैरा 2 में वक्तव्य में लिखा है कि 9वीं कक्षा में एडमीशन के समय पाठ्यक्रम में जो वर्गीकरण होता है उससे परेशानी होती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि नही कि वर्गीकरण की अब उतनी समस्या नही है, इसलिये मैं क्या प्रश्न करूं, इस पर आप व्यवस्था दें।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, जो राज्य मंत्री ने कहा है वह वस्तुस्थिति जो थी उसको अपने वक्तव्य में रखा है। मान्यवर, समस्यायें इस प्रदेश में बहुत हैं और शिक्षा विभाग के सामने भी हैं। जहां तक वर्गीकरण की बात कही तो निश्चय ही 9वीं कक्षा में

वर्गीकरण की बात आती है। वाणिज्य का विषय लें, जो समस्या है वह यह है कि अमुक विद्यालय में ही अभिभावक चाहते हैं कि एडमीशन बच्चे का हो जाये। उदाहरण के लिये लखनऊ में ही राजकीय जुबली कालेज में एडमीशन हो जाये। इसलिये कभी-कभी होता है कि स्कूल में लड़कों की लेने की सीमा सीमित होती है और सारे लोग एक जगह जाना चाहते हैं तो लगेगा कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, लगता है कि राज्य शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ही इसको पढ़े नही हैं और ऐसे ही जवाब दे रहे हैं कि कोई एक स्कूल या कालेज या किसी एक शहर की समस्या है। स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में 9वीं कक्षा में किसी भी कालेज या स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, वह भी हजारों की संख्या में। इसलिये जब आप समस्या से अवगत नहीं हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जानकारी मंत्री जी करा लेंगे और बाद में इस स्थिति को सदन में स्पष्ट करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं वैसी गंभीर समस्या नहीं है। जहां तक आदेशों को भेजने का प्रश्न है, पहले भी यहां प्रश्न आये थे तो स्पष्ट किया था कि जिन विधायकों को अपने-अपने जिलों और क्षेत्रों के बारे में शिकायत हो तो बतायें, तो इस संबंध में 4-5 विधायकों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से पत्र दिये तो तुरन्त मैंने आदेश दिये कि जिला-स्तर पर अधिकारी प्रयास करें कि उनके सेक्शन यदि आवश्यक हो तो खुलवायें।

मान्यवर, दूसरी बात 6 अगस्त, 1985 को निदेशक ने डी0 आई0 ओ0 एस0 और आर0 आई0 जी0 एस0 को टेलेक्स से निर्देशित किया है कि यदि कहीं गंभीर समस्या है और सेक्शन खोलने की बात है तो जो संसाधन हैं उसके अनुसार सेक्शन खोलने का प्रयास किया जायें।

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यदि कहीं इस प्रकार की समस्या है तो उसको बता दें। तो मान्यवर, बरेली में अनेकों स्कूल हैं जैसे जवाहर लाल नेहरू हायर सेकेन्डरी स्कूल, चमरौवा, दरबारी लाल शर्मा इंटर कालेज, अभयराजपुर, आजाद नवरंग हायर सेकेन्डरी स्कूल, सैथल, जे0 पी0 एन0 इंटर कालेज, नवाबगंज आदि 7-8 स्कूल हैं, जहां लगभग 800 लड़के ऐसे है 9वीं और 11वीं कक्षा में जिनके एडमिशन आर्ट के स्कूल में नही हो रहे हैं और सड़क पर घूम रहे हैं वह एक हजार लड़के जो घूम रहे हैं और केवल आर्ट साईड में अपना एडमीशन चाहते हैं, उनके लिए क्या मंत्री महोदय वहां के प्रधानाचार्यों और डी0 आई0 ओ0 एस0 को यह आदेश देंगे कि उनका एडमीशन तत्काल कक्षा 9 व 11 में कर लिया जाए?

श्री सिब्ते रजी–

मैं बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे स्पष्ट सूचना दी है, मैं इस मामले को निश्चय ही दिखवा लूंगा।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री अपनी कूप मंडूकता छोड़ कर जिलों से यह सूचना मंगवायेंगे कि हर जिले में हर विद्यालय में छात्र प्रवेश की भीषण समस्या है। बलिया मैं अभी गया था, जी0

आई० सी० में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लड़कों को एडमीशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आप बलिया गवर्नमेंट स्कूल का पता लगवायेंगे। साथ ही हम लोगों के क्षेत्र में जो स्कूल हैं, वहां पर भी इसकी भीषण समस्या है। हमने अपने 3 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से कहा है कि आप टाट बिछाएं और एडमीशन दीजिए। इस वक्त सेक्शन हमारे पास नहीं है और सामान नहीं है। यह भीषण स्थिति है, इससे क्या यह पता नहीं चलता है कि जो मौजूदा विद्यालय और संसाधन हैं, वह बढ़ती हुई छात्र संख्या की तुलना में बहुत कम हैं। तो क्या आप सारा सर्वेक्षण कराकर नए विद्यालय खोलने की कृपा करेंगे, ताकि बढ़ती हुई छात्र संख्या को शिक्षा दी जा सके।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, शासन पूरी तरह से अपने दायित्वों के प्रति जागरूक है और सजग है। जो भी यथासम्भव प्रयास हो सकेगा, शासन उसे करेगा। कोई ऐसी गम्भीर स्थिति नहीं है, जो स्थिति है, उसका सामना करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निश्चित आदेश दे दिये गये हैं।

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, सम्बन्धित स्टेटमेंट से सम्बन्धित एजूकेशन के मंत्री हैं और शिक्षा राज्य मंत्री हैं, दोनों हैं और यह माना जाएगा और माना जाना चाहिये कि दोनों विद्वान आदमी हैं, (व्यवधान) मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने कहा कि कहीं प्रदेश में समस्या नहीं है, तो मैं मंत्री जी को यह जानकारी देकर फिर सवाल करूंगा कि क्या आपको यह जानकारी भी नहीं है कि कक्षा 6, 9 व 11 में एक-एक स्कूल में एक-एक, दो-दो सौ रुपये बिल्डिंग फीस के नाम पर लेकर फिर एडमीशन दिया जा रहा है और इस स्टेटमेंट की सत्यता का आधार क्या है ? क्या जिलों की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं यहां पर ? किस जिले से क्या रिपोर्ट मिली है। आप कृपा करके जिलेवार रिपोर्ट सदन में रख दीजिये जिलों की रिपोर्ट के आधार पर ही तो आपने प्रदेश की स्थिति बताई होगी। यह स्टेटमेंट आपका डायरेक्ट्रेट में तैयार किया हुआ है और उसने बिना पता लगाए कह दिया है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि सब जगह समस्या है, आप इसकी जांच गम्भीरता से करवायें ?

श्री अधिष्ठाता –

आप जांच करवा लें।

श्री सिब्ते रजी –

यह शिक्षा व्यवस्था सबके सहयोग से चलती है, विरोधी पक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि यदि किसी तरह की गम्भीर समस्या है तो वह हमें सूचित करें। जो हमारे पास सूचना थी, उसके आधार पर सदन को सूचना दी है और उसके आधार पर कोई गंभीर समस्या नहीं है और आपने जो कई आरोप लगाए मैं निश्चित रूप से उन आरोपों की जांच कराऊंगा।

श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश' जी–

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में ही यह स्वीकार किया है कि यह समस्या है। उनकी स्वीकृति इस रूप में है कि वक्तव्य के अन्त में तीसरे विन्दु में उन्होंने निर्देश भेजा है कि जो उपलब्ध साधन हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी जाय। विद्यालयों को निर्देश भेजे हैं कि उनकी संख्या बढ़ा दी जाय, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि समस्या है। दूसरी बात यह है कि जितने पद हैं और जो संसाधन हैं तो कई विद्यालय ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्त निदेशालय में इस बात के

लिए पड़ी है कि पदों का सृजन कर दिया जाय। जब मान्यवर, विद्यालयों के पद सृजित आप नहीं करने देंगे तो किस रूप में आपके निर्देश का पालन हो पायेगा कि संख्या बढ़ा दी जाय । तो मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा निदेशालय में जितनी दरख्वास्तें पद सृजन के लिए आयी हैं क्या उनकी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे जिससे कि उनका निर्देश कि संख्या बढ़ा दी जाय उसका किसी न किसी रूप से पालन हो सके?

श्री सिब्ते रजी –

मान्यवर, आपने जिस समस्या की ओर इंगित किया उसके अनुसार यह तुरंत आदेश भेजे गये हैं। विद्यालयों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने स्तर पर इन समस्याओं का सामना करें । यदि एक सेक्शन खोलने की आवश्यकता है और 15 टीचर्स हैं, तो 15 टीचर्स आपस में बंटवारा करके काम चलायें, यह भी किया जा सकता है। तो जहां तक पदों का सृजन करने की बात है यदि आवश्यकता पड़ी तो शासन, जो वित्तीय स्थिति है उसको सामने रखकर यथा संभव इस स्थिति पर विचार करेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, यह माने या न मानें लेकिन प्रवेश की समस्या सारे प्रदेश में है । यह जो बयान लिखकर इनके अफसरों ने भेजा है उनके बच्चों की और मंत्रियों के बच्चों की प्रवेश की कोई समस्या नहीं है । इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रवेश की समस्या है । तो माननीय मंत्री जी को आश्वासन देने में क्या एतराज है कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक को यहां से आदेश प्रसारित हो जाय कि कोई छात्र बिना प्रवेश के न रह पाये तो यह आदेश भेजने में क्या आपत्ति है?

श्री सिब्ते रजी –

मान्यवर, बड़े लायक दोस्त ने बड़ा अच्छा विचार दिया है लेकिन जब वह सत्ता में थे तो वह भी, उन्होंने इस तरह ब्लैंक चिट का आर्डर किसी अधिकारी को नहीं भेजा । जब प्रशासन चलाना होता है तो सारे परिप्रेक्ष्य को देखना होता है । यह कैसे संभव हो पायेगा कि कोई भी विद्यार्थी बिना एडमीशन के न रहने पाये । उसकी अर्हता, क्वालीफिकेशन देखना होगा, मेरिट के नम्बर देखने होंगे और जो प्रधानाचार्य ने किसी आधार को निश्चित किया है, तो उस अधिकार को शासन कैसे छीन सकता है । प्रधानाचार्य को किसी विद्यालय में किसी बच्चे का एडमीशन लेने, दाखिला करने का अधिकार है । जहां तक शासन की बात है तो मैंने कई मर्तबा इसी सदन में कहा है कि हम प्रयत्नशील हैं कि इस तरह की दिक्कत न आये। जो समस्यायें हैं उनका यथासंभव जो निदान होगा वह अवश्य ही करेंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पर बड़ी दया आ रही है उनकी जो सदाशयता है उस पर मुझे शंका नहीं है । एक बचपन में किस्सा सुना था, एक वृद्धा बेचारी सूत कात रही थी, उसके सामने से एक रुई से भरा ट्रक निकला तो वह पागल हो गयी कि इतनी रुई से इतना सूत कातना पड़ेगा। तो मंत्री जी परेशान हो गये । जब इनके अधिकारियों ने आकर कहा कि रुई जल गयी, तो मंत्री जी खुश हो गये । वृद्धा को संतोष हो गया कि सब सूत जल गया । उसी तरह का लुभावना उत्तर यहां पर दिया जा रहा है । समस्या का निदान बताया गया । इसमें वर्गीकरण का, क्लासीफिकेशन का सवाल कहां आता है ? जिस बच्चे ने कक्षा 8 पास किया, उसको कक्षा 9 में प्रवेश लेने का अधिकार है । जिस बच्चे ने कक्षा

10 पास किया, उसको कक्षा 11 में प्रवेश लेने का अधिकार है। माननीय मंत्री जी बार-बार जिस आदेश का जिक्र कर रहे हैं, वही मैं पढ़ना चाहता हूं । उसका व्यवहारिक उद्देश्य क्या होगा ? इसमें लिखा है कि प्रवेश में कठिनाई के वास्तविक मामलों के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों, जो विद्यालयों में उपलब्ध स्थानों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाने के लिए सक्षम हैं, को निर्देशित कर दिया गया है कि वे वर्तमान उपलब्ध पदों एवं संसाधनों के अन्तर्गत ही आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

मैं अभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में, फीस माफी की मीटिंग थी, विधायक के नाते मैं भी गया था । संयोग से डी0आई0ओ0 एस0 और प्रिंसिपल एक ही हैं । उन्होंने कहा कि गुप्ता जी 128 लड़के एक कमरे में पढ़ रहे हैं और 38 लड़के सीट न होने के कारण खड़े हैं और एक भी पद सृजित नहीं किया जा रहा है । अब माननीय मंत्री जी बता दें कि जब एक नया सेक्शन नहीं खुलेगा, एक नया अध्यापक नहीं रखा जायेगा, नये स्कूल को मान्यता नहीं मिलेगी, तो कैसे सभी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जायेगी। जिस बच्चे ने कक्षा 5 पास किया, उसे कक्षा 6 में पढ़ने का अधिकार है । जिस बच्चे ने कक्षा 8 पास किया, उसे कक्षा 9 में पढ़ने का अधिकार है । जिस बच्चे ने कक्षा 10 पास किया, उसे कक्षा 11 में पढ़ने का अधिकार है । तो मैं माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि यह जो अंतिम 4–5 पंक्तियां हैं, इसका व्यवहारिक हल क्या है, बिना सेक्शन बढ़ाये बिना टीचर बढ़ाये।

श्री मिन्ने रजी –

मान्यवर, जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने स्वयं कहा कि यदि विद्यालय के अन्दर किसी सेक्शन को खोलने के लिए कोई कमरा नहीं है, तो इतनी जल्दी कैसे कमरा बन सकता है । जो उपलब्ध संसाधन की बात कही गयी है, उसका तात्पर्य यही है। मान्यवर, अभी-अभी जो सिचुयेशन हुई है, उसका सामना करने के लिये जो भी इस वक्त संसाधन हैं, जो भी वहां पर अध्यापक उपलब्ध हैं, उसका उपयोग किया जायगा। भविष्य में अगर ज्यादा पद सृजित करने की आवश्यकता होगी, तो अलग-अलग पद सृजन के बारे में शासन विचार कर लेगा ।

मद संख्या-17 को अगली तिथि के लिये स्थगित किये जाने हेतु सदन की सहमति

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-17 के बारे में अगर आप लोगों की राय हो तो ले लिया जाय ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मैनेजर सिंह, आपकी क्या राय है ?

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यदि सहमत हों तो इसे दूसरे दिन ले लिया जाय ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, दूसरे दिन ले लिया जाय ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, दूसरे दिन ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-17 के बारे में माननीय मदस्यों की राय है कि इसे दूसरे दिन ले लिया जाय । अतएव मद संख्या-17 आज स्थगित किया जाता है ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मुझे एक सूचना देनी है कि श्री दुर्गा प्रसाद यादव की रिहाई की सूचना आज 11बज कर 10 मिनट पर माननीय अध्यक्ष के कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, क्या यह सूचना प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर है और किसके हस्ताक्षर से प्राप्त हुई है ?

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना तो टेलेक्स से आई है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैं जानकारी चाहता था कि यह प्रेस-क्राइब्ड फार्म पर आई है या टेलेक्स पर सूचना आयी है। मैं कल फिर इस मामले को रखूंगा कि चार दिन में ही भेजना था, तो टेलेक्स क्यों भेजा?

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि के 8 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
13 अगस्त, 1985

परिशिष्ट 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रथम सत्र 1985 के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के भू0पू0 खाद्य आयुक्त तथा सचिव (श्री मनोहर सुब्रमन्यम्) के विरुद्ध धान घोटाला काण्ड के सम्बन्ध में की गयी उच्च स्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो शासन की मुख्य फाइंडिंग्स क्या हैं तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?	जी हां। उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट पर राज्य शासन द्वारा विस्तार से विचार करने के उपरान्त तत्कालीन खाद्य आयुक्त तथा सचिव की कोई शिकायत नहीं पाई गयी केवल कार्यान्वयन की कतिपय त्रुटियां पाई गयीं जिसके लिए उन्हें ऐसे मामलों में भविष्य में सावधानी बरतने का परामर्श दे दिया गया है।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मन्त्री,
उत्तर प्रदेश शासन ।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

उत्तर प्रदेश में 1984–85 में निरन्तर घाटे पर कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों के सम्बन्ध में अवधि तथा कुल निरन्तर घाटे की सूचना

क्रम-सं0	निगम का नाम	1984–85 तक कितने वर्षों से निरन्तर घाटा हो रहा है	निरन्तर घाटे का कुल योग (करोड़ रु0)
1	2	3	4
1	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0	14	113.74
2	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	8	53.80
3	उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम लि0	2	36.21
4	यू0 पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि0	3	18.39
5	उ0 प्र0 आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	4	16.63
6	उ0 प्र0 जल निगम	5	9.95
7	यू0 पी0 हार्टिको	7	2.02
8	उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम	10	1.96
9	यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेंट कारपोरेशन	3	1.43
10	उ0 प्र0 राज्य नलकूप निगम लि0	2	1.15
11	यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लि0	5	0.98
12	उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम	4	0.60
13	आगरा मण्डल विकास निगम लि0	6	0.46
14	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0	3	0.17
15	उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम लि0	5	0.17
16	वाराणसी मण्डल विकास निगम लि0	7	0.13
17	उ0 प्र0 (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0	4	0.08
18	उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्	26	1614.82
19	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लि0	8	0.924

टिप्पणी––(क) उपरोक्त सभी आंकड़े अन्तरिम आधार पर हैं।

(ख) राज्य विद्युत परिषद् के आंकड़े 1980–81 से 1984–85 तक के हैं। इनमें ग्रामीण विद्युतीकरण के अनुदान की धनराशि (807.98 करोड़ रुपये) भी शामिल है। इसके भुगतान पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

विवरण	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
गन्ना पेरा गया (लाख कु0)	4.44	8.85	7.47	5.07	4.43
उत्पादित चीनी (कु0)	40,497	64,753	70,265	48,407	42,264
भुगतान किया गया गन्ना मूल्य (लाख रु0)	97.36	181.81	151.71	102.92	84.47
बकाया गन्ना मूल्य (लाख रु0)	..	..	..	..	3.69
घाटा (लाख रु0)	27.44	106.96	80.79	105.65	68.72 अनुमानित
राज्य सरकार तथा शक्कर विशेष निधि का बकाया ऋण (लाख रु0)	50.45	75.78	218.20	305.06	336.06

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

मरम्मत पर व्यय (लाख रु0)	11.80	8.58	16.22	28.28	12.60 (अनुमानित)
श्रमिकों के वेतन व अन्य देयों पर व्यय (लाख रु0)	42.93	70.83	64.32	61.81	68.25
प्रबन्धकों के रख-रखाव वेतन–भत्ता आदि पर व्यय (लाख रु0)	1.58	1.97	1.67	1.84	1.88
मनोरंजन कर व्यय (लाख रु0)	0.07	0.08	0.13	0.16	0.20

नत्थी–'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 114 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

दिनांक 29–5–84 से दिनांक 31–5–85 तक की अवधि में थाना अतरौली के अन्तर्गत घटित अपहरणों, हत्याओं, डकैतियों एवं चोरियों का विवरण तथा इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना।

अपहरण––अपहरण के कुल 6 अपराध हुए जिनमें से 2 अभियोगों में अभियुक्तगणों का चालान न्यायालय किया गया। 2 अभियोग विवेचनाधीन रहे, व 2 अभियोगो में साक्ष्य के अभाव के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

ये घटनाएं ग्राम ओरनी दलपतपुर में दिनांक 3-8-84 को, ग्राम राजगांव में दि0 13-10-84 को, ग्राम चकाथल में दिनांक 22-2-85 को, ग्राम सालारपुर में दिनांक 24/25-3-85 को, ग्राम लोहगढ़ में 28/29-3-85 को, ग्राम जंगल ग्राम मनोऊरी में दिनांक 11-5-85 को घटित हुयीं।

हत्याएं––हत्याओं के कुल 14 अपराध पंजीकृत हुए, जिनमें से 7 मुकदमों का चालान किया गया, 5 अभियोगों में साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा 2 अभियोग विवेचनाधीन हैं।

ये घटनाएं ग्राम पीपली में 1/2-6-84 को ग्राम विश्नेर में दिनांक 13-6-84, ग्राम कुबेरपुर में 10-10-84, को ग्राम खेड़ा में 4-9-84 को, ग्राम पीपली में दिनांक 3/4-10-84 को, ग्राम जंगल ककैथल में दिनांक 7-10-84 को, ग्राम अतरौली में 6-11-84 को, ग्राम कुंजलपुर में दिनांक 5/7-11-84 को, ग्राम गनेयावली में दिनांक 23-2-85 को, ग्राम ककेथल में दिनांक 2-3-85 को, ग्राम रजाखेड़ा में दिनांक 10-4-85 को, ग्राम चकाथल में, दिनांक 12-3-85 को, ग्राम पैंडरा में दिनांक 18/19-5-85 को, तथा ग्राम अतरौली में 6/7-4-85 को घटित हुयीं।

डकैतियां—डकैतियों के अपराध कुल 5 घटित हुए, जिनमें एक अभियोग का चालान न्यायालय किया गया तथा 4 अभियोग विवेचनाधीन हैं। ये घटनाएं ग्राम नहल में दि0 30/31-7-84 को, ग्राम हरबंसपुर में दिनांक 27/28-1-85 को, ग्राम डिडौली में दि0 31-1-85 को, ग्राम नहल में दिनांक 11-5-85 तथा ग्राम हरबंसपुर में दिनांक 13/14-5-75 को घटित हुयी।

चोरियां––चोरियों के अभियोग इस अवधि में कुल अपराध 88 घटित हुए, जिनमें 23 अभियोगों का चालान न्यायालय किया जा चुका है व 3 अभियोग विवेचनाधीन तथा 62 अभियोग साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी

ये घटनाएं ग्राम सहनोल में दिनांक 24-5-84 को, ग्राम सेफपुर में दिनांक 24-5-84 को, ग्राम खेड़िया सालारपुर में दिनांक 1/2-6-84 को, ग्राम चकाथल में दि0 13-6-84 को, ग्राम मुरादपुर में दिनांक 25/26-6-84 को, ग्राम लोहगढ़ में दिनांक 25-6-84 को ग्राम हेबतपुर में दिनांक 28-6-84 को ग्राम दाउदगढ़ी में दिनांक 28-6-84 को ग्राम बरौला में दिनांक 2-7-84 को ग्राम खेड़ियाधौकल में दिनांक 7/8-7-84 को ग्राम दाउदगढ़ी में दिनांक 6/7-7-84 को ग्राम बैजूला में दिनांक 8/9-7-84 को ग्राम सालारपुर में दिनांक 26/27-7-84 को, ग्राम खेड़ा में 29-7-84 को ग्राम चाऊपुर में दिनांक 29-7-84 को ग्राम अतरौली में दिनांक 28-7-84 को ग्राम बहादुरपुर में दिनांक 31-8-84 को ग्राम सिमथला में दिनांक 5/6-8-84 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 12/13-8-84 को, ग्राम मऊपुर में दिनांक 21/22-8-84 को, ग्राम बिजरौली में दिनांक 23/24-8-84 को, ग्राम भेजपुर में दिनांक 24/25-8-84 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 25/26-8-84 को, ग्राम मऊपुर में दिनांक 30/31-8-84 को, ग्राम मौसमपुर में दिनांक 6 माह पूर्व, ग्राम अतरौली में दिनांक 8/9-9-84 को, ग्राम बूलापुर में दिनांक 24/25-9-84 को, ग्राम पीपरी में दिनांक 27-9-84 को, ग्राम करैची में दिनांक 28/29-9-84 को, ग्राम काजिमाबाद में दिनांक 3-10-84 को,

ग्राम नागर में 12 13-10-84 को, ग्राम सफीपुर में दिनांक 18-10-84 को, ग्राम बैम्बीरपुर में दिनांक 31/1-11-84 को, ग्राम नागर में दिनांक 8/9-11-84 को, ग्राम चितका नगला में दि0 7-11-84 को, ग्राम गधीपुर में दिनांक 21/22-11-84 को, ग्राम बिम्हेर में दिनांक 26/27-11-84 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 22 23-11-84 को, ग्राम खालपुर में दि0 27/28-11-84 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 25 26-11-84 को ग्राम उत्तमगढ़ी में दिनांक 25 26-11-84 को, ग्राम बैजला में दिनांक 5 6-12-84 को, ग्राम मऊपुर में दि0 5/6-12-84 को, ग्राम बहादुरपुर में दिनांक 15/12-84 को, ग्राम अन्धपुर में दिनांक 17-12-84 को, ग्राम कुंवरपुर में दिनांक 15-12-84 को ग्राम कासिमपुर में दिनांक 25/26-12-84 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 27 28-12-84 को, ग्राम खेड़ागांव में दि0 28/29-12-84 को, ग्राम मुरादपुर में दिनांक 1-12-84 को, ग्राम जखेरा में दिनांक 3/4-1-85 को, ग्राम जखेरा में दिनांक 18 19-1-85 को, ग्राम चौमोआ में दिनांक 24/25-1-85 को, ग्राम चाऊपुर में दिनांक 30 31-1-85 को, ग्राम बिम्हेर में दिनांक 30 31-1-85 को, ग्राम मुरादपुर में दिनांक 14 15-2-85 को, ग्राम खेड़ियारफायतपुर में दिनांक 24 25-1-85 को, ग्राम कुंजपुर में दिनांक 10-12-84 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 12-3-85 को, ग्राम बिड़ौली में दिनांक 27-2-84 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 15-3-85 को, ग्राम चण्डौली में दिनांक 15/16-3-85 को, ग्राम नौरथा में दिनांक 15-3-85 को, ग्राम चौमोआं में दिनांक 19 20-3-85 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 23/24-3 85 को, ग्राम गिजरौली में दिनांक 20/21-3-85 को, ग्राम तेबतू में दिनांक 23 24-3-85 को, ग्राम नरौना में दिनांक 26 27-3-85 को, ग्राम गिलावली में दिनांक 30/31-3-85 को, ग्राम करेची में दिनांक 2-1-85 को, ग्राम समरपुर में दिनांक 18-4-85 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 25-4-85 को, ग्राम रायपुर में दिनांक 27-4-85 को, ग्राम कासिमपुर रिवौला में दिनांक 29/30-4-85 को, ग्राम खेड़िया बहादुरपुर में दिनांक 1/2-5-85 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 5-5-85 को, ग्राम अतरौली में दिनांक 15/16-5-85 को, ग्राम कल्यानपुर में दिनांक 27-5-85 को, ग्राम राजताऊ में दिनांक 27/28-5-85 को, ग्राम पालीमुकीमपुर में दिनांक 20 21-5-85 को, ग्राम नरोना में दिनांक 30 31-5-85 को, ग्राम पैंडरा में दिनांक 18/19-5-85 को, लोहगढ़ में दिनांक 15-5-85 को तथा ग्राम आलमपुर में दिनांक 21, 22-4-85 को घटित हुयीं।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 120 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

दिनांक 1 जून, 1985 के पूर्व प्रभावी व्यवस्था		दिनांक 1 जून, 1985 से प्रभावी व्यवस्था	
वस्तु का विवरण	कर की दर	वस्तु का विवरण	कर की दर
1 केवल सूती होजरी	4 प्रतिशत	1–मुख्यतया सूत से बनी होजरी	4 प्रतिशत
2 सभी प्रकार का तेल जो इस सूची की किसी अन्य प्रविष्टि या अधिनियम के अधीन जारी की गयी किसी अन्य विज्ञप्ति के अन्तर्गत न आते हों।	4 प्रतिशत	2–सभी प्रकार के तेल जो इस सूची की किसी अन्य प्रविष्टि या अधिनियम के अधीन जारी की गयी किसी अन्य विज्ञप्ति के अन्तर्गत न आते हों।	5 प्रतिशत
3 सभी प्रकार का कागज जिसके अन्तर्गत हाथ का बना कागज और श्लेष पट्टी (गमटेप) भी है, चाहे वह लिखने, छापने, नकल करने, पैक करने या किसी अन्य उपयोग के लिए अभिप्रेत हो किन्तु इसके अन्तर्गत सेलोफेन नहीं है।	6 प्रतिशत	3–सभी प्रकार का कागज जिसके अन्तर्गत हाथ का बना कागज और श्लेष पट्टी (गमटेप) भी है, चाहे वह लिखने छापने नकल करने, पैक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अभिप्रेत हो, किन्तु इसके अन्तर्गत सेलोफेन, मिल बोर्ड, डूप्ले बोर्ड और ग्रे बोर्ड नहीं है।	6 प्रतिशत
4 कैंची, सरौता, साधारण चाकू और छुरी, उस्तरा, लोहे के बने रसोई के बर्तन और उपकरण, ट्रंक, टिन या लोहे या इस्पात की बनी डाकघर पत्र पेटियां और बाल काटने की मशीन।	6 प्रतिशत	4–कैंची, सरौता, साधारण चाकू और छुरी, उस्तरा, लोहे या टिन के बने रसोई के बर्तन और बाल काटने की मशीन।	6 प्रतिशत
5 मिठाइयां, नमकीन, पकाया हुआ भोजन, रेवड़ी, गजक बिस्कुट, डबलरोटी, केक, पेस्ट्री बन, रस्क और शक्कर के उत्पाद जैसे मिश्री, बताशा गट्टा, चीनी के खिलौने और इलायची दाना।	4 प्रतिशत	5–मिठाइयां, नमकीन, पकाया हुआ भोजन, रेवड़ी, गजक बिस्कुट, डबलरोटी केक पेस्ट्री, बन रस्क और शक्कर के उत्पाद जैसे मिश्री, बताशा, गट्टा, चीनी के खिलौने और इलायची दाना।	5 प्रतिशत
6 मसाला और गर्म मसाला जिसके अन्तर्गत जीरा, अजवाइन, तेजपत्ता, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, मिर्च, खशखश, जाफरान, सूखा सोया, सूखी मेथी, सोंठ, हींग, राई, कलौंजी, सौंफ, सुपारी, इलायची, सींक गोन्द, कत्था, काला जीरा, जौज, जावित्री, जायफल, काला नमक, दालचीनी, अमचुर, लौंग है। किन्तु नमक नहीं है।	6 प्रतिशत	6–उक्त दिनांक से यह प्रविष्टि विज्ञप्ति में से निकाल दी गयी है, जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं पर अवर्गीकृत माल की भांति, 8 प्रतिशत की दर से कर देय हो गया है।	

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

परिवहन मन्त्री द्वारा माह अप्रैल, 1985 एवं माह मई, 1985 में उत्तर प्रदेश के अन्दर की गयी हवाई यात्राओं का विवरण

यात्रा की तिथि		यात्रा का विवरण
अप्रैल, 1985		
4 अप्रैल, 1985	..	लखनऊ से कानपुर तथा वापसी
6 अप्रैल, 1985	..	लखनऊ से वाराणसी तथा वापसी
11 अप्रैल, 1985	..	लखनऊ से इलाहाबाद
13 अप्रैल, 1985	..	इलाहाबाद से लखनऊ
23 अप्रैल, 1985	..	लखनऊ से फैजाबाद तथा वापसी
24 अप्रैल, 1985	..	लखनऊ से देहरादून तथा वापसी
26 अप्रैल, 1985	..	लखनऊ से भदोही तथा वापसी
28 अप्रैल, 1985	..	लखनऊ से इलाहाबाद
29 अप्रैल, 1985	..	इलाहाबाद से लखनऊ
मई, 1985		
8 मई, 1985	..	लखनऊ से गोन्ड. तथा वापसी
9 मई, 1985	..	लखनऊ से आगरा
10 मई, 1985	..	आगरा से लखनऊ
13 मई, 1985	..	लखनऊ से बरेली
18 मई, 1985	..	दिल्ली से देहरादून
18 मई, 1985	..	देहरादून से लखनऊ
23 मई, 1985	..	लखनऊ से इलाहाबाद तथा वापसी
29 मई, 1985	..	लखनऊ से अमेठी

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

विधान सभा के प्रश्न संख्या 145 में पूछे गए जनपद पिथौरागढ़ के वे मार्ग जिनमें प्रतिकर भुगतान अवशेष है और इसके भुगतान का समय विवरण :

क्रम-सं0	मार्ग परियोजना का नाम	देय धनराशि	समय विवरण
1	लोहा घाट पंचेश्वर मोटर मार्ग	2360.34	भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।
2	टुन्यास पूर्णागिरी पैदल मार्ग	252.79	भू स्वामियों को नोटिस भेजे गये हैं धनराशि प्राप्त करने उपस्थित नहीं हुए।
3	चम्पावत पहुंच मोटर मार्ग	527.97	आंशिक धनराशि भुगतान होगी जो अध्याप्ति निकायों से प्राप्त नहीं है।
4	बड़ूडा क्वीतड मोटर मार्ग	173492.99	यह वाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है धनराशि भुगतान हेतु जिला जज पिथौरागढ़ में गयी है।
5	घूनाघाट भिगराडा मो0मार्ग	3826.71	भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।
6	बेरीनाग विनायक पुराना थल मो0 मार्ग।	4350.87	इन वादो में आंशिक भुगतान शेष है भूस्वामियान जो जिला से बाहर हैं, उन्हें सूचना भेजी गयी है।
7	नाचनी बांस वगड़ मो0 मार्ग	152852.50	भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।
8	तवाघाट नारायण आश्रम मो0 मार्ग।	5578.87	माह सितम्बर में भुगतान किया जायगा इसके अलाव चार गांव को विज्ञप्ति हो चुकी है। उप भूमि अध्याप्ति द्वारा प्रतिकर की धनराशि मांग की जानी है।
9	तवाघाट जिप्ती मो0 मार्ग	8133.08	आंशिक भुगतान शेष है भूस्वामियान इस समय घर से बाहर हैं। उन्हें सूचना भेजी गयी है।
10	लोहाघाट चोमेल मो0 मार्ग	25157.56 1249.86 93014.10	भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।
11	सानदेव धनधूरा मो0 मार्ग	833.07	आंशिक भुगतान शेष है भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4
12	थूरकोट पुल से विसिड पहुंच मो0मार्ग	2794.33 4526.04 12590.87	अध्याप्ति निकायों से धनराशि प्राप्त नहीं है मोटर मार्ग का निर्माण हो चुका है।
13	चर्मा दुर्लेख मो0 मार्ग	3014.52 2196.61 29870.18 3921.56	भुगतान किया जा रहा है।
14	दर्शाथिल गनाई मो0 मार्ग	17554.54 3975.24 13243.05	धनराशि अध्याप्ति निकाय से प्राप्त नहीं है।
15	सरयू नदी पर झूला पुल	4063.50	माह अगस्त में भुगतान किया जायगा
16	बन्दरलीमा अगगांव झडनदेव मोटर मार्ग।	6727.95	आंशिक भुगतान शेष है। भूस्वामियान बाहर हैं।
17	छिनकाछीना सिमलखेत मोटर मार्ग।	42913.43 19415.49	प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
18	बाराकोट सिमलखेत मोटर मार्ग।	3541.72 919.60	प्रतिकर भुगतान शीघ्र किया जायगा
19	मडमानले दोवांस मोटर मार्ग	11909.60 16188.25	अध्याप्ति निकाय से धनराशि प्राप्त नहीं है।
20	घोंडपट तडीगांव मातड मो0 मार्ग।	1397.20	आंशिक भुगतान शेष है। प्रतिकर प्राप्तकर्ता बाहर हैं। प्रतिकर राजस्व मद में जमा किया गया है।
21	एचोली जाख आवलाघाट मोटर मार्ग।	19750.62	अध्याप्ति निकाय से धनराशि प्राप्त नहीं है।
22	लोहाघाट बाराकोट	21004.34	आंशिक प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है कुछ भूस्वामी गांव में उपस्थित न होने से प्रतिकर भुगतान अवशेष है।
23	धनाघाट देवीपुरा बालिक मो0 मार्ग।	50365.66	तदैव
24	बाराकोट लिक मो0 मार्ग	9640.24	तदैव
25	दरकोट थापा मो0 मार्ग	55000.00	प्रतिकर को धनराशि उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेज दी है। वितरण होना है।
26	रई मढ रोडी पाल्ली	191500.00	प्रतिकर की धनराशि भूमि अध्याप्ति अधिकारी को दी जानी है।

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 156 पर)

परिशिष्ट –1

मांगें

1—राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार समस्त कार्यरत कर्मचारियों को रू0 199.00 व महंगाई दिनांक 6 अगस्त, 1984 से समस्त अवशेषों के साथ भुगतान किया जाय।

2—कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत हाजिरी कार्ड, परिचय-पत्र, अवकाश पत्र एवं नियुक्ति पत्र आदि अविलम्ब दिए जायें।

3—भविष्य निधि के अनुसार समस्त कर्मचारियों को नियमानुकूल भविष्य निधि सुविधा प्रदान किया जाय।

4—समस्त कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश, एवं 20 उपार्जित अवकाश एवं नियमपूर्वक साप्ताहिक अवकाश दिया जाय व राष्ट्रीय अवकाश दिए जायें।

5—8 घंटे से अधिक काम लेने पर अतिरिक्त घंटों का दुगुने दर से भुगतान किया जाय।

6—सभी कर्मचारियों को 1 वर्ष में 2 जोड़ा वर्दी एवं एक जोड़ी जूता उपलब्ध कराये जायं।

7—कर्मचारियों के कार्य का स्वभाव देखते हुए दस्ताने की व्यवस्था की जाय, ताकि रासायनिक प्रभाव से हाथ की कार्य क्षमता को नष्ट होने से बचाया जा सके।

8—अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाय।

9—ग्रेच्युटी कर्मचारियों को काम छोड़ने के साथ ही फैक्ट्री से दिया जाय।

बी0एस0यू0सी0—एल0 240 वि0प्रभा (404)—1985—8131